देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115
May 2026
Vol.-23, Issue-5

Impact Factor
8.642

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)



Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
#202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

https://bohalshodhmanjusha.com/

Vol. 23 | ISSUE-5, Part-3 | (मई 2026) | ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

कार्यकारी सम्पादक :

प्रो. शकुन्तला चौहान

शामली, उत्तर प्रदेश।

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा 'शंकी'
पूर्व शिक्षा अधिकारी,
साहित्यकार,
चरखी दादरी (हरियाणा)

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि.
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

डॉ. कुमारी लक्ष्मी जोशी
हिन्दी विभाग, त्रिभुवन वि.वि.
काठमाण्डू, नेपाल।

डिल्लीराम शर्मा संग्रौला
विभागीय प्रमुख, संस्कृत, पत्रकारिता, हिंदी
पद्मकन्या बहुमुखी कैंपस, काठमांडू, नेपाल।

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. इस्पाक अली
पूर्व प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरू

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. राजकुमारी शर्मा
श्रीराम कॉलेज,
नई दिल्ली।

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास।

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार व अनुवादक,
यूक्रेन।

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. शबाना हबीब
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमैन
त्रिवन्तपुरम, केरल।

डॉ. शिवकरण निमल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
एसपीसी राजकीय महा. भीम, राजस्थान।

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
भारत कला भवन
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत विभाग
हरियाणा सरकार।

डॉ. नीलम आर्या
संस्कृत विभाग
उत्तर प्रदेश।

डॉ. रवि सुण्डयाल
हॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट
जम्मू कश्मीर।

प्रो. नरेन्द्र सोनी
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
हरियाणा सरकार।

डॉ. रोहतास
एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस.
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य,
कैलिफोर्निया।

पठान चिन्ना जानी
सहायक प्राध्यापक
सी.एच.एस.डी. सेंट थेरेसा
महिला महाविद्यालय (ए)
एलुरु, आंध्र प्रदेश

डॉ. वैशाली सिंह
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग, एस.एम.टी. अनार देवी
टी.टी. कॉलेज, बखराना
(कोटपुतली) राजस्थान।

डॉ. रेखा रानी
गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. अंकिता चतुर्वेदी, प्रवक्ता
भीमसेन डिग्री कॉलेज
(आगरा यूनिवर्सिटी)

शिओंग छन श्यू
चीन

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course

अनुक्रमाणिका – मई 2026

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. नरेश सिहाग	09–09
2.	21वीं सदी की शिक्षा समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास	रूकमीनी यादव	10–12
3.	उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों, पारिवारिक संस्कारों और शैक्षिक निष्पति के संदर्भ में अध्ययन	हेमलता, डॉ. अनुराधा सिंह	13–19
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत एवं समस्या समाधान योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन	भंवर लाल शर्मा, डॉ. राजेश शर्मा	20–26
5.	प्रोफेसर नंदिनी साहू की 'हिंदू अध्ययन : आधारभूत संरचना एवं ढांचा' (2025) की एक आलोचनात्मक समीक्षा	डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी	27–37
6.	**The Role of Digitalization in the Development of the Tourism Industry in Rajasthan: A Comparative Study Before and After Demonetization**	**Reetika, Dr. Dinesh Bansal**	**38-48**
7.	न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन : भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य 1990–2000	निशा मौर्या	49–55
8.	नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 : महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में	डॉ. अनुभा श्रीवास्तव	56–62
9.	मुगलकालीन इतिहास के स्रोत : एक अवलोकन	अविनाश कुमार पासवान	63–66
10.	इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन	तनिषा गोयल, डॉ. श्रुति खारीवाल	67–72
11.	उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अध्ययन	प्रेम कुमारी, डॉ. राजेश शर्मा	73–78
12.	प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्र के रूप में नालन्दा	वस्फी फातिमा	79–86
13.	दलित कविता में स्त्री	डॉ. कलावती कुमारी	87–91
14.	**Vernacular Voices : Exploring Sexuality in Folk Narratives**	**Sanjay Kumar**	**92-100**
15.	**Impact of Price Rise on Real Consumption and Savings Behaviour of Middle-Class Families**	**Dr. Sachin Kumar Singh**	**101-108**

16.	Financial Soundness of Union Bank of India : An EAGLE Model Analysis of Rewa District (M.P.)	Dr. Manish Kumar Shukla, Pankaj Shukla	109-120
17.	भारत में जैविक खेती अनुसंधान : वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह	डॉ. रामसहोदर साकेत	121–130
18.	कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)	डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव, प्रतिभा सिंह	131–140
19.	SOCIO-POLITICAL STUDY OF WOMEN EMPOWERMENT IN PANCHAYATI RAJ	Dr. Shushil Dubey, Bhaskar Kulaste	141-155
20.	ट्रांसजेंडर समुदाय और शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ. प्रदीप कुमार	156–161
21.	Analysis of Consumer buying behaviour towards online shopping in Vindhya Region	Anjali Shrivastava, Dr. Swati Singh Chauhan	162-172
22.	नागपुरी लोकसाहित्य में प्रकीर्ण साहित्य का स्थान	डॉ० इन्द्र भूषण भगत	173–177
23.	اردو افسانوی ادب میں آدی باسی زندگی اور ثقافت کی عکاسی "ایک تنقیدی اور تھذیبی مطالعہ"	ڈاکٹر پرویز اختر	178–180
24.	ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ	ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਲਤਾ	181–191
25.	Anti Liquor Movements and Mobilisation in the Hilly regions of Uttarakhand: Past and Present	Rakesh Joshi	192-198
26.	Economic References in Temple Inscriptions of Early Medieval India	Shripriya Pandey, Dr. Sidharth S. Rai	199-204
27.	Role of Media and Literature in Electoral Literacy	Rakesh Kumar Sharma	205-212
28.	Patentability of Artificial Intelligence-Generated Inventions : Legal Challenges and Policy Responses	Dr. Nidhi Sharma, Dr. Siddharth Tiwar	213-220
29.	Traditional Pichwai Paintings of Rajasthan : Survey and Analysis of a Living Devotional Art Form	Ramandeep Kaur, Navneet Kaur	221-226
30.	सांख्य दर्शन में पुरूष–प्रकृति सिद्धांत	राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. मनि शर्मा, डॉ. संगीता देव	227–231

संपादकीय...

भारतीय ज्ञान परम्परा, समकालीन शोध और मानविकी की नई दिशाएँ

आज के वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान, शोध और संवाद की परम्पराएँ तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे समय में "बोहल शोध मंजूषा" का मई अंक न केवल अकादमिक विमर्श का मंच है, बल्कि भारतीय ज्ञान परम्परा और समकालीन चुनौतियों के बीच एक सशक्त सेतु भी है। यह अंक विशेष रूप से इस विचार को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है कि परम्परा और आधुनिकता का समन्वय ही वास्तविक प्रगति का आधार है।

भारतीय ज्ञान परम्परा सदैव से समावेशी, बहुआयामी और जीवनोपयोगी रही है। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, लोक साहित्य और आधुनिक साहित्य तक फैली यह परम्परा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन ज्ञान स्रोतों को केवल स्मरण न करें, बल्कि उन्हें नए संदर्भों में पुनः व्याख्यायित करें। यही कार्य शोध का मूल उद्देश्य भी है नवीन दृष्टिकोण के साथ सत्य की खोज।

इस अंक में प्रस्तुत शोध पत्रों में साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, समाजशास्त्र और समकालीन विमर्शों का संतुलित समावेश देखने को मिलता है। विशेष रूप से हिंदी साहित्य में उभरते नए विमर्श 'स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण चेतना और डिजिटल युग में साहित्य की भूमिका' पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि शोध केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की धड़कनों से जुड़ चुका है।

समकालीन समय में शोध लेखन की गुणवत्ता और नैतिकता भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरी है। Plagiarism, संदर्भों की प्रामाणिकता और शोध की मौलिकता पर विशेष ध्यान देना आज की आवश्यकता है। एक सशक्त शोध वही है जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और मौलिक हो। इस संदर्भ में यह पत्रिका शोधार्थियों और विद्वानों को एक जिम्मेदार मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल युग ने ज्ञान के प्रसार को सरल बनाया है, परंतु इसके साथ ही चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। सूचनाओं की अधिकता में सत्य की पहचान करना कठिन हो गया है। ऐसे में समीक्षित (Peer Reviewed) पत्रिकाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बोहल शोध मंजूषा इस दिशा में एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में निरंतर कार्य कर रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज में शिक्षा और संस्कृति का संबंध अत्यंत गहरा है। शिक्षा केवल ज्ञान का अर्जन नहीं, बल्कि मूल्य निर्माण की प्रक्रिया भी है। इस अंक के अनेक लेख इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि यदि शिक्षा में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया जाए, तो समाज में नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास संभव है।

अंततः, यह कहना समीचीन होगा कि शोध एक सतत यात्रा है—प्रश्नों से उत्तरों तक और फिर नए प्रश्नों की ओर। बोहल शोध मंजूषा का यह अंक इसी यात्रा का एक पड़ाव है, जो पाठकों, शोधार्थियों और विद्वानों को नए विचारों, दृष्टिकोणों और संभावनाओं से परिचित कराता है।

हम सभी लेखकों, समीक्षकों और पाठकों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह अंक संभव हो सका। आशा है कि यह अंक न केवल ज्ञानवर्धन करेगा, बल्कि नए शोध कार्यों के लिए प्रेरणा भी प्रदान करेगा।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 10-12

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

21वीं सदी की शिक्षा समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास

रूकमीनी यादव

शोधार्थी, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, जमशेदपुर।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास न केवल साक्षरता दर बढ़ने पर केंद्रित है बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास और उन्हें 21वी सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर भी आधारित है। सरकार का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है। जो न केवल शिक्षित हों, बल्कि कुशल और नवाचारी भी हो। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबॉटिक्स जैसी तकनीकों को भी स्कूली स्तर पर शामिल किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान भारत की नई शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देना है बल्कि उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाले कौशल और मूल्यों से भी परिचित करता है।

मुख्य शब्द :

- **समग्र शिक्षा अभियान** – समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिये एकीकृत योजना है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2018–19 में शुरू किया गया था।
- **सर्वांगीण विकास** – छात्रों का मानसिक, चारित्रिक, शाब्दिक नैतिक, शारीरिक, कौशल विकास।
- **डिजिटल साक्षरता** – डिजिटल उपकरणों सॉफ्टवेयर इंटरनेट को समझने उनका सुरक्षित उपयोग करने की क्षमता।
- **व्यवसायिक शिक्षा** – कौशल और रोजगार आधारित शिक्षा।
- **नई शिक्षा नीति** 2020 – कौशल और सर्वांगीण विकास पर आधारित आधुनिक शिक्षा निति।
- **होलिस्टिक अप्रोच** – शिक्षा को खंडों में न देखकर पूर्णता में देखना।

प्रस्तावना :

21वीं सदी परिवर्तन की सदी है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ तकनीक, सूचना और वैश्वीकरण ने जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। इस बदलते परिवेश में शिक्षा की पारंपरिक परिभाषा भी बदल गई। अब शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना या डिग्रियां हासिल करना नहीं रह गया है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी समग्र शिक्षा अभियान इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो प्री प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। समग्र शिक्षा अभियान का दर्शन हॉलिस्टिक अप्रोच पर आधारित है। यह मानता है

कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि हृदय को संस्कारी करना और हाथों में कौशल का विकास करना भी है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों का सर्वांगीण विकास तथा कौशल विकास के लिए निम्नलिखित विभिन्न आयाम को शामिल किया गया है –

- **बौद्धिक विकास :** आधुनिक शिक्षा सामग्री रटने के बजाय 'क्रिटिकल थिंकिंग' पर जोर देती है। इससे विद्यार्थी 'क्या' के साथ–साथ 'क्यों' और 'कैसे' सोचना सीखते हैं।
- **तकनीकी दक्षता** – सूचना क्रांति के दौर में कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल साधनों का सही उपयोग विद्यार्थी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।
- **सामाजिक और भावनात्मक विकास** – शिक्षा सामग्री में सामूहिक गतिविधियों और टीम वर्क को शामिल कर बच्चों में सहयोग और सामाजिकता की भावना पैदा की जाती है।
- **रचनात्मकता** – कला, संगीत और नवाचार को मुख्य विषयों के साथ जोड़ने से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है।
- **व्यावसायिक शिक्षा** – कक्षा 6 से इंटर्नशिप और व्यवसाय कौशल शुरू किए जा रहे हैं। ताकि छात्र भविष्य रोजगार के लिये तैयार हो।
- **डिजिटल साक्षरता** – स्मार्ट क्लासेज और कोडिंग जैसे विषयों के माध्यम से छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।
- **मानसिक स्वास्थ्य** – वर्तमान नीतियों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श को प्राथमिकता दी जा रही है।
- **लचीलापन** – उच्च शिक्षा में मल्टिपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया गया है। जिससे छात्र अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं या ब्रेक ले सकते हैं।

सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो 'रटंत विद्या' को छोड़कर कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है तथा केवल परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह छात्र के व्यक्तित्व को संवारने में कई तरीकों से मदद कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान का मूलमंत्र "सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा" है। यह स्कूली शिक्षा को खंडों में देखने के बजाय एक निरंतरता के रूप में देखता है। यह अभियान निम्नलिखित तीन स्तंभों को जोड़ कर बहुआयामी विकास का मार्ग प्रस्तुत करता है।

- **समावेशी शिक्षा** – समाज के हर वर्ग विशेषकर लड़कियों तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके।
- **तकनीकी समावेश** – शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग को बढ़ावा शिक्षक सशक्तिकरण शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से जोड़ना।
- **निरंतता** – प्री स्कूल से 12वीं तक एक ही प्रशासनिक व्यवस्था होने से छात्रों के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने आने वाली बाधाएं खत्म हुई है।
- **संसाधन अनुकूल** – स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट देकर उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कर सके।
- **शिक्षा सामग्री में बदलाव** – पारंपरिक शिक्षा में केवल पाठ्यपुस्तकों को ही मुख्य सामग्री माना जाता था,

लेकिन आज की शिक्षा सामग्री में व्यापक बदलाव आया है डिजिटल संसाधन जैसे ई–बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, और इंटरैक्टिव सिमुलेशन के माध्यम से कठिन विषयों को आसानी से समझा जा सकता है।

- **व्यावहारिक सामग्री** – लैब उपकरण, कोडिंग किट और आर्ट–इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।
- **जीवन कौशल** – आज की सामग्री में सहानुभूति, नेतृत्व, और समय प्रबंधन जैसे विषयों को भी शामिल किया जा रहा है।

चुनौतियां और समाधान :–

हालांकि आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन भारत जैसे देश में 'डिजिटल डिवाइड' (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों का अंतर) एक बड़ी चुनौती है। सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो 'रटंत विद्या' को छोड़कर कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय में सभी शिक्षक छात्रों को रटने के बजाय सीखने पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी भी हमारे देश के ज्यादातर इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। जहां शिक्षकों की कमी पायी जाती है। और अगर कहीं शिक्षक हैं तो पुराने शिक्षण विधि द्वारा छात्रों कि कक्षा ली जाती है।

निष्कर्ष :–

21वीं सदी की शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे पूर्ण मानव का निर्माण करना है जो न केवल तकनीक रूप से कुशल हो बल्कि भावनात्मक रूप से भी परिपक्व हो। समग्र शिक्षा अभियान इस उद्देश्य की पूर्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। यह शिक्षा को स्कूली स्कूल की चारदीवारी से निकालकर जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ता है। जब एक विद्यार्थी का बहुआयामी विकास होता है तो वह केवल न अपना भविष्य संवारता है, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह अभियान सही मायने में भारत का एक ग्लोबल नॉलेज सुपरपॉवर बनने की नींव रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. समग्र शिक्षा अभियान : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा में एक आदर्श बदलाव. (2020). आई–मैनेजर स्कूल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, खंड 16 (अंक 2). DOI: 10-26634/jsch.16.2.17460. पहुंच से दूर सामाजिक समूहों तक पहुंचने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की पहल का एक अध्ययन. रिसर्चगेट.
2. अली, एम. ए. (2020). समग्र शिक्षा अभियान : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा में एक मौलिक परिवर्तन (ए पैराडाइम शिफ्ट)। आई–मैनेजर जर्नल ऑन स्कूल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 16(2). https://doi.org/10.26634/jsch-16.2.17460.
3. अग्रवाल, पी., एवं माथुर, एस. (2022). समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का वित्तपोषण : भारत के चयनित राज्यों में एक प्रारंभिक विश्लेषण। जर्नल ऑफ बिजनेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, 10(4)।
4. एंथोनी, ए., एवं शर्मा, एस. (2024). समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम : 'एक एकीकृत योजना का व्यापक विश्लेषण' एडुइन्सपायर : एन इंटरनेशनल ई–जर्नल, रिसर्चगेट.
5. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 https.//www.education.gov.in/sit/upload&files/mhrd/NEP&Final&English.0.pdf

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 13-19

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों, पारिवारिक संस्कारों और शैक्षिक निष्पति के संदर्भ में अध्ययन

हेमलता, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. अनुराधा सिंह, सहायक आचार्या
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में "उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों एवं पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पिति के संदर्भ में अध्ययन" किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के इस शोध कार्य हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों को मापन हेतु डॉ. मंजू अग्रवाल एवं पारिवारिक संस्कारों मापने के लिए स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों एवं पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पिति में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

मुख्य शब्द – उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, व्यक्तित्व गुण, पारिवारिक संस्कार एवं शैक्षिक निष्पिति।

प्रस्तावना :-

शिक्षा का महत्व मानव जीवन में अत्यंत व्यापक और गहन है। यह केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य को जीवन के आदर्शों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाती है। प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा वह कुंजी है जो मानव के जीवन में ज्ञान और चेतना के नए द्वार खोलती है। उनके विचारों के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को सत्य, सौंदर्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अंतर्मन को जागृत करने वाली शक्ति भी है, जो उसे जीवन के उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर करती है।

शिक्षा के स्वरूप को शब्दों में पूर्णतः व्यक्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसका प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक आयाम पर पड़ता है। फिर भी यदि इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए तो कहा जा सकता है कि शिक्षा माता के समान स्नेहपूर्वक पालन–पोषण करती है और पिता के समान उचित मार्गदर्शन प्रदान कर जीवन को सही दिशा देती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के स्पर्श से कमल का पुष्प प्रस्फुटित होकर अपनी पूर्ण शोभा प्राप्त करता है और सूर्य के अस्त होते ही वह मुरझाने लगता है, उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश

से व्यक्ति का व्यक्तित्व खिल उठता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसका जीवन अज्ञान, अभाव और संघर्ष के अंधकार में घिर जाता है। डी.वी. महोदय के अनुसार ''शिक्षा वह है जो बालक को इस योग्य बनाए कि वह स्वयं के लिए चिंतन कर सके, अच्छा मसीहा बन सके तथा जीवन का आनन्द उठा सके।'''

शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है। शिक्षा का मानव जीवन में काफी महत्व है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है।

बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति सुव्यवस्थित व सुसंस्कृत नहीं हो सकता है। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगींण विकास होता है। मानव अपना व्यक्तित्व, जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। शिक्षा के फल स्वरुप मनुष्य एक दूसरे के लिए प्रेम सहानुभूति सेवा तथा त्याग की भावना का अनुभव करता है। शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही हम विविध सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और विकास के पथ पर आरूढ़ रह रहते है। शिक्षा के ही फल स्वरूप कला साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्व कृतियों का निर्माण होता है। शिक्षा के कारण तो आज की मानव सभ्यता और संस्कृति अपने के वर्तमान स्तर पर पहुंच सकी है। जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है वह श्रेष्ठ रूप से विकास करते हैं। इसके विपरीत कम शिक्षित बच्चे पिछड़े रह जाते हैं। विद्यालय समाज की प्रतिनिधि संस्था है जो सामाजिक प्राणी को समाज में रखकर सामाजिक विकार को दूर करते हुए मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाने में सहयोग करती है।

वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीकी के बढ़ते कदम 21वीं सदी में परिवर्तनशील राष्ट्रीय व सामाजिक परिस्थितियाँ, शिक्षकों को भावी पीढ़ी के लिए सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधन 1992 में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को मजबूती प्रदान कर सकता है ताकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु कक्षा में छात्रों को उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सके साथ ही संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करके उनमें राजकीय उच्च आकांक्षाओं को विकसित कर सके।

1.2 शोध की आवश्यकता –

वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। आधुनिक युग में शिक्षा को मानव जीवन के विकास का आधार माना जाता है तथा समाज की प्रगति और राष्ट्र के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जाती है। आज भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा के प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और अधिकाधिक अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रति सजग एवं जागरूक हो रहे हैं। आज के समय में यह स्थिति भी देखने को मिलती है कि जो माता–पिता स्वयं औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, वे भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और उत्साह के साथ प्रयास करते हैं। वे अपनी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सीमाओं के बावजूद अपनी संतान की शिक्षा के लिए तन, मन और धन से सहयोग देने को तत्पर रहते हैं।

जब विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति समान नहीं होती। विद्यालयों में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को देखने पर यह तथ्य सहज रूप से सामने आता है कि एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अंक तथा उनकी उपलब्धि का स्तर एक–दूसरे से भिन्न होता है। कुछ विद्यार्थी अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थियों की उपलब्धि औसत या उससे भी कम स्तर की होती है। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिनके कारण उनके परिणामों में भिन्नता उत्पन्न होती है।

शोधकर्त्री के मस्तिष्क में इस विषय से सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठे। जैसे बालक के व्यक्तित्व का उसकी शैक्षिक निष्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो कि बालक की निष्पत्ति को कुछ बना सकते हैं। और ऐसे गुणों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। बालक के व्यक्तित्व का उसकी निष्पत्ति पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ता है, क्या शैक्षिक निष्पत्ति पूर्णतया व्यक्तित्व गुणों से प्रभावित होती है, शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभावित करने में व्यक्ति व गुणों के अतिरिक्त कौन–कौन से तत्व सहयोगी होते है।

शोधकर्त्री इस पर भी विचार करने के लिए मजबूर हो गई है कि बालक के पारिवारिक संस्कार उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव डालते है या नहीं। पारिवारिक संस्कारों का निर्वहन हमारे व्यक्तित्व के गुणों को प्रभावित करता है या नहीं। क्या पारिवारिक संस्कारों का निर्वहन करते करते संस्कार उनके रग–रग में बस जाता है? परिवार के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करना उनकी आदत बन जाती है। ऐसा व्यक्तित्व इतनी प्रखरता लिए हुए होता है कि नकारात्मकता उनके आसपास भी दिखाई नहीं देती है तो क्या शैक्षिक निष्पत्ति उच्च होती है?

पारिवारिक संस्कारों का शैक्षिक निष्पत्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या यह प्रभाव हमेशा खराब होता है? क्या यह प्रभाव सकरात्मक होता है? शैक्षिक निष्पत्ति पर पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव छात्रों पर अधिक होता है या छात्राओं पर? छात्र–छात्राओं के शैक्षिक निष्पत्ति पर उनके पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव लैंगिक भिन्नता लिए हुए होता है अथवा नहीं?

शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति के प्रभावकारी कारक कौन–कौन से है? क्या ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में पारिवारिक संस्कारों में अंतर पाया जाता है?

इस प्रकार के अनेक प्रश्न शोधार्थी के मस्तिष्क में कौधते रहे। शोधकर्त्री को आवश्यकता महसूस हुई यह जानने की शैक्षिक निष्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन से हैं? व्यक्तित्व कारकों का क्या महत्व है इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधकर्त्री ने निम्न समस्या का चयन किया।

समस्या कथन –

''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों, पारिवारिक संस्कारों और शैक्षिक निष्पति के संदर्भ में अध्ययन।"

अध्ययन में प्रस्तुत तकनीकी शब्दों की व्याख्या –

उच्च माध्यमिक स्तर :

उच्च माध्यमिक प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा–11 के विद्यार्थियों को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तरीय मानते हुए

न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक प्रणाली के द्वारा स्वीकार किया गया है।

व्यक्तित्व गुण – व्यक्तित्व का अर्थ बहुत व्यापक है व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है।

1. आंतरिक 2. बाह्य

प्रस्तुत अध्ययन में संपूर्ण व्यक्तित्व को समेटा गया है व्यक्तित्व की समस्त क्रियाओं से उसके व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं को जाना जा सकता है।

पारिवारिक संस्कार –

परिवार मानवोचित गुणों की प्राथमिक पाठशाला भी है क्योंकि परिवार से प्राप्त संस्कारों ही बालक के सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करते हैं। बालक के आचार व्यवहार को देखकर हम उसके परिवार से प्राप्त संस्कार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। संस्कारों से अपने आचार विचार में संशोधन एवं परिष्कार होता है। संस्कार मानव जीवन को परिमार्जित परिष्कृत और सुव्यवस्थित रखने का एक उपक्रम है। घर के शैक्षिक वातावरण से प्राप्त संस्कारों का प्रकटीकरण कक्ष में होता रहता है। क्योंकि बालक अपने पारिवारिक वातावरण का दर्पण होता है। शैक्षिक निष्पत्ति – निष्पत्ति का आशय है कि छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त परिपूर्णता का स्तर। शैक्षिक निष्पत्ति का आशय विद्यार्थियों के कक्षा–10 में प्राप्त परीक्षा परिणाम से है शोधार्थी का शैक्षिक निष्पत्ति से आशय है कि न्यादर्श हेतु चयनित छात्र अथवा छात्रा विद्यालय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में सहसंबंध का अध्ययन करना।

(2) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में सहसंबंध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकपनाएँ :–

(1) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

(2) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के इस शोध कार्य हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

1. व्यक्तित्व गुण मापनी (डॉ. मंजू अग्रवाल)
2. पारिवारिक संस्कार मापनी (स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन –

(1) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध

नहीं है।

सारणी संख्या – 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुण	600	147.45	13.689	0.054	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति	600	76.83	12.852		

व्याख्या :–

परिकल्पना संख्या 1 के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति से सम्बन्धित दत्तों को विश्लेषित किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति के प्रदत्तों के मध्यमान व मानक विचलन के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक त–का प्राप्त मान सार्थकता के स्तर 0.01व 0.05 पर सारणी मान से कम है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों पर स्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते है तथा दोनो सहसम्बन्धित नहीं है अर्थात् उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

(2) उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

सारणी संख्या – 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कार	600	77.55	10.12	0.067	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति	600	75.73	11.215		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति से सम्बन्धित प्रदत्तों के मध्यमान व मानक विचलन के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक r– का प्राप्त मान सार्थकता के स्तर 0.01 व 0.05 पर सारणी मान से कम है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों पर स्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक

निष्पत्ति एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते है तथा दोनो सहसम्बन्धित नहीं है। अर्थात् उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक संस्कारों का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शैक्षिक सुझाव –

- अध्ययन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा आत्म–नियंत्रण की भावना को बढ़ाने में सहायक होता है।
- यह विद्यार्थियों को अनुशासन और समय–प्रबंधन के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है।
- विद्यार्थी अपने पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के महत्व को समझ पायेगें।
- यह अध्ययन विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण की प्रवृत्ति विकसित करता है।
- विद्यार्थियों को यह ज्ञात होता है कि सहयोगात्मक व्यवहार और सामाजिक गुण उनके विकास में सहायक होगे।
- यह अध्ययन विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है।
- विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति जिम्मेदारी और लगन का विकास होगा।
- विद्यार्थी अपने परिवार और विद्यालय दोनों के महत्व को समझ पायेगे।

भावी शोध हेतु सुझाव –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का कार्य उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं पर किया गया है। इस प्रकार का शोध अध्ययन प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर तथा परास्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं पर भी किया जा सकता है।
2. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का उनकी बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य उच्च माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों पर किया गया है। इसको अन्य वर्ग शिक्षक, अभिभावकों आदि पर भी किया जा सकता है।
4. अनुसूचित जाति व सामान्य जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
5. वंचित बालकों व सामान्य बालकों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

1. कौर किरणदीप और संधु "विद्यार्थियों के पारिवारिक लगाव, पालन–पोषण प्रणाली का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्धारण का तुलनात्मक अध्ययन"।
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. गुप्ता, मधु 2005, परिवार की प्रकृति, गृह वातावरण और माता पिता की सहभागिता का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, परिप्रेक्ष्य, वर्ष–12, अंक–2, अगस्त 2005, पेज नं. 103–114।
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ संख्या (407–430)
6. पाण्डेय लक्ष्मी नारायण 2010 'माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन, मूल्यों एवं अध्ययन

आदतों पर पारिवारिक सम्बन्धों के प्रभाव का अध्ययन' पी–एच.डी. स्तरीय शोधकार्य आई. एएसई मान्य विश्वविद्यालय सरदार शहर।

7. सिंह, रामपाल और शर्मा, ओ.पी. (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।
9. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2007) शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 20-26

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत एवं समस्या समाधान योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

भंवर लाल शर्मा, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में "उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत एवं समस्या समाधान योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन" किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के चुरू जिले के इस शोध कार्य हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षिक वातावरण मापन के लिए एम. एल. शाह एवं अमिता शाह, 2. अध्ययन आदत मापन के लिए (एम. मुखोपाध्याय एवं डी. एन. संसावल) एवं समस्या समाधान योग्यता मापने के लिए (एल. एन. दुबे) द्वारा निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में "उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है, एवं समस्या समाधान योग्यता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

मुख्य शब्द – उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, शैक्षिक वातावरण, विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना :-

बालक में जिज्ञासा, स्वतन्त्र चिन्तन, समस्या समाधान की योग्यता के विकास के लिए योजकता, स्वाध्याय क्रिया का होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब विद्यार्थियों को उत्तम शैक्षिक वातावरण में शिक्षा दी जाये। विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि व उपलब्धि प्रेरणा को प्रभावित करता है।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शैक्षिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिट्टी में पड़े हुए पौधों के छोटे से बीज में पेड़ अथवा पौधा बनने की सम्भावनायें विद्यमान रहती है किन्तु बीज में विद्यमान यह सम्भावनायें तभी मूर्त रूप ग्रहण करती है, जब बीज को अंकुरित होकर विकसित होने का अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक बालक जन्म से कुछ विशिष्ट सम्भावनायें लेकर पैदा होता है। ये विकास की

सम्भावनायें तभी सही दिशा में आकार ग्रहण करती है. जब बालक को अनुकूल भौतिक, सामाजिक व शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होता है। यह वातावरण उसे पहले परिवार से फिर समाज और विद्यालय से प्राप्त होता है। उचित व अनुकूल सुविधायें तथा वातावरण मिलने पर विद्यार्थी ऊँचे से ऊँचे विकास को पहुँच सकता है। शैक्षिक वातावरण के लिए उत्तरदायी विद्यालय संगठन में विभिन्न घटकों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसलिए प्राचार्य एवं अध्यापक छात्र एवं अध्यापक के बीच मधुर सम्बन्ध होना आवश्यक है।

विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास में शैक्षिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक वातावरण विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं वे बालकों को प्रेरणा देने वाले होते हैं, कहीं उसे अनुशासन की कठोर बेड़ियों में बाँध कर रखने वाले होते है। क्या विद्यालय का शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों के विकास में सहयोग करता है? क्या विद्यालय स्तर पर छात्रों का कार्यक्षत्र व सामाजिक क्षेत्र, भविष्य में समस्याओं से निपटने व विजय प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है? ऐसे कौन–कौन से कारक हैं जो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पड़ते है? शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या विद्यालय का शैक्षिक वातावरण इन सभी योग्यताओं के विकास में सहयोग करता है? इन सभी प्रश्नों के कारण शोधकर्ता के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों, समस्या समाधान योग्यता तथा शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप इस अध्ययन का आरम्भ हुआ।

1.2 शोध की आवश्यकता –

जन्मजात मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के साथ–साथ व्यक्ति बहुत कुछ अपने परिवेश (वातावरण) से सीखता है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पर छात्र आने के बाद पारिवारिक जीवन के साथ–साथ सामाजिक जीवन भी व्यतीत करता है। विद्यालय शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसमें पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा पूर्व नियोजित कार्यक्रम दोनो होते हैं। फलस्वरूप विद्यालय का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जिसमें उसके व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास होता है।

विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अध्ययन की आदतों के अतिरिक्त छात्रों की अन्य योग्यताओं को भी प्रभावित करता है जिसमें समस्या समाधान एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्ति में इस योग्यता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या विद्यालय स्तर पर छात्रों को कार्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र व भविष्य में समस्याओं से निपटने व विजय प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रत्येक विद्यालय छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अध्ययन की आदतें छात्रों की उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए तो आवश्यक है ही साथ ही खाली समय के सदुपयोग के लिए भी अध्ययन की आदतें महत्वपूर्ण है क्या विद्यालय का शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों को प्रभावित करता है? श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों को श्रेष्ठ साहित्य क्या पढ़े क्या न पढ़े आदि का प्रशिक्षण देता है? खाली समय का किस प्रकार सदुपयोग करें। इन्हीं कुछ प्रश्नों ने शोधकर्त्ता को इस समस्या पर शोध कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

शैक्षिक उपलब्धि छात्र के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करती

है। विद्यालय ही छात्रों की उपलब्धि के मानक होते हैं। किसी भी छात्र की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना उसकी विद्यालय में की गई विभिन्न कार्य प्रणाली, उसकी विभिन्न गतिविधियों और प्राप्त अंकों के आधार पर की जा सकती है। ऐसे कौन–कौन से कारक हैं जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं विभिन्न प्रकार के चरों की शैक्षिक उपलब्धि में क्या भूमिका है? इन्हीं कुछ प्रश्नों ने शोधकर्त्ता को इस समस्या पर शोध कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

समस्या कथन –

"उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत एवं समस्या समाधान योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन।"

अध्ययन में प्रस्तुत तकनीकी शब्दों की व्याख्या –

उच्च माध्यमिक स्तर :

उच्च माध्यमिक प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा–11 के विद्यार्थियों को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तरीय मानते हुए न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक प्रणाली के द्वारा स्वीकार किया गया है।

शैक्षिक वातावरण :

शैक्षिक वातावरण साधारणतः शैक्षिक वातावरण का अर्थ विद्यालयी वातावरण है। शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य विद्यालय में उपलब्ध उन संसाधनों से है जिसमें सुचारू रूप से व्यवस्था न होने पर उन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का मानसिक, संवेगात्मक व क्रियात्मक पक्षों का सम्यक रूप से विकास असम्भव होता सके। इसके साथ ही विद्यालय में वर्कशाप, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, असेम्बली हाल, कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड व शौंचालय भी होना चाहिए। सुसांचित विद्यालय एक सुखी परिवार, एक मन्दिर, एक सामाजिक केन्द्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहक वृन्दावन है, जिसमें इन सब बातों का सुन्दर मिश्रण होता है।

समस्या समाधान योग्यता –

जटिल समस्याओं को सोचने एवं तर्कपूर्ण निर्णय लेने की योग्यता ही समस्या समाधान योग्यता है। समस्या समाधान वह आधार बिन्दु है जिस पर सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच तथा तर्क उत्पन्न होता है। जिन लोगों ने विभिन्न प्रभावशाली समस्याओं के समाधान की तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रखी है वह जीवन की विकट समस्याओं को सरलता से हल कर लेते हैं।

अध्ययन आदत :

अध्ययन सम्बन्धी आदतों के अन्तर्गत पढ़ना लिखना सीखना आदि आता है। वे व्यवहार जो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं शैक्षिक आदत्त कहलाते हैं। आदत समाज का महाचक्र एवं संग्राहक अभिकरण है। अध्ययन की आदत शिक्षा ग्रहण करने के सन्दर्भ में प्रयुक्त एक विश्लेषण है, साथ ही यह व्यक्ति के खाली समय में अध्ययन की रूचियों को जानने के सन्दर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों में पढ़ने की आदत, विद्यालय की समय सारणी, विद्यालय के भौतिक वातावरण, शिक्षक के शिक्षण कार्य का तरीका आदि बातों पर काफी कुछ निर्भर करती है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन

करना।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की अध्ययन आदत का अध्ययन करना।

(3) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं कीं समस्या समाधान योग्यता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :–

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(3) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं कीं समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के चुरू जिले के इस शोध कार्य हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

1. शैक्षिक वातावरण मापनी (एम. एल. शाह एवं अमिता शाह)
2. अध्ययन आदत मापनी (एम. मुखोपाध्याय एवं डी. एन. संसावल)
3. समस्या समाधान योग्यता मापनी (एल. एन. दुबे)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन –

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों का शैक्षिक वातावरण	300	136.09	8.643	1.257	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्राओं का शैक्षिक वातावरण	300	139.24	10.217		

1. तालिका संख्या – 4.1 के आधार पर ज्ञात होता है कि न्यादर्श में चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक वातावरण पर शोध उपकरणों का प्रशासन करने पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक वातावरण से प्राप्त आंकड़ों की गणना करने पर टी–अनुपात 2.014 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 298 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 2.59

से कम है। अतः अंतर सार्थक है और शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", स्वीकृत की जाती है अर्थात् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों की अध्ययन आदत	300	159.35	11.782	2.014	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्राओं की अध्ययन आदत	300	162.51	11.624		

तालिका संख्या– 4.2 के आधार पर ज्ञात होता है कि न्यादर्श में चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदत पर शोध उपकरणों का प्रशासन करने पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदत से प्राप्त आंकड़ों की गणना करने पर टी–अनुपात 2.014 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 298 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 2.59 से कम है।

अतः अंतर सार्थक है और शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", स्वीकृत की जाती है अर्थात् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(3) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं कीं समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 3

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों की समस्या समाधान योग्यता	300	11.56	2.471	3.021	स्वीकृत
उच्च माध्यमिक स्तर के छात्राओं की समस्या समाधान योग्यता	300	12.74	2.158		

तालिका संख्या– 4.3 के आधार पर ज्ञात होता है कि न्यादर्श में चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की समस्या समाधान योग्यता पर शोध उपकरणों का प्रशासन करने पर उच्च

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की समस्या समाधान योग्यता से प्राप्त आंकड़ों की गणना करने पर टी–अनुपात 3.021 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता के अंश 298 पर दिए गए तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 2.59 से कम है। अतः अंतर सार्थक है और शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है", स्वीकृत की जाती है अर्थात् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की समस्या समाधान योग्यता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

शैक्षिक सुझाव –

- समय का प्रबंधन करें, एक संतुलित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें।
- प्रतिदिन एक निश्चित समय–सारणी बनाकर पढ़ाई करने की आदत विकसित करें।
- केवल रटने के बजाय विषय को समझने पर जोर दें।
- कक्षा में छात्र–केंद्रित शिक्षण विधियाँ अपनाएँ।
- विषय को रोचक और वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएँ।
- समस्या समाधान आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करें।
- विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अध्ययन आदतों को पहचानकर मार्गदर्शन दें।

भावी शोध हेतु सुझाव –

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का कार्य उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं पर किया गया है। इस प्रकार का शोध अध्ययन प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर तथा परास्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं पर भी किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध में मात्र 600 विद्यार्थियों का न्यादर्श लिया गया है। इससे बड़ा न्यादर्श भी लेकर अध्ययन किया जा सकता है।
3. भावी शोध में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं में विद्यार्थियों की समस्याओं, अभिभावक पालन–पोषण शैली एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. कौर , हरिजीत (2019) : किशोर विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति का उनकी समस्या समाधान योग्यता के सम्बन्ध में अध्ययन, लघु शोध प्रबंध, टी.डी. पी.जी. कालेज, जौनपुर.
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. पाठक, जितेन्द्र कुमार (2018) : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, राजीव गांधी डीम्ड विश्वविद्यालय कोटवा जमुनीपुर, प्रयागराज।
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ संख्या (407–430)
6. मिश्र, आशीष कुमार (2020) : हाई स्कूल स्तरीय विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी शैक्षिक

अभिवृत्ति, संवेगात्मक बुद्धि एवं अभिप्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

7. सिंह, रामपाल और शर्मा, ओ.पी. (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
9. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2007) शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 27-37

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रोफेसर नंदिनी साहू की 'हिंदू अध्ययन : आधारभूत संरचना एवं ढांचा' (2025) की एक आलोचनात्मक समीक्षा

डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी
अतिथि प्राध्यापिका, हिंदी एवं अनुवाद विभाग,
हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा।

शोध सार (Abstract) :

प्रोफेसर नंदिनी साहू की शोध पुस्तक 'हिंदू अध्ययन : आधारभूत संरचना और ढाँचा।' भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदू अध्ययन को एक नए परिप्रेक्ष्य से पुर्नपरिभाषित करने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। धर्म, इतिहास, दर्शन, साहित्य, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, लिंग अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के संयोजन से लिखी गई यह पुस्तक हिंदू धर्म को एक स्थिर या एकरेखीय विश्वास प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास में विकसित ज्ञान के एक बहुआयामी, संवादपरक और जीवंत माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है। ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण और स्वदेशी बौद्धिक परंपराओं के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में प्रकाशित यह पुस्तक समकालीन वैश्विक शैक्षिक पद्धति से गहराई से जुड़ी हुई है। पुस्तक के अध्याय प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, अनुष्ठानों, कला और वास्तुकला, नैतिकता और आधुनिकता के प्रभाव में हिंदू धर्म के रूपांतरण को व्यापक रूप से उजागर करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों और रोजमर्रा की धार्मिक प्रथाओं के बीच सेतु बनाकर लेखक यह दर्शाता है कि सामाजिक अनुभव और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से धार्मिक चिंतन कैसे पुनर्जीवित होता है। साथ ही, वर्ग, जाति और लिंग के प्रश्नों पर नारीवादी, अंबेडकरवादी और निम्न–वर्गीय इतिहासलेखन संबंधी आलोचना को शामिल करके एक संतुलित और मानवीय पाठ का निर्माण किया गया है। मार्क्सवादी धार्मिक विश्लेषण की सीमाओं से परे जाकर, साहू हिंदू धर्म को एक 'जीवंत सभ्यतागत ज्ञान प्रणाली' के रूप में देखते हैं, जहाँ बहुलवाद, नैतिकता और अनुकूलनशीलता केंद्रीय मुद्दे हैं। इस पुस्तक की विशेषता आधुनिकता, वैश्वीकरण, प्रवासी समुदाय और डिजिटल जगत में हिंदू धर्म का विस्तार करना और भविष्य के शोध की दिशा निर्धारित करना है। परिणामस्वरूप, यह पुस्तक हिंदू अध्ययन को समझने में शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों के लिए अपरिहार्य और सहायक है।

मुख्य शब्द (keywords) : हिंदू, ज्ञान परंपरा, धर्म ग्रंथ, उपनिवेशवाद से मुक्ति, मार्क्सवादी धार्मिक विश्लेषण।

भूमिका :

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित हिंदी विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू की हाल ही में प्रकाशित हुई उनकी अभूतपूर्व कृति 'हिंदू अध्ययन : आधार और ढाँचा' हिंदू अध्ययन के उभरते क्षेत्र में एक व्यापक विद्वतापूर्ण और सामयिक आवश्यक हस्तक्षेप है। अपने व्यापक दायरे और विस्तार में, अपने

दृष्टिकोण और विवेचन में अत्यंत अनुभवजन्य और अकादमिक उत्साह से प्रेरित अपनी तरह की पहली कृति, यह पुस्तक बखूबी दर्शाती है कि कैसे सबसे प्राचीन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे अक्सर संक्षेप में एक धर्म के रूप में चित्रित किया जाता है, को ज्ञान के एक बहुस्तरीय निकाय के रूप में माना जाता है, जो इतिहास, दर्शन, कला, साहित्य, सामाजिक नैतिकता, अनुष्ठानिक उल्लास और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं को एकीकृत करता है।

इस पुस्तक का सबसे उत्तम पहलू, जो इसे अद्वितीय और बेजोड़ कृति बनाता है, वह है प्रोफेसर साहू की हिंदू धर्म के पुराने ताने–बाने को एक नए विश्व व्यवस्था में संज्ञानात्मक रूप से सत्यापित सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता, जो सदियों से प्रकाश का प्रतीक रहे देश की समृद्ध संस्कृत परंपराओं को दर्शाती है। एक अकादमिक विषय के रूप में, पुस्तक ने हिंदू धर्म के इतिहास को गहन शोध के प्रारूप में प्रस्तुत किया है, जैसा कि प्रस्तावना में ही स्पष्ट है, साथ ही इंडोलॉजी और उत्तर–औपनिवेशिक आलोचनाओं के माध्यम से दर्शन, मानव विज्ञान, पारिस्थितिकी आदि के विशाल क्षेत्र को समाहित किया है। विज्ञान, समाजशास्त्र, लिंग अध्ययन, डिजिटल मानविकी और इसी तरह के अन्य विषयों में अध्ययन करते हुए, प्रोफेसर साहू यह दर्शाते हैं कि हिंदू धर्म ने अनादिकाल से ही संकीर्ण वर्गीकरण का निरंतर विरोध किया है और आज भी शोध, विद्वता और ज्ञान के क्षेत्र में अपनी संभावनाओं का विस्तार करता आ रहा है।

अध्यायों का सुसंगठन विचारों की स्पष्टता और ज्ञान की सटीकता के लिए उल्लेखनीय है। वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों आदि से लेकर न्याय, योग, मीमांसा, सांख्य और वेदांत जैसे दार्शनिक संप्रदायों तक, यह पुस्तक स्रोत सामग्रियों का विस्तृत और विवेकपूर्ण सत्यापन योग्य आयाम प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से प्रेरणादायक बात यह है कि लेखक का प्रामाणिक और स्थानीय दोनों परंपराओं पर निरंतर ध्यान और बल है। दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संप्रदाय, ओडिशा का जगन्नाथ संप्रदाय और भक्ति की धाराएँ, जिन्होंने जाति और लिंग के आधार पर आध्यात्मिक अनुभवों को परिभाषित किया। इस व्यापकता ने पुस्तक को ठोस स्थान दिया है, जो हिंदू धर्म को केवल ग्रंथों के एक स्थिर संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत, ऊर्जावान और संक्रामक विचार के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हजारों वर्षों से सभ्यता के साथ विकसित होता रहा है। पुस्तक ने समकालीन ज्वलंत मुद्दों और चिंताओं को भी उठाया है। जाति, वर्ग और लिंग जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो हिंदू धर्म की परंपरा के भीतर दमनकारी पदानुक्रम और मुक्तिदायक ऊर्जा दोनों के रूप में विचलितधनिर्देशित होते हैं। प्रोफेसर साहू हिंदू धर्म को पारिस्थितिक विमर्श के संदर्भ में रखते हैं, और इसे जोड़ते हैं।

धर्म और अहिंसा से लेकर पर्यावरण नैतिकता तक, वे आधुनिक सुधार आंदोलनों, राजनीति में हिंदू धर्म की भूमिका और वैश्विक प्रवासी समुदाय में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करती हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनके 'हिंदू अध्ययन और डिजिटल मानविकी' और 'उत्तर–सत्य युग में हिंदू धर्म' पर किए गए विचार, जो इस विषय को नई और प्रासंगिक दिशाओं में ले जाते हैं।

इस पुस्तक की एक और खूबी यह है कि इसमें संस्कृत को भारतीय ज्ञान प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी के रूप में महिमामंडित किया गया है, जो स्वयं पुस्तक की प्रस्तावना में इस बात का प्रतिबिंब है कि सदियों से ऋषियों द्वारा संस्कृत ब्रह्मांड की जादुई संरचना को कैसे गढ़ा गया होगा। पाणिनी के व्याकरण की परिष्कारिता से लेकर चित्रकाव्य की रचनात्मकता तक, संस्कृत साहित्य के भाषाई, काव्य और दार्शनिक आयामों के साथ

लेखिका का गहन जुड़ाव संपूर्ण साहित्य को एक अनूठी समृद्धि प्रदान करता है। संस्कृत को "हिंदू अध्ययन" के केंद्र में रखकर, वह यह तर्क देती हैं कि यह भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि वह आधार है जिसके माध्यम से हिंदू विचार विकसित हुए हैं। शैली की दृष्टि से, गद्य विद्वतापूर्ण कठोरता और गीतात्मक संवेदनशीलता का अनूठा संगम है। प्रोफेसर साहू एक आलोचक और एक समर्पित साथी दोनों की भूमिका निभाती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अकादमिक विश्लेषण हिंदू धर्म के जीवंत, सौंदर्यपरक और आध्यात्मिक आयामों को नजरअंदाज न करे।

यह दोहरा दृष्टिकोण यह पुस्तक न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बल्कि हिंदू धर्म को रूढ़ियों से परे समझने में रुचि रखने वाले आम पाठकों के लिए भी मूल्यवान है। शैक्षणिक जगत में जहां "हिंदू अध्ययन" से संबंधित मामले आम तौर पर 'प्रशंसा' और 'विरोध' के ध्रुवीकृत पाए जाते हैं, वहीं प्रोफेसर साहू की पुस्तक 'हिंदू अध्ययन : आधार और ढाँचा' एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करती है, जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। आलोचनात्मक रूप से सहानुभूतिपूर्ण और व्यापक रूप से सूक्ष्म विश्लेषण से परिपूर्ण यह पुस्तक वह प्रस्तुत करती है जो शायद अब तक शैक्षणिक जगत में मौजूद नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म को एक वैज्ञानिक रूप से तार्किक और मानवीय रूप से समावेशी ज्ञान प्रणाली के रूप में स्थापित किया है, और इस बात का सशक्त तर्क प्रस्तुत किया है कि "हिंदू अध्ययन" को समकालीन पाठ्यक्रम और सार्वजनिक चर्चा में केंद्रीय स्थान क्यों मिलना चाहिए।

प्रोफेसर साहू की कृति 'हिंदू अध्ययन : आधार और रूपरेखा' एक मौलिक योगदान है, जो वर्तमान और भविष्य में विद्वत्ता के लिए अपरिहार्य है। यह केवल हिंदू धर्म का अध्ययन नहीं है, बल्कि विश्व के साथ संवाद में भारतीय ज्ञान परंपराओं (भारतीय ज्ञान परंपरा) की जीवंतता का प्रमाण है।

आलेख :

यह आलोचनात्मक शोध पत्र नंदिनी साहू की कृति 'हिंदू स्टडीज : फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स' (2025) का परीक्षण 'हिंदू अध्ययन' के अकादमिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में करता है। इसके सैद्धांतिक आधारों, पद्धतिगत विकल्पों और अंतर–विषयकता (Interdisciplinarity), जाति, लिंग, औपनिवेशिक विरासत एवं सांस्कृतिक भौतिकवाद (Cultural Materialism) जैसे विषयों के साथ जुड़ाव की पड़ताल करते हुए, यह समीक्षा पुस्तक के अभिनव ढांचों और इसके भीतर व्याप्त ज्ञानमीमांसीय तनावों (Epistemic Tensions) दोनों को रेखांकित करती है। यह विश्लेषण साहू के कार्य को धर्मनिरपेक्ष, उत्तर–औपनिवेशिक और स्वदेशी ज्ञान प्रतिमानों पर चल रही व्यापक बहसों के संदर्भ में देखता है। एक अनुशासनात्मक क्षेत्र के रूप में 'हिंदू अध्ययन' का उदय महत्वपूर्ण ज्ञानमीमांसीय और पद्धतिगत प्रश्न खड़े करता है। 'हिंदू स्टडीजः फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स' के महत्वाकांक्षी दायरे पर आधारित यह शोध पत्र निम्नलिखित मुख्य शोध प्रश्नों को तैयार करता है :

- साहू 'हिंदू अध्ययन' को एक अकादमिक विषय के रूप में कैसे संकलित करती हैं, और किन सैद्धांतिक मान्यताओं के साथ?
- किस प्रकार पुस्तक की अंतर–विषयकता और सांस्कृतिक भौतिकवाद के प्रति प्रतिबद्धता इसकी आलोचनात्मक क्षमता को मजबूत या कमजोर करती है?
- क्या यह पाठ हिंदू परंपराओं के भीतर दलित (Subaltern), क्षेत्रीय (Vernacular) और गैर–संस्कृतवादी

स्वरों के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ता है?

- जाति, लिंग और सामाजिक असमानता को संबोधित करने में साहू विद्वत्तापूर्ण तटस्थता और मानक मूल्य प्रतिबद्धताओं (Normative Value Commitments) के बीच के तनावों को कितनी सफलतापूर्वक प्रबंधित करती हैं?

साहू की पुस्तक स्वयं को धर्म, नृविज्ञान, दर्शन, कला इतिहास, समाजशास्त्र और साहित्य जैसे कई विषयों के चौराहे पर रखती है, जो 'अंतर–विषयकता' को अपनी मूल पद्धतिगत रणनीति के रूप में संकेत देती है। लेखिका एक अंतर्निहित सैद्धांतिक अभिविन्यास के रूप में 'सांस्कृतिक भौतिकवाद' के प्रति प्रतिबद्धता का दावा करती हैं, जिसका लक्ष्य हिंदू धर्म को एक अखंड धर्म के रूप में नहीं, बल्कि भौतिक, ऐतिहासिक और विमर्शकारी ताकतों द्वारा आकार दिए गए एक सघन सामाजिक–सांस्कृतिक परिसर के रूप में देखना है।

मार्क्सवादी और ऐतिहासिक विद्वत्ता में निहित सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक प्रणालियों के निर्माण में सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक संबंधों और भौतिक प्रथाओं पर जोर देता है। यह चुनाव हिंदू अध्ययन को धार्मिक पुष्टि या भक्तिपरक व्याख्याओं से दूर ले जाकर आलोचनात्मक ऐतिहासिकता (Critical Historicization) की ओर ले जाता है। हालाँकि, सांस्कृतिक भौतिकवाद का उपयोग असमान है, यह अक्सर विविध जीवंत प्रथाओं को उन व्यापक विश्लेषणात्मक श्रेणियों के अंतर्गत समेटने का जोखिम उठाता है जो स्थानीय जटिलता को स्पष्ट करने के बजाय धुंधला कर सकती हैं।

हिंदू अध्ययन की व्यापकता या प्रसार में अंतर–विषयकता?

पुस्तक की घोषित शक्तियों में से एक इसकी व्यापकता है, जो संस्कृत ग्रंथों, भक्ति साहित्य, अनुष्ठान प्रथाओं, मंदिर वास्तुकला और वैश्विक हिंदू प्रवासियों को एक ही विश्लेषणात्मक ढांचे के तहत लाती है। साहू का अंतर–विषयकता पर जोर, हिंदू धर्म के प्रति संकीर्ण भाषाशास्त्रीय या सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को तोड़ने के एक उचित प्रयास को दर्शाता है। फिर भी, यही व्यापकता कभी–कभी विश्लेषणात्मक गहराई के बिखराव का कारण बनती है। यद्यपि वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों पर अनुभाग विस्तृत हैं, लेकिन क्षेत्रीय और लोक परंपराओं का उपचार गौण बना हुआ है, जो विशिष्ट संस्कृतनिष्ठ ज्ञानमीमांसा (Sanskritic Epistemes) के प्रति एक अंतर्निहित प्राथमिकता को दर्शाता है।

वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर आधुनिक वैश्विक हिंदू धर्म तक का कालखंड प्रभावशाली है, लेकिन यह विशिष्टता को कम कर सकता है और पाठकों के लिए विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में अलग–अलग ज्ञानमीमांसीय रजिस्टरों को समझना कठिन बना सकता है।

औपनिवेशिकता, उत्तर–औपनिवेशिकता और ज्ञानमीमांसीय वि–औपनिवेशीकरण :

साहू हिंदू अध्ययन को ऐतिहासिक रूप से स्थापित करती हैं : वे ओरिएंटलिस्ट (प्राच्यवादी) और औपनिवेशिक विद्वत्ता के साथ इसके जुड़ाव को स्वीकार करती हैं जहाँ पश्चिमी भारतविदों (Indologists) ने "हिंदू धर्म" की प्रारंभिक अवधारणाओं को आकार दिया था। इस प्रकार वे उत्तर–औपनिवेशिक आलोचना की ओर संकेत करती हैं।

हालाँकि, उनकी आलोचना में एक द्वंद्व (Ambivalence) है : औपनिवेशिक विकृतियों को स्वीकार करते हुए भी, यह पाठ समय–समय पर हिंदू परंपराओं के उत्सवपूर्ण समर्थन की ओर झुक जाता है, बिना यह पर्याप्त

जांच किए कि जातिगत पदानुक्रम, लैंगिक मानदंड और अनुष्ठानिक बहिष्कार किस प्रकार पाठ और व्यवहार में ज्ञानमीमांसीय और राजनीतिक रूप से अंतर्निहित हैं। यह तनाव एक बड़ी अनुशासनात्मक चुनौती को प्रकट करता है : परंपरा को बिना सोचे समझे महत्व देने वाली मानक या रूढ़िवादी व्याख्याओं को दोहराए बिना आलोचनात्मक रूप से कैसे जुड़ रहा जाए?

जाति, लिंग और हाशिए का समाज :

जाति और लिंग के साथ पुस्तक का जुड़ाव आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लिए एक आवश्यक सुधार के रूप में कार्य करता है। साहू मनुस्मृति जैसे शास्त्रीय स्रोतों को संबोधित करती हैं और जाति की व्याख्या केवल एक आध्यात्मिक वर्गीकरण के रूप में नहीं, बल्कि भौतिक परिणामों वाली एक सामाजिक–ऐतिहासिक संरचना के रूप में करती हैं।

बहरहाल, यह ढांचा कभी–कभी जाति और लिंग को गहरी पद्धतिगत पूछताछ की मांग करने वाली प्रणालीगत समस्याओं के बजाय केवल 'समावेशन' के विषयों के रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम उठाता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि नारीवादी और दलित आलोचनाओं को स्वीकार किया गया है, वे हमेशा व्यापक विमर्श में एकीकृत नहीं होती हैं, जिससे वे विश्लेषण के संवैधानिक अक्ष (Constitutive Axes) बनने के बजाय केवल उदाहरणात्मक या प्रासंगिक खंडों तक सीमित रह जाती हैं।

पद्धतिगत स्पष्टता और मानक प्रतिबद्धता :

हिंदू अध्ययन को तर्कसंगत, अनुभवजन्य विधियों पर आधारित एक 'विज्ञान' के रूप में मानने का प्रयास सराहनीय है। फिर भी, अकादमिक आलोचना और हिंदू सांस्कृतिक उपलब्धियों के मानक उत्सव के बीच पुस्तक का डोलना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है : क्या एक विषय के रूप में हिंदू अध्ययन विद्वत्तापूर्ण तटस्थता और सांस्कृतिक प्रशंसा के प्रति मानक प्रतिबद्धता, दोनों को बनाए रख सकता है? साहू का पाठ 'हाँ' का सुझाव देता है, लेकिन यह बहस का विषय बना हुआ है। तटस्थता की सीमाओं के अधिक स्पष्ट मेटा–सैद्धांतिक (Meta-theoretical) औचित्य के बिना, यह पुस्तक विद्वत्तापूर्ण जांच को सांस्कृतिक वकालत में बदलने का जोखिम उठाती है।

नंदिनी साहू की शोध–आधारित पुस्तक 'हिंदू अध्ययनः आधार और ढांचा' भारतीय ज्ञान परंपरा पर समकालीन चर्चा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक में नंदिनी साहू धर्म, इतिहास, दर्शन और साहित्य की विभिन्न शाखाओं को आपस में जोड़कर हिंदू अध्ययन को भारतीय बौद्धिक परंपरा की नींव पर आधारित एक जीवंत अकादमिक विषय के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास करती हैं। यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के पुनर्मूल्यांकन पर विश्व भर के अकादमिक जगत में चर्चा हो रही है। प्रस्तावना सहित कुल दस अध्यायों वाली यह पुस्तक एक गतिशील सभ्यता के रूप में हिंदू धर्म का बहुआयामी और एकीकृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

शास्त्रों की परंपराओं, विविध दर्शनों, अनुष्ठानों और समकालीन वाद–विवादों के गहन अध्ययन के माध्यम से नंदिनी साहू हिंदू धर्म को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय आस्था के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से विकसित, बहुआयामी और अंतर्विषयक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में देखती हैं। पारंपरिक धार्मिक व्याख्या की सीमाओं से परे जाकर, यह पुस्तक हिंदू धर्म को एक गतिशील बौद्धिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करती है, जो

सदियों के दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक अनुकूलन और सामाजिक अनुभवों से आकारित हुई है। इतिहास, दर्शन, साहित्य, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, लिंग अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों से प्राप्त एकीकृत परिप्रेक्ष्य के माध्यम से साहू शास्त्रों की प्रामाणिकता और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच की खाई को पाटती हैं। वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाई निरंतरता और समुदाय–आधारित आध्यात्मिक प्रथाओं को एक साथ लाकर, वह दर्शाती हैं कि शास्त्रों के चिंतन और रोजमर्रा की धार्मिक प्रथाओं के बीच एक स्वाभाविक और अटूट संबंध है।

यह महज एक शैक्षिक शोध पत्र नहीं है। यह समकालीन पहचान प्रथाओं, विऔपनिवेशीकरण और वैश्विक सांस्कृतिक आदान–प्रदान के बारे में चल रही बहसों पर एक गंभीर पुनर्विचार का आह्वान भी करता है। पहला अध्याय, "हिंदू ग्रंथ और संदर्भ", भारतीय धार्मिक साहित्य का एक समृद्ध और बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का संयोजन किया गया है। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति और पुराणों पर चर्चा की गई है, जो दर्शन, नैतिकता और सामाजिक अनुभव के दस्तावेजों के रूप में उनके चिरस्थायी महत्व को उजागर करते हैं। लेखक हिंदू धर्म के ग्रंथों को न केवल धार्मिक कृतियों के रूप में, बल्कि भारतीय सभ्यता और पहचान के विकास और निर्माण से घनिष्ठ रूप से जुड़े जीवंत सांस्कृतिक अभिलेखागार के रूप में भी व्याख्यायित करते हैं जो वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। यह अध्याय आत्मा और ब्रह्मांड की एकता की दार्शनिक अवधारणा को समझाने के लिए उपनिषदों के गहन कथनों जैसे "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (सब कुछ ब्रह्म है) और "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूं) का हवाला देता है। इसी प्रकार, भगवद् गीता का यह सूत्र, "आपको कर्म करने का अधिकार है, परन्तु उसके फल का नहीं," नैतिकता का एक ढांचा प्रदान करता है जो व्यक्तिगत आचरण से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हर चीज को प्रभावित करता रहता है। साहू यह दर्शाते हैं कि हिंदू धर्मग्रंथ केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि मिथक, नैतिकता और मानवीय अनुभव के बीच एक निरंतर और जीवंत संवाद हैं जो आज भी भारत की नैतिक और आध्यात्मिक चेतना को आकार दे रहा है।

दूसरा अध्याय, "हिंदू दार्शनिक विचारधाराएँ", भारतीय बौद्धिक परंपरा की गहन, सुसंगत और विचारपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत करता है। यहाँ दर्शन को केवल रहस्यवादी सिद्धांतों की खोज के रूप में ही नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, चेतना के परिष्कार और सांस्कृतिक व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय रूढ़िवादी और गैर–रूढ़िवादी, दोनों विचारधाराओं का व्यापक वर्णन करता है।

शैलियों और विधियों की विविधता के बावजूद, सभी दर्शनों के मूल में सत्य की प्राप्ति और मुक्ति की खोज निहित है। सांख्य दर्शन के द्वैतवाद से जो पुरुष (चेतना) और प्रकृति (स्वभाव) की शाश्वत अंतः क्रिया के माध्यम से संसार के स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयास करता है से लेकर अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण तक, जहाँ व्यक्ति और परम सत्ता एक अनंत एकता में विलीन हो जाते हैं इन दो चरम सीमाओं के बीच विशाल क्षेत्र में हिंदू दर्शन की महानता और व्यापकता स्पष्ट हो जाती है। मीमांसा की नैतिक दृढ़ता, न्याय दर्शन का तार्किक विश्लेषण और योग का अनुशासित आत्म–अभ्यास मुक्ति के बहुआयामी मार्ग को स्पष्ट करते हैं। नास्तिक विचारधाराएँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चार्वाक भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो पारंपरिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाती हैं और भारतीय चिंतन के दायरे को नए क्षितिज तक विस्तारित करती हैं। प्रोफेसर साहू ने अपने विचारों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर यह दर्शाया है कि भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत की एक अमूर्त

रचना नहीं है, बल्कि, यह एक जीवंत और विकसित होती परंपरा है जिसने सदियों से मानवीय मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और आचार संहिता को आकार दिया है।

"भक्ति के अनुष्ठान, प्रथाएँ और परंपरा" नामक अध्याय हिंदू धर्म को एक जीवंत और अनुभवात्मक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसकी शक्ति आस्था से कहीं अधिक व्यवहार में निहित है। यहाँ, नियमित क्रियाएँ, अनुष्ठान, पूजा, तीर्थयात्राएँ और त्यौहारों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता की अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्यायित किया गया है। संध्या अर्चना या अभिषेक (मूर्ति का औपचारिक स्नान) जैसे अनुष्ठान वैदिक रिया सिद्धांत की याद दिलाते हैं जहाँ व्यक्तिगत कर्तव्य और ब्रह्मांड की लय एक उज्ज्वल सामंजस्य का निर्माण करते हैं। परिणामस्वरूप, दैनिक जीवन में भी आध्यात्मिक एकता का स्पर्श प्राप्त होता है। यह अध्याय गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के अनुष्ठानों को एक निरंतरता के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक चरण में समाज के नैतिक आदर्शों से पुनः जुड़ता है। केन का कथन, "संस्कार वे संस्कार हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन को पवित्र करते हैं ताकि प्रत्येक चरण पवित्रता से परिपूर्ण हो सके," दर्शाता है कि कैसे जीवन के जैविक चरण अनुष्ठानों और पवित्रता के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा के निर्णायक चरणों में परिवर्तित हो जाते हैं। पूजा और भक्ति पर हुई चर्चा हिंदू धर्म की विविध भक्ति संस्कृति की सुंदरता को उजागर करती है, जहाँ मंदिर की भव्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वहीं घर के मंदिर की आत्मीयता भी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराती है। प्रोफेसर साहू कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे भक्तों के जीवन और लेखन को आध्यात्मिक यात्रा के परिवर्तनकारी पड़ाव के रूप में देखते हैं, जहाँ कबीर की यह गहरी समझ कि सच्ची पूजा हृदय में होती है, कर्मकांडों की सीमाओं को तोड़ देती है। वास्तव में, साहू इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हिंदू रीति–रिवाज स्थिर या अतीत के अवशेष नहीं हैंय बल्कि वे जीवंत, गतिशील सांस्कृतिक शक्तियाँ हैं जो शरीर, समाज और ब्रह्मांड को एक करती हैं। यह एक सुसंगत लय में बांधती है और जीवन को आस्था और भक्ति की एक अंतहीन, लयबद्ध यात्रा में बदल देती है।

"हिंदू सामाजिक एवं नैतिक ज्ञान प्रणालियाँ" नामक अध्याय हिंदू नैतिकता और सामाजिक चिंतन का गहन, व्यापक और विचारपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म नैतिक दर्शन, सामाजिक संगठन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को एक सुसंगत सूत्र में पिरोकर किस प्रकार एक संपूर्ण नैतिक विश्वदृष्टि का निर्माण करता है। धर्म, जो व्यक्तिगत पवित्रता की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षक एवं स्वामी है, इस दृष्टि के केंद्र में स्थित है। भगवद् गीता के शब्दों का हवाला देते हुए, "अतः शास्त्रों में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से ही पूर्णता प्राप्त होती है", प्रोफेसर साहू यह दर्शाते हैं कि नैतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे से विभाज्य नहीं हैं, बल्कि वे एक ही लक्ष्य के दो आवश्यक स्तंभ हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यह अध्याय जाति और आश्रम व्यवस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करता है, जहाँ समाज में व्यक्ति की भूमिका और जीवन के विभिन्न चरणों के कर्तव्य ब्रह्मांडीय उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं। इसे सामंजस्य के साथ देखा गया। मनुस्मृति से उद्धृत करते हुए, "चार वर्णों की रचना क्रमशः ब्रह्मांडीय सत्ता के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से हुई थी", लेखक यह दर्शाता है कि सामाजिक स्तरीकरण को कभी एक पवित्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में व्याख्यायित किया गया था। हालांकि, वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि बाद के समय में, इस व्यवस्था के विचलन ने भेदभाव, शोषण और असमानता को जन्म दिया और अध्याय उन

सुधार आंदोलनों, मानवीय प्रयासों और संवैधानिक पहलों को भी महत्व देता है जो इन्हें दूर करने के लिए विकसित किए गए थे।

"हिंदू कला, वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान" नामक अध्याय में हिंदू आध्यात्मिक दर्शन के कला, वास्तुकला और विभिन्न प्रदर्शनकारी परंपराओं के माध्यम से आकार लेने की गहन और विचारपूर्ण पड़ताल की गई है। यहाँ कला को न केवल सौंदर्यपूर्ण सृजन के स्थान के रूप में, बल्कि एक पारलौकिक यात्रा के मार्ग के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जहाँ दृश्य रूप अदृश्य पारलौकिक का वाहक बन जाता है और भौतिक जगत तथा प्रकाशमान दिव्य सत्ता के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। मूर्ति, वाद्ययंत्र और मंडल इन तीन अवधारणाओं की चर्चा के माध्यम से साहू दर्शाते हैं कि पवित्र प्रतीक किस प्रकार दृश्य धर्मशास्त्र के रूप में पारलौकिक सत्यों को समाहित करते हैं। हेनरिक जिमर का कथन, "मंडल अपने आदर्श रूप में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, एक ब्रह्मांडीय आरेख जो दिव्य सृष्टि की व्यवस्था और सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है," इस विचार को स्पष्ट करता है। मंदिर वास्तुकला की ऐतिहासिक यात्रा का अनुसरण करते हुए, यह अध्याय उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दक्कन के धर्मनिरपेक्ष सामंजस्य को चित्रित करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत की क्षेत्रीय विविधता उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक बहुलवाद का प्रतिबिंब है। बृहदेश्वर मंदिर हो या कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये महान स्थापत्य कला के नमूने सौंदर्य और आध्यात्मिक प्रतीकों के अद्भुत संगम के रूप में विख्यात हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहू संगीत, नृत्य और नाटक को पवित्र प्रथाएँ मानते हैं, जिनका स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यहाँ प्रदर्शन मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति, अनुभव और आध्यात्मिक अनुभूति का जीवंत माध्यम है। भरतनाट्यम, कथक या रामलीला जैसी रसत्व–आधारित कलाएँ मानवीय अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव में रूपांतरित करती हैं। यह अध्याय हिंदू कला को एक जीवंत, प्रवाहमय निरंतरता के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ सौंदर्य, भक्ति और दर्शन एक साथ मिलकर दिव्य संगीत की अद्भुत सामंजस्यता का सृजन करते हैं। "आधुनिकता और हिंदू धर्म" औपनिवेशिकता, वैश्वीकरण और वैज्ञानिक तर्कवाद के प्रभाव में हिंदू चिंतन के बहुआयामी रूपांतरण का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि पुनर्जागरण काल के अग्रणी विद्वानों ने आधुनिकता की नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राचीन परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्व्याख्या कैसे की। राजा राममोहन रॉय का ब्रह्म समाज आधुनिक हिंदू धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने वेदांतिक एकेश्वरवाद को यूरोपीय प्रबोधन के मानवतावादी मूल्यों के साथ मिलाकर जो विचार पथ सृजित किया, उसने आधुनिक भारत की यात्रा में मौलिक भूमिका निभाई। उनका कथन, "केवल सेवा ही स्वाभाविक आवश्यकता है... सत्य द्वारा आज्ञापालन करना और उसे प्राप्त करना", प्राचीन ज्ञान पर आधारित नैतिक सार्वभौमिकता की आधुनिक व्याख्या बन गया। दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की घोषणा भी पुनरुत्थानवादी और राष्ट्रवादी थी। "वेद वे ग्रंथ हैं जो त्रुटि और कुप्रथा से मुक्त हैं" ने प्राचीन वैदिक सत्य को आधुनिक सामाजिक सुधार से जोड़ा, जिससे एक नए बौद्धिक आत्मविश्वास का जन्म हुआ। दूसरी ओर, स्वामी विवेकानंद के इस कथन कि "मनुष्य की सेवा वास्तव में ईश्वर की सेवा है"[1] ने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकाश में कर्म योग को पुनर्परिभाषित किया। उनकी व्याख्या में वेदांतिक ज्ञान की गहराई को नागरिक नैतिकता के साथ एकीकृत करके आधुनिक मानव सेवा को एक आध

यात्मिक साधना के रूप में स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यह अध्याय हिंदू आधुनिकता को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ता है, जहाँ तिलक और गांधी ने धार्मिक विचारधारा को राजनीतिक मुक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा आधुनिक भारत की नैतिक पहचान का आधार बनी।

"वैश्विक संदर्भ में हिंदू धर्म" नामक अध्याय दर्शाता है कि कैसे हिंदू धर्म ने अंतरराष्ट्रीय, बहुसांस्कृतिक परिवेश में धीरे–धीरे अपना स्वरूप बदला है। हिंदू धर्म का विश्व की भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों में विस्तार प्राचीन मानवतावादी आदर्श वसुधैव कुटुंबकम् (विश्व एक परिवार है) में निहित है, जो हिंदू आध्यात्मिकता की अंतर्निहित उदारता और समावेशिता को उजागर करता है। वैश्वीकरण के युग में, इस सार्वभौमिक मानवता ने नया महत्व प्राप्त कर लिया है। लेखक यह दर्शाता है कि रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, चिन्मय जैसे अंतरराष्ट्रीय मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय संगठनों ने वैश्विक स्तर पर करुणा, संवाद और सामाजिक प्रतिबद्धता की नई विचारधाराएं कैसे विकसित की हैं, जिनमें भक्ति, सेवा और नैतिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया गया है। उनकी पहलों के माध्यम से, आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अभ्यास की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक मानवता का एक सक्रिय नैतिक आदर्श बन गई है। सांस्कृतिक संदर्भ में, यह अध्याय आप्रवासी समाजों में हिंदू परंपराओं की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण पर विशेष बल देता है। लंदन, न्यू जर्सी या सिडनी के भव्य मंदिर, प्रवासी परिवारों के त्योहार, योग केंद्रों और डिजिटल भक्ति स्थलों का प्रसार, ये सभी मिलकर दुनिया भर में हिंदू धर्म की आधुनिक, बहुआयामी अभिव्यक्तियों की एक व्यापक तस्वीर बनाते हैं।

दक्षिण एशियाई सामाजिक संगठन के तीन मूलभूत स्तंभों– वर्ग, जाति और लिंग के जटिल अंतर्संबंधों का सूक्ष्म, सुव्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप से समृद्ध विश्लेषण "वर्ग, जाति और लिंग : आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य और विमर्श" शीर्षक वाले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है, जो बहुस्तरीय शक्ति संरचनाओं, सांस्कृतिक अर्थों और राजनीतिक संभावनाओं का निर्माण करते हैं। लेखक औपनिवेशिक प्रशासन और प्राच्यवादी शोध के प्रभाव की गहन ऐतिहासिक आलोचना से शुरुआत करते हैं। लेखक दर्शाते हैं कि कैसे इन दोनों अध्ययनों ने स्थानीय सामाजिक जीवन की लचीली, बहुआयामी परंपराओं को "हिंदू धर्म" के नाम पर कठोर और निश्चित पदानुक्रमों में बांध दिया। उन्होंने समय, क्षेत्र और समुदाय के अनुसार भिन्न–भिन्न प्रथाओं को स्थायी नियमों में परिवर्तित कर उन्हें पदानुक्रम की बंद संरचनाओं में बदल दिया। इस ऐतिहासिक आधार पर निर्मित यह अध्याय आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। अंबेडकरवादी जातिगत विमर्श, श्रम–संपत्ति का मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण, पितृसत्ता की नारीवादी आलोचना और निम्न वर्गीय इतिहासलेखन का परिप्रेक्ष्य– ये सभी प्रवृत्तियाँ मिलकर दर्शाती हैं कि जाति केवल एक अनुष्ठान या धार्मिक संहिता नहीं हैय यह आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक आदर्शों की एक प्रणाली भी है जो शक्ति, अधिकार, धन और प्रतिष्ठा के मानदंडों को निर्धारित करती है।

यह अध्याय लिंग के विषय पर चर्चा के माध्यम से और अधिक गहराई प्राप्त करता है। यहाँ, लिंग को न केवल पितृसत्तात्मक संरचना से, बल्कि वर्ग और जाति से भी अंतर्निहित वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। श्रम विभाजन, विवाह नियमों और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से पितृसत्तात्मक राज्य समाज का पुनरुत्पादन कैसे होता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह अध्याय शहरी आधुनिकता और नवउदारवाद

के प्रभाव का भी गहन विश्लेषण करता है। यह तर्क दिया गया है कि इन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया बल्कि, इसने जाति और वर्ग भेदभाव को एक नए संदर्भ और नए आख्यानों के साथ नया रूप दिया है, जिससे बदले में नए प्रकार के प्रतिरोध और संघर्ष का उदय हुआ है।

अंत में, "नए मोर्चों पर आगे बढ़नाः आलोचनात्मक चिंतन और उभरते प्रतिमान" शीर्षक वाला अध्याय हिंदू अध्ययन के इतिहास, विकास और भविष्य की संभावनाओं को व्यापक और विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसे एक जीवंत वैश्विक धर्मग्रंथ के रूप में स्थापित करते हुए, प्रोफेसर साहू इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हिंदू धर्म "हजारों वर्षों में एक बहुआयामी परंपरा के रूप में विकसित हुआ है जो समकालीन वैश्विक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करता है"। लेखक विद्वानों से अधिक समावेशी, अंतःविषयक और नैतिक रूप से प्रतिबद्ध शोध दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हैं। केवल व्याख्यात्मक पाठ की सीमाओं से परे जाकर, लेखक "वैश्विक, तकनीकी और अंतःविषयक चुनौतियों" का सामना करने में सक्षम दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। यह शोध और शिक्षा में एक नई दिशा है, जो सहभागी, उपनिवेशवाद–विरोधी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार परिप्रेक्ष्य की ओर एक कदम का संकेत देती है। आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधाराओं का पुनरावलोकन करते हुए, लेखक हिंदू धर्म में निहित बहुलवाद, चेतना–खोज, नैतिकता और मुक्ति जैसे दार्शनिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध धर्म और जैन दर्शन। ज्योफ्री परिंदर के इस कथन का हवाला देते हुए कि "भगवद् गीता पश्चिम को पूर्वी दर्शन से परिचित कराने वाले सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक रही है", साहू दर्शाते हैं कि कैसे हिंदू विचार धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने हुए हैं। समकालीन परिवर्तनों में, लेखक डिजिटल अभिलेखागार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रवासी विद्वता पर जोर देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी ज्ञान की उपलब्धता, व्याख्या और प्रस्तुति को नया रूप दे रही है। इसी के अनुरूप, अरविंद शर्मा का "पद्धतिगत नवाचार" का आह्वान और आर.ए.एम. देव का अंतरसांस्कृतिक संवाद पर जोर, जो भविष्य के शोध को नैतिक रूप से सुदृढ़, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और वैकल्पिक प्रकृति का बनाने की मांग करता है, प्रासंगिक हैं।

हिंदू धर्म के पारंपरिक मार्क्सवादी अध्ययनों में धर्म को एक वैचारिक अधिरचना के रूप में देखा गया है जो मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। डी.डी. कोसंबी, आर. एस. शर्मा और देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे विचारकों ने हिंदू धर्मग्रंथों और दर्शन का विश्लेषण वर्ग और जाति–आधारित भेदभाव के प्रतिबिंब के रूप में किया है। उनका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के पीछे छिपी सत्ता संरचनाओं को उजागर करना था, जहाँ धर्म अक्सर सामाजिक असमानता को वैधता प्रदान करने के लिए एक वैचारिक उपकरण के रूप में कार्य करता था। उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक और भौतिकवादी था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म के रहस्य को उजागर करने और सामाजिक जीवन के अंतर्निहित विरोधाभासों को प्रकट करने का प्रयास किया। इसके बिल्कुल विपरीत, प्रोफेसर साहू ने अपनी पुस्तक 'हिंदू अध्ययन : आधार और ढाँचे' में जो ढाँचा तैयार किया है, वह अंतःविषयक, उपनिवेशवाद–विरोधी और पुनर्निर्माणकारी है। साहू हिंदू धर्म को एक विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यतागत ज्ञान प्रणाली के रूप में देखते हैं जो नैतिक, बहुलवादी, संवादपरक और अनुभवात्मक है। साहित्य, पर्यावरण चेतना और लैंगिक अध्ययन को एक साथ लाकर, वे हिंदू धर्म की अनुकूलनशीलता और नैतिक गहराई को प्रदर्शित करते हैं।

हिंदुत्व की विचारधारा के विपरीत, साहू ने कभी भी परंपरा का महिमामंडन या उस पर एकाधिकार नहीं जतायाय बल्कि उन्होंने एक संतुलित, समावेशी और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया जिसमें नारीवादी, अंबेडकरवादी और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आलोचनाओं को शामिल किया गया। इसलिए उनका कार्य हिंदू अध्ययन के प्रगतिशील और उपनिवेशवाद–विरोधी पुनर्विचार का प्रतीक है, जहाँ मार्क्सवादी विद्वता विखंडन और आलोचना पर जोर देती है, वहीं साहू का दृष्टिकोण भारतीय चिंतन की बहुआयामीता और नैतिक जीवंतता के पुनर्निर्माण, पुनः अधिग्रहण और पुर्नस्थापन की ओर ले जाता है। इससे पुस्तक की स्वीकार्यता में काफी वृद्धि होती है। इसलिए, यह पुस्तक शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों के लिए एक अनिवार्य संसाधन मानी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म को एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और साथ ही साथ ज्ञान के एक जीवंत, गतिशील और परिवर्तनशील क्षेत्र के रूप में समझने में रुचि रखते हैं।

निष्कर्ष :

साहू की 'हिंदू स्टडीज : फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स' एक महत्वाकांक्षी, बौद्धिक रूप से समृद्ध और आलोचनात्मक रूप से संलग्न कार्य है जो हिंदू अध्ययन के नवोदित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी अंतर–विषयकता और सैद्धांतिक व्यापकता इसे भविष्य की विद्वत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बनाती है। फिर भी, दलित ज्ञानमीमांसा के साथ जुड़ाव, आलोचनात्मक पद्धतियों के साथ मानक प्रतिबद्धताओं का सामंजस्य बिठाने और क्षेत्र को आकार देने में औपनिवेशिकता की भूमिका को स्पष्ट करने की ठोस सीमाएं भविष्य के शोधकर्ताओं द्वारा कठोर पूरकता की मांग करती हैं। इस पुस्तक को एक अंतिम विवरण के रूप में नहीं, बल्कि एक आधारभूत उत्तेजना (Foundational Provocation) के रूप में लिया जाना चाहिए जो गहन पद्धतिगत और सैद्धांतिक चिंतन को प्रेरित करती है।

संदर्भ ग्रंथ (Works Cited) :

1. साहू, प्रोफेसर नंदिनी। हिंदू स्टडीज : फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स। ऑथर्सप्रेस, 2025.
2. अंशुमन, प्रवीण कुमार। "नंदिनी साहू'स हिंदू स्टडीज : फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स।" क्रॉसरोड्स क्वार्टरली, खंड 1, अंक 01, जुलाई 2025.
3. माली, दिनेश कुमार। "एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द हिंदू लिटरेरी पेडागोजीरू रीडिंग नंदिनी साहू'स हिंदू स्टडीजः फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क्स।" प्राच्य रिव्यू, 28 मार्च 2025.
4. सिंह, शालीन कुमार। "हिंदुइज्म'स ग्लोबल पर्सपेक्टिव।" डेली पायनियर, 03 जनवरी 2025.
5. अतकरे, डॉ. कैलाश। "हिंदू स्टडीज पुशेस बाउंड्रीज ऑफ स्कॉलरशिप एंड क्रिटिसिज्म।" द परफेक्ट वॉयस, 02 अक्टूबर, 2025
6. साहू प्रोफेसर नंदिनी, 'हिंदू अध्ययन की नींव और ढांचा', ऑथर्स प्रेस, 2024, नई दिल्ली, पृ. 51.

ईमेल : rekhatripathi1272@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 38-48

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

The Role of Digitalization in the Development of the Tourism Industry in Rajasthan : A Comparative Study Before and After Demonetization

Reetika, Research Scholar,
Dr. Dinesh Bansal, Assistant Professor,
Department of Commerce and Management,
Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan.

Abstract

Rajasthan, known for its rich cultural heritage, palaces, forts and desert tourism, has witnessed significant transformations in its tourism industry over the past decade. Two of the major forces that have reshaped the tourism landscape are digitalization and demonetization. Demonetization acted as a turning point for Rajasthan's tourism sector, accelerating the shift towards digitalization. While it initially disrupted operations, it also fostered resilience, innovation and long-term efficiency. The post-demonetization period has seen a marked increase in digital adoption, but future success depends on inclusive policies, infrastructure support and proactive governance to ensure that all stakeholders benefit from a digitally empowered tourism ecosystem. This paper investigates the transformative impact of digitalization on Rajasthan's tourism industry, with a comparative focus on the periods before and after India's demonetization in November 2016. The research highlights how digital infrastructure, payment systems and tourism promotion strategies evolved in response to policy changes and evaluates their effect on service delivery, tourist experience and economic performance. The study is based on secondary research and tries to find out pattern, impact and post demonetization developments in the tourism industry of Rajasthan by examining existing literature and data published by credible sources.

Key words: Digitalization, digital infrastructure, promotion strategies, demonetization, tourism innovation, cashless economy.

1. Introduction

The tourism sector in Rajasthan, renowned for its magnificent palaces, forts and festivals, is a thriving and essential component of the state's economy. Known as the "Land of Kings," Rajasthan welcomes millions of visitors each year from both local and foreign countries. Cities like Jaipur, Udaipur, Jodhpur and Jaisalmer are renowned for their architectural marvels, royal history and traditional hospitality. The state also offers diverse tourism experiences including desert safaris, wildlife sanctuaries, religious pilgrimages and cultural festivals. With strong government support, digital initiatives and infrastructure development, Rajasthan has emerged as one of India's top tourism destinations, contributing significantly to employment generation and cultural preservation.

One of India's most popular travel destinations is Rajasthan, with its varied landscapes and rich cultural legacy. However, its reliance on traditional, cash-driven business models posed limitations to growth and inclusivity in the digital age. The nationwide demonetization in 2016 became a major disruptor but also a catalyst for digital transformation. In India, demonetization was announced on 8th November 2016, when the Government of India declared that ₹500 and ₹1,000 notes would no longer be valid. This move aimed to curb black money, counterfeit currency and corruption, while also promoting a cashless digital economy. The sudden withdrawal of these high denomination notes caused widespread disruption, especially in cash-dependent sectors like agriculture, retail and tourism. However, it also accelerated the adoption of digital payment systems such as UPI, mobile wallets and card transactions. Over time, demonetization played a significant role in transforming financial behaviour and encouraging formal financial inclusion, although its effectiveness and economic impact continue to be debated. In Rajasthan, digitalization has played a pivotal role in making tourism more accessible, convenient and sustainable. Some key developments include online booking systems, virtual tours and augmented reality, mobile applications and websites, digital marketing, e-wallets and UPI payments. The combined effect of demonetization and the push for digital India has led to:

- Increased use of digital tools in tourism operations.
- Better data collection on tourist preferences and behaviour.
- Greater transparency in transactions and financial dealings.
- Enhanced tourist satisfaction due to seamless digital experiences.

Demonetization acted as a catalyst, accelerating digitalization in the tourism sector. The lack of cash availability forced stakeholders to adopt digital tools, which led to increased transparency, convenience and efficiency in tourism-related services. Over time, this transformed the industry from informal to semi-formal/formal, opening it up to new technologies like AI-based travel planning, virtual tours, digital marketing and online payment

ecosystems. This paper examines how digitalization developed in Rajasthan's tourism sector before and after demonetization, identifying challenges, progress and policy implications. For sustained growth, it is crucial for stakeholders to continue investing in digital infrastructure and upskilling tourism service providers.

2. Review of literature

Jenifer, Chandran, Gantait (2017), in their research analyze the impact of demonetization on the Indian tourism industry, which was negatively affected due to the cash based nature of the sector. This study examines the implications of demonetization on Indian tourism, analysing regulatory changes, their impact during peak season and predicting the return to normalcy based on expert opinions and media reports. Demonetization had a major impact on MSMEs that relied on cash transactions only. Demonetization had a negative impact on tourism during the peak season (October–December). The study provides an academic prediction on the return to normalcy in tourism based on current developments.

Passah & Kumar (2019), The paper explores the impact of digitalization and demonetization on the tourism and hospitality industry in India. This paper explores the digitalization process and innovation of digital payments systems to promote cashless tourism practices in India, amidst the country's growing tourism sector and challenges faced by small and medium enterprises. The tourism industry in India is growing rapidly, with significant economic contributions. New initiatives by the Ministry of Tourism aim to boost the industry through digital practices. The study explores the digitalization process to promote cashless tourism practices in India.

Bhatnagar (2017), in the study finds that demonetization in India has paved the way for digitalization, though challenges remain in achieving a fully digital economy. The paper discusses the transition from demonetization to digitalization in India, highlighting both the challenges and benefits of this process, and how government initiatives are promoting digital adoption to overcome these challenges and transform India into a digital economy. Despite early economic fear, demonetization in India has opened the door for digitalization. Digitalization is expected to bring higher transparency, low-cost maintenance, convenience, financial inclusion, and reduce black and counterfeit money. The journey to a digital India faces challenges such as illiteracy, low bandwidth, unbanked areas and security concerns.

Ohlan (2017), The study concludes that India's abrupt demonetization has a major impact on foreign visitor arrivals is the most important question to answer. This is accomplished by employing newly created break-point unit root tests to examine the stationary features of monthly data on international visitor arrivals to India from 2003 to 2017. The findings state that the series of tourist arrivals to India is stationary and the impact of shocks is neutral. In addition, no significant structural break in tourist arrivals to India is associated with sudden demonetization. These findings highlight the resilience of Indian tourism industry to

the shock of demonetization. Consequently, it is recommended that the Indian government stick to its long-term plan to draw in international visitors.

Jain, Shekhar & Deshpande (2017), The research uses event study methodology to investigate the impact of demonetization on the stock prices of the Indian hospitality industry. Demonetization had a negative impact on the tourism and hospitality industry in India. The event study methodology was used to assess the market reaction to demonetization, focusing on its impact on stock prices in the hospitality industry. The study assumes market efficiency, where the impact of demonetization is immediately reflected in stock prices. This paper empirically studies the market reaction to demonetization in India's tourism and hospitality industry using event study techniques to analyze its impact on stock prices.

Sharma & Pal, (2023), Demonetization in India had a positive effect on tourism by promoting digital money and reducing corruption. The study examines the effects of India's demonetization on its tourism industry and finds a positive impact, attributed to the promotion of digital money, reduction of corruption and increased safety for international travellers, contributing to a cleaner and safer environment for foreign visitors. The use of digital and plastic money by tourism service providers is seen as a step towards building a cleaner and safer India for foreign travellers.

3. Methodology

3.1 Research Design

This study adopts a descriptive and analytical research design, relying exclusively on secondary data sources which include both quantitative and qualitative data collected from pre-existing sources. The objective is to understand trends, patterns, and impacts by examining existing literature and data published by credible sources. These include government reports and statistics, published academic journals and research papers, industry and consultancy reports, books and conference proceedings, online databases (e.g., JSTOR, SSRN, Google Scholar), official websites of government and tourism department, reputable news articles and magazines.

3.2. Data Analysis Method

The data collected was analyzed using qualitative content analysis and trend analysis techniques. The steps include:

- **Thematic analysis** of literature to identify recurring themes (e.g., digital adoption, economic impact, policy changes).
- **Comparative analysis** before and after key events.
- **Critical review** of scholarly findings to draw patterns and research gaps.

3.3. Scope, Objective and Limitations

Scope:
This study focuses on tourism and digitalization trends in Rajasthan (India), particularly around the time before and after demonetization. The research timeframe broadly covers data from 2010 to 2024.

Objectives
• To assess the status of digitalization in Rajasthan's tourism sector before demonetization.
• To evaluate the impact of demonetization on digital adoption in tourism industry of Rajasthan.
• To analyze post-demonetization developments in digital infrastructure and service delivery.

Limitations:

- Reliance on the accuracy of secondary data's accuracy and accessibility
- Lack of primary insights (no first-hand data collection through interviews or surveys)
- Possible biases in published reports or media articles.

4. Digitalization in the Tourism Industry of Rajasthan Before Demonetization

Rajasthan, known for its rich cultural heritage and historical landmarks, has witnessed a significant transformation in its tourism industry through digitalization. The process began in the early 2000s, as the state government and private stakeholders recognized the potential of digital platforms to boost tourism. Initial efforts included launching official tourism websites and digitizing brochures, maps and itineraries. A major milestone came with the introduction of the Rajasthan Tourism Development Corporation's (RTDC) online booking system, which allowed tourists to reserve hotels, tours and transport services online. This was followed by the development of mobile apps and integration with national tourism portals like Incredible India. The year 2010 saw a rapid acceleration in digital adoption, driven by growing internet penetration and smartphone use. Initiatives such as e-permits for wildlife safaris, QR-coded tourist information boards and digital audio guides in major forts and palaces enhanced the visitor experience. Before the historic demonetization move in November 2016, the state of Rajasthan had already begun taking meaningful steps toward the digital transformation of its tourism industry. Recognizing tourism as a key economic driver, the Government of Rajasthan adopted several digital initiatives between 2010 and 2016 to modernize service delivery, improve tourist experience and enhance global visibility.

4.1. Key Phases in Digitalization of Rajasthan's Tourism Industry:

- **Pre-2000**: Traditional methods dominated with limited digital interaction.
- **2000 to 2010**: The first moves into the world of technology, such as marketing via email and a presence on the web.
- **2010-2015**: Growth in online booking systems, the beginning of social media marketing and mobile app development.
- **2015 to 2020**: Widespread adoption of digital tools like e-ticketing, mobile apps, digital payments and targeted marketing campaigns.
- **2020 to 2023**: Introduction of more advanced digital tools like AR, VR, AI and smart city infrastructure in major tourist cities.
- **2024 and Beyond**: Cutting-edge technologies such as 5G, Block-chain, and fully immersive VR/AR tourism experiences that offer a more sustainable, personalized and connected travel experience.

4.2. Digitalization After Demonetization in Tourism Industry

The demonetization of the 500 and 1000 rupee notes on November 8, 2016, was an important milestone in Rajasthan's transition to a cashless and digitally linked economy. For the tourism industry in Rajasthan, one of India's most popular cultural and heritage destinations, this event became a catalyst for widespread digital adoption and transformation**.** Social media marketing campaigns and collaborations with travel influencers also played a key role in showcasing Rajasthan's attractions to global audiences. Recently, technologies like virtual reality (VR)**,** augmented reality (AR)**,** and AI-powered chatbots have been introduced to offer virtual tours and real-time assistance to travellers. The COVID-19 pandemic further pushed digitalization, with contactless services and online ticketing becoming the norm. Today, digitalization in Rajasthan's tourism sector has not only increased convenience and accessibility for tourists but also helped preserve and promote the state's cultural heritage to a broader audience. Removing Rajasthan's identity as "Bimaru State" was the most significant obstacle facing the state's ICT department. Project RajNet, a multi-mode connection network that connects Jaipur to all 9,894 Gram Panchayats and 183 municipal areas in Rajasthan, has transformed the state's view by reducing the likelihood of bad connectivity and delivering digital services to the last mile. The state is currently on the verge of changing from Rajasthan to "DigiSthan."

4.2.1. Acceleration of Cashless Payments

Post-demonetization, there was a significant push towards digital payment systems. Small and medium-sized tourism businesses, which previously relied on cash transactions, began accepting payments through UPI, mobile wallets (Paytm, PhonePe), debit/credit cards and QR code-based apps. Hotels, homestays, local guides, handicraft sellers and even camel ride

operators in cities like Jaipur, Jaisalmer and Pushkar began transitioning to cashless modes to cater to both domestic and foreign tourists.

4.2.2. Growth of Online Booking and E-Tourism Platforms

The use of online booking platforms surged after 2016. Rajasthan's hotels, resorts and tour packages became widely available on OTAs (Online Travel Agencies) such as MakeMyTrip, Yatra, Booking.com and Airbnb. To facilitate digital ticketing and online bookings for state-run monuments and events, the Rajasthan Tourism Department updated its official website with enhanced features.

4.2.3. Mobile Apps and Real-Time Tourist Services

Government and private players developed mobile applications to offer travel information, destination highlights, emergency contacts and virtual tours. Apps like the Rajasthan Tourism Official App provide augmented reality (AR) experiences for monuments and museums, GPS navigation, audio tours and multilingual content. These digital tools enhanced the convenience and experience for tech-savvy travellers.

4.2.4. Integration of Social Media and Influencer Marketing

Social media platforms became central to destination marketing after demonetization. The Rajasthan Tourism Department launched campaigns using hashtags like #RajasthanTourism and collaborated with travel influencers and bloggers to showcase attractions digitally. Platforms like Instagram, YouTube and Facebook became key in promoting offbeat destinations, local cuisines and festivals like the Desert Festival and Pushkar Fair.

4.2.5. Government Initiatives and Digital Literacy Support

Programs under Digital India, such as e-Mitra kiosks, BharatNet for rural internet connectivity and MSME digital literacy training, empowered even small tourism entrepreneurs to adopt technology. The state also encouraged digital registration, e-ticketing for monuments and real-time tourist monitoring for safety and data analytics.

4.2.6. Emergence of Smart Tourism

In the post-demonetization phase, Rajasthan began integrating smart tourism concepts. Cities like Jaipur and Udaipur introduced:

- Wi-Fi zones at tourist hotspots
- Smart signage with QR code information
- Digital feedback and grievance redressal portals
- AI-powered chatbots and helplines for travel assistance

5. Comparison of Digital Adoption in Rajasthan Tourism Industry

Before demonetization in 2016, digital adoption in Rajasthan's tourism industry was at a developing stage, with gradual progress in online booking systems, official tourism websites and limited use of social media marketing. While some hotels and tour operators in urban areas had started using online platforms, a large portion of the industry, especially in rural and small-town areas, continued to rely on traditional, cash-based operations. Digital payments were rare and awareness about online tools was low among small vendors and local service providers. However, the groundwork for digital transformation had begun, with the government promoting digital tourism through e-portals and the early development of tourism apps.

After demonetization, digital adoption in the tourism industry saw a significant surge. The sudden withdrawal of high-denomination currency forced both service providers and tourists to shift rapidly to cashless modes of transaction. UPI, digital wallets and QR code-based payments became common even among smaller vendors and guides. There was a substantial increase in the use of online travel agencies, digital booking platforms and mobile applications offering real-time tourist information. Influencer marketing and social media have become commonplace strategies for promoting travel destinations. Additionally, the government launched training programs and improved internet infrastructure, especially through the Digital India and BharatNet initiatives, further enabling the digital transformation of Rajasthan's tourism industry. Overall, post-demonetization, the industry became more digitally integrated, accessible and responsive to modern tourist needs.

Table 1: Before vs. After Demonetization (2010–2016 vs. 2017 onwards)

Aspects	Before Demonetization (2010-2016)	After Demonetization (2016 onwards)
Policy Push	Moderate focus through state IT/e-Governance initiatives.	Strong push via Digital India, BharatNet, and cashless economy campaigns.
Online Booking	Available for RTDC hotels and some private providers only.	Widely adopted across hotels, transport, experiences via OTAs like MakeMyTrip, Booking.com, etc.
Digital payments	Limited usage; cash preferred by small operators.	Rapid growth in UPI, mobile wallets (Paytm, PhonePe), and QR code payments
Mobile Applications	App development initiated; limited functionality.	Fully functional apps with e-guides, maps, real-time info, AR/VR experiences

Social Media Marketing	Used primarily by the government for campaigns like #JaaneKyaDikhJaaye.	Widely utilised by content producers, influencers and private players.
Tourist Behaviour	60–70% used digital tools occasionally for bookings/ information.	Over 90% rely on digital tools for planning, booking, navigation, and payments.
Digital infrastructure	Growing but uneven access; poor connectivity in rural destinations.	Broadband and 4G/5G penetration improved, supported by BharatNet and telecom expansion.
Adoption by small vendors	Low adoption due to challenges of access, literacy, and expense	Moderate to high adoption post-2016 due to necessity and support from platforms
Government Support	Pilot schemes and limited training.	Widespread training via e-Mitra, MSME programs and tourism digital literacy drives.
Challenges	Infrastructure, awareness and connectivity.	Cybersecurity, platform commission fees, tech maintenance and digital fatigue.

Source- Compiled by authors

Key Observations

- Demonetization acted as a tipping point that accelerated the adoption of digital tools in the tourism sector, especially in payment systems.
- Government and private sector initiatives became more coordinated post 2016 to build a cashless, digitally inclusive tourism ecosystem.
- Tourist expectations shifted rapidly toward digital-first services, pushing even small vendors and guides to adopt technology.

6. Conclusion

In the years preceding demonetization, Rajasthan made significant strides in integrating digital tools into its tourism industry. While major cities and government platforms adopted online systems, the digital revolution was still in a nascent stage. Demonetization in 2016 acted as a catalyst, forcing both service providers and tourists to shift rapidly toward digital modes, but the groundwork had already been laid through government initiatives, private participation, and changing traveller preferences.

Today, the state's tourism ecosystem is substantially more digitally connected, offering greater convenience, transparency and improved services to visitors. The post-demonetization period witnessed the mainstreaming of digital payments, the proliferation of e-tourism platforms, smart tourism infrastructure and data-driven destination marketing. While challenges such as rural digital access, cybersecurity vulnerabilities and the digital literacy gap among small operators persist, the transformation has laid a strong foundation for a sustainable and smart tourism future in Rajasthan.

The success of this transformation, however, depends on continued investments in digital infrastructure, targeted upskilling of tourism service providers and policy frameworks that ensure equitable access across all regions and demographics. Rajasthan's journey from a largely cash-dependent tourism economy to a digitally empowered ecosystem serves as a model for other heritage-rich states in India navigating the intersection of culture, technology and economic growth.

References

- Harshita, B. & Department of Commerce and Management, Vidya Bhawan Rural Institute (Affiliated to Mohan Lal Sukhadia University), Badgoan, Udaipur, Rajasthan, India (2017). Demonetization to digitalization: A step toward progress. Management and Economics Research Journal, 03, 11.
- Sharma, C., & Pal, D. (2023). Cash and tourism: Evidence from India's demonetization. SSRN Electronic Journal.
- S, M. J., Chandran, A., & Gantait, A. (2017). The implications of demonetization and currency constraints on indian tourism – a perspective analysis. Atna - Journal of Tourism Studies, 12(1), 1–14.
- Passah, Deborah Rose Shylla, and Ashok Kumar. "Cashless Economy and Digitalization of Tourism & Hospitality Practices in India." SSRN Electronic Journal, 2019.
- Ohlan, R. (2017). Is demonetization a demon for Indian tourism industry? Tourism Management Perspectives, 23, 38–40.
- Jain, S. K., Shekhar, C., & Deshpande, S. (2017). Market Reaction to Demonetization: An Empirical Study Using Event Study Technique. International Educational Scientific Research Journal, 3(5).
- Government of India (2016). Demonetization of ₹500 and ₹1,000 banknotes – Press releases and notifications. Ministry of Finance, Government of India.
- Reserve Bank of India (RBI) (2017). Macroeconomic impact of demonetization – RBI Annual Report 2016–17. Reserve Bank of India.

- Ministry of Tourism, Government of India (2023). India Tourism Statistics 2022–23. New Delhi: Government of India.
- Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) (2022). *Annual Report*. Government of Rajasthan.
- Department of Tourism, Government of Rajasthan. (2023). Tourism Policy and Digital Initiatives. Jaipur: Government of Rajasthan.
- NITI Aayog (2018). Digital India: Technology to transform a connected nation. Government of India.
- World Tourism Organization (UNWTO) (2019). Digital transformation in tourism. Madrid: UNWTO.
- Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) (2022). The Indian telecom services performance indicators. New Delhi.
- World Bank (2016). Digital dividends: World development report. Washington DC: World Bank.
- Incredible India (2023). Digital tourism initiatives and e-governance. Ministry of Tourism, Government of India.

Email - reetikabhambu29@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 49-55

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन : भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य 1990–2000

निशा मौर्या

शोध छात्रा, प्रो राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

सारांश :

न्यायपालिका लोकतंत्र का वह स्तंभ है जो संविधान की रक्षा तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। परंतु ऐतिहासिक गतिविधियों पर नजर डालें तो न्यायपालिका एक पुरुष–प्रधान संस्था रही है। 1990 से 2000 के दशक में वैश्वीकरण का आगमन, महिला अधिकार आंदोलन एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रभाव से न्यायिक संस्थानों में लैंगिक समानता पर गंभीर विमर्श प्रारंभ हुआ और इसे न्यायिक सुधारों के लिए एक निर्णायक काल माना जाता है। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत है। प्रस्तुत शोध पत्र भारत तथा चयनित देशों यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी का तुलनात्मक विश्लेषण एवं उनकी उपलब्धि को उजागर करता है। न्यायपालिका किसी भी लोकतान्त्रिक देश का वह स्तंभ है जो निष्पक्ष निर्णयों का प्रतीक है। 1995 के बीजिंग घोषणापत्र ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन और न्यायिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी केवल समानता का मुद्दा नहीं बल्कि न्याय की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का मुद्दा है। इस शोध पत्र के माध्यम से इस दशक में भारत और पश्चिमी देशों के न्यायिक ढांचे में महिलाओं की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं, न्यायिक संरचनाओं और सामाजिक कारकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार यह दशक न्यायपालिका में लैंगिक समावेशन की दिशा में महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ।

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए 1990–2000 की अवधि को इसलिए चयनित किया गया है क्योंकि यह दशक महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति के प्रारंभिक विस्तार और न्यायिक चेतना के विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य शब्द : महिला न्यायाधीश, न्यायपालिका, लैंगिक समावेशन, तुलनात्मक अध्ययन, महिला अधिकार आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, लोकतंत्र, ग्लास सीलिंग।

भारत में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी (1990–2000) :

न्यायपालिका को संविधान की संरक्षक तथा विधि के शासन का प्रमुख आधार माना जाता है। न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता और सामाजिक स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका समाज की

विविध संरचना को किस सीमा तक प्रतिबिंबित करती है। लैंगिक प्रतिनिधित्व इस विविधता का एक केंद्रीय आयाम है। 1990 से 2000 का कालखंड भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण, किंतु सीमित प्रगति का चरण माना जा सकता है। यह अवधि एक ओर संवैधानिक समानता और महिला सशक्तिकरण के सैद्धांतिक दावों से युक्त थी, वहीं दूसरी ओर न्यायिक संरचनाओं में व्यावहारिक लैंगिक असमानता की स्पष्ट अभिव्यक्ति भी करती है।

इस दशक में भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के स्तर पर, महिलाओं की उपस्थिति अत्यंत न्यूनतम रही, जिससे न्यायिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक समावेशन के प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो उठे। संवैधानिक दृष्टि से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है,जबकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बावजूद, 1990–2000 के दौरान न्यायिक नियुक्तियों में इन संवैधानिक मूल्यों का प्रभाव सीमित ही रहा। यह विरोधाभास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि संवैधानिक आदर्शों और संस्थागत व्यवहार के मध्य एक गहरी खाई विद्यमान थी। न्यायपालिका, जो समानता और न्याय की संवैधानिक संरक्षक मानी जाती है, स्वयं अपनी आंतरिक संरचना में लैंगिक समानता को मूर्त रूप देने में असफल रही। 1990–2000 के दशक में भारत में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्तरों पर बहुत सीमित थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी के बाद न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर (1994–1999) एकमात्र महिला न्यायाधीश रहीं, जबकि इस दौरान महिला वकीलों और जजों की संख्या में धीरे–धीरे वृद्धि शुरू हुई, लेकिन उच्च न्यायपालिका में लैंगिक विविधता एक बड़ी चुनौती बनी रही।

1991–2000 के इस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में केवल कुछ ही महिला न्यायाधीश नियुक्त हुईं जो न्यायपालिका के समग्र ढाँचे में लैंगिक असमानता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। इस सीमित प्रतिनिधित्व के पीछे कई संरचनात्मक एवं उल्लेखनीय कारण थे जैसे न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों की कोलेजियम प्रणाली अपारदर्शी थी और उसमें लैंगिक समानता को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यों में महिलाओं की सीमित भागीदारी सामाजिक अपेक्षाएँ तथा कार्य–जीवन में संतुलन की चुनौतियाँ भी महिलाओं के इस स्थिति के लिए उत्तरदायी थी।

भारत में राज्यवर महिला न्यायाधीशों की स्थिति 1990-2000

राज्य एवं उच्च न्यायालय	प्रथम महिला न्यायाधीश दशक के दौरान	नियुक्ति वर्ष	विशेष उपलब्धि
हिमाचल प्रदेश	न्यायमूर्ति लीला सेठ	1991	देश की किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी
हिमाचल प्रदेश	न्यायमूर्ति कमलेश शर्मा	1990	इस न्यायालय की न्यायाधीश के रूप मे नियुक्ति

उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद)	न्यायमूर्ति शोभा दीक्षित	1991	इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीश में से एक
पंजाब और हरियाणा	न्यायमूर्ति एच. एम. कौर संधू	1991	इस क्षेत्र मे महिला प्रतिनिधित्व की शुरुआत
केरल	न्यायमूर्ति के. के. उषा	1991	2000 मे केरल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी
गुजरात	न्यायमूर्ति सुज्ञा भट्ट	1994	गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति
मध्यप्रदेश	न्यायमूर्तिसरोजनी सक्सेना	1994	मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप मे नियुक्ति
बिहार (पटना)	न्यायमूर्ति इन्दु प्रभा सिंह	1990	पटना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी
कर्नाटक	न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर	2000	दशक के अंत में नियुक्त

1990 से 2000 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की न्यायपालिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति और उनकी प्रगति –

यूनाइटेड किंगडम में महिला न्यायाधीशों की स्थिति (1990–2000) :

यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका में 1990 से 2000 के कालखंड के दौरान को महिला न्यायाधीशों की भागीदारी के संदर्भ में एक क्रमिक परिवर्तन के चरण के रूप मे माना जा सकता है। क्योंकि इस दशक में यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम और संघर्षपूर्ण था। इस अवधि के दौरान न्यायिक संरचनाओं में लैंगिक समानता के प्रश्न को संस्थागत विमर्श का हिस्सा बनाया जाने लगा जो भविष्य के सुधारों की भूमिका तैयार करता है। यह अवधि न तो पूर्ण लैंगिक समानता का उदाहरण है और न ही पूर्ण बहिष्करण का, बल्कि वह चरण है जिसमें न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को एक आवश्यक संस्थागत मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इस दशक के दौरान यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं की

स्थिति मुख्यतः निचली और मध्य स्तर की अदालतों में अधिक देखी गई, जबकि उच्च न्यायालयों और अपीलीय अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित रहा। 1 दिसंबर 1990 के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 लॉर्ड्स ऑफ अपील में एक भी महिला नहीं थी और 27 लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील में केवल एक महिला (3.7%) शामिल थी। हाई कोर्ट में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी जहाँ 83 न्यायाधीशों में से मात्र दो महिला न्यायाधीश (2.4%) थीं।

1990 के दशक के दौरान नियुक्ति प्रणाली काफी हद तक अपारदर्शी थी और लॉर्ड चांसलर के विवेक पर निर्भर करती थी जिसे अक्सर 'ओल्ड बॉयज क्लब' संस्कृति के रूप में देखा जाता था जहाँ पुरुषों का वर्चस्व था। इस अवधि में यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की एक मुख्यतः विशेषता यह थी कि न्यायिक नियुक्तियाँ अपेक्षाकृत औपचारिक और संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती थीं। दशक के उत्तरार्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली, जैसे 1994 में ब्रेंडा हेल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जो बाद में 1999 में कोर्ट ऑफ अपील तक पहुँचीं। दशक के अंत तक न्यायालयों में विविधता लाने के तर्कों ने जोर पकड़ा और यह माना जाने लगा कि महिला न्यायाधीशों के अनुभव न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, इस अवधि में प्रगति की गति काफी धीमी रही लेकिन कई अथक प्रयासों के बाद 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम की नींव रखी गई जिसने आगे चलकर न्यायिक नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया। अंततः 1990–2000 का दशक यूनाइटेड किंगडम में महिला न्यायाधीशों की स्थिति को एक प्रारंभिक परिवर्तनशील चरण के रूप में प्रस्तुत करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला न्यायाधीशों की स्थिति (1990–2000) :

संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका में 1990 से 2000 के दशक के दौरान महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा। इस कालखंड की शुरुआत में 1992 में संघीय न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी केवल 13% थी और दशक के अंत (2001) तक बढ़कर 22% तक पहुँच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया संघीय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा नामांकन और सीनेट द्वारा अनुमोदन पर आधारित है। और इस वृद्धि का मुख्य श्रेय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल को जाता है, जिन्होंने अपने समय में नियुक्त किए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों में से लगभग 29% सीटों पर महिलाओं को सुशोभित किया और उनकी छवि को उजागर किया।

इस दशक में न्यायिक प्रक्रियाओं पर राजनीतिक विचारधाराओं और नागरिक अधिकार आंदोलनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। क्योंकि लैंगिक समानता और न्यायिक प्रतिनिधित्व को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाने लगा जिसके बाद महिला उम्मीदवारों को न्यायिक पदों के लिए सराहनीय अवसर प्राप्त हुए। दशक का सबसे ऐतिहासिक क्षण 1993 में आया जब न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति ने महिलाओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर दो महिला न्यायाधीशों ने एक साथ काम किया।

राज्य स्तर पर भी इस दौरान उल्लेखनीय बदलाव देखे गए। 1993 तक अमेरिका के 40 राज्यों की सर्वोच्च अदालतों में कम से कम एक महिला न्यायाधीश न्यायिक व्यवस्था मे अपना स्थान बना चुकी थी। दशक के अंत तक राज्यों की शीर्ष अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 26% से अधिक हो गया था। इसी काल

में पाउला ए. नकायामा जैसी नियुक्तियों ने न केवल लैंगिक बल्कि नस्लीय विविधता की नींव भी रखी जिससे अमेरिकी न्यायपालिका का स्वरूप अधिक समावेशी बन गया। जिससे महिलाओं ने न्यायालयों तक पहुचने का एक सफल सफर तय किया। 1990 का दशक परिवर्तन की सुदृढ़ नींव स्थापित करने वाला कालखंड था जिसने आगामी वर्षों में महिला न्यायाधीशों की बढ़ती भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिससे अमेरिकी न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को संस्थागत समर्थन मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण संक्रमणकाल सिद्ध हुआ।

कनाडा में महिला न्यायाधीशों की स्थिति (1990–2000) :

कनाडा की न्यायपालिका में 1990 से 2000 के दशक को लैंगिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक संरचनात्मक परिवर्तन का काल माना जाता है। 1982 के Canadian Charter of Rights and Freedoms के लागू होने के पश्चात् कनाडा में समानता और मानवाधिकार के प्रश्नों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ जिसका प्रभाव न्यायिक नियुक्तियों पर भी देखा गया। इस दशक के दौरान संघीय स्तर पर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और विविधता को महत्व दिया जाने लगा जिसके फलस्वरूप महिला न्यायाधीशों की संख्या में संतोषजनक वृद्धि देखी गई। 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध तक कनाडा उन कॉमन लॉ देशों में शामिल हो गया जहाँ न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देने लगा। 1990 में न्यायमूर्ति बर्था विल्सन के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण "Will women judges really make a difference?" जिसने समस्त कानूनी पटल पर महिलाओं के लिए विशिष्ट उपस्थितियों पर बहस छेड़ दी थी। इसी दौरान 1993 में कनाडाई बार एसोसिएशन की 'टचस्टोन्स फॉर चेंज' के रिपोर्ट ने कानूनी पेशे में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया और उनके लिए सुधारों की नींव रखी।

1990 से 2000 का दशक कनाडा में न्यायिक संस्थानों के लैंगिक पुनर्संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण संक्रमणकाल सिद्ध हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में, संघीय रूप से नियुक्त न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या मात्र 7% थी। लेकिन दशक के अंत तक (1997 तक) कनाडा के 11 प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों में से 9 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी। 1999 में न्यायमूर्ति लुईस अर्बोर को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इस दशक की सबसे ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घटना 7 जनवरी 2000 को हुई, जब बेवर्ली मैक्लाचलिन कनाडा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। और न्यायिक व्यवस्था मे महिलाओं के लिए जीत का परचम लहराया।

ऑस्ट्रेलिया में महिला न्यायाधीशों की स्थिति (1990–2000) :

1990 के दशक के दौरान ऑस्ट्रेलिया में न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी क्रमिक किन्तु अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया की न्यायिक प्रणाली संघीय और राज्यस्तरीय व्यवस्था में विभाजित है और नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य रूप से कार्यपालिका के विवेक पर आधारित है। 1980 के दशक में प्रारंभ हुई महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1990 के दशक में क्रमिक रूप से आगे बढ़ी और इस दौरान 1987 में जस्टिस मैरी गौड्रोन को हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जिसने आगे महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में पथप्रदर्शक के रूप में काम किया। 1990 में डिएड्रे ओश्कॉनर ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई। मार्च 1992 में 'ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएशन ऑफ वुमन जजेस' की स्थापना हुई जिसने महिला न्यायाधीशों को एक साझा मंच

प्रदान किया। 1992 में महला पर्लमैन को लैंड एंड एनवायरनमेंट कोर्ट की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वह किसी भी क्षेत्राधिकार में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली योग्य महिला बनीं। इसके बाद 1993 में मार्गरेट बीजली की न्यायाधीश के लिए नियुक्ति हुई।

दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के राज्य सर्वोच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का अनुपात 4% से भी कम था लेकिन इस दशक के अंत तक राज्यों के सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई। उदाहरणस्वरूप क्वींसलैंड में 1998 तक जिला न्यायालयों में 3 महिला न्यायाधीश थीं जो 2001 तक बढ़कर 6 हो गईं। 1990–2000 का दशक ऑस्ट्रेलिया में महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति के विस्तार का आरंभिक चरण था लेकिन अन्य देशों की तुलना में जैसे कनाडा की तुलना में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी और सीमित संस्थागत समर्थन के साथ विकसित हुई। जिससे इस अवधि की महिला न्यायाधीशों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः इस शोध–पत्र के माध्यम से यह पता चलता है कि 1990 से 2000 का दशक वैश्विक स्तर पर न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की भागीदारी के संदर्भ में एक संक्रमणकालीन चरण था। इस अवधि के दौरान अन्य देशों में संस्थागत सुधारों के माध्यम से लैंगिक समावेशन की दिशा में प्रगति की जा रही थी लेकिन भारत में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही। न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी केवल एक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि यह न्यायिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक वैधता से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। इस दशक के दौरान भारत में न्यायिक संगतता की शुरुआत न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (1989–1992) और न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर (1994–1999) की ऐतिहासिक नियुक्तियों से हुई। जिसके माध्यम से यह साबित किया गया कि भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर तक महिलाओं की पहुँच संभव है। हालांकि यह भागीदारी संख्यात्मक रूप से अत्यंत सीमित (मात्र 3–5:) बनी रही। न्यायपालिका में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, संस्थागत समर्थन और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है।

वहीं इसके विपरीत देखें तो पश्चिमी देशों में भी न्यायिक व्यवस्थाओं में क्रमिक बदलाव का दौर चल रहा था। उदाहरणस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायमूर्ति रुथ बेडर गिन्सबर्ग (1993) की नियुक्ति ने न केवल संख्यात्मक बढ़ोत्तरी की बल्कि न्यायिक व्याख्याओं में लैंगिक समावेशन के दृष्टिकोण को भी शामिल किया। वहीं कनाडा मे देखे तो 1990 के दशक में महिला न्यायाधीशों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। 2000 में बेवर्ली मैक्लाचलिन की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी मैरी गौड्रोन की उपस्थिति ने रूढ़ियों की बेड़ी को तोड़ा जबकि यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड्स की न्यायिक समिति अभी भी पूरी तरह पुरुष–प्रधान बनी हुई थी। सभी देशों में तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जहाँ पश्चिमी देशों में 1990 के दशक के दौरान न्यायपालिका में विविधता के लिए सामाजिक और संस्थागत दबाव (जैसे 'बीजिंग डिक्लेरेशन' 1995) अधिक प्रभावी था। अंततः यह कहा जा सकता है की इस दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर अदालतों के चेहरे को बदलने की नींव तो रख दी गई थी, लेकिन ग्लास सीलिंग को पूरी तरह तोड़ने के लिए संरचनात्मक बदलाव (जैसे कोलेजियम या नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण) की कमी हर जगह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।

संदर्भ सूची :

1. अग्नेस, एफ. (1999). लॉ एंड जेंडर इनइक्वालिटी : द पॉलिटिक्स ऑफ विमेंस राइट्स इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. आस्ट्रेलेसियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। (2001) ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जेंडर इक्विटी रिपोर्ट्स। ए.आई.जे.ए पब्लिकेशन्स।
3. ऑस्ट्रेलियाई लॉ रिफॉर्म कमिशन। (1994). इक्वलिटी बिफोर द लॉ : जस्टिस फॉर विमेन (रिपोर्ट संख्या 69)। ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट पब्लिशिंग सर्विस।
4. इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ). (2014). विमेन एंड द वर्ल्ड्स ज्यूडिशियरीज। आई.सी.जे. पब्लिकेशन्स।
5. कौर, एच. (2025). जेंडरिंग ऑफ इंडियन ज्यूडिशियरी एज ए रोडमैप टुवर्ड्स एन इक्विटेबल लीगल सिस्टम। फ्रंटियर्स इन सोशियोलॉजी।
6. खालिद, ए.पी. एण्ड डी.एस.(2026). रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द इंडियन लीगल सिस्टम : बैरीयर्स, प्रोग्रेस एण्ड पाथवेज फॉर जेन्डर पैरिटी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ रिव्यू।
7. जैन, एम. पी. (1999). इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ (5वां संस्करण)। लेक्सिस–नेक्सिस बटरवर्थ्स।
8. दीक्षित, एस. (2025). जेंडर इनइक्वालिटी इन ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी।
9. धवन, आर. (2003). द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया : ए सोशियो–लीगल क्रिटीक। त्रिपाठी पब्लिकेशन्स।
10. बक्षी, यू. (1982). द क्राइसिस ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। विकास पब्लिशिंग हाउस।
11. बैनब्रिज, एस. एम. (2002). कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। फाउंडेशन प्रेस।
12. बाछी, सी. एल. (1999). विमेन, पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स : द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम्स। सेज।
13. मार्टिन, एस. (2004). विमेन ऑन द बेंच : जेंडर एंड ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन कनाडा। कनाडियन जर्नल ऑफ विमेन एंड द लॉ।
14. रैकली, ई. (2013). विमेन, जजिंग एंड द ज्यूडिशियरी : फ्रॉम डिफरेंस टू डाइवर्सिटी। रूटलेज।
15. शर्मा, आई. (2024). रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द इंडियन लीगल सिस्टम। जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च।
16. सेठ, एस. पी. (2002). ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया : ट्रांसग्रेसिंग बॉर्डर्स एंड एनफोर्सिंग लिमिट्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. थॉर्नटन, एम. (1996). डिसोनेंस एंड डिस्ट्रस्ट : विमेन इन द लीगल प्रोफेशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
18. थॉर्नटन, एम. (2007). द डिसोल्यूशन ऑफ द सोशल इन द लीगल एकेडमी। रूटलेज।
19. हंटर, आर. (2015). मोर देन जस्ट ए डिफरेंट फेस? ज्यूडिशियल डाइवर्सिटी एंड डिसीजन–मेकिंग। करंट लीगल प्रॉब्लम्स।

Email Adress : nishagndc2506@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 56-62

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 : महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में

डॉ. अनुभा श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर।

सारांश :

सृष्टि के आरंभ से ही नारी का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। यदि पुरुष को इस संसार का आधार माना गया है तो वहीं नारी को इसकी प्राणशक्ति है। प्राचीन भारतीय वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संस्था है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को जोड़कर रखती है। एक सुसंस्कृत नारी ही एक सुसंस्कृत समाज की नींव रखती है। वैदिक युग में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने शास्त्रों और दर्शन में अपना अमूल्य योगदान दिया और उस समय नारी की स्थिति अत्यंत गौरवशाली थी। मध्यकाल में कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी लेकिन आधुनिक युग में राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों के अथक प्रयासों से नारी ने पुनः समाज में अपनी पहचान बनाई। शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में इन प्रयासों से स्त्रियाँ आगे तो बढ़ रही थी लेकिन नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी बहुत नगण्य थी। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक) ने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं की समान राजनीतिक भागीदारी हो और उनके दृष्टिकोण और उनके अनुभव नीति निर्माण में प्रभावी रूप से परिलक्षित हो सके। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफर में महिलाओं की भूमिका मतदाता के रूप में तो बढ़ी है, लेकिन नीति–निर्माता के रूप में उनकी उपस्थिति सदैव हाशिए पर रही। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है, केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह 'प्रतिनिधित्व के संकट' को हल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप है। इस अधिनियम के माध्यम से अब भारत की संसद में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी जिससे महिलाओं से जुड़े मुद्दों (जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा) पर अधिक संवेदनशीलता और मजबूती से नीति निर्माण किया जा सकेगा।

मुख्य शब्द : नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राज्यसभा, लोकसभा, आरक्षण, प्रतिनिधित्व।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य



चित्र 1 – भारतीय राजनीति की प्रमुख महिला हस्तियाँ

मुख्य श्रोत : ETV BHARAT

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बहुस्तरीय एवं क्रमिक विकास प्रक्रिया को दर्शाता है जिसकी जड़ें औपनिवेशिक काल के सामाजिक सुधार आंदोलनों में देखने को मिलती हैं। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक समानता के लिए जो सराहनीय प्रयास किए उन्होंने महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई लेकिन यह संस्थागत प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर कई महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम उठाए गए हैं। संविधान द्वारा अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से महिलाओं को समानता और अवसरों की संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39(a) और अनुच्छेद 39(क) के माध्यम से राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आजीविका और समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व राहत और कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। जो उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा ये कदम उठाए तो गए हैं लेकिन वास्तविक राजनीतिक धरातल पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी।

इस अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 के दशक में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया जिसने महिलाओं को पहली बार औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया में प्रवेश दिलाया। इस संशोधन ने महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता को विकसित किया लेकिन इसके साथ प्रॉक्सी

प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं। 1996 से राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण की मांग लगातार उठती रही जब पहली बार संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया किंतु आरक्षण के स्वरूप को लेकर विवादों के कारण यह लंबे समय तक पारित नहीं हो सका। वहीं 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बावजूद भी यह लोकसभा में लंबित रह गया। लगभग तीन दशकों की वैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में यह प्रयास सफल रहा। जिसने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33: आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया। ये सभी संवैधानिक कदम न केवल महिलाओं को राजनीति में समान अधिकार प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी के लिए एक ठोस आधार भी उपलब्ध कराते हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ये सराहनीय प्रयास भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण लेकिन अभी भी विकसित होती प्रक्रिया को दर्शाता है।

संवैधानिक प्रावधानों का तकनीकी विश्लेषण एवं वैधानिक विकास :

अनुच्छेद 330 और 332% भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332A भारत सरकार द्वारा हाल ही में जोड़े गए एक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करना है। अनुच्छेद 330A के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम एक–तिहाई (33%) भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाएगा। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए उप–आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। जिससे बहुस्तरीय सामाजिक न्याय का समावेश होता है। अनुच्छेद 332A के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों को सुरक्षित करता है जो राज्यों के स्तर पर महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इन प्रावधानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका कार्यान्वयन जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करके आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जा सके। इसके अलावा इन सीटों का रोटेशन भी निर्धारित किया गया है जिससे सभी क्षेत्रों की महिलाओं को समय–समय पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। अनुच्छेद 330A और 332A केवल आरक्षण के प्रावधान नहीं हैं बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक संरचनात्मक और विधिक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को नीति–निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी और व्यापक भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

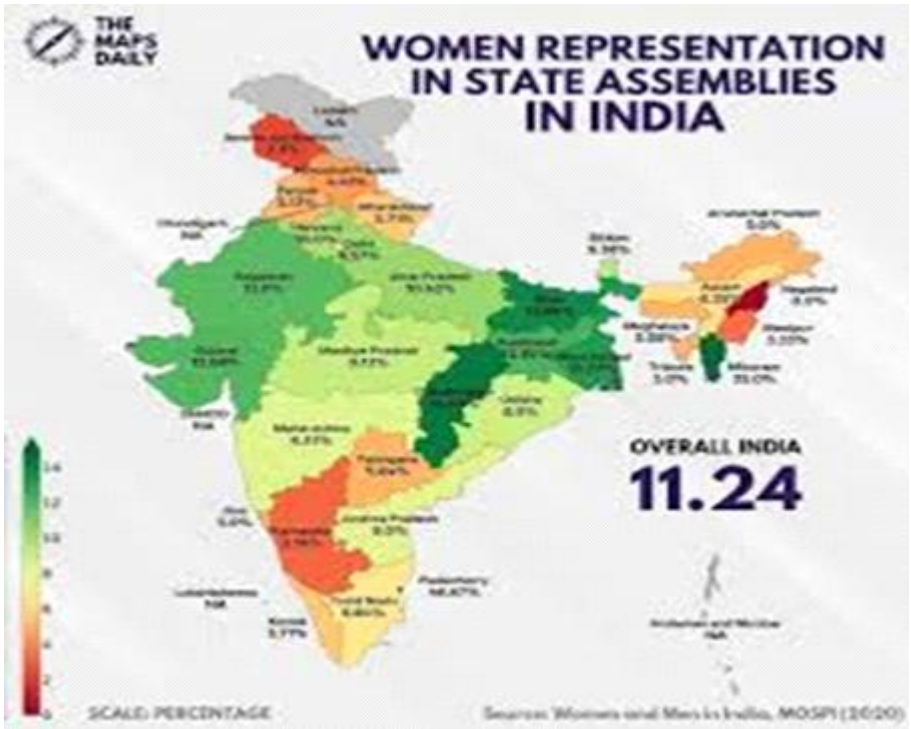
अनुच्छेद 334 (सनसेट क्लॉज) : अनुच्छेद 334 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में दिए गए 33% आरक्षण की अवधि को निर्धारित करता है। इस प्रावधान के अंतर्गत यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसके पश्चात संसद इसे आवश्यकतानुसार बढ़ा भी सकती है। इसे "सनसेट क्लॉज" के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आरक्षण को स्थायी रूप न देकर एक समयबद्ध उपाय के रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि समय के साथ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सके। अनुच्छेद 334A आरक्षण नीतियों में लचीलापन एवं पुनरावलोकन की एक संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम का प्रभावी होना भविष्य की जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर निर्भर करता है।

भारत में महिला आरक्षण विधेयक का वैधानिक क्रमिक विकास (1996–2023)

वर्ष	विधेयक संख्या संशोधन	तत्कालीन सरकार	सदन की स्थिति	मुख्य परिणाम
1996	81वां संविधान संशोधक विधेयक	संयुक्त मोर्चा (एच डी देवगौड़ा)	लोकसभा में पेश	गीता मुखर्जी समिति को भेज गया, लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया
1998	84वां संविधान संशोधक विधेयक	NDA-I (अटल विहारी वाजपेयी)	लोकसभा में पेश	भारी विरोध और आम सहमति के अभाव के कारण पारित नहीं हो सका
1999	85वां संविधान संशोधक विधेयक	NDA-II (अटल विहारी वाजपेयी)	लोकसभा में पेश	राजनीतिक दलों के बीच 'कोटा के भीतर कोटा' (ओबीसी आरक्षण) पर विवाद के कारण विफल
2008	108 वां संविधान संशोधक विधेयक	UPA-I (मनमोहन सिंह)	राज्यसभा में पेश	विधेयक को जीवित रखने के लिए पहले उच्च सदन में पेश किया गया
2010	108 वां संविधान संशोधक विधेयक	UPA-II (मनमोहन सिंह)	राज्यसभा में पारित	मार्च 2010 को पारित ,किन्तु लोकसभा में मतदान हेतु नहीं लाया जा सका और 2014 में लेपस हो गया
2023	128 वां संविधान संशोधक विधेयक	NDA-III (नरेंद्र मोदी)	दोनों सदनों में पारित	लोकसभा (454–2) और राज्यसभा (214–0)में ऐतिहासिक बहुमत से पारित
2023	106 वां संविधान संशोधन अधिनियम	(भारत सरकार)	अधिनियम बना	8 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। आधिकारिक नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम:2023 हुआ।

सशक्तिकरण बनाम राजनीतिक भागीदारी :

सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी दो परस्पर संबंधित किंतु एक दूसरे से पृथक अवधारणाएँ हैं जिनका अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी, प्रतिनिधित्व और विधायी संस्थाओं में उनकी उपस्थिति एक सफल राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान किया गया है जो प्रमुख रूप से संख्यात्मक एवं राजनीतिक भागीदारी की वृद्धि को सुनिश्चित करता है। ठीक इसके विपरीत सशक्तिकरण एक व्यापक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण एवं नीति–निर्माण में प्रभावी भूमिका शामिल होती है। जब तक सभी महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और सत्ता संरचना को प्रभावित करने में सक्षम न हों तब तक केवल प्रतिनिधित्व बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। उदाहरणस्वरूप द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, निर्मला सीतारमण का केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री बनना, अन्नपूर्ण देवी का केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनना, एवं मायावती का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाएँ केवल किसी पद पर नहीं बल्कि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग भी करें। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसले लिए जो उनके वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी दोनों रूप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के रूप में सक्रिय और प्रभावी नीति–निर्माण किया जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता स्पष्ट होती है।



चित्र 2– राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों का प्रतिशत

मुख्य श्रोत : WOMEN AND MEN IN INDIA , MOSPI (2020)

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

निर्वाचन वर्ष	लोकसभा में महिलाओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1952	22	4.4%
1977	19	3.5% (न्यूनतम)
1999	49	9.0%
2009	59	10.9%
2019	78	14.4% (अधिकतम)
2024–2026	74	14%

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल है जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संरचना में लैंगिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम न केवल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का माध्यम बनेगा बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक और उत्तरदायी बनाने की क्षमता भी रखता है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह केवल वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहता है या महिलाओं को नीति–निर्माण और शासन–प्रक्रियाओं मे सार्थक भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करता है। भारतीय समाज में पहले से स्थापित पितृसत्तात्मक संरचनाएँ, शिक्षा एवं आर्थिक असमानताएँ, एवं राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली जैसे कारक इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। जिन पर धरातल रूप से कार्य करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी परिसीमन से जुड़ी शर्तें और जैसी चुनौतियाँ भी इस अधिनियम की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस वैधानिक कदम को व्यापक सामाजिक सुधारों, क्षमता निर्माण राजनीतिक प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन के साथ जोड़ा जाए। और महिलाओं को केवल प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली नीति–निर्माता के रूप में भी उभारा जा सके। अंततः यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। किंतु इसका पूर्ण सशक्तिकरण एवं राजनीतिक भागीदारी तभी संभव है जब इसे समग्र सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।

संदर्भ सूची :

1. अखंड ज्योति. (2006). अखंड ज्योति, अंक 10. अखंड ज्योति संस्थान, मथुरा।

2. अमर उजाला. (2023, 29 सितंबर). नारी शक्ति वंदन अधिनियम का महिला आरक्षण कानून।
3. गुर्जर, एस. (2024, 2 फरवरी). लेख : 'नारी शक्ति वंदन' युग परिवर्तन की आधारशिला है। एनडीटीवी
4. चट्टोपाध्याय, के. (1958). द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमन। एवरीमैन्स प्रेस।
5. जैन, के. (2013). वुमन एम्पावरमेंट : यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. मानवाधिकारः नई दिशाएं (वार्षिक), अंक 10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत।
6. दैनिक जागरण. (2023, 19 सितंबर). नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन।
7. देसाई, एन. (2001). वुमन इन इंडियन सोसाइटी। नेशनल बुक ट्रस्ट।
8. नवभारत टाइम्स. (2023, 28 सितंबर). नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विश्लेषण से नीति और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
9. कुमार, आर. (2014). द हिस्ट्री ऑफ डूइंग : एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर वुमन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया, 1800–1990. जुबान।
10. नीति आयोग. (2023). ए पोर्ट्रेट ऑफ वुमन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। भारत सरकार।
11. फोर्ब्स, जे. (1999). वुमन इन मॉडर्न इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. भारत सरकार. (2023). नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम)। विधि और न्याय मंत्रालय।

ईमेल पता : dranubhasrivastava236@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 63-66

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मुगलकालीन इतिहास के स्रोत : एक अवलोकन

अविनाश कुमार पासवान

शोधार्थी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश :

इतिहास का संबंध अतीत की घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन से है। बीती घटनाओं की जानकारी हमें जिन साधनों से प्राप्त होती है, उन्हें स्रोत कहा जाता है। मुगलकाल के इतिहास के अध्ययन के लिए विविध ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिनमें विविधता भी है। दिल्ली सल्तनत में जिस भारतीय इतिहास लेखन की शुरूआत हुई, उसकी चरम परिणति मुगलकाल में देखते हैं। सल्तनतकालीन स्रोतों की लगभग सभी श्रेणियां इस काल में उपलब्ध है। 16वीं शताब्दी और इसके बाद के समय में ऐतिहासिक लेखन में काफी विविधता नजर आती है। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ, फरमान, डायरियां, दस्तावेज, क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित रचनाएं एवं यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत शामिल हैं। इन स्रोतों के माध्यम से मुगलकालीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन स्रोतों से हमें इस काल की सामाजिक, राजनीतिक और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

कूट शब्द : साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत, फरमान, दरबारी लेखन, सिक्के।

प्रस्तावना :

तुर्क–अफगान शासन की तुलना में मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। इस समय फारसी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनसे मुगलकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पीटर हार्डी के अनुसार सल्तनतकालीन इतिहास लेखन का रूप औपनिवेशिक है। सल्तनत के इतिहासकार ईरानी शैली और इसके अतीत से प्रभावित रहे। मगर मुगलकालीन इतिहासकारों का दृष्टिकोण 'भारतीय' था। वे सामान्य इस्लामी जगत के इतिहास से अधिक हिंदुस्तान के इतिहास में अभिरूचि रखते थे। पुरातात्विक सामग्री भी इतिहास पर प्रकाश डालती है, परंतु इसकी संख्या कम है, साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा। इस प्रकार मोटे तौर पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है– साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत।

साहित्यिक स्रोतो में ऐतिहासिक एवं अर्द्ध–ऐतिहासिक रचनाएं, जीवन वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, प्रशासनिक वित्त पत्र, नूहानी राज्य के अभिलेख, पत्रों के संकलन एवं अन्य विविध रचनाएं शामिल हैं। मध्यकाल में जहां साहित्यिक स्रोत का महत्व अधिक है, वहीं पूर्व मध्यकाल में पुरातात्विक स्रोत विशेषकर अभिलेख, अधिक उपयोगी है।

ऐतिहासिक ग्रंथ :

1. **तुजुक–ए–बाबरी** – मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। इसें तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक दशा का सजीव वर्णन हुआ है। तुर्की भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का कई भाषा में अनुवाद किया गया है।
2. **हुमायूँनामा** – इस पुस्तक की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। इस ग्रंथ में हुमायूँ की विजयों का उल्लेख है तथा उसकी कठिनाईयां व पराजय का वर्णन है।
3. **आइन–ए–अकबरी** – अबुल फजल कृत यह मुगलकाल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का पर्याप्त एवं रोचक वर्णन किया है। मनोरंजन के साधन, रहन–सहन, भोजन तथा खान–पान का उल्लेख इस ग्रंथ में सजीव ढंग से किया गया है।
5. **तबकात–ए–अकबरी** – इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। यह अकबर के शासनकाल में 'मीर बख्शी' के पद पर कार्यरत था।
6. **तुजुक–ए–जहाँगीरी** – जहाँगीर ने स्वयं इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें जहाँगीर के शासन के अट्ठारह वर्षों का विवरण है। संपूर्ण ग्रंथ के अध्ययन से तत्कालीन ललित कलाओं, साहित्य तथा चित्रकला की प्रगति का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। इस ग्रंथ में जहाँगीर ने अपनी दुर्बलताओं को भी स्वीकार किया है।
7. **तारीख–ए–बदायूँनी अथवा मुन्तख़ब–उल–तवारीख** – इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूँनी, अबुल फजल एवं फैजी का समकालीन था। यह धार्मिक दृष्टि से कट्टरपंथी मुसलमान था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत का आदि भाषाओ का ज्ञाता था। उसने कई भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, सिंहासन–बत्तीसी, राजतरंगिणी आदि का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया।
8. **तारीख–ए–दाऊदी** – इस ग्रंथ की इस ग्रंथ की रचना अब्दुल्ला ने मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में की थी। इसमें लोदी वंश के बहलोल लोदी से लेकर अफगान शासक दाऊद (1575 ई.) के शासनकाल का वर्णन है।
9. **तारीख–ए–सलातीन–ए–अफगान** – इस ग्रंथ में बहलोल लोदी के भारत में शासनकाल से लेकर हेमू की मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की रचना अहमद यादगार द्वारा की गई थी।
10. **तारीख–ए–रशीदी** – इस ग्रंथ का लेखक मिर्जा मुहम्मद हैदर था। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था। इसने सैन्य अभियान में हिस्सा लेकर उस समय की घटनाओं का वर्णन किया है।
11. **तारीख–ए–शेरशाही** – अब्बास खां शेरवानी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ का कुछ ही भाग अवशेष के रूप में प्राप्त है। अब्बास खां और शेरशाह के परिवार का निकट का संबंध रहा, अतः उसके द्वारा दिया गया विवरण विश्वसनीय सामग्री के रूप में जाना जा सकता है।
12. **तारीख–ए–फरिश्ता** – फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय के सेवा में रहते हुए इसकी रचना की। उन्होनें 13 खण्डो में भारत के इतिहास लिखने की कोशिश की है। उसने राजाओं और अनेक राज्यों, मुस्लिम सूफियों, भारत की भौगोलिक स्थिति और यहां की जलवायु के बारे में लिखा है।

साहित्यिक ग्रंथ :

ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त साहित्यिक ग्रंथ भी मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य स्रोतों के अंतर्गत कथा साहित्य, कला आदि में संबंधित ग्रंथ तथा काव्य व गीत साहित्य।

शेरशाह कालीन कवियो में सबसे प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्होनें 'पद्मावत' काव्यग्रंथ की रचना किये, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सिंह की सुंदरी पद्मिनी के साथ प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन के साथ युद्ध का भी वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा विद्यापति द्वारा रचित 'पुरूष परीक्षा' भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है। तुलसीकृत रामचरित मानस में भी उस युग के समाज का वर्णन मिलता है। कबीर के काव्य में भी तत्कालीन समाज के प्रमुख दोषों का वर्णन किया गया है।

यूरोपीय साहित्य :

मुगलकाल में यूरोपीय यात्रियों का आगमन बहुत अधिक संख्या में हुआ। विदेशी यात्रियों, राजदूतों व लेखकों के यात्रा विवरण भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। इटली का निकोलो कोन्टी नामक यात्री सन् 1520 में भारत आया एवं इन्होनें हमारे देश के रीति–रिवाज तथा यहां की जनता का वर्णन किया है।

मुगल दरबार में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय यात्री व्यापारी ही नहीं बल्कि वे धर्म प्रचारक भी थे। 1579 में अकबर के आमंत्रण पर कुछ जेसुईट पादरी अकबर के दरबार में आये, जिसमें फादर मॉन्सेरॉट था। अकबर ने उनके साथ धार्मिक विषयों के साथ–साथ दर्शन एवं विज्ञान पर भी चर्चा किए। फादर मॉन्सरेट ने Commentarius नामक रचना प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उस समय की सामाजिक जीवन एंव राजनीतिक घटनाओं वर्णन किया हो गया है, साथ ही इसमें अकबर के धार्मिक नीति पर भी प्रकाश डालता है।

प्रथम अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था, जो अकबर के दरबार में आये थे। उनके यात्रा–वृत्तांत में उसने भारत के साथ व्यापार की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। इन्होनें यहां के सामाजिक जीवन एवं रीति–रिवाजों पर भी उसने टिप्पणी की है। इसके अलावा विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, टॉमस कोर्याट, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पेल्सर्ट, बर्नियर, तैवनिये, थेवेनो आदि जैसे कई यात्रियों ने भारतीय सामाजिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक पर प्रकाश डाला है। यूरोपीय यात्रियों के फैक्टरी रिकॉर्ड भी मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है।

पुरातात्विक स्रोत :

साहित्यिक स्रोतों के अलावा मुगलकाल के पुरातात्विक संबंधी स्रोत भी उपलब्ध हैं। इनमें अभिलेख, सिक्के और इमारतें या उनके अवशेष शामिल हैं। मुगलकालीन इतिहास की आधारशिला यद्यपि साहित्यिक स्रोत हैं, परंतु पुरातात्विक स्रोत की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मुगलकाल में स्थापत्यकला का जो विकास हुआ उसका अंदाजा तत्कालीन किलों, मस्जिदों, मकबरा इत्यादि को देखकर लगाया जा सकता है। यह सत्य है कि स्मारकों द्वारा राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए स्मारक बहुत सहायक होते हैं। मुगलकालीन सिक्के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। इसमें आर्थिक व्यवस्था, शासकों के नाम, उनके साम्राज्य की सीमा और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

निष्कर्ष :

मुगलकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों जैसे साहित्य, वास्तुकला, फरमान, यात्रियों के वृत्तांत के द्वारा मुगलकाल का संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में एक समृद्ध संस्कृति और प्रशासनिक परिवर्तन का दौर था, जहां एक ओर बाबरनामा और अकबरनामा जैसा साहित्यिक स्रोत साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन की झलक दिखाते हैं, वहीं ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को प्रमाणित करता है। यद्यपि इन स्रोतों से पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली में रूढ़िवाद और सामाजिक भेदभाव मौजूद था, फिर भी इस्लामी परंपरा और भारतीयों के मेल से एक समृद्ध एवं मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा तय की।

यद्यपि दरबारी लेखनों में कहीं–कहीं व्यक्तिपरकता दिखती है, फिर भी विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन मुगलकाल के इतिहास के पुनर्निर्माण को विश्वसनीय और व्यापक बनाता है। इस प्रकार, मुगलकालीन स्रोत भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

1. रसीद, ए सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया (1206–1556), फर्म के.जे. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1969
2. श्रीवास्तव, ए.एल., मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, आगरा, 1954
3. हुसैन, युसुफ, ग्लिम्पसेज ऑफ मेडिवल इण्डियन कल्चर, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बंबई, 1959
4. श्रीवास्तव, ए.एल., मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, आगरा, 1964
5. गुप्त, शिवकुमार, मध्यकालीन भारत समाज एवं संस्कृति।
6. झा, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पटना, 2004
7. मुंशी, के.एम., द स्ट्रगल ऑफ द इम्पायर, भाग–58
8. अहमद, इमत्याज; मध्यकालीन भारत (8वीं से 18वीं शताब्दी), नेशनल पब्लिकेशसन, पटना, 2016
9. टसगर, अली कादिरी, हिंदू–मुस्लिम स्थापत्य कला शैली, आगरा, 1963
10. डॉ. प्रसाद, कामेश्वर; भारत का इतिहास (1526–1757), भारतीय भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2011

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 67-72

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन

तनिषा गोयल, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. श्रुति खारीवाल, सह आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

प्रस्तावना :–

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना मानव की दृढ़ इच्छाशक्ति, तकनीकी दक्षता तथा प्राकृतिक प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता का एक अद्वितीय उदाहरण है। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करने का जो दूरदर्शी लक्ष्य इस परियोजना के माध्यम से निर्धारित किया गया, वह आज आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह परियोजना केवल सिंचाई सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने मरुभूमि की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन लाकर क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्रदान की है।

प्रारम्भ में इस परियोजना को 'राजस्थान नहर परियोजना' के नाम से जाना जाता था, किन्तु भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सम्मान में 2 नवम्बर 1984 को इसका नाम परिवर्तित कर 'इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना' रखा गया। यह परियोजना अपने विशाल स्वरूप, लम्बाई, जल वहन क्षमता, सिंचित क्षेत्र, निर्माण संसाधनों की व्यापकता तथा श्रम–बल की दृष्टि से विश्व की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में सम्मिलित है। इसका औपचारिक शुभारम्भ 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा किया गया तथा 11 अक्टूबर 1961 को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नौरंगदेसर में जल प्रवाह प्रारम्भ कर इस ऐतिहासिक विकास यात्रा को गति प्रदान की गई।

भौगोलिक दृष्टि से यह परियोजना भारत–पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समानान्तर विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। यह क्षेत्र लगभग 280 से 300 उत्तरी अक्षांश तथा 720 से 750 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। प्रशासनिक रूप से इसके अंतर्गत राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जैसे प्रमुख जिले आते हैं, जिनका अधिकांश भाग पूर्व में मरुस्थलीय एवं अल्पवृष्टि वाला क्षेत्र रहा है। इस नहर का उद्‌गम पंजाब राज्य में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम स्थल 'हरिके बैराज' से होता है। यहां से लगभग 204 किलोमीटर लम्बी फीडर नहर निकलती है, जो पंजाब एवं हरियाणा से होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इसके पश्चात् मुख्य नहर लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों से होकर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र तक पहुंचती है। वर्तमान समय में शाखाओं, उपशाखाओं एवं वितरिकाओं सहित इस सम्पूर्ण नहर तंत्र की कुल लम्बाई लगभग 9,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है, जो इसे विष्व की विशालतम नहर प्रणालियों में स्थान प्रदान करती है।

परियोजना का प्रभाव केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पेयजल उपलब्धता, औद्योगिक विकास तथा ऊर्जा उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। लगभग 1200 क्यूसेक जल पेयजल, उद्योगों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं हेतु आरक्षित किया गया है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के अनेक शहरों एवं गांवों में जल संकट की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान में लाखों की जनसंख्या को इस परियोजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

इस परियोजना के कारण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। कृषि, पशुपालन, डेयरी, परिवहन, व्यापार एवं लघु उद्योगों के विकास ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया है। साथ ही, सौर एवं तापीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में भी इस नहर प्रणाली का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान रहा है।

प्रस्तुत शोध का महत्व :-

भारत जैसे विकासशील देश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना एक प्रमुख चुनौती रही है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी, विशेषकर जल की अनुपलब्धता है। राजस्थान का उत्तर–पश्चिमी भाग, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से मरुस्थलीय एवं जल–संकटग्रस्त क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अत्यंत सीमित था तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी। ऐसी परिस्थितियों में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एक क्रांतिकारी पहल के रूप में उभरकर सामने आई, जिसने न केवल जल की उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई दिशा प्रदान की।

सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से भी इस शोध की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहर परियोजना के कारण क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ने से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं सामाजिक जागरूकता में सुधार जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस प्रकार, यह शोध यह स्पष्ट करेगा कि आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास किस प्रकार परस्पर संबंधित है।

वर्तमान समय में सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के कारण जहाँ एक ओर क्षेत्र में हरित क्रांति जैसे परिणाम देखने को मिले हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे जलभराव, मृदा लवणता एवं पारिस्थितिक असंतुलन। अतः इस शोध की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं का सम्यक् विश्लेषण कर सके तथा भविष्य के लिए संतुलित विकास के उपाय सुझा सके।

समस्या कथन –

''इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन।"

शोध का अध्ययन क्षेत्र :–

इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को सिंचित एवं विकसित कर रही है। प्रस्तुत शोध के अध्ययन क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण ही सम्मिलित होता है। इस अध्ययन क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर तथा उत्तरी बीकानेर का पूंगल तक का क्षेत्र समाहित है। इस क्षेत्र की सिंचाई उपलब्धता में स्थायित्व आ चुका है तथा यहां की अर्थव्यवस्था में इस परियोजना का काफी सकारात्मक प्रभाव रहा है तथा यह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे समृद्ध क्षेत्र के रूप में उभरा है यहां कपास, ग्वार, गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली ज्वार, गन्ना, चुकन्दर तथा मोटा अनाज एवं फूल सब्जी की कृषि की जाती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कृषि में मशीनीकरण तथा उन्नत किस्म के बीजों एवं रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इस परियोजना के कारण सूक्ष्म, मध्यम उद्योग एवं मण्डियो का भी विकास हुआ है जिससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, रावतसर, रायसिंहनगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूंगल आदि मुख्य नगरों का भी विकास हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र अति सिंचाई से सेम जैसी पर्यावरणीय समस्या भी उजागर हुई है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 43 लाख 50 हजार है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। साथ ही पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन एवं लघु तथा कुटीर उद्योग भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार है एवं इस क्षेत्र में जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोरपोरेशन फण्ड के सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया है अब यह क्षेत्र काफी हरा–भरा एवं कृषि तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी समृद्ध प्रतीत होता है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य :–

शोध कार्य को स्वरूप प्रदान करने हेतु भी उद्देश्य निर्धारण आवश्यक है।

1. परियोजना क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विश्लेषण करना।
2. परियोजना क्षेत्र में कृषि व भूमि संसाधन के विकास में सिंचाई सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. परियोजना क्षेत्र में लाभान्वित कृषक परिवारों की आय, रोजगार, उपभोग तथा फसल प्रारूप एवं कृषि उत्पादन का विश्लेषण करना।

शोध की परिकल्पना :–

इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जो राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रस्तुत शोध के लिए यह परिकल्पना की गई है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास व सामाजिक परिवेश का उन्न्यन करने में सफल रही है तथा यह परियोजना स्थापित उद्देश्यों के संदर्भ में क्षेत्र के कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने से सजग व सफल रही है।

1. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के कारण श्री गंगानगर, हनुमानगढ व बीकानेर जिले में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और इससे किसानों की आय में सुधार हुआ है।
2. परियोजना के कारण जिले में औद्योगिक विकास हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
3. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के कारण श्री गंगानगर, हनुमानगढ व बीकानेर जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है।

4. परियोजना के कारण जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि हुई है।

शोध की परिकल्पनाओं का परीक्षण :

प्रस्तुत शोध में निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण केवल आर्थिक संकेतकों तक सीमित न रहकर सामाजिक स्तर जैसे आय, रहन–सहन, खान–पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति तथा भौतिक सुविधाओं के समन्वित विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों के मरुस्थलीय परिदृश्य को एक विकसित कृषि–आधारित एवं सामाजिक रूप से उन्नत क्षेत्र में परिवर्तित किया है। वाणिज्य विषय के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन संसाधनों के बेहतर उपयोग, आय सृजन, उपभोग व्यवहार, निवेश प्रवृत्ति तथा जीवन स्तर में सुधार के रूप में परिलक्षित होता है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के कारण श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा इससे किसानों की आय में सुधार हुआ है। परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि परियोजना से पूर्व यह क्षेत्र वर्षा–आधारित, अस्थिर एवं कम उत्पादक कृषि प्रणाली पर निर्भर था, जहाँ सीमित फसलें जैसे बाजरा एवं ज्वार ही प्रमुख थीं। सिंचाई के अभाव में भूमि का उपयोग भी सीमित था। नहर के आगमन के पश्चात् सिंचित क्षेत्रफल में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे फसल विविधीकरण संभव हुआ। वर्तमान में गेहूँ, चावल, सरसों, कपास, ग्वार, दलहन तथा बागवानी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है। इस आय वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक स्तर पर भी देखा गया हैकृकिसानों के मकान कच्चे से पक्के हुए हैं, घरेलू उपभोग में वृद्धि हुई है तथा जीवन शैली में आधुनिकता आई है। अतः यह परिकल्पना न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है।

औद्योगिक विकास एवं रोजगार वृद्धि की बात कही गई थी। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि नहर परियोजना ने कृषि आधारित कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। कपास जिनिंग, चीनी मिलें, आटा मिलें, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा अन्य लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इसके साथ ही परिवहन, विपणन, भंडारण तथा सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े। सामाजिक स्तर पर इसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण परिवारों की आय के स्रोत विविध हुए, बेरोजगारी में कमी आई तथा युवाओं का झुकाव केवल कृषि तक सीमित न रहकर अन्य व्यवसायों की ओर बढ़ा। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी, जिससे उपभोग स्तर एवं जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ। अतः यह परिकल्पना भी आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है।

परियोजना के कारण साक्षरता दर में वृद्धि एवं शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है। परीक्षण से यह पाया गया कि आय में वृद्धि, नगरीकरण तथा अवसंरचनात्मक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला है। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश परिवार अब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के प्रति सजग हैं। सामाजिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार से जागरूकता, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी समझ तथा सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है। शिक्षित युवा अब आधुनिक व्यवसायों, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर

हो रहे हैं, जो वाणिज्यिक दृष्टि से मानव पूंजी के विकास का संकेत है। अतः यह परिकल्पना भी पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि का परीक्षण किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि नहर परियोजना के पश्चात् क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार हुआ है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, पोषण स्तर में सुधार तथा चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है तथा कुपोषण की समस्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। सामाजिक स्तर पर यह परिवर्तन इस रूप में परिलक्षित होता है कि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हैं, नियमित चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करते हैं तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव एवं लवणता के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, फिर भी समग्र रूप से स्वास्थ्य स्तर में सुधार स्पष्ट है। अतः यह परिकल्पना भी व्यापक रूप से सत्य सिद्ध होती है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु सुझाव :

प्रस्तुत शोध के आधार पर इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र विशेषतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों के सतत् आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सुझाव वाणिज्यिक दृष्टिकोण से संसाधनों के कुशल प्रबंधन, आय वृद्धि, निवेश, रोजगार सृजन तथा सामाजिक स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं–

1. नहर प्रणाली के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे जल वितरण प्रणाली की दक्षता बनी रहे।
2. जल प्रबंधन को वैज्ञानिक एवं नियंत्रित बनाया जाए, ताकि जल का समुचित उपयोग हो तथा जलभराव एवं लवणता जैसी समस्याओं को रोका जा सके।
3. नहरों की लाइनिंग एवं ड्रेनेज प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, जिससे जल रिसाव में कमी आए एवं भूमि की गुणवत्ता संरक्षित रहे।
4. किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे जल संरक्षण संभव हो सके।
5. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर अधिक लाभकारी एवं कम जल खपत वाली फसलों की ओर किसानों को प्रेरित किया जाए।
6. कृषि लागत को नियंत्रित करने हेतु उर्वरकों एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा सुलभ ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
7. कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु स्थानीय स्तर पर एग्रो–प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए, जिससे मूल्य संवर्धन एवं रोजगार सृजन हो सके।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं विपणन सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

पुस्तकें :–

- अफ़रोज़, ए. सिंचाई परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और इसके प्रबंधन के लिए दिशा

निर्देश. पर्यावरण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

- कुमार, हरीश ''सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशक, नई दिल्ली, 2006
- गर्ग अतुल के., भार्गव कैलााश "सिंचित क्षेत्र में पानी एवं भूमि का प्रबन्धन" हिंमाशु पब्लिकेशन, उदयपुर
- चन्द्र, विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2000, पृ. 68
- चौहान, तेज सिंह (2006) राजस्थान में मरूस्थलीकरण नियन्त्रण एवं प्रबन्धन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 36 संख्या 1 ;11–13
- चौधरी, डॉ. सुरेश कुमार, राजस्थान में प्रतिनिधि संस्थाओं का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2014
- सिंह, आर. बी. और कुमार, ए. इंदिरा गांधी नहर परि योजना के माध्यम से सतत आजीविका विकास बीकानेर जिले का एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ वाटर एंड लैंड यूज मैनेजमेंट।
- सुनार, डॉ. महेन्द्र कुमार (2015). इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (मरुगंगा) राजस्थान के चहुँमुखी विकास में योगदान. आर्थिक एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, अग्रवाल पी.जी. कॉलेज, जयपुर।

आलेख, पत्रिकाएं :

1. हरिजन, 26 फरवरी, 1938; आर.एल. हाण्डा, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स, पृ. 111–114
2. निर्विरोध, डॉ. तारादत्त, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा–पं. ताडकेश्वर शर्मा, राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जयपुर, 2001

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 73-78

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अध्ययन

प्रेम कुमारी, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में "उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अध्ययन" किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों तथा गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षक अभिवृति मापने के लिए उमे कुलसुम तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता मापन के लिए डॉ. विशाल सूद द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में राजकीय एवं गैर राजकीय "उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

मुख्य शब्द – उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिक्षक, अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता।

प्रस्तावना :-

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षा स्तर पर निर्भर करती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमुख आधार शिक्षक होता है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक विकास, सामाजिक समायोजन तथा राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं उच्च स्तर की व्यावसायिक प्रतिबद्धता रखे।

अभिवृत्ति व्यक्ति की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति होती है, जो उसके व्यवहार, कार्यशैली तथा निर्णयों को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक की अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो वह शिक्षण कार्य को अधिक उत्साह, निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न करता है। इसके विपरीत नकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है तथा विद्यालयी वातावरण में उदासीनता उत्पन्न करती है। इसी प्रकार व्यावसायिक प्रतिबद्धता शिक्षक के अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण, निष्ठा, उत्तरदायित्व एवं

कर्तव्यपरायणता को व्यक्त करती है। प्रतिबद्ध शिक्षक न केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति सजग रहता है, बल्कि विद्यालय एवं समाज के विकास में भी सक्रिय योगदान देता है।

उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षा का वह महत्त्वपूर्ण चरण है, जहाँ विद्यार्थियों का बौद्धिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक विकास तीव्र गति से होता है। इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। यदि शिक्षक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होगा, तो वह विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास करने में सक्षम होगा।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति, तकनीकी विकास, बदलते सामाजिक मूल्य तथा बढ़ती शैक्षिक चुनौतियों के कारण शिक्षकों की भूमिका अधिक जटिल एवं उत्तरदायित्वपूर्ण हो गई है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। यह अध्ययन न केवल शिक्षकों की कार्यक्षमता एवं शिक्षण गुणवत्ता को समझने में सहायक होगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रस्तुत शोध शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भूमिका, उनके दृष्टिकोण एवं व्यवसाय के प्रति समर्पण को समझने का एक सार्थक प्रयास है।

प्रस्तुत शोध का महत्व :–

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास का प्रमुख आधार होती है तथा शिक्षक शिक्षा व्यवस्था का केन्द्रबिन्दु माना जाता है। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता मुख्यतः शिक्षक की कार्यकुशलता, दृष्टिकोण, व्यवहार तथा अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। अतः शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन करना समय की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है।

अभिवृत्ति व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति है, जो उसके व्यवहार, कार्यशैली तथा उत्तरदायित्व निर्वहन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक की शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो वह विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, नवीन शिक्षण विधियों को अपनाता है तथा शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसके विपरीत नकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य में उदासीनता, असन्तोष एवं कार्यक्षमता में कमी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार व्यावसायिक प्रतिबद्धता शिक्षक की अपने कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यपरायणता को प्रकट करती है। प्रतिबद्ध शिक्षक विद्यालय के विकास, विद्यार्थियों की प्रगति तथा समाज के शैक्षिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उच्च माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों के जीवन का संवेदनशील एवं निर्णायक चरण होता है। इसी स्तर पर विद्यार्थियों के भविष्य, करियर तथा व्यक्तित्व निर्माण की दिशा निर्धारित होती है। यदि इस स्तर के शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध एवं सकारात्मक अभिवृत्ति वाले होंगे, तो वे विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे तथा उनमें नैतिक मूल्यों, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर पाएँगे। इसलिए इस स्तर के शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। तकनीकी परिवर्तन, नई शिक्षा

नीति, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलते सामाजिक मूल्य तथा विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं ने शिक्षकों की भूमिका को अधिक जटिल बना दिया है। ऐसी परिस्थितियों में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति कितना समर्पित है तथा उसकी अभिवृत्ति शिक्षण कार्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों की समस्याओं, कार्य–सन्तोष, उत्तरदायित्व भावना तथा विद्यालयी वातावरण के प्रभावों को समझने में सहायक होगा। इसके निष्कर्ष शिक्षा प्रशासन, नीति–निर्माताओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे तथा शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी सुझाव प्रदान करेंगे।

शोध कथन :–

"उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अध्ययन।"

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

उच्च माध्यमिक विद्यालय –

उच्च माध्यमिक विद्यालय भारत में शैक्षिक संरचना की मध्यस्थ महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा में सामान्य रूप से 14 से 18 वर्ष के मध्य के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अन्तर्गत 9 से 12 तक की शिक्षा आती है। राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ अजमेर द्वारा सम्बद्ध होते है। इन विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ अजमेर द्वारा संचालित की जाती है।

शिक्षक अभिवृत्ति –

अभिवृत्ति का शब्दकोषीय अर्थ किसी व्यक्ति विशेष का, किसी अन्य स्थान अथवा वस्तु के प्रति सोच एवं अनुभव का निर्धारित ढंग है। अभिवृत्ति किसी विचार, वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिउत्तर की प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना के पक्ष या विपक्ष में अभिव्यक्ति है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक Gordon Allport के अनुसार "अभिवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्यय है। अभिवृत्ति का निर्माण किसी व्यक्ति के भूत एवं वर्तमान से होता है।

व्यावसायिक प्रतिबद्धता –

व्यावसायिक प्रतिबद्धता व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना का प्रतिबिम्बन है। यह प्रतिबद्धता दो कारकों का बोध कराती है– प्रथम, व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय अपनाने में गर्व महसूस करना तथा द्वितीय, अपने कार्य को और अच्छे ढंग से करने की तीव्र इच्छा।

शिक्षक की प्रतिबद्धता शिक्षा के समस्त पहलुओं को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता स्वयं निर्मित हो जायेगी। शिक्षकों को इस बात को समझना होगा कि केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु समाज, देश तथा विश्व भी उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होता है। उन्हें इस प्रतिबद्धता को बढ़ाना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के टोंक जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों तथा गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् 300 शिक्षकों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. शिक्षक अभिवृत्ति मापनी (उमे कुलसुम)
2. व्यावसायिक प्रतिबद्धता मापनी (डॉ. विशाल सूद)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

(1) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति	300	165.61	15.339	0.581	स्वीकृत
गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति	300	164.89	15.036		

व्याख्या :- परिकल्पना[1] के अनुसार राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

उपरोक्त परिकल्पना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध के प्रदत्तों द्वारा ज्ञात किया गया टी का मान 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अर्थात् यह सार्थक नहीं है एवं शून्य परिकल्पना "राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।" स्वीकृत की होती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।

(2) राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता

में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता	300	271.79	24.989	1.297	स्वीकृत
गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता	300	274.39	24.109		

व्याख्या :– परिकल्पना 2 के अनुसार राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

उपरोक्त परिकल्पना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध के प्रदत्तों द्वारा ज्ञात किया गया टी का मान 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अर्थात् यह सार्थक नहीं है एवं शून्य परिकल्पना "राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।" स्वीकृत की होती हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।

शैक्षिक सुझाव –

- सेवारत शिक्षकों को अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन प्रसन्नतापूर्वक एवं उत्साह के साथ करना चाहिए। उन्हें अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होकर विचलित होने के स्थान पर अपने वर्तमान क्षेत्र में ही उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा पदोन्नति की दिशा में सतत प्रयासरत रहना चाहिए।
- शिक्षकों को अपनी शिक्षण मनोवृत्ति में निरंतर सुधार एवं विकास करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक एवं प्रभावी शिक्षण दृष्टिकोण रखने वाले शिक्षक विद्यार्थियों के बीच अधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली होते हैं।
- अध्यापन कार्य को समाज सेवा का सर्वोत्तम रूप माना गया है। अतः शिक्षकों को अपने संकीर्ण स्वार्थों का त्याग कर कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण एवं सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
- शिक्षकों को परंपरागत शिक्षण पद्धतियों पर निर्भर रहने के बजाय नवीन शिक्षण रणनीतियों, तकनीकों एवं विधियों को अपनाना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक, प्रभावी एवं विद्यार्थी–केंद्रित बन सके।

भावी शोध हेतु सुझाव –

1. प्रस्तुत शोध कार्य केवल बाड़मेर जिलें तक ही सीमित रखा गया है। अग्रिम शोध के लिए राजस्थान के अन्य संभागों या जिलों को भी लिया जा सकता हैं।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर

शोध कार्य किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिवृति, उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता को लेकर भी लिया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

1. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
2. कुमार, अजय (2012) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सोच एवं प्रभावशीलता के सम्बन्ध में उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अध्ययन इंडियन जरनल ऑफ सोशियल साइकॉलोजी, 38(2) 22–30.
3. गुप्ता, निर्मला (1989): 'मैनुअल फॉर इण्डियन अडेप्टेशन ऑव कॅरियर मैच्योरिटी इन्वेन्टरी', आगरा, नेशनल साइकोलॉजिकल कारपो.
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या (407–430)
6. श्रीवास्तव तथा अग्रवाल (2009) शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का उनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता से सम्बन्धों का अध्ययन ए स्ट्डी ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनैस ऑफ टीचस ट्रेन्ड थ्रू फारमल एण्ड डीसटेन्स मोड, पी–एच.डी. (ऐजूकेशन) थीसिस, रोहतकः एम.डी. यूनिवर्सिटसिंह,
7. रामपाल और शर्मा, ओ.पी. (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 79-86

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्र के रूप में नालन्दा

वस्फी फातिमा

शोधार्थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सारांश :

मानव ने प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक से लेकर भौतिक विषयों के बारे मे जानने के लिये विभिन्न युगो में ज्ञान प्रप्ति के लिये शिक्षण केन्द्र की स्थापना की। इन शिक्षण केन्द्रो के द्वारा मानव ने समाज के सांस्कृतिक एंव वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी प्राप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया यह काम मानव की प्रगति का एक स्थायी प्रेरणादायक स्रोत बन गया। इसी क्रम में भारत में भी अनेक शिक्षण संस्थानो की स्थापना हुई। इन संस्थानों में नालन्दा विश्वविद्यालय भी प्रमुख रहा। इस शोधपत्र का प्रमुख उददेश्य नालन्दा में स्थापित महाविहार की स्थापना से सम्बन्धित तिथि, उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति तथा इस महाविहार के निर्माण में योगदान देने वाले शासको की जानकारी का विश्लेषण करना है। इसके अलावा यह शिक्षण संस्थान के रूप में नालन्दा महाविहार की भूमिका और इसके महत्व का विश्लेषण करेगा। इसके उददेश्यो में इसकी शिक्षण पद्धति, शिक्षक एंव छात्र, पाठ्यक्रम एंव प्रशासनिक प्रणाली आादि का विवरण है। बौद्ध धर्म अपने उदभव से पतन तक नालन्दा विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। यह संस्थान प्राचीन काल से ही भारत एंव विदेशो में बौद्ध धर्म के प्रचार एंव प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। यह संस्थान लगभग 600 सालो तक देश–विदेश के विद्यार्थियो शिक्षा देता रहा एंव बौद्ध धर्म का प्रसार भी करता रहा।

मुख्य शब्द : नालन्दा, गुरूकुल, सघांराम, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम।

प्रस्तावना :

विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राचीनतम विश्वविद्यालयो में से एक नालन्दा विश्वविद्यालय था। जो कि भारत का बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के समय 450 ई0 में हुई थी। यहाँ लगभग सभी विषयों का अध्ययन किया जाता जिसके अर्न्तगत शिल्प विद्या, शब्द विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या एंव अध्यात्मविद्या था। प्राचीन काल के बाद यह शिक्षा का अलग चरण था जहाँ प्राचीन काल में गुरूकुल में शिक्षा दी जाती थी वही यहाँ पर संगठित होकर शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान था। यह बौद्ध धर्म से सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान था इस शिक्षण व्यवस्था से आकर्षित होकर देश–विदेश से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और वे अपने उददेश्यो की पूर्ति करते थे। कुछ विद्वानो को उनके देश के शासको का सरंक्षण भी प्राप्त इन्ही विद्वानो के माध्यम से विदेशो में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। यहाँ अध्ययन के लिए आये छात्र और विद्वान हमेशा बौद्ध दर्शन के गहन शोध में लगे रहते थे। यहाँ से अध्ययन ग्रहण करने के बाद छात्रो और विद्वानो

ने बौद्ध धर्म का विदेशो में प्रसार में बहुत योगदान दिया था।

भौगोलिक स्थिति :

नालन्दा महात्मा बुद्ध के काल में एक कस्बा था जो मगध के अर्न्तगत आता था, यह मगध की दो राजधानियों राजग्रह और पाटलिपुत्र के बीच में स्थित था।[1] बौद्ध ग्रन्थ सुमगंलवासिनी के अनुसार राजगृह से नालन्दा की दूरी एक योजन थी। वर्तमान समय में नालन्दा राजगृह से 8 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है।[2]

गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने नालन्दा को धर्मसेनापति सरिपुत्र का जन्म स्थान बताया हैं उसने नालन्दा को नालो कहा और वहा से अलग स्थित पहाड़ी से इसकी दूरी एक योजन बताई है। इस विवरण से बड़गाँव की स्थिति का पता चलता है जिसे कनिघंम ने नालन्दा की आधुनिक स्थिति माना है।[3]

हर्षवर्धन के समय आए चीनी यात्री हवेन्सांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त में उल्लेख किया कि नालन्दा विहार राहुल स्तूप से लगभग 5 मील (30 ली.) दूरी पर स्थित है इसने सरिपुत्र के जन्मस्थान का नाम पिनाक (क–लो–पि–न–क) बताया और उसे कोलिक (को–लि–क) नामक के स्थान से जो नालन्दा में स्थित सघांराम से लगभग डेढ मील 8 या 9 ली. दक्षिण पश्चिम में था, और इसे चीनी यात्री फाहियान ने महामौद्गल्यायन का जन्मस्थान माना है जो लगभग आधा मील 3 या 4 ली पूर्व में था।[4]

वर्तमान में नालन्दा का बौद्ध विहार बिहार राज्य के नालन्दा जिले में स्थित है। इस महाविहार के आसपास दो हवाई अडडे स्थित है जिसमे एक पटना में दूसरा गया में स्थित है।



Source : https://images.app.goo.gl/BDBAyH7CeQQnTETSA

नालन्दा के विहार का शिक्षा के रूप में उद्भव एंव संरचना :

नालन्दा के विहार का शैक्षिक संस्थान के रूप में उद्भव बौद्ध धर्म के उदभव से ही जुड़ा हैं जो उस समय की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से प्रेरित था। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओ को वर्षाकाल में एक स्थान पर रूकने का नियम बनाया।[5] इन भिक्षुओ को रूकने के लिए समकालीन राजाओ और सेठ्ठो ने विहार प्रदान किये इसी प्रकार के छोटे विहार से नालन्दा विश्वविद्यालय का विकास हुआ जो एक सुविख्यात विश्वविद्यालय बना। बौद्ध विहारो में वर्षावास के दौरान भिक्षुओ द्वारा निवास किया जाता था। विहारो के अर्न्तगत संघ का स्थायी संगठन हुआ जिसमे विभिन्न प्रकार के नियम थे, जिसमें शिक्षा, वस्त्र, औषधि, उपोस्थ, प्रवज्या, वर्षावास, पर्यावरण, उपसम्पदा आदि थे।

प्राचीन भारतीय स्थानों के आधार पर ही नालन्दा के नाम के विषय में विभिन्न सिद्धांत दिये गये है। चीनी यात्री व्हेनसांग ने अपने यात्रावृत्तान्त में इस विषय से सम्बन्धित उल्लेख किया है जब वह उत्तर की ओर 30 ली. गया तो नालन्दा पहुचा उसके अनुसार यहाँ के पुराने साक्ष्यो में यह उल्लेख मिलता है कि इस सघांराम के दक्षिण में आम का बागवान था जिसके बीच में एक तालाब था इस तालाब के पास नाग थे जो नालन्दा कहलाते थे, उसके पास सघंराम का निर्माण हुआ जो नालन्दा कहलाया।[6] दूसरे सिद्धान्त के अनुसार तथागत पूर्व के जन्म में इसी स्थान पर बोधिसत्व के जीवन का अभ्यास करते थे तत्पश्चात् वह वहाँ के राजा बन गए इसी स्थान को उन्होने अपनी राजधानी बनायी। वे सदैव जीवित प्राणियो के लिए दया से प्रेरित रहते और सदैव सहायता देते थे। उनके इस गुण के कारण उन्हे अनवरत दान कहा जाता था। इसी के आधार पर इस इस जगह का नाम नालन्दा पड़ा था।[7] अनेक विद्वानो ने इस स्थान का नाम दान भिक्षा, अतिथी सत्कार के आधार पर पढ़ा।

नालन्दा वह स्थान है जो एक विश्वविद्यालय बनने से पूर्व ही वह महात्मा बुद्ध से संम्बन्धित था। यही महावीर एंव घोषाला की भेट हुई थी। आनन्द उस स्थान को महात्मा बुद्ध के लिए प्रिय स्थान समझते थे।[8] नालन्दा विश्वविद्यालय के विषय में तारानाथ ने भी लिखा है नालन्दा भिक्षु सरिपुत्र का जन्मस्थान था। इसी स्थान यह और उनके साथ 80000 अर्हत ने निर्वाण प्राप्त किया था। उस समय उस स्थान पर सिर्फ चैत्य बना था सरिपुत्र के नाम से आगे चलकर सम्राट अशोक ने उस स्थान पर बौद्ध मन्दिर बनवाया इस आधार पर नालन्दा के बने विहार को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया गया था।[9] पाँचवी शताब्दी में जब फाहियान भारत आया, उसने अपने लेख में नालन्दा का उल्लेख नही किया था सिर्फ नाला गाँव का उल्लेख किया था जहाँ पर सरिपुत्र का जन्म हुआ था और वही पर उन्होने निर्वाण प्राप्त कियाा था वह उस स्थान पर स्तूप के उल्लेख का भी वर्णन करता है।[10] विद्वानो ने फाहियान के विवरण में उल्लेखित नाला को नालन्दा से समीकृत नही किया है। प्रारम्भ में बौद्ध भिक्षु सभी मौसम में विचरण करते थे, लेकिन बाद उन्हे वर्षावास के समय एक स्थान पर रहने का आदेश मिला उसी के बाद से विहार निर्माण प्रारम्भ हुआ पहले यह विहार छोटे होते थे आगे चलकर यह बड़े–बड़े सघांराम में बदल गये। हवेन्सांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त में यही उल्लेख किया है। नालन्दा सघांराम भी इसी तरह परिवर्तित होकर एक बहुत बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बना।

नालन्दा में सघांराम का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा करवाया गया था। जिसको हवेन्सांग ने शक्रादित्य कहा था कुमारगुप्त के बाद गुप्त शासको ने नालन्दा में अनेक सघांराम का निर्माण करवाया था। नालन्दा का गुप्त शासको के समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।[11] हवेन्सांग ने गुप्त शासको द्वारा बनवाए गये अनेक सघांरामों का उल्लेख किया है। गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने अपने पूर्वज द्वारा किये गए कार्यो को जारी रखा एवं कुमारगुप्त द्वारा बनवाए गए सघांराम के दक्षिण में एक सघांराम का निर्माण करवाया। तथागुप्त ने भी मुख्य सघांराम के पूर्व में एक सघांराम का निर्माण करवाया। गुप्त शासक बालादित्य ने मुख्य सघांराम के उत्तर पूर्व में एक सघांराम का निर्माण करवाया एवं 300 फीट ऊचाँ एक विशाल विहार बनवाया हवेन्सांग ने इसकी भव्यता का उल्लेख किया इसमे एक बुद्ध की मूर्ति भी रखी थी।[12]

बालादित्य के पुत्र वज्र ने एक विहार का निर्माण करवाया था जो कि बालादित्य के विहार के पश्चिम में था वज्र मध्य भारत का राजा था उसने एक सघांराम, चारदिवारी एवं फाटक का निर्माण करवाया था।[13] वर्द्धन वंश के शासक हर्षवर्धन कन्नौज की गददी पर बैठा तब उसने नालन्दा में सघांराम का निर्माण करवाया और

उसके रख रखाव के लिए 100 गाँव दान में दिये।[14]

पाल वंश के शासक गोपाल ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल शासक धर्मपाल ने दक्षिण में एक विहार बनवाया और इसके रख रखाव लिये 200 गाँव दान दिया।[15] उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कह सकते है कि यह विश्वविद्यालय गुप्तकाल से लेकर 11वी शताब्दी तक यह विभिन्न शासको द्वारा निर्मित होता रहा और इसका विकास होता रहा।

नालन्दा विश्वविद्यालय की खुदाई के बाद यह पता चला कि यह विश्वविद्यालय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था जो कि एक मील लम्बा एंव आधा मील चौड़ा था। इस विश्वविद्यालय में आठ बड़े कमरे एंव 300 छोटे कमरे भी थे जो कि व्याख्यान के लिये थे। यहाँ की भवन निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि द्वारा की गई थी यहाँ के भवन बहुमजिंला बने हुए थे एंव यह पूरा क्षेत्र ईटो की दीवारो से घिरा था।[16]

नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया :

नालन्दा विश्वविद्यालय मे प्रवेश के लिये बहुत से छात्र देश–विदेश से आते थे यद्यपि उनमे से प्रवेश बहुत कम छात्रो को मिलता था। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाऐ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती थी। प्रवेश प्रक्रिया बहुत कठिन थी। यहाँ प्रवेश के बहुत कड़े नियम थे। प्रवेश के लिए आये 10 छात्रो में सिर्फ प्रवेश 2 या 3 को ही मिलता था। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती थी उनमे विश्लेषणात्मक कौशल हो एंव विभिन्न अवधारणाओ की उन्नत स्तर की समझ होनी चाहिऐ जो कि उन्हे विशिष्ट चरित्र प्रदर्षित करने में मदद करे। विद्यार्थियो को पहले द्वारपालो से चर्चा करनी पड़ती थी जो कि धार्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ होते थे। उसके बाद साक्षात्कार भी होता था जिसमे बहुत कम छात्र उत्तीर्ण होते थे इन सब प्रक्रियाओ से गुजरने के बाद बहुत कम छात्रो को प्रवेश मिलता था जो छात्र पुरानी एंव आधुनिक शिक्षा में पारंगत होते थे उन्हे ही प्रवेश मिलता था।[17] यह बहुत दिलचस्प तथ्य है कि आज से सदियो पहले नालन्दा विश्वविद्यालय मे एसी प्रवेश प्रक्रिया प्रचलित थी।

पाठ्यक्रम :

नालन्दा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विश्वविद्यालय था लेकिन इसमें उस समय के लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हवेन्सांग एंव इत्सिंग ने अलग–अलग विवरण दिया इस आधार पर विश्वविद्यालय में पढ़ाए जााने वाले पाँच प्रमुख विषय थे, शिल्प विद्या (आर्टस), शब्द विद्या (व्याकरण), हेतु विद्या (तर्क), चिकित्सा विद्या (दवा) एंव अध्यात्मविद्या का अध्ययन करवाया जाता था।[18] नालन्दा विश्वविद्यालय दर्शन एंव धर्मज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन आवश्यक था। नालन्दा विश्वविद्यालय धर्म एंव दर्शन के सुखद मिश्रण का प्रतीक था जो इसे सभी विधाओ से परे बनाता था। नालन्दा विश्वविद्यालय एक धार्मिक संस्थान था, लेकिन यहा धर्मशास्त्र एंव दर्शनशास्त्र सभी छात्रो के लिए अनिवार्य था[19] धर्मशास्त्र ज्ञान का अर्थ है महायान पर गहन अध्ययन और इसके साथ बौद्ध धर्म के 18 स्कूलो को भी जानना होता था।[20]

शिक्षक एंव विद्यार्थी :

किसी भी शिक्षण संस्थान को बनाने में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे ही नालन्दा विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक थे नालन्दा में छात्रो की सख्या 10000 थी और वहा पर शिक्षको की संख्या 1510 थी। प्रारम्भ मे शिक्षक एंव छात्र का अनुपात 1:10 था लेकिन बाद मे यह 1:6 हो गया। हवेन्सांग ने अपने ग्रन्थ मे उल्लेख किया है कि शिक्षको में 1000 ऐसे शिक्षक थे जो 20 सूत्र एंव शास्त्र की व्याख्या कर

सकते थे[21] एंव 500 ऐसे शिक्षक थे 30 सूत्र एंव शास्त्र की व्याख्या कर सकते थे 10 ऐसे शिक्षक थे जो 50 सूत्र एंव शास्त्र की व्याख्या कर सकते थे।[22] उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय में विभिन्न शिक्षक थे जिनके नाम इस प्रकार है नागार्जुन, वसुबन्ध, पद्मसम्भव, शान्तरक्षित, आर्यदेव, राहुलभद्र, असंग, जयदेव, चन्द्रकीर्ति, धर्मपाल आादि प्रमुख शिक्षक थे इत्सिंग ने अपने विवरण में नालन्दा विश्वविद्यालय में छात्रो की सख्या 3000 से अधिक बतायी है।[23] ए. एल. बाशम ने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि यह जो यात्रियो द्वारा दिए गए आँकड़े खुदाई के आँकड़ो से मेल नही खाते हे उनके आधार पर यहा छात्रो की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है।[24] सकांलिया ने हवेन्सांग द्वारा बतायी गयी संख्या को बहुत अधिक माना इन्हाने इत्सिग की बतायी हुई संख्या को सही माना है इनके आधार से यहा छात्रो की संख्या लगभग 4000 थी।[25]

पुस्तकालय :

पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी के विवेक को आकार मिलता है। व्यक्तिगत रूप से सोचने की क्षमता आादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उस स्थान पर स्थित था जिसको धर्मगंज कहा जाता है। इसके अन्तर्गत तीन बड़ी इमारते शामिल थी जो इस प्रकार है, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरजंक प्रमुख है।[26] रत्नोदधि नौ मजिंल इमारत थी जिसमे बहुत सी पवित्र पुस्तके रखी थी।[27] व्हेनसांग विवरण से उल्लेख मिलता है कि दीवारो के अन्दर खोद करके अलमारी बनायी जााती थी और वही पर किताब रखी जाती थी। वहा पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक भी अपने विषय से संबन्धित पुस्तको का अध्ययन भी करते और छात्रो को पढने के लिए उचित मार्गदर्शन भी करते थे।[28] धार्मिक एंव पवित्र कार्यो की प्रतिलिपियाँ बनाना नालन्दा मे अध्यापन का प्रमुख हिस्सा था। जावा एंव सुमात्रा के राजा बालपुत्रदेव ने कुछ भेट एंव प्रतिलिपियाँ भेजी थी।[29] चीन से आाए यात्री इत्सिंग ने उल्लेख किया है कि जब छात्र पढाई पूरी कर लेते थे तब वह अपनी पुस्तको को भी पुस्तकालय में रख देते थे।[30] हवेन्सांग के बाद आये दो कोरियन भिक्षु चे हांग एंव होई एंव एक चीन से आये भिक्षु ने भी नालन्दा में बनी पुस्तकालय में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित बहुत सी पुस्तको का अध्ययन किया। अन्ततः नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एक अमूल्य पण्डुलिपियों का संग्रह बन गया।

प्रशासन एंव प्रबन्ध :

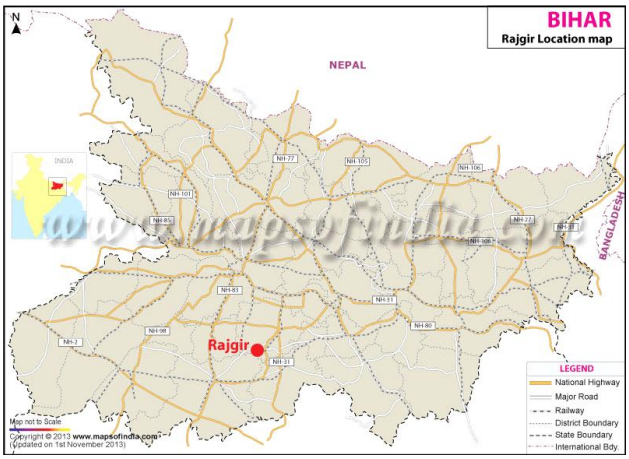
विभिन्न विद्वानो द्वारा नालन्दा का उत्खनन किया गया। उत्खनन से प्राप्त मुहरो से यह पता चलता है कि नालन्दा विश्वविद्यालय एक स्वशासित एंव आत्मनिर्भर शैक्षिक संगठन था। विभिन्न राजाओ ने नालन्दा विश्वविद्यालय को अनेक गाँव दान में दिए जहाँ से इस विश्वविद्यालय को पर्याप्त धन मिलता था इत्सिंग ने अपने विवरण में बताया कि यहाँ पर पुजारियो की एक सभा थी जो छात्रो को हर साल कमरे आंवटित करती थी।[31] यहाँ सभी द्वार पर द्वारपाल नियुक्त होते थे। इन द्वारपालो के अतिरिक्त नालन्दा मे तीन प्रमुख अधिकारी थे, जिसमे एक निधि सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था जो कि आज के विश्वविद्यालय के चांसलर के अनुरूप होता था दूसरा प्रमुख कर्मदान होता था जो कि मठ के सभी कार्यो को देखता था एंव मठ का पर्यवेक्षण करता था अगला प्रमुख स्थविर था जो कि पीठासीन पुजारी होता था।[32] यहा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था जो कि सबसे वरिष्ठ होता था वह एक प्रशासक एंव दार्शनिक भी होता था वह एक मठाधीश था जिसका प्रमुख कार्य नालन्दा एंव बाहर से संबन्ध रखना यह मुख्यतः राजाओ से सम्बन्ध रखते थे।[33]

नालन्दा महाविहार के नियम वैसे ही चलते थे जैसे बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक में लिखा हुआ था। यहाँ पर

छात्रो के दिन मुख्यतः दो भागो में बटा हुआ था, अध्ययन एंव धार्मिक कार्यो में दिन को व्यवस्थित प्रकार से व्यतीत किया जाता था खाना, पीना एंव पढ़ना आदि के विस्तृत नियम थे इन नियमो के अतिरिक्त अनुशासन बनाये रखने के विस्तृत नियम थे जिनका पालन सभी को करना होता था।[34] इस प्रकार नालन्दा प्राचीन भारत का बहुत बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था यहाँ पर निशुल्क आवास भोजन आदि व्यवस्थाएं थी नालन्दा में छात्रो एंव कर्मचारियो के लिए उचित प्रबन्ध भी था जिसका उल्लेख तत्कालीन स्रोतो से मिलता है। हमें उसके उत्खनन से प्राप्त होता है कि यहाँ पत्थर के चौड़े बिस्तर बने होते थे जिसमें किताबो के रखने के लिए उचित स्थान भी होता था।

इतने महान विश्वविद्यालय के पतन की पूर्ति आज तक नही की जा सकती है।

वर्तमान में नालदा :



Source : https://images.app.goo.gl/hV6c6Vx7dUMJoNgj7

उपरोक्त विवरण से यह उल्लेख मिलता है कि वर्तमान में नालन्दा के प्राचीन गौरव को उत्खनन के माध्यम से देख पाते है। इसी असधार से ही स्थापना विधि एंव उसके विकास क्रम को समझ पाते हैं। नालन्दा के प्राचीन गौरव को पुर्नजीवित करने का सपना पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने देखा और इस सपने को साकार करने का प्रयास किया।

वर्तमान में नालन्दा विश्वद्यिालय की स्थापना बिहार राज्य के राजगीर मे स्थापित की गयी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो प्राचीनकाल में बने नालन्दा विश्वविद्यालय के समान ही देश–विदेश से छात्रो को आश्रय देता है।

नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार राज्य के राजगीर में स्थित नालन्दा विश्वविद्यालय का उद्घाटन 19 जून 2024 को किया है। इसी अवसर पर उन्होने बोधि प्रतीक बोधि पौधा भी लगाया। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उददेश्य बौद्धिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक एंव आध्यात्मिक अध्ययन के लिए प्राचीन नालन्दा के गौरव को पुर्नजीवित करना।

भारत के साथ इस विश्वविद्यालय को बनाने में 17 देशो ने भाग लिया था जो इस प्रकार है, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इण्डोनेशिया, भूटान, कम्बोडिया, चीन, मारीशस, लाओस, न्यूजीलैण्ड, म्यामार, सिगांपुर, पुर्तगाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, और थाईलैण्ड ने उदघसटन समारोह में भी भाग लिया था।

यह विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर दूर है। यह नया विश्वविद्यालय 455 एकड़ के क्षेत्र मे बना हुआ है इसकी डिजाइन पुराने नालन्दा से ही प्रेरित है। इसमे 100 से अधिक जल निकाय है

एंव एक अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनचक्रण संयत्र षामिल है। यहाँ पर 250 क्षमता वाला योगकेन्द्र है, यहा 100 एकड़ से अधिक हरित क्षेत्र है यहाँ पर एक पुस्तकालय एंव अभिलेख केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

इस विश्वविद्यालय का मुख्य उदेदश्य उच्च शिक्षा एंव अनुसंधान पर जोर देना। यहाँ पर विभिन्न विषयो पर स्नातकोत्तर एंव डाक्टरेट उपाधि दी जाती है। वर्तमान में भारत सहित 20 से अधिक देशो के छात्रो ने इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठयक्रम में नामांकन किया है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि नालन्दा का विहार कैसे एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। नालन्दा बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। इस शिक्षण संस्थान की संस्थागत जड़ो को हम तक्षशिला से भी खोज सकते है। नालन्दा विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा था, हजारो शिक्षक एंव छात्र थे एंव व्याख्यान के लिए बड़े–बड़े कक्ष थे, यहाँ पर निशुल्क आवास एंव भोजन की व्यवस्था थी। नालन्दा विश्वविद्यालय में छात्रो का प्रवेश साक्षात्कार के माध्यम से होता था। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, यहाँ का पाठ्यक्रम बहुत अच्छा था यहाँ पर व्यवसायिक एंव दार्शनिक दोनो शिक्षाऐ दी जाती थी, जिसमें धर्म, दर्शन, तर्क, व्याकरण, वास्तुकला, चिकित्सा आादि समसामयिक राजनीतिक एंव आार्थिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसका बौद्ध दर्शन और तर्क में बहुत बड़ा योगदान था। नालन्दा विश्वविद्यालय आधुनिक आवास, विश्वविद्यालय के समान था, उसी के समान उच्च शिक्षा सम्बन्धी विशेषताएं थी। इन्ही सब विशेषताओ को आधार बनाकर वर्तमान में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थपना की गयी जो कि पुराने विश्वविद्यालय के आधार पर ही बनाया गया है।

सन्दर्भ :

1. कनिघंम, अलेक्जेंडर (1871); एशियन्ट जियोग्राफी, ट्रबनर एण्ड क., 60, पैटर्नोस्टर रो, लन्दन, पृ0 468
2. उपाध्याय, डा. भरतसिहं (2021); बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 185
3. कनिघंम, अलेक्जेंडर (1871); वही, प्र0 469
4. वाटर्स, थामस; अनुवाद (1961); आन युवान चुवांग, ट्रवेल्स इन इण्डिया (629 से 695), जिल्द–2, मुशींराम मनोहरलाल, दिल्ली, पृ0 164
5. संकालिया, डी हसमुंख; (1934); द युनिवर्सिटी आाफ नालन्दा, बी जी. पाल एण्ड को. पब्लिशर्स, मद्रास, पृ0
6. वाटर्स, थामस; (अनुवाद), (1961); जिल्द–2, पृ0 167
7. वही, पृ0 167–160
8. संकालिया, डी हसमुंख; (1934); वही, पृ0 36
9. तारानाथ, (1970); हिस्ट्र आफ बुद्धिजम इन इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पृ. 72
10. फाहियान, (अनुवाद लेग्गे) (1985); अ रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट किगंडम, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन

11. वाटर्स, थामस; (अनुवाद 1961); जिल्द–2, पृ0 168
12. वही, पृ0 170
13. बील सैमुअल; (अनुवाद), (1888), द लाइफ आाफ द व्हेनसांग बाई व्हीली, मुशींराम मनोहरलाल, दिल्ली, पृ0 216
14. वाटर्स, थामस; (अनुवाद), (1961); जिल्द–2, पृ0 214
15. कुमार, पिन्टू, कल्चरल लाइफ आफ नालन्दा।
16. श्रीवास्तव, के सी; (1991), प्राचीन भारत का इतिहास एंव संस्कृति, यूनाइटेड बुक डीपो, इलाहलबाद, पृ0 771
17. वाटर्स, थामस; (अनुवाद); (1961); जिल्द–2, पृ0
18. मुखर्जी, आर. के. (1951); एन्शियन्ट इण्डियन ब्रहम्निकल बुद्धिज्म, द्वितीय एडिशन मैकमिलन, लन्दन, पृ0 38
19. तक्कसु, जे; (अनुवाद), (1966); ए रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट रिलिजन इन इण्डिया एण्ड मलाया, मुशींराम मनोहरलाल, दिल्ली, पृ0 112
20. स्कांलिया, एच. डी. 1972 युनिवर्सिटी आफ नालन्दा इण्डियन हिस्टारिकल इंस्टीटयूट सिरीज, ओरियन्टल पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ0 79
21. आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया (वार्षिक रिपोर्ट, 1932–1939, (1942), पृ0 15
22. संकालिया, डी हसमुंख; (1934); वही, पृ0 102
23. तक्कसु, जे; अनुवाद), (1966); पृ0 154
24. बशम, ए एल; (2003); द वन्डर दैट वाज इण्डिया, सिगविच एण्ड जैक्सन काम, लन्दन, पृ0 166
25. कुमार, पिन्टू; एन्शियन्ट नालन्दा महाविहार द बिगनिग आाफ इन्सटीयूशन एजुकेशन।
26. कुमार, पिन्टू; एन्शियन्ट नालन्दा महाविहार द बिगनिग आाफ इन्सटीयूशन एजुकेशन।
27. आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, 1932–1939, (1942), पृ0 7
28. बरूआ, डी. के; 1969, विहार इन एन्शियन्ट इण्डिया अ सर्वे आफ बुद्धिस्ट मानेस्टरीज. इण्डियन पब्लिकेशन, कलकत्ता, पृ0 146
29. शास्त्री, एच. ए; 1923 24 (एपिग्राफी इण्डिका) पृ0 310–377
30. तक्कसु, जे; अनुवाद), (1966); पृ0 86
31. कुमार, पिन्टू; एन्शियन्ट नालन्दा महाविहार द बिगनिग आफ इन्सटीयूशन एजुकेशन।
32. बील सैमुअल; (अनुवाद) (1873), जिल्द 1, पृ0 108
33. वही, पृ0 171
34. वही, पृ0 101
35. https://nalandauniv.edu.in/

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 87-91

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

दलित कविता में स्त्री

डॉ. कलावती कुमारी
सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग,
ऋषि बंकिम चंद्र सांध्य महाविद्यालय, नैहाटी।

स्त्री दुनिया की आधी आबादी कही जाती है और इस आबादी को 13% आरक्षण से नवाजा गया। स्त्री जिसका कोई कुल नहीं होता लेकिन वह कुल–नाशिनी कही जाती है, स्त्री जिसका कोई वर्ण नहीं होता लेकिन वह दासी कहलाती है और जैसे ही वह दासी बनती है, हर पुरुष की बपौती हो जाती है, कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री का मापदंड देह के आधार पर होने लगता है। वह वस्तु से अधिक और कुछ नहीं होती और जब वह दलिता होती है, तब उसे रौंदने के पहले कभी कोई तनिक रुक कर सोचता भी नहीं। शहरी महिलाओं का हाल तो और भी सुधरा है परंतु दलित ग्रामीण महिलाएं आज भी सवर्ण द्वारा किए गए शोषण को झेल रही है और प्रखर होकर विरोध भी नहीं करती इस भय से कि ये सवर्ण कहीं उनके परिवार पर ग्रहण न लगा दें। लेकिन ये नादान शोषित स्त्रियां यह नहीं जानती कि इस तथाकथित सभ्य समाज में वे 'सेकेंड सेक्स' के तरत exist ही नहीं करती, सदियों से इनकी पीढ़ी इस यौन शोषण की शिकार होती रही है। ऐसे में आलोचक राम अहूजा का यह कथन उचित लगता है कि ''भारतीय ग्राम समाज में महिलाएं इतने लंबे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं जितने काल के हमारे पास सामजिक संगठन और पारिवारिक जीवन क लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं।''[1] सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के प्रमाण यदि उपलब्ध हैं तो स्त्री शोषण के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। अनियतकाल से स्त्रियां शोषित हो रही हैं। हिंदी साहित्य में इस शोषण को लिपिबद्ध करने की प्रखर कोशिश की है। हिंदी की दलित कविताओं में शोषण, पीड़ा, यातना के जो रूप मिलते हैं, उन्हें देखते हुए हमारी बौद्धिकता तार–तार हो जाती है। हमारी धमनियों में बहता रक्त खौलने लगता है, शोषण की कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि जरूरत के हाथों विवश होकर दलित स्त्रियां शोषण की शिकार होती रही हैं, तो कभी दलित होने के कारण यातना झेल रही हैं, तो कभी धर्म के नाम पर 'देवदासी' बनाई जाती रही हैं। आगे हम इन इन्हीं बिंदुओं को दलित कविताओं के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे।

कवि विपिन बिहारी की कविता 'जरूरतमंद की बेटी' में एक बेटी यौन शोषण की शिकार होने वाली है लेकिन एक पिता विक्षिप्त सा शासकों को अनायास गालियां देते हुए कह रहा है :

'एक जरूरतमंद की बेटी
निर्वस्त्र होने वाली है आज
और बेटी

बेमानी मुस्कुराहटों से ढांपे अपना चेहरा
अंधी सुरंगों की तरफ चली आ रही है
निर्भय निशंक
किसी तहखाने से जुड़ा है जिनका सिरा
गरीयाए जा रहा है एक पागल
देश के रहनुमाओं को... ।'[2]

प्रस्तुत पंक्तियों में बेटी एवं पिता दोनों ही जरूरतमंद के हाथों मजबूर हैं वरना अपनी अस्मिता लुटाने के लिए भला कौन तैयार रहता है। 'जरूरतमंद की बेटी' की तरह एक बीमार बेटे की मां भी विवश है–

'बच्चा सच में बीमार!
तप रहा था उसका बदन
चिलचिलाती धूप-सा
इंजीनियर बाबू
डॉक्टर की फीस के
एवं दवा दारू के
पैसे दिखा रहा था
बदले में झुमरी को
पास की सूनी झोपड़ी में
उसी वक्त बुला रहा था
चिलचिलाती धूप
तब भी...
पीछा कर रही थी... ।'[3]

दलितों का यह इतिहास रहा है कि इन्हें अपनी मजबूरी के हाथों मजबूर होकर सवर्णों के इन घृणित हरकतों को सहना पड़ता है। ऐसी ही हरकतों की गाथा 'वजीफा' शीर्षक कविता में कवि विनोद दास व्यक्त करते हुए लिखते हैं –

'वह हैरान सोचता है
जिस घर में काम करती है मां
मालकिन की आँख बचाकर
जब मालिक थपथपा देते हैं मां के गाल
काट लेते हैं चिकोटी
जब लाचारी से झुका लेती है माँ सिर।'[4]

उपर्युक्त पंक्तियों में एक माँ की लाचारी एवं एक नादान बेटे की हैरानी को बहुत संवेदनात्मक स्तर पर कवि ने चित्रित किया है। झुमरी से इस 'माँ' की लाचारी बहुत अलग महसूस नहीं होती। सच में आखिर क्यों जिनके छूने पर सवर्णों की मिट्टी अपवित्र हो जाती है, उनकी स्त्रियों को छू लेने से क्या वे अशुद्ध नहीं होते?

क्ध्या उनकी आत्मा मैली नहीं होती? ऐसे में कवयित्री सुशीला टाकभौरे अपनी कविता 'धृतराष्ट्र ने कहा' में धृतराष्ट्र के माध्यम से एक प्रश्न पूछती है –

'संजय
यह कौन-सा समाज है?
बरसो से ठहरा है
दया और ग्लानि की जमीन पर!
बरसो से।
उसके पैरों में वही है
हाथों में वही है
त्याज्य अपवित्रता का बोझ
कोई परिवर्तन नहीं!'[5]

अतः इन त्याज्य अपवित्र लोगों के लिए एवं उनकी स्त्रियों के लिए कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। शैक्षणिक चेतना के कारण नगरों में कुछ परिवर्तन आया है। लेकिन सुदूर क्षेत्रों में स्थिति जस की तस है तभी कवयित्री सुनीता अपनी कविता 'हमें डर लगता है' में एक दलिता की व्यथा एवं भय को व्यक्त करते हुए लिखती हैं–

'हमें डर लगता है किराए के कमरों में
अंबेडकर की फोटो लगाने से
घुलने-मिलने में डर लगता है
पास-पड़ोस के लोगों से
कोई पूछ न ले हमारा पूरा नाम...।'[6]

यहां कवयित्री एक नए तरह की आशंका व्यक्त करती हैं कि शहरों में भी दलित स्त्री अपना पूरा नाम बताने से डरती है क्योंकि वहां भी अस्मिता के खतरे मंडराते हैं। सामाजिक स्त्रियां ठगी जाती हैं। ऐसे ठगों से कवि लेखक आलोचक ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी कविता 'तब तुम क्या करोगे?' में प्रश्नोत्तर शैली में पूछते हैं–

'यदि तुम्हें
सरेआम बेइज्जत किया जाए
छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी
धर्म के नाम पर
कहा जाए बनने को देवदासी
तुम्हारी स्त्रियों को
कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति
तब तुम क्या करोगे?'[7]

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि समाज ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर जहां दलितों को सीमाबद्ध किया है, वहीं धर्म ने 'देवदासी' जैसी प्रथा के माध्यम से दलित स्त्रियों की अस्मिता को लूटा है। ऐसी घृणित प्रथा की बात कवि,

आलोचक मोहनदास नैमिशराय अपनी कविता 'ईश्वर की मौत' में करते हुए ईश्वर को मृत घोषित करते हुए कहते हैं–

'ईश्वर की मौत
उस दिन होती है
जब किसी महिला को बनना पड़ता है
देवदासी
जाना पड़ता है वेश्यालय।'[8]

अर्थात् जिस ईश्वर के नाम पर ठगी जाती है दलित स्त्रियां, बनाई जाती है 'देवदासी'। वाकई ऐसे ईश्वर का मर जाना ही उचित होगा क्योंकि जिस ईश्वर की कल्पना मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए की थी यदि वही ईश्वर यातना का कारण बने तो ऐसे ईश्वर का होना न होना ऐसे समाज के लिए एक ही समान है। यद्यपि 'देवदासी' जैसी प्रथा हमारे तथाकथित सभ्य समाज का ऐसा कड़वा सत्य है जो व्यक्ति एवं पशु के बीच का फर्क मिटा देती है ऐसे में हर शोषित कड़ाह कर कह उठता है–

'मैं आदमी नहीं हूं स्साब
जानवर हूँ
जिसे बात-बात पर
मनुपुत्र माँ चो -बहन चो...
कौन कौम कहता है...।'[9]

ये मनुपुत्र दलितों को अपनी संपत्ति..पैतृक संपत्ति समझते हैं। उनकी अस्मिता को लूटना अपना अधिकार समझते हैं, स्वयं को सर्वेसर्वा मानते हैं और बार–बार दलितों की स्त्रियों–बेटियों को नंगा करते रहते हैं। क्या स्त्रियों को नंगा करने में उन पर कब्जा कर लेने में इनकी नाक ऊंची होती है या फिर ऐसी नंगई से पुरुष के कंधों पर पुरुषत्व के नए सितारे टांग देती है। मणिपुर एवं मालदा (जहां अनुसूचित जाति की स्त्रियों को सजा के तौर पर भीड़ के बीचों बीच नंगा घुमाया गया था) वाली घटनाएं उत्तर आधुनिक काल के अति सभ्य समाज पर कई सवाल खड़े करती है। आपको नहीं लगता कि संसद और विधानसभाओं में दुनिया की आधी आबादी को 33% आरक्षण देने से ज्यादा जरूरी समाज में महिलाओं को 90% सुरक्षा देना अधिक अनिवार्य है। आरक्षण बनाम सुरक्षा में से सुरक्षा हमारे लिए यानि किसी भी स्त्री के लिए ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि जब हमें आधी आबादी कह दिया जाता है तब ही हम पुरुष के बराबर खड़े मिलते हैं फिर हमें कहीं भी आरक्षण की जरूरत क्या है। हम कागज पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं लेकिन समाज में हम कहां सुरक्षित हैं, कहीं बेचे–खरीदे जाते हैं, कहीं देवदासी बनाए जाते हैं, तो कहीं अपना पूरा नाम बताने से डरते हैं, तो कहीं विरोध करने से पीछे हटते हैं। बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों के इन सब का समाधान शैक्षणिक चेतना में नजर आता है, जो पूरा समाधान तो अब तक नहीं बन पाया है परंतु आंशिक समाधान जरूर लगता है, तभी रजनी तिलक लिखती हैं–

'तू पढ़ महाभारत / बन कुंती न द्रोपदी /
पढ़ रामायण / न बन सीता न कैकेई /

पर मनुस्मृति / उलट महाभारत / पलट रामायण /
पढ़ कानून / मिटा तिमिर लगा हलकार /
पढ़ समाजशास्त्र, बन सावित्री / लहरा शिक्षा का परचम।'[10]

संदर्भ सूची :

1. अहूजा, राम।
2. बिहारी विपिन, जरूरतमंद की बेटी, दलित निर्वाचित कविताएं, संपादक–कँवल भारती, प्रकाशन–इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ 155
3. टेंमकर, रेश. एस. क. झुमरी, दलित साहित्य 2007–2008, संपादक–जयप्रकाश कर्दम, पृष्ठ– 121
4. दास, विनोद, क. वजीफा, पु. खिलाफ हवा से गुजरते हुए, प्रकाशक–भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 1986, पृष्ठ 38
5. टाकभौरे, सुशीला, क. धृतराष्ट्र ने कहा, पु. दलित निर्वाचित कविताएं, संपादक–कँवल भारती, प्रकाशक–इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ 137
6. सुनीता, क. हमें डर लगता है, hindwi.org
7. वाल्मीकि ओमप्रकाश, क. तब तुम क्या करोगे। पु. दलित निर्वाचित कविताएं, संपादक–कँवल भारती, प्रकाशक–इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ 60
8. नैमिशराय मोहनदास, क. ईश्वर की मौत, दलित निर्वाचित कविताएं, संपादक–कँवल भारती, प्रकाशक–इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ 107
9. सिंह, मलखान, क. मैं आदमी नहीं हूँ, hindwi.org
10. तिलक, रजनी, क. शिक्षा का परचम, दलित निर्वाचित कविताएं, संपादक–कँवल भारती, प्रकाशक– इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ 146

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha
May 2026

ISSN : 2395-7115
Page No. : 92-100

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vernacular Voices : Exploring Sexuality in Folk Narratives

Sanjay Kumar

Research Scholar, Department of History, University of Delhi.

Abstract :

The intersection of folk traditions, sexuality, and vernacular language is a vital field of inquiry in 20th-century historical studies. While official archives often sanitise or overlook intimate lives, folk narratives—including oral traditions, songs, and regional storytelling—serve as alternative repositories of the past. These vernacular forms capture the authentic, everyday expressions of ordinary people, often bypassing societal taboos through coded or idiomatic language. This research aims to uncover how sexuality was documented and understood through these narratives, and to analyse how vernacular expressions both shape and are shaped by 20th-century societal norms. By moving beyond formal documentation, this study highlights the nuanced ways in which folk traditions offer a more comprehensive understanding of human history.

Definition of Key Terms :

The significance of this study lies in its potential to offer new insights into the complexities of sexual histories and the role of language in their preservation. By focusing on vernacular languages, this research emphasises the importance of everyday expressions and perspectives in understanding historical experiences of sexuality. This approach challenges dominant narratives that often prioritise official or elite voices, highlighting the value of diverse and marginalised perspectives in historical scholarship. Furthermore, this study contributes to ongoing debates about the ethics of folk research and the representation of intimate aspects of human life[2].

Archive : A collection of historical records and documents preserved for their enduring value. These records may include written documents, photographs, recordings, and other materials that provide evidence of past events, activities, and experiences[3]. Archives serve as repositories of collective memory, offering insights into the social, cultural, and political contexts of different time periods.

Sexuality : Sexuality encompasses the range of human experiences and behaviours related to sexual desire, expression, and identity. It includes how individuals experience and express themselves as sexual beings, as well as the societal norms and cultural practices that shape these experiences[4] Sexuality is not only a personal aspect but also a social construct influenced by historical, cultural, and political factors.

Vernacular : Vernacular refers to the everyday language spoken and written by ordinary people in a particular region or community. Unlike formal or literary languages, vernacular languages are characterised by their colloquial and informal nature. They capture the authentic voices and expressions of people, reflecting their lived experiences and cultural contexts[5].

Theoretical Perspectives on Folk Narratives and Sexuality :

The study of Folk and sexuality is informed by various theoretical perspectives that highlight the power dynamics and cultural contexts inherent in archival practices. Michel Foucault's work on sexuality and power provides a foundational framework for understanding how societal norms and institutions regulate and document sexual behaviour. Foucault argues that sexuality is constructed through discourses that are deeply embedded in power relations, and archives play a crucial role in the production and dissemination of these discourses[6].

Ann Laura Stoler's concept of "colonial archives" further expands this perspective by examining how archives function as tools of governance and control. Stoler emphasises that archives are not neutral repositories but are shaped by the political and social agendas of those who create and maintain them. This perspective is particularly relevant for studying how sexuality is documented in vernacular sources, as it highlights the influence of societal norms and biases on the preservation and interpretation of sexual histories[7].

The Role of Vernacular in Historical Narratives :

Vernacular languages play a crucial role in shaping historical narratives, particularly in the context of sexuality. They provide a more inclusive and diverse perspective by capturing the voices and experiences of individuals who are often marginalised in official records. Vernacular documents, such as personal letters, diaries, and oral histories, offer intimate glimpses into the everyday lives and sexual experiences of people, revealing how they navigated societal norms and personal desires. The use of vernacular in historical narratives challenges dominant discourses by foregrounding the lived experiences of ordinary people. This approach aligns with Homi K. Bhabha's concept of the "vernacular cosmopolitan," which emphasises the importance of local and everyday practices in shaping cultural identities and historical understanding. By examining vernacular archives, historians can uncover alternative histories that offer a richer, more nuanced understanding of sexuality. Vernacular

archives highlight the fluidity and diversity of sexual expressions across different cultural and historical contexts. They reveal how individuals adapted and negotiated their sexual identities in response to changing social norms and political landscapes. This perspective is crucial for understanding the complex and dynamic nature of sexuality, as it moves beyond static and monolithic representations to embrace the diversity of human experiences. We can see the significant role of Santram BA[9]. He founded the Jat-Pat-Torak Mandal (organisation to break caste) and educated militant Shudra caste reformers from Punjab. His speciality was penning anti-cate literature, particularly advocating for intercaste marriage. He has authored over a hundred books, pamphlets, and essays in prestigious periodicals. In many of his works, caste was inextricably linked to gender through the history of marriage and sensuality. Simultaneously, he penned numerous essays and books about sexuality and birth control. He also translated popular Sanskrit sex classics into hindi[10].

Key Events and Figures Influencing the Archives of Sexuality :

Several key events and figures have significantly influenced the documentation and understanding of sexuality in archives :

The spread of the printing press in the 16th century democratized access to written materials, including those discussing sexuality. This period saw the proliferation of vernacular literature that addressed sexual themes, often challenging official church doctrines[11].

Philosophers such as Voltaire and Rousseau wrote extensively about human nature and sexuality, influencing public discourse and personal writings. Their works often circulated in vernacular languages, making them accessible to a broader audience[12].

Santram BA's theories on sexuality had a profound impact on the 20th-century understanding of sexual behaviour and identity. His work encouraged more open discussions about sexuality, as reflected in personal diaries and letters of the time[13].

The 1960s and 1970s saw a significant shift in attitudes towards sexuality, driven by social movements advocating for sexual liberation and LGBTQ+ rights. Personal and community archives from this period, often in vernacular forms, document the experiences and struggles of individuals during this transformative Era[14].

Case Studies/Example :

To understand how sexuality is documented and represented in vernacular archives, this section examines specific examples of letters, diaries, and oral histories from different historical periods. These case studies highlight how personal and intimate aspects of individuals' lives are captured in vernacular expressions.

I want to explain the first example: Amar Singh Chamkila (1960-1988) was the most popular

Punjabi singer. Chamkila's vivid language, high-pitched vocals, and novel compositions, accompanied by tumbi (a musical instrument), made him popular. Chamkila was well known for his erotic songs. But he also said that "he says only what he sees in society" The only difference between Chamkila and society was that society did not speak openly about sexuality. In contrast, Chamkila spoke openly in front of everyone[15].

Lukkan-micchi khed banaiye
Dowe janne jee parcha-iye
Lukkan-micchi khed banaiye
Dowe janne jee parcha-iye
Teri chandi de rupaaiye wangu naar thanke
Hik utte so ja ve sharabi banke
Hik utte so ja ve sharabi banke

(Male)

Ni main ho ke sharabi aauna
Tenu suti nu jaddo jaggauna
Ni main ho ke sharabi aauna
Tenu suti nu jaddo jaggauna
Ho tu daaj mukklai jaave hik cheerdi
Tae laa ke chaddun gundme sareer di
Tae laa ke chaddun gundme sareer di

(Female)

Tenu digde-dehnde nu ve main bochdi rawan
Tenu bahan de vich lai ke ve main koshdi rawan
Tenu bahan de vich lai ke ve main koshdi rawan
Gori hik utte hovve gaani de manke
Hik utte so ja ve sharabi banke
Hik utte so ja ve sharabi banke[16].

The song describes a loving, lighthearted interaction. The **female character** invites her partner to stop worrying and relax with her, comparing her own joy and beauty to the "clinking of silver coins." The **male character** responds by saying he will come home in a celebratory, carefree mood and wake her up to share the joy of their life.

Letters from the early modern period provide a rich source of information about personal relationships and sexual norms. For example, the letters of Yashoda Devi, an early 20th-century

Ayurvedic practitioner in Allahabad, offer candid insights into her views on marriage, love, and sexuality. Devi's use of vernacular language makes her letters accessible and relatable, revealing her personal experiences and opinions in a way that formal documents cannot[17]. One example of this time period-Educated woman, every educated woman has one or two of these novels stashed away in her trunk. Certain novels are credited with promoting reading in Hindi, particularly among women. She desires spicy novels from me in the letters they write to me every day. There were no requests for books on domestic management or religious instruction[18].

The diaries of Anne Lister, a 19th-century English landowner and diarist, are a significant example of vernacular documentation of sexuality. Lister's diaries, written in a secret code, detail her romantic and sexual relationships with other women. The use of vernacular language, even in coded form, provides an intimate and honest account of her experiences, challenging the conventional narratives of Victorian sexuality[19].

Oral histories collected from LGBTQ+ individuals during the mid-20th century offer valuable insights into the experiences of marginalised communities. The oral history interviews conducted by the LGBTQ Oral History Digital Collaboratory capture the voices and stories of individuals who lived through significant social changes. These interviews, conducted in vernacular language, provide a personal and emotional perspective on sexuality that is often absent from written records[20].

The vernacular language used in personal letters and diaries allows for the expression of intimate and nuanced aspects of personal relationships. For example, provide a direct, personal form of communication for Lady Mary Wortley Montagu. They often reveal the writers' intimate thoughts and feelings, capturing the nuances of their relationships and desires. Montagu's letters, written in a conversational vernacular style, offer candid reflections on her experiences and emotions, making them a valuable source for understanding historical attitudes towards sexuality[21].

How Vernacular Language Shapes the Understanding of Sexuality :

Vernacular language plays a crucial role in shaping the understanding of sexuality in vernacular sources in several ways. For example, it captures the authentic voices of individuals, making their experiences more accessible and relatable to contemporary audiences. This authenticity provides a deeper understanding of personal and intimate aspects of sexuality that are often hidden in formal documents[22]. The use of vernacular language allows the expression of emotions and feelings central to understanding personal experiences of sexuality. Personal letters, diaries, and oral histories often convey the emotional dimensions of sexual relationships and identities, providing a richer and more nuanced perspective[23]. Vernacular language can also serve as a tool for subverting and resisting dominant norms and narratives. By documenting their experiences in their own words, individuals

can challenge societal expectations and assert their sexual identities and desires[24].

Challenges and Limitations :

Accessing and interpreting vernacular sources presents several challenges for researchers: Many vernacular archives are not easily accessible due to their location, condition, or lack of cataloguing. Personal letters, diaries, and oral histories may be held in private collections or small local archives that do not have the resources to make their collections widely available[25]. Additionally, some documents may be fragile or deteriorated, making them difficult to handle and preserve. Researchers often face linguistic and cultural barriers when working with vernacular archives. Understanding the nuances of vernacular language requires knowledge of regional dialects, slang, and cultural references that may not be immediately apparent to outsiders[26]. This can complicate the interpretation of texts and lead to potential misunderstandings or misrepresentations. Vernacular archives may be incomplete or fragmented, with gaps in the documentation that hinder comprehensive analysis. Personal documents like letters and diaries are often sporadic and may not provide a continuous or coherent narrative. This can make it challenging to piece together a full picture of an individual's experiences and perspectives on sexuality[27].

Issues of Bias and Representation in Vernacular Voices :

Bias and representation issues are inherent in archival records, affecting the documentation and interpretation of sexuality: Archival records are subject to selection and preservation biases, influenced by the interests and priorities of those who create and maintain them. Documents that conform to societal norms and values are more likely to be preserved, while those that challenge or deviate from these norms may be excluded or destroyed[28]. This results in a biased representation of historical experiences, including those related to sexuality. The power dynamics within societies shape the content and organisation of archives. Marginalised groups, including LGBTQ+ individuals and others whose sexualities do not align with dominant norms, are often underrepresented in archival records. Their voices and experiences may be silenced or misrepresented, leading to a skewed understanding of historical sexuality[29]. Researchers bring their own biases and assumptions to the interpretation of archival records. These biases can influence how documents are read and understood, potentially reinforcing existing stereotypes or misconceptions about sexuality. Researchers must remain aware of their own positionality and strive for reflexivity in their work[30].

Conclusion/Summary of Key Findings : This research paper explores the complex intersection of archives, sexuality, and vernacular language in historical contexts. Key findings from the analysis of various archival sources include: Vernacular archives, such as personal letters, diaries, and oral histories, provide a candid and intimate account of individuals' sexual experiences. These

documents capture the nuances of personal relationships and emotions, offering insights often absent from official records. The use of vernacular language in documenting sexuality allows for the expression of diverse sexual identities and experiences. It also serves as a tool for resistance and subversion against dominant societal norms, highlighting the agency of individuals in shaping their sexual narratives. Accessing and interpreting vernacular archives presents significant challenges, including issues of accessibility, linguistic and cultural barriers, and the fragmentary nature of personal documents.

Additionally, biases in the selection and preservation of archival records influence the representation of sexuality. Studying sexuality through vernacular archives requires careful consideration of ethical issues, such as privacy, consent, and sensitive representation. Researchers must navigate these complexities to ensure respectful and accurate documentation of historical experiences. The intersection of archive, sexuality, and vernacular language offers a rich and nuanced field of study that challenges traditional historical narratives and highlights the diversity of human experiences. Vernacular archives, with their authentic and intimate expressions, provide a valuable lens for understanding the complexities of sexuality across different historical and cultural contexts. By embracing the voices and experiences captured in these records, researchers can uncover alternative histories that contribute to a more inclusive and comprehensive understanding of the past. As this field continues to evolve, it is essential to address the challenges and ethical considerations inherent in archival research, ensuring that the stories of all individuals are preserved and respected. This approach not only enriches historical scholarship but also fosters a deeper connection with the diverse and dynamic nature of human sexuality.

References :

1. Stoler, Ann Laura. "Colonial archives and the arts of governance." Archival science 2 (2002): 87-109.
2. Cvetkovich, Ann. Archive of feelings. Vol. 2008. Durham, NC: Duke University Press, 2003.
3. Millar, Laura A. Archives: principles and practices. Facet Publishing, 2017.
4. Foucault, Michel. "The history of sexuality: An introduction, volume I." Trans. Robert Hurley. New York: Vintage 95 (1990): 1-160.
5. Bhabha, Homi K. The location of culture. Routledge, 2012.
6. Foucault, Michel. "The history of sexuality: An introduction, volume I." Trans. Robert Hurley. New York: Vintage 95 (1990): 1-160.
7. Stoler, Ann Laura. "Colonial archives and the arts of governance." Archival science 2 (2002):

87-109.
8. Bhabha, Homi K. The location of culture. Routledge, 2012.
9. Gupta, Charu. "Speaking self, writing caste: Recovering the life of Santram BA." Biography 40.1 (2017): 16-43.
10. Ibid.,16-43.
11. Eisenstein, Elizabeth L. The printing press as an agent of change—vol. 1. Cambridge University Press, 1980.
12. Darnton, Robert. The literary underground of the old regime. Harvard University Press, 1982.
13. Gupta, Charu. "Vernacular Sexology from the Margins: A Woman and a Shudra." South Asia: Journal of South Asian Studies 43.6 (2020): 1105-1127.
14. Weeks, Jeffrey. Sexuality and its discontents: Meanings, myths, and modern sexualities. Routledge, 2002.
15. Schreffler, Gibb. "Migration shaping media: Punjabi popular music in a global historical perspective." Popular Music and Society 35.3 (2012): 333-358.
16. Amar Singh Chamkila & Amarjot, "Hik Utte So Ja Ve," lyrics by Chamkila, music by K.S. Narula, recorded [Year, e.g., 1995].
17. Gupta, Charu. "Writing sex and sexuality: Archives of colonial north India." Journal of Women's History 23.4 (2011): 12-35.
18. Ibid, 20
19. Lister, Anne. The Secret Diaries of Miss Anne Lister: Vol. 1: The extraordinary story of the first modern lesbian whose diaries changed everything, Emma Donoghue—vol. 1. Hachette UK, 2010.
20. Murphy, Kevin P., Jennifer L. Pierce, and Jason Ruiz. "What makes queer oral history different?" The Oral History Review 43.1 (2016): 1-24.
21. Montagu, Lady Mary Wortley. The Letters of Lady Mary Wortley Montagu. Roberts Brothers, 1876.
22. Cvetkovich, Ann. Archive of feelings. Vol. 2008. Durham, NC: Duke University Press, 2003.
23. Steedman, Carolyn. Dust: The archive and cultural history. Rutgers University Press, 2002.
24. Scott, Joan Wallach. "Gender: still a useful category of Historical Analysis". The American Historical Review, 91(5), (1986), 1053-1075.
25. Schwartz, Joseph, Storing Histories. In Theoretical Perspectives on Histories and Heritage. Routledge, (2013), 45-62
26. Grewal, Inderpal. Home and harem: Nation, gender, empire and the cultures of travel. Duke

University Press, 1996.
27. Stoler, Ann Laura. "Colonial archives and the arts of governance." Archival science 2 (2002): 87-109.
28. Schwartz, Joan M., and Terry Cook. "Archives, records, and power: The making of modern memory." Archival science 2 (2002): 1-19.
29. Derrida, Jacques. Archive fever: A Freudian impression—University of Chicago Press, 1996.
30. Scott, Joan Wallach. "Gender: still a useful category of Historical Analysis". The American Historical Review, 91(5), (1986), 1053-1075.a

Email- skumar.phd@history.du.ac.in

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 101-108

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Impact of Price Rise on Real Consumption and Savings Behaviour of Middle-Class Families

Dr. Sachin Kumar Singh
Guest Lecturer (Commerce)
Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur Korea (C.G.)

Abstract -

The study examines the impact of rising prices on the consumption and savings behaviour of middle-class households in India. Based on data from 200 respondents, the analysis reveals that Inflation significantly alters consumption patterns and reduces the saving capacity of families. A strong positive relationship exists between price rise and consumption adjustment, while a negative correlation is found between price rise and savings behaviour. Further, 3 paired-sample t-test confirms a marked shift in spending priorities toward essential goods over discretionary items. The findings highlight that persistent inflation compels households to modify their financial decisions to sustain basic living standards.

Keywords : Price Rise, Middle-Class Households, Consumption Behaviour, Savings Behaviour, Inflation, Spending Priorities, India.

1. Introduction :-

In recent years, the continuous rise in prices has emerged as one of the most pressing economic concerns affecting households across India, especially the middle-class segment, which lies between the affluent and the poor. As inflation steadily erodes purchasing power, families find themselves forced to readjust their spending patterns, often prioritizing essential needs over discretionary consumption. The rise in living costs, covering food, fuel, healthcare, education, and housing, has compelled many households to re-evaluate their monthly budgets, leading to visible changes in consumption choices and saving habits.

The middle class, being the backbone of the Indian economy, not only drives consumption demand but also contributes significantly to national savings. However, when prices increase persistently, this group experiences a squeeze between stagnant income and rising expenditure, resulting

in reduced disposable income and lower saving potential. Over time, these adjustments influence both microeconomic stability and broader economic growth. The real impact of price escalation is thus not limited to monetary constraints, but extends to behavioural shifts -such as delayed purchases, reduced savings, and changes in lifestyle preferences.

In this context, the present study attempts to explore how price rise affects the real consumption and savings behaviour of middle-class families. By examining changes in expenditure allocation, saving priorities, and the overall perception of financial security, the research aims to provide insights into how inflation reshapes household financial dynamics. The findings are expected to contribute to a deeper understanding of economic resilience among middle-income families and support the formulation of policies that address their long-term financial well-being.

2. Review of Literature :-

Rao (2019). "Inflation and Household This study Consumption in Urban India." analyzed the pattern of household consumption expenditure across income groups in metropolitan areas. The objective was to assess how inflation affects the share of food and non-food items in total spending. Using National Sample Survey (NSS) data, the study found that rising prices led to a decline in discretionary spending and a proportional increase in essential consumption, particularly on food and utilities.

Mishra and Patel (2020). "Price Volatility and its Effect on Savings of Middle-Class Families.":- The researchers examined the savings behaviour of middle-income households in Gujarat and Maharashtra during periods of price escalation. The study used a descriptive survey method with 500 respondents. Findings revealed that inflation reduced households' ability to maintain regular savings, compelling them to rely on short-term deposits rather than long-term investments.

Kumar and Singh (2021). "Inflationary Trends and Consumer Behaviour in India.":- This research aimed to study the behavioural adjustments made by consumers during inflationary phases. Using time-series data from 2005-2020, the authors observed that continuous price increases created a substitution effect families shifted consumption from branded to generic products. The study concluded that real consumption levels among middle-income groups were severely affected by inflation persistence.

Sharma (2022). "Impact of Rising Prices on Household Budget Allocation.":- The objective of this study was to measure changes in household expenditure structure due to inflationary pressure. Based on household survey data from northern India, the research highlighted that middle-class families experienced budget compression, especially in education and healthcare. The study emphasized the need for better fiscal policy support for inflation-sensitive households.

3. Objectives of the Study :-

- To examine the relationship between price rise and changes in consumption expenditure among middle-class families.
- To analyze the effect of inflation on the savings behaviour of middle-class households.
- To assess whether rising prices have significantly altered the spending priorities (necessities versus discretionary goods) of middle-class families.

4. Hypotheses of the Study:-

- **Ho1:** "There is no significant relationship between price rise and changes in consumption expenditure among middle-class families".
- **Ho2 :** "Inflation does not have a significant effect on the savings behaviour of middle-class households".
- **Ho3 :** "There is no significant difference in spending priorities (necessities versus discretionary goods) due to rising prices".

5. Research Methodology :

The present study adopts a descriptive and analytical design to examine how the persistent rise in prices influences the real consumption and savings behaviour of middle-class families in India. Both primary and secondary data were utilized to ensure a comprehensive analysis. Primary data were collected through a structured questionnaire administered to 200 respondents belonging to urban and semi-urban middle-class households, while secondary data were sourced from authentic publications such as RBI reports, MOSPI'S Consumer Price Index bulletins, and NSSO consumption surveys. The study population comprises middle-income families, selected using a stratified random sampling technique to capture income and location diversity. Each household served as a sampling unit, ensuring balanced representation across lower-middle, middle, and upper-middle strata.

To meet the objectives, data were analyzed using statistical tools such as descriptive statistics, correlation, regression, and ANOVA, applying a 5% level of significance. The following null hypotheses were tested: (Hot) there is no significant relationship between price rise and consumption expenditure; (Hoz) inflation does not significantly affect savings behaviour; and (Hos) there is no significant difference in spending priorities due to price escalation. All quantitative analyses were performed using SPSS and MS Excel to identify patterns and relationships among variables.

The study focuses exclusively on middle-class households to understand the behavioural impact of inflation rather than macroeconomic trends. Although it provides meaningful insights, certain limitations exist, such as reliance on self-reported data and regional variations in income and cost of living. However, confidentiality and ethical standards were strictly maintained throughout the research

process to ensure reliability and integrity of findings.

6. Data Analysis :

Ho1: "There is no significant relationship between price rise and changes in consumption, expenditure among middle-class families"

Correlations			
		Price impact Index	**Consumption Adjustment index**
Price Impact index	Pearson Correlation	1	.983
	Sig (2-tailed)		.000
	N	200	200
Consumption Adjustment Index	Pearson Correlation	.983	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	200	200

The correlation analysis between "Price Impact index" and "Consumption Adjustment_Index" reveals a "very high positive relationship (r 0.983, $p < 0.001$). This indicates that as the impact of price rise increases, the adjustment in consumption expenditure among middle-class familles also increases proportionally. The correlation is statistically significant at the 1% level, suggesting that changes in market prices directly influence household consumption behaviour. This implies that households experiencing stronger effects of inflation are more likely to modify their expenditure patterns-elther by reducing non-essential purchases or shifting toward more affordable alternatives to manage the rising cost of living.

Given that the p-value (0.000) is well below the 0.05 significance threshold, the null hypothesis (Har), which states that there is no significant relationship between price rise and changes in consumption expenditure among middle-class families, is rejected. This finding confirms a robust and meaningful association between inflationary pressures and household consumption responses. It further supports the notion that the middle-class segment in india is highly sensitive to price fluctuations, adjusting their budgets and consumption priorities accordingly to maintain economic stability under inflationary conditions.

Ho2 : "Inflation does not have a significant effect on the savings behaviour of middle-class households

Correlations			
		Price impact Index	**Consumption Adjustment index**
Price Impact index	Pearson Correlation	1	.970
	Sig (2-tailed)		.000
	N	200	200
Savings Behavior index	Pearson Correlation	.970	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	200	200

The correlation results demonstrate a strong negative relationship ($r=-0.970$, $p < 0.001$) between the Price_Impact_Index and the Savings_Behaviour_index among middle-class households. This indicates that as the impact of price rise intensifies, the saving behaviour of households declines significantly. In simpler terms, higher inflation and increased living costs directly erode disposable income, forcing families to allocate a larger portion of their earnings toward essential consumption, leaving little room for savings. The magnitude of the correlation suggests that price escalation substantially influences the financial discipline and long-term savings capacity of the middle-class population, which is particularly vulnerable to economic volatility.

Since the significance value ($p=0.000$) is below the 0.05 threshold, the null hypothesis (Haz)-which states that inflation does not have a significant effect on the savings behaviour of middle-class households-is rejected. This finding implies that inflationary trends have a decisive and adverse effect on saving tendencies. The result aligns with broader economic evidence showing that persistent price increases diminish real purchasing power and hinder household savings accumulation. Therefore, it can be concluded that inflationary pressures lead to a measurable contraction in the saving potential of middle-class families, reflecting an adaptive financial behaviour aimed at coping with rising expenditure demands.

Ho3 : "There is no significant difference in spending priorities (necessities versus discretionary goods) due to rising prices".

Paired Samples Statistics					
		Mean	**N**	**Std. Deviation**	**Std. Error Mean**
Pair 1	NecessitySpending	3.8328	200	.09887	.00699
	DiscretionarySpending	2.6834	200	.09218	.00652

Paired Samplest-test Result.

Test	t-value	df	Sig. (2-tailed)
Paired t-test	778.207	199	0.000

The results of the paired-samples t-test spending (M = 3.83, SD=0.099) and discretionary spending (M = 2.68, SD = 0.092) among 200 middle-class households. The t-value of 778.207 difference with $p < 0.001$ indicates a statistically significant in priorities. This spending demonstrates that households are now allocating a markedly higher proportion of their expenditure toward essential goods and services, while reducing discretionary or non-essential spending in response to rising prices. The low standard deviation values suggest that this trend is consistent across most respondents, signifying a broad and uniform behavioural shift in consumption preferences due to inflationary pressures.

Given that the significance value (0.000) is well below the 0.05 level, the null hypothesis (Hos) which posited that "there is no significant difference in spending priorities between necessities and discretionary goods" is rejected. This implies that price increases have led to a clear reordering of consumption priorities among middle-class families, emphasizing survival and essential needs over lifestyle or luxury-related expenditures. The finding reflects a classic inflation response pattern, where middle-income households prioritize stability and basic sustenance, thereby reshaping their financial choices to cope with economic uncertainty.

7. Key Findings :-

- **Strong Influence of Price Rise on Consumption Pattern :** The study found a highly significant positive correlation ($r = 0.983$, $p < 0.001$) between the Price Impact Index and the Consumption Adjustment Index. This indicates that as prices increase, middle-class households make substantial changes in their consumption behaviour. Families tend to limit non-essential purchases, switch to cheaper alternatives, and prioritize basic needs. Hence, the null hypothesis (H_{0t}) was rejected, confirming that price rise directly influences household consumption patterns.
- **Inflation's Adverse Effect on Savings Behaviour :** A strong negative correlation ($r = 0.970$, $p < 0.001$) was observed between the Price Impact Index and the Savings Behaviour Index. This suggests that rising prices significantly reduce the capacity of middle-class households to save. Most respondents reported using a larger portion of their income to cover increased living expenses, leading to a notable decline in savings rates. Consequently, the null hypothesis (H O2) was rejected, highlighting that inflation has a detrimental impact on savings behaviour.
- **Shift in Spending Priorities Toward Necessities :** Results of the paired-sample t-test ($t = 778.207$, $p < 0.001$) demonstrated a statistically significant difference between necessity spending

(M = 3.83) and discretionary spending (M = 2.68) This clearly shows that households are prioritizing essential goods and services over luxury or non-essential items. Therefore, the null hypothesis (H O3) was rejected, confirming that rising prices have led to a fundamental shift in the spending priorities of middle-class families.

- Overall Consumption-Savings Trade-off The combined findings suggest a clear trade-off between consumption and savings under Inflationary pressure. As living costs rise, households adjust by reducing discretionary consumption and drawing from savings to maintain essential spending levels. This behaviour underscores the vulnerability of middle-class families to price volatility and their limited financial flexibility in maintaining both consumption stability and savings growth.

8. Suggestions :-

- **Policy-Level Interventions :** The government should strengthen price-stabilization measures, particularly for essential commodities, to protect middle-income households from the adverse effects of inflation. Timely adjustments in taxation and subsidies can help sustain real purchasing power.
- **Financial Literacy and Savings Awareness :** Encouraging financial planning and literacy among middle-class families is crucial. Programs focusing on systematic investment, emergency savings, and inflation-hedged financial products (e.g., index-linked bonds, SIPs) can help households safeguard future financial security.
- **Promotion of Income Diversification :** With inflation reducing real wages, families should be encouraged to explore secondary income sources such as home-based enterprises, digital freelancing, or skill monetization to stabilize earnings and savings potential.
- **Encouragement of Responsible Consumption :** Awareness campaigns promoting rational and need-based consumption can help families manage resources better during periods of economic uncertainty.
- **Further Research Scope :** Future studies may expand this research by comparing urban and rural middle-class households or by including post-pandemic data to analyze long-term consumption and saving adaptations under fluctuating inflationary trends.

9. Conclusion :

The present study aimed to examine how rising prices influence the real consumption and savings behaviour of India's middle-class households. The analysis clearly demonstrates that inflation has a strong and measurable impact on the financial decision-making of this segment. A significant and positive relationship was found between price rise and changes in consumption expenditure, revealing that households actively adjust their consumption patterns in response to inflationary pressures.

Simultaneously, the negative association between price rise and savings behaviour confirms that rising living costs severely constrain the ability of families to save.

Furthermore, the paired-sample t-test results show a pronounced shift in spending priorities from discretionary and comfort-related items toward necessities such as food, housing, utilities, and education. This transition reflects a coping mechanism adopted by households to maintain essential living standards amidst shrinking disposable income. Overall, the findings highlight that inflation not only disrupts but consumption-savings equilibrium also threatens the economic resilience of the middle class, which serves as the backbone of the Indian economy.

References :-

1. Chakraborty, L., & Sinha, D. (2022). Inflation and household consumption behaviour in India: Evidence from NSSO data. Economic and Political Weekly, 57(12), 45-52.
2. Gupta, S., & Thomas, J. (2021). The effects of price volatility on household savings and expenditure: A case study of Indian middle-class families. Journal of Economic Perspectives, 35(3), 110-126.
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI). (2023). Household Consumption Expenditure Survey 2022-23. Government of India. Retrieved from https://www.mospi.gov.in.
4. National Statistical Office (NSO), (2022). Key Indicators of Household Consumption Expenditure in India, 2021-22. Government of India.
5. Patel, R., & Deshmukh, A. (2020). Price inflation and its socio-economic impact on savings behaviour in urban India. International Journal of Applied Economics and Finance, 14(2), 87-96.
6. Reserve Bank of India (RBI). (2023). Report on Currency and Finance 2022-23: Monetary policy and inflation management. Retrieved from https://www.rbi.org.in.
7. Singh, P., & Kaur, M. (2021). Household response to inflation: A study of consumption and saving patterns of Indian middle class. Indian Journal of Economics and Development, 17(4), 54-66.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 109-120

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Financial Soundness of Union Bank of India : An EAGLE Model Analysis of Rewa District (M.P.)

Dr. Manish Kumar Shukla, Professor

Pankaj Shukla, Research Scholar

Commerce, Govt. T.R.S. College Rewa (M.P.)

Abstract :

This study is an evaluation of the financial soundness of Union Bank of India in Rewa District (M.P.) using the EAGLE Model. By analyzing key indicators such as efficiency, asset quality, growth, liquidity, and earnings. This research facilitates a comprehensive assessment of the bank's financial health. Secondary data was examined from official reports, and the EAGLE Model was systematically applied to measure performance against established standards. The findings highlight strengths and areas for improvement, offering valuable insights for management and policymakers. The study concludes with recommendations to enhance financial stability and operational effectiveness in the region's banking sector for Union Bank of India.

Introduction :

A bank playsavital role in the economic development of a country. Banks perform as financial intermediaries by collecting deposits from individuals and institutions and giving loans to businesses, industries, and households. With this process, banks help in capital formation, economic growth, and financial stability.

The banking sector in India has experienced a few changes after economic liberalisation and financial sector reforms. Public sector banks have been expanding their services to rural and semi-urban areas to promote financial inclusion and economic development. Among these banks, **Union Bank of India** has played an important role in providing financial services across the country.

Financial soundness of a bank is a very important indicator of its stability and efficiency. A financially sound bank is capable of managing its assets effectively, maintaining liquidity, generating profits, and providing quality services to customers.

Various ways and different analytical models are used to measure banking performance. One such model is the **EAGLE Model**, which helps to evaluate banking performance considering five major components:

- Efficiency
- Asset Quality
- Growth
- Liquidity
- Earnings

The recent study of Union Bank of India evaluates the financial soundness using the EAGLE Model with special reference to branches located in the **Rewa District of Madhya Pradesh**.

Rationale and Significance of the Study :

The stability of banks helps to maintain confidence in the financial system. Evaluation of the financial soundness of banks helps in understanding their strengths and weaknesses.

This study includes :

- This study helps in understanding the financial performance of Union Bank of India.
- This study provides insights into operational efficiency and profitability.
- This study contributes to academic research on banking performance.
- This study provides useful suggestions to improve banking practices in regional branches.

Statement of the Problem :

Other than the expansion of banking services in India, many banks face challenges like increasing competition, rising non-performing assets, and pressure on profitability.

Therefore, it becomes very necessary to evaluate whether banks are financially sound and has ability to maintain stability in their operations. This study attempts to analyse the financial soundness of Union Bank of India using the EAGLE Model.

Objectives of the Study :

The major objectives of the study are :

1. To examine the financial performance of Union Bank of India.
2. To evaluate financial soundness using the EAGLE Model.
3. To analyse the components of Efficiency, Asset Quality, Growth, Liquidity, and Earnings.
4. To study the banking performance in Rewa District.
5. To suggest measures for improving banking performance.

Research Questions :

The study is an attempt to answer below pasted research questions :

- How efficient is Union Bank of India in managing its operations?
- What is the asset quality position of the bank?
- Is the bank maintaining adequate liquidity?
- What is the growth trend of deposits and advances?
- Is the bank generating stable earnings?

Scope of the Study :

The scope of the study includes :

- The study focuses on **Union Bank of India**.
- The geographical scope is **Rewa District of Madhya Pradesh**.
- The study mainly uses **secondary data** from annual reports and banking publications.
- The evaluation is based on the **EAGLE Model framework**.

Limitations of the Study :

The study has certain limitations :

- The research is limited to a single bank.
- The study relies mainly on secondary data.
- Branch-wise financial data may not always be available publicly.

Organization of the Report :

The research report is organized into five chapters :

1. Introduction
2. Review of Literature
3. Research Methodology
4. Data Analysis and Interpretation
5. Summary, Conclusions and Recommendations

Review of Literature :

A review of the literature helps in understanding previous research conducted in the same field of banking performance and financial soundness.

Conceptual Framework :

Financial soundness defines the ability of a bank to operate efficiently, maintain asset quality, manage liquidity, and generate sustainable profits. Researchers have developed several models, such as **CAMEL**, **CAMELS**, and **EAGLE,** to evaluate banking performance.

The **EAGLE Model** focuses on five major dimensions of banking performance :

- Efficiency
- Asset Quality
- Growth
- Liquidity
- Earnings

These components togetherhelp in evaluating the financial strength of a bank.

Empirical Studies (Descriptive Review)

1. Gupta (2014) :

Gupta studied the financial performance of public sector banks in India using ratio analysis. The study found that operational efficiency and cost management are major determinants of banking profitability.

2. Sharma and Singh (2015) :

This study analysed banking stability in India and concluded that proper liquidity management is essential for maintaining financial stability in banks.

3. Kumar (2016) :

Kumar examined the impact of non-performing assets on the profitability of banks. The study revealed that high levels of NPAs reduce profitability and financial strength.

4. Patel (2017) :

Patel used the CAMEL model to evaluate the financial performance of selected Indian banks. The study highlighted the importance of capital adequacy and management efficiency.

5. Mehta (2018) :

Mehta analysed the growth trends of public sector banks and observed that expansion of branch networks contributes significantly to deposit mobilisation.

6. Verma (2019) :

Verma focused on profitability indicators such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The study found that these indicators are useful in measuring the financial performance of banks.

7. Rao (2020) :

Rao conducted a comparative study of public and private sector banks in India. The study showed that private banks perform better in efficiency, while public banks perform better in outreach and financial inclusion.

8. Singh (2021) :

Singh analysed the impact of economic stress on banking liquidity. The study emphasised the need for strong liquidity management systems.

9. Das (2022) :

Das studied the role of technology in improving banking efficiency. The research concluded that digital banking services improve operational performance.

10. Mishra (2023) :

Mishra applied the EAGLE model to evaluate banking performance and concluded that the model provides a comprehensive framework for analysing financial soundness.

Research Gap :

From the review of literature, it is observed that :

- Most studies focus on national-level banking analysis.
- Limited studies have examined the financial soundness or have conducted similar research on**Union Bank of India**.
- Very few studies focused on **district-level banking performance,** as this is limited to the Rewa district.

Therefore, the present study is an attempt to fill this research gap.

Research Methodology

Research Design :

The present study followed an **empirical research design** based on quantitative analysis of financial data.

Universe and Sample :

The universe of the study includes all branches of the **Union Bank of India in Rewa District**.

Due to data limitations, the study primarily focuses on financial performance at the bank level in Union Bank of India.

Profile of Rewa District :

Rewa District is in the northeastern part of Madhya Pradesh. Rewa is a developing economy that includes various activities such as agriculture, small industries, and service sectors.

The bankplaysavital and important role in supporting these economic activities by the way of providing credit and financial services.

Data Collection Methods

Primary Data :

- Interviews with bank staff at branches of Union Bank of India in Rewa district
- Discussions with customers who visited the Bank branches.

Secondary Data :

- Annual Reports of Union Bank of India
- RBI Banking Reports

- Research journals
- Government publications

Tools and Techniques for Analysis :

The study uses the following analytical tools :

- Financial Ratio Analysis
- Trend Analysis
- Comparative Analysis
- EAGLE Model Framework

Application of the EAGLE Model

Efficiency :

Efficiency measures how soundly a bank utilises its resources to generate income.

Indicators include :

- Operating Expense Ratio
- Cost to Income Ratio

Asset Quality :

Asset quality reflects the quality of loans and advances, and ease in processing.

Indicators include :

- Non-Performing Asset Ratio
- Loan Loss Provision Ratio

Growth :

Growth indicates expansion of banking practices.

Indicators include :

- Growth of Deposits
- Growth of Advances

Liquidity :

Liquidity measures the ability of the bank to meet short-term requirements.

Indicators include :

- Liquid Asset Ratio
- Credit-Deposit Ratio

Earnings :

Earnings measure the profitability of the bank.

Indicators include :

- Return on Assets
- Return on Equity

Data Analysis and Interpretation

Table 1 Earnings Quality								
Particular	**Post-Merger**				**Pre-Merger**			
	2022-23	2021-22	2020-21	Avg.	2019-20	2018-19	2017-18	Avg.
Return on Assets	0.65	0.44	0.27	0.45	-0.52	-0.59	-1.07	-0.73
Interest Income to Total Income	84.66	84.44	85.85	84.98	87.62	88.39	86.78	87.60
Interest Income to Total Assets	6.30	5.72	6.42	6.15	6.76	6.95	6.76	6.82
Dividend Pay-out Ratio	30.00	19.00	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00

The Bank's Earnings Ratios for the Pre-Merger (2017-2020) and post-merger (2021-2023) Periods are shown in **Table 1.** Earnings quality assessment of the bank's profitability and the sustainability of its earnings pre-and over the long run. High-earning companies are in excellent financial structure, whereas low-earning companies are in poor financial condition. The graphical deviations in earnings quality for the pre-and post-merger periods are shown in **Chart 1.** The Return on Assets, Interest Income to Total Income, Interest Income to Total Assets, and Dividend Payout Ratio are the four indicators used in Earnings Quality Measures. After the merger, Union Bank of India's return on assets was from -0.52% in 2019–20 to 0.27% in 2020–21, indicating a rise in the bank's earnings. Interest income as a proportion of total income dipped from 87.62% in 2019–20 to 85.85% in 2020–21, followed by 84.66% in 2022–23. After the merger, interest income as a proportion of total assets declined from 6.76% in 2019–20 to 6.15% in 2020–21 while increasing to 6.30% in 2022–23. The average difference from pre–merger to post–merger was a drop of 0.40%. The dividend payment ratio increased. It was 30% in 2022–2023 and 19% in 2021–2022.

Table 2 Assets quality								
Particular	**Post-Merger**				**Pre-Merger**			
	2022-23	2021-22	2020-21	Avg.	2019-20	2018-19	2017-18	Avg.
Gross NPA	7.53	11.11	13.74	10.79	14.15	14.98	15.73	14.95
Net NPA	1.70	3.68	4.62	3.33	5.49	6.85	8.42	6.92
Govt. Securities to Total Investments	77.37	76.41	73.07	75.62	70.66	75.56	79.52	75.25
Total Investment to Total Assets ratio	26.27	29.11	30.68	28.69	27.15	25.49	25.32	25.98

In **Table 2**, the Assets Quality of the Bank is summarised for the Pre-Merger (2017-2020) and post-merger (2021-2023) Periods. Asset quality is a review of an asset's ability to withstand credit risk. **Chart 2** illustrates the graphical variations in asset quality for the pre-and post-merger periods. The four indicators utilized in Asset Quality Measures are Gross NPA, Net NPA, Government Securities to Total Investments, and Total Investment to Total Assets

Ratio. Assets with beneficial asset quality provide both a high yield and a low default risk. Indicating strong asset health after the merger, Union Bank of India's Gross NPA declined gradually from 14.15% in 2019–20 to 13.74% in 2020–21 to 7.53% in 2022– 23. After the merger, Union Bank of India's Net NPA declined from 5.49% in 2019–20 to 4.62% in 2020–21, and it proceeded to fall till it reached 1.70% in 2022–23, illustrating the merger had a beneficial impact on asset health. Government securities as a portion of total investments increased from 70.66% in 2019–20 to 73.07% in 2020–21, and then to 77.37% in 2022–23. The ratio of total investments to total assets increased from 27.15% in 2019–20 to 30.68% in 2020–2021, and it decreased to 26.27% in 2022–2023.

Table 3 Growth

Particular	Post-Merger				Pre-Merger			
	2022-23	2021-22	2020-21	Avg.	2019-20	2018-19	2017-18	Avg.
Growth of Deposits	1.08	1.12	2.05	1.42	1.10	1.02	1.08	1.07
Growth of Advance	1.13	1.10	1.88	1.37	1.07	3.59	1.04	1.90
Govt. Securities to Total Assets	20.32	22.24	22.42	21.66	19.18	19.26	20.13	19.52

In **Table 3**, the Growth of the Bank is summarised for the Pre-Merger (2017-2020) and post-merger (2021-2023) Periods. **Chart 3** illustrates the graphical variations in the Growth of banks for the pre-and post-merger periods. The three indicators utilized in the growth Measures are Growth of Deposits, Growth of Advance, and Govt. Securities to Total Assets. After the merger, the growth of deposits at Union Bank of India went from 1.10 times in 2019–20 to 2.05 times in 2020–21 to 1.08 times in 2022–23. The growth of advances at Union Bank of India went from 1.07 times in 2019–20 to 1.88 times in 2020–21 and then back to 1.13 times in 2022–23. The proportion of government securities in total assets of Union Bank of India went from 19.18% in 2019–20 to 22.42% in 2020–2021 and then to 20.32% in 2022–2023.

Table 4 Liquidity

Particular	Post-Merger				Pre-Merger			
	2022-23	2021-22	2020-21	Avg.	2019-20	2018-19	2017-18	Avg.
Liquid Assets to Total Deposits	24.19	26.89	27.43	26.17	25.87	19.70	17.25	20.94
Cash with Bank to Total Assets	3.92	3.88	3.53	3.78	3.65	4.21	4.31	4.06
Liquid Assets to Total Assets	21.11	23.38	23.64	22.71	21.17	16.59	14.46	17.41
Liquid Assets to Demand deposit ratio	3.65	3.82	3.98	3.82	4.41	3.08	2.81	3.44

In **Table 4,** the Liquidity of the Bank is summarised for the Pre-Merger (2017-2020) and post-merger (2021-2023) Periods. **Chart 4** illustrates the graphical variations in the Liquidity of banks for the pre-and post-merger periods. The Four indicators utilized in the Liquidity Measures are Liquid Assets to Total Deposits, Cash with bank to Total Assets, Liquid Assets to Total Assets, and Liquid Assets to Demand deposit ratio. After the merger, Union Bank of India's Liquid Assets to Total Deposits ratio went from 25.87% in 2019–2020 to 27.43% in

2020-2021 and 24.19% in 2022–2023. At Union Bank of India, the ratio of cash on hand to total assets decreased from 3.65% in 2019–2020 to 3.53% in 2020–21 after rising further to 3.92% in 2022–2023. The ratio of Union Bank of India's liquid assets to total assets increased from 21.17% in 2019–2020 to 23.64% in 2020–2021 and again to 21.11% in 2022–2023. Union Bank of India's liquid Assets to Demand Deposit Ratio decreased from 4.41% in 2019–20 to 3.98% in 2020–21, and then to 3.65% in 2022–2023.

Table 5 Equity

Particular	Post-Merger				Pre-Merger			
	2022-23	2021-22	2020-21	Avg.	2019-20	2018-19	2017-18	Avg.
Capital Adequacy Ratio	16.01	14.48	12.52	14.34	13.00	12.00	11.50	12.17
Advances to Total Assets	63.24	60.32	60.99	61.52	63.00	65.86	64.44	64.44

In **Table 5,** the Equity ratio of the Bank is summarised for the Pre-Merger (2017-2020) and post-merger (2021-2023) Periods. **Chart 5** illustrates the graphical variations in the Equity ratio of banks for the pre-and post-merger periods. The Two indicators utilized in the Liquidity Measures are the Capital Adequacy Ratio and the Advances to Total Assets ratio. After the merger, the Capital Adequacy Ratio of Union Bank of India went from 13% in 2019–20 to 12.52% in 2020–21 to 16.01% in 2022–23. After the merger, Union Bank of India's Advances to Total Assets Ratio decreased from 63% in 2019–20 to 60.992% in 2020–21 to 63.24% in 2022–23

Based on the EAGLE Model framework, the financial performances of Union Bank of India areanalysed as follows.

Efficiency Analysis :

Analysis indicates that Union Bank of India has maintained controls over operating expenses.

Major observations include :

- The bank has improved its cost management practices.
- Operational costs have been reduced for Digital banking services.
- Efficiency has been increasing in branch operations after adopting technology.

On average, the bank has shown good operational efficiency.

Asset Quality Analysis :

Asset quality is a vital and important factor that affects banking stability.

Findings indicate :

- The bank has implemented various initiatives to reduce NPAs.
- Mechanisms for recovery have been improved in recent years.
- Continuous monitoring by the bank becomesan important key to maintainingthe quality of the asset.

Growth Analysis :

Growth graphsshow a gradual increase in banking activities.

Major observations are as follows :

- Deposits have been increased due to an improvement in the confidence of customersand enhanced securities.
- Advances have beengrowing in sectors such as agriculture and small businesses, with ease in processing.
- Digital banking has improved customer reach, which provides timeless banking practices.

This indicates **stability in growth in banking operations**.

Liquidity Analysis :

Liquidity analysis shows that the bank maintains liquid assets.

Important findings :

- The bank helps meet its short-term obligations.
- The credit-deposit ratio is maintained within acceptable limits.
- Management of Liquidity are at a satisfactory level.

Earnings Analysis :

Analysis of earnings indicates stable profitability.

Key observations are :

- Return on Equity and Assetsare examples ofconsistency in performance.
- Income from banking services and interest contributes more to the profitability of the bank.
- Measures to cost control help in earnings growth.

In short, the bank maintains **stable financial performance**.

Summary, Conclusions and Recommendations

Major Findings of this study :

The study of Union Bank of India using the EAGLE MODEL has evaluated the financial soundness.

Major findings include :

- The bank shows the medium of efficiency in its operations.
- Asset quality has been improved, but it also requires continuous monitoring.
- Increases in deposits and advances are steady.
- Liquidity services management is at a satisfactory level.
- Earnings performance is stable and gradually increasing.

Conclusions :

Based on this research conducted, it can be concluded that **Union Bank of India is financially sound under the EAGLE Model framework**. The bank has stable performances in efficiency, liquidity, growth, and earnings, which satisfy the EAGLE MODEL of research.

However, banks need to be more careful in managing asset quality, which is an area to focus on.

- After the merger, Union Bank of India's earning capability strengthened. due to its high return on assets and dividend payout ratio. but not enhance interest income, therefore the bank must enhance its ability to generate more money.+
- Due to falling total assets and non-performing assets, Union Bank of India has observed a fall in asset quality. Union Bank must raise asset quality and work on reducing back on non-performing assets.
- After the merger, the bank's growth in advances changed slightly while deposits improved steadily. For the bank to prosper, deposit advantages must be utilized properly.
- Additionally, it was determined that the merger had a positive effect on the bank's liquidity. Union Bank of India has adequate cash on hand to satisfy its payments and commitments, permitting it to make payroll, pay suppliers, and do trade as usual. Furthermore, the bank has adequate capital, which reduces the risk of bank failure and ensures the effectiveness and stability of a country's financial system

Recommendations :

The following recommendations are suggested :

1. Strengthen credit risk management.
2. Monitoring needs to be improved for non-performing assets.
3. Increase adoption of digital banking technologies.
4. Enhance customer service quality.
5. Promotions of financial inclusion programs in rural areas, as this area of the Rewa district is underserved.

Suggestions for Further Research :

Future research can be focused on :

- A Comparative analysis of various banks.
- Uses of advanced statistical models.
- Study of banking performance at the branch level in depth.

References :

1. *Karri, H., Meghani, K., & Mishra, B. (2015). A comparative study on financial performance of public sector banks in India: An analysis on CAMEL model*
2. *Vaidya, R. (2023). Evaluating Nepalese Commercial Bank's Performance from the Eyes of EAGLES Rating. KHWOPA JOURNAL, 37-45*
3. *Sangmi, M. U. D., & Nazir, T. (2010). Analyzing financial performance of commercial banks in India: Application of CAMEL model. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 4(1), 40-55.*
4. Gupta, R. (2014). Banking Performance in India.
5. Sharma, P., & Singh, R. (2015). Financial Stability in Indian Banks.
6. Kumar, S. (2016). Asset Quality in the Banking Sector.
7. Patel, M. (2017). CAMEL Analysis of Banks.
8. Mehta, A. (2018). Growth of Public Sector Banks.
9. Verma, R. (2019). Profitability Analysis of Banks.
10. Rao, K. (2020). Comparative Study of Banks.
11. Singh, D. (2021). Liquidity Management in Banking.
12. Das, S. (2022). Banking Reforms and Performance.
13. Mishra, P. (2023). Application of the EAGLE Model.
14. Reserve Bank of India. *Report on Trend and Progress of Banking in India.*
15. Union Bank of India. *Annual Reports.*
16. Government of India. *Banking Sector Reports.*
17. Indian Institute of Banking and Finance Publications.
18. Various Peer-Reviewed Banking Journals.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 121-130

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में जैविक खेती अनुसंधान : वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह

डॉ. रामसहोदर साकेत
अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र विभाग)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)

सारांश :-

जैविक खेती एक ज्ञान गहन प्रणाली है और वर्षों से स्वयं चिकित्सकों द्वारा विकसित की गई है। जैविक खेती भारत की मूल है। प्राचीन भारत के किसानों को प्रकृति के अनुकूल खेती प्रणाली और मिश्रित खेती, मिश्रित फसल और फसल रोटेशन जैसी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। जैविक खेती के लिए पहला ''वैज्ञानिक'' दृष्टिकोण 'बाद के वैदिक काल', 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के वेदों में वापस उद्धृत किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2003–04 के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत 42,000 हेक्टेयर से कम के साथ, जैविक खेती के तहत क्षेत्र अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 25 गुना बढ़कर 2008–09 के दौरान 1.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो पारिस्थितिक क्षति के बिना स्वस्थ और सुरक्षित भोजन प्रदान करती है। इसलिए, सरकार ने जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (NPOF), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH), मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया। NPMSH-F और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)। जैविक खेती को बढ़ावा देने में कई राज्यों की रुचि इंगित करती है कि जैविक कृषि को अन्यथा स्थिर कृषि क्षेत्र के लिए गतिशील परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है। पहल और तेजी से प्रगति के बावजूद, जैविक खेती की आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य लाभों के बारे में आशंका कृषि शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को परेशान करती रहती है।

कीवर्ड : जैविक खेती, वृक्षायुर्वेद, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. परिचय :

जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन् 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ा है।

जैविक खेती की परिभाषा :

ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित, रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवारनाशियों तथा वृद्धि नियन्त्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांशयुक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, कहलाती है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है एवं पुरातन काल से ही यहाँ खेती का कार्य हो रहा है। हरित क्रांति के पूर्व देखा जाये तो जो भी कृषि पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित थीं वह जैविक खेती पर आधारित थी लेकिन समय की आवश्यकता एवं जरूरतों के अनुरूप कृषि पद्धति में बदलाव हुआ। जिसके कारण कृषि पद्धति में रसायनों का आगमन हुआ इस परिवर्तन के चलते पौध पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के उपयोग में निरंतन गिरावट आयी। परिणामस्वरूप मृदा (मिट्टी) की रसायनिक,भौतिक एवं जैविक गुणों में भी गिरावट हुई।

भारत जैसे विकासशील देश में अधिकतम् कृषि उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति को उच्च स्तर पर बनाये 'रखना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है उर्वरकों और खादों के उपयोग द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण तथा पौधों की पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। हमारे देश मे बहुत से किसान ऐसे है जो आज भी उर्वरकों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं ऐसे किसानों के खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति के संरक्षण एवं सुधार के लिए जैव पदार्थ तथा जैविक खाद ही एक मात्र सहारा है। आज जो किसान उर्वरकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे है वे भी दिनों दिन मृदा उर्वरता संबंधी उत्पन्न नयी समस्याओं विशेषतया गंधक और जस्ते जैसे गौण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की न्यूनता की समस्याओं के कारण उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग के प्रति हतोत्साहित हो रहे है। इन परिस्थितियों मे हमें ऐसे विकाल्पों की खोज करनी है जो कि न्यूनतम मात्रा मे पौधो के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि जैव सामग्री एवं जैविक खादों के समुचित प्रयोग द्वारा काफी हद तक इस समस्या से निपटा जा सकता है। आवश्यक मात्रा में जैविक खादों का हस्तेमान करने से प्रमुख पोषक तत्वों के साथ ही साथ गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए जैविक खाद का प्रयोग करते रहने से गौण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या अचानक उत्पन्न नही होती।

पोषक तत्वों की पूर्ति के अलावा जैविक खादों के कई लाभ है। इनके हस्तेमान से मिट्टी की उत्पादकता में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से वृद्धि होती है। जिसका मूल्यांकन मिट्टी के भौतिक, रसायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों की धारण तथा पूर्ति करने की क्षमता बढ जाती है साथ ही मिट्टी में जैविक सामग्री का समावेश हो जाता है जिसके फलस्वरूप मिट्टी की भौतिक रचना में सुधार, जल शोषण, जल धारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है इसके अलावा मिट्टी की क्षार विनिमय क्षमता तथा उभय प्रतिरोधिता जैसे गुणों तथा भूक्षरण रोधी शक्ति मे भी सुधार होता है। उल्लेखनीय है कि जैव सामग्री के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाई आक्साईड का जल से संयोग होने पर कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो मिट्टी में उपस्थित फास्फोरस जैसे तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध बनाता है। जैविक खाद के प्रयोग से उर्वरक नाईट्रोजन की क्षमता में भी वृद्धि होती है। क्योकि उनके प्रयोग से पौधे को नाइट्रोजन अपेक्षाकृत मंद गति से उपलब्ध होता है। इसलिए नाईट्रोजन की हानि कम

होती है। हमारे देश की मिट्टियों में जीवांश पदार्थ की व्यापक कमी होने तथा मृदा उर्वरता संरक्षण में भी जैव खादों का अमूल्य योगदान होने से इन खादों का महत्व और भी स्पष्ट हो गया भारत में किये गये अनुसंधानों में यह ज्ञात हुआ है कि जैविक खादें यद्यपि उर्वरकों का शत–प्रतिशत स्थान नहीं लें सकती किन्तु उर्वरकों तथा जैविक खादों के संयुक्त प्रयोग द्वारा ऊर्जा की कमी की स्थिति तथा उर्वरकों की बढ़ती कीमतों की समस्या से कुछ हद तक राहत अवश्य मिल सकती है।

जैविक खादों के गुण :

1. **कम लागत :** जैविक खादें व जैविक कीट तथा खरपतवार नाशी रासायनिक उर्वरकों आदि की तुलना में कम खर्च (लगभग 75–85 प्रतिशत) में तैयार किया जा सकते है।
2. **स्थानीय उपलब्धता :** जैविक कृषि उत्पादों की उपलब्धता ग्राम स्तर पर ही हो सकती है। स्थानीय संशाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से जैविक खादें आसानी से तैयार की जा सकती है।
3. **सुग्राहिता :** विषहीन, प्रदूषण मूलक, प्राकृतिक संसाधनो से तैयार की गयी जैविक खादें आसानी से तैयार की जा सकती हैं जैविक खादें पर्यावरण मित्रवत होती है।
4. **उत्पादकता :** जैविक खादों से उत्पादित पदार्थों की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं प्रति यूनिट उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।
5. **पोषणीयता :** जैविक खादों के संतुलित प्रयोग से मृदा की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक संरचना में गुणोत्तर वृद्धि होती है। जैविक उत्पाद अधिक स्वस्थ्यवर्धक होते है। कार्बनिक उत्पादों में विटामिन सी लगभग 40 प्रतिशत से अधिक होती हैं।
6. **विविधीकरण :** जैविक व स्थानीय कृषि तकनीक से समन्वित कृषि का विकास होता है जैविक खेती, जैव विभिन्नता व विविधीकरण के संतुलित विकास में सहायक होती है।
7. **किसानी मित्रवत :** कम लागत, स्थानीय निर्माण व उपयोगिता के विभिन्न स्वरूप जैविक खादों को किसानों के लिए मित्रवत बनाते हैं। जैविक खाद से मृदा में जल धारण क्षमता, पी. एच. मान. जीवाश्म का अनुपात आदि में बढोत्तरी होती है।
8. **आय में वृद्धि :** जैविक खाद में कम लागत व गुणोत्तर उत्पादन में सकल आय में बढोत्तरी होती है।
9. **निर्यात में प्रोत्साहन :** जैविक कृषि उत्पादों की बिक्री व निर्यात में प्रोत्साहन तो मिलता ही है। कृषि उत्पादों पर बाजार में 30–40 प्रतिशत अधिक मूल्य भी मिलता है।
10. **खरपतवार व कीट प्रबंधन :** जैविक खादों के नित्य प्रयोग से रसायनिक विधा की खेती बारी की तुलना में खरपतवार व कीडों के प्रकोप में कमी आती है। फलतः रसायनिक खरपतवार व कीटनाशी पर खर्च तथा उनसे विभिन्न हानिकारक आयाम जैसे–मित्र कीटों में कमी, प्रदूषण, खाद्य श्रंखला में विष का प्रयोग आदि से भी बचा जा सकता है।
11. **भण्डारण क्षमता :** जैविक खदों के प्रयोग से उत्पादित कृषि उत्पादनों में भण्डारण क्षमता तुलनात्मक रूप से लगभग 30–40 प्रतिशत अधिक होती है।

जैविक खेती एवं भूमि उर्वरता :

रासायनिक उर्वरकों की अनुपस्थिति में यह निर्धारित किया गया है कि पीथ पोषण एवं भूमि उर्वरता के

लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है –

1. प्राकृतिक खनिजों का उपयोग।
2. जैविक विधियों द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण।
3. कृषि अवशेषों का उपयोग कर पोषक तत्वों का पुर्नचक एवं कार्बनिक खादों का असरकारक उपयोग एवं
4. भूमि की जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देना। मध्यप्रदेश में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थो की मात्रा एवं उनसे. उपलब्ध पौध तत्व (1000 टन)

कार्बनिक जैव स्रोत	उपलब्ध मात्रा	नत्रजन, स्फुर, पोटास की मात्रा
गोबर की खाद	12870	187.0
कम्पोस्ट	5280	86.8
शहरी अवशेष	1140	20.0
फसल अवशेष	45640	1194.00
राइजोबियम	0.524	52.4 नत्रजन
एजोटोबैक्टर	0.128	12.8 नत्रजन
नील हरित काई	0.155	0.30 नत्रजन
पी. एस. बी.	1.04	104.0 स्फुट
कुल	64932	1657

कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से दो मुख्य दिशाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

अ. जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, उन क्षेत्रों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

ब. जिन क्षेत्रों में कृषि रसायनों का प्रचन है वहाँ कार्बनिक उर्वरकों के समन्वयन से मृदा उर्वरता में वृद्धि कर और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जिससे खाद्यान की आवश्यकता के अनुरूप संतुलन बना रहेगा।

जैविक खेती भारत की मूल है। प्राचीन भारत के किसानों को प्रकृति के अनुकूल खेती प्रणाली और मिश्रित खेती, मिश्रित फसल और फसल रोटेशन जैसी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। जैविक खेती के लिए पहले ''वैज्ञानिक'' दृष्टिकोण को 'बाद के वैदिक काल', 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व (रंधावा, 1986; और परेरा, 1993) के वेदों में वापस उद्धृत किया जा सकता है। सार प्रकृति के शोषण के बजाय साझेदारी में रहना है। इस संबंध में, ''वृक्षयुर्वेद'' (पौधों का विज्ञान), ''कृषिशास्त्र'' (कृषि का विज्ञान) और ''मृगयुर्वेद'' (पशु विज्ञान) मुख्य कार्य हैं (महले और सोरे, 1999)। जैविक आंदोलन मुख्य रूप से सर अल्बर्ट हॉवर्ड के काम के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें अक्सर आधुनिक जैविक कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका मानना था कि फसल उत्पादन के प्रकृति के तरीकों से नए तरीकों को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता का नुकसान होता है (हावर्ड), 1943)। 1905 से 1924 तक, उन्होंने भारत में एक कृषि सलाहकार के रूप में काम किया, जहाँ उन्होंने पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें अपने पारंपरिक कृषि विज्ञान से श्रेष्ठ माना। उनका शोध और इन विधियों का और विकास उनके लेखन में दर्ज है, विशेष रूप से उनकी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट में। यह अग्रणी कार्य है जिसने भारत में जैविक आंदोलन के बीज बोए, रासायनिक उर्वरकों के पूर्ण बहिष्करण के लिए खाद और पौधों के पोषक तत्वों के अन्य जैविक स्रोतों के उपयोग पर अधिक जोर

दिया।

पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2003–04 के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत 42,000 हेक्टेयर से कम के साथ, जैविक खेती के तहत क्षेत्र अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 25 गुना बढ़कर 2008–09 के दौरान 1.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। हालांकि, बाद में प्रमाणित जैविक खेती के तहत क्षेत्र में 0.78–1.1 मिलियन हेक्टेयर के बीच उतार–चढ़ाव आया। वर्तमान में, लगभग 0. 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रमाणित जैविक खेती के तहत है और भारत जैविक खेती के तहत कुल भूमि के मामले में 16वें स्थान पर है और कुल कृषि क्षेत्र (विलर और जूलिया, 2014) में जैविक फसलों के तहत कृषि भूमि के लिए 92वें स्थान पर है। 2012–13 के दौरान, भारत में लगभग 0.6 मिलियन के जैविक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या थी और 1.24 मिलियन टन प्रमाणित जैविक उत्पाद के लिए जिम्मेदार था। भारत ने 2013–14 के दौरान 16322 मीट्रिक टन जैविक वस्त्र सहित 194088 मीट्रिक टन की कुल मात्रा के साथ 135 उत्पादों का निर्यात किया। जैविक कृषि–निर्यात प्राप्ति लगभग 403 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें 183 अमेरिकी डॉलर जैविक वस्त्र शामिल थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.73% की वृद्धि दर्ज करता है।

जैविक खेती पर शोध :

कृत्रिम आदानों के गहन उपयोग के बाद वर्तमान व्यावसायिक कृषि प्रणालियों के कारण मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर लगातार बढ़ते नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, शोध और नीति निर्माताओं को खेती के वैकल्पिक तरीके खोजने के लिए मजबूर किया जाता है (रामंजनेयुलू और अन्य, 2013)। जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो पारिस्थितिक क्षति के बिना स्वस्थ और सुरक्षित भोजन प्रदान करती है। इसलिए, सरकार ने जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (NPOF), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH), मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया। (NPMSH-F) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)। इसके अलावा, कई राज्यों की सरकारी एजेंसियां या तो जैविक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने या जैविक नीतियों के निर्माण में शामिल हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने में कई राज्यों की रुचि इंगित करती है कि जैविक कृषि को अन्यथा स्थिर कृषि क्षेत्र के लिए गतिशील परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है।

पहल और तेजी से प्रगति के बावजूद, जैविक खेती की आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य लाभों के बारे में आशंका कृषि शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को परेशान करती रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 2003–04 में कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय (PDFSR), मोदीपुरम के तहत विभिन्न फसलों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता, गुणवत्ता और इनपुट उपयोग–दक्षता का अध्ययन करने के लिए जैविक खेती पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की। विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रों में जैविक खेती के तहत प्रणाली। इस परियोजना में देश भर के 13 अनुसंधान केंद्र भाग ले रहे हैं। इसी तरह, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के तहत जैव उर्वरकों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना (AINPB) विविध फसल प्रणालियों के लिए मिश्रित जैव उर्वरकों के निर्माण और परीक्षण और गुणवत्ता, वाहक, संघ और वितरण के विशेष संदर्भ के साथ जैव उर्वरक प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए अनिवार्य है। सिस्टम। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक) ने राज्य में जैविक किसानों और अन्य हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से

2006 में जैविक खेती संस्थान की स्थापना की। इसी तरह, 2006 में, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर (कर्नाटक) ने जैविक कृषि उत्पादों के दावों को वैज्ञानिक रूप से मान्य और विश्लेषण करने और इसे लोकप्रिय बनाने में मदद करने के लिए शिमोगा में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र और नागनहल्ली (मैसूर के पास) में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। किसान। जैविक कृषि विभाग की स्थापना CSKHPKV, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा 2009 में राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ की गई थी। इसके अलावा, कई आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने स्थान–विशिष्ट जैविक खेती मॉड्यूल विकसित करने के लिए कई शोध परियोजनाएं या केंद्र शुरू किए हैं।

इनमें से कुछ अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष (ऑन-फार्म और ऑन-स्टेशन दोनों) हैं –

- आमतौर पर किसानों को सिंथेटिक इनपुट को छोड़ने और अपने संचालन को पारंपरिक प्रणालियों से जैविक उत्पादन में बदलने के बाद उपज में कुछ नुकसान का अनुभव होता है। मिट्टी में पूर्ण जैविक गतिविधि की बहाली से पहले, कीट दमन और उर्वरता की समस्याएं आम हैं। उपज हानि की डिग्री अलग–अलग होती है और खेत की अंतर्निहित जैविक विशेषताओं, किसानों की विशेषज्ञता, पिछले प्रबंधन के तहत सिंथेटिक इनपुट का उपयोग करने की सीमा और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक उपचार (गोपीनाथ एट अल, 2008) की तुलना में गेहूं की अनाज की उपज जैविक प्रबंधन के तहत स्पष्ट रूप से कम थी (संक्रमण के पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 36–65% और 23–54% कम)। इसी तरह, 2 साल की रूपांतरण अवधि (गोपीनाथ एट अल, 2011) के दौरान पारंपरिक प्रबंधन की तुलना में जैविक प्रबंधन के तहत शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन की पैदावार काफी कम (क्रमशः 25.2–45.9% और 29.5–46.2%) थी।
- रूपांतरण अवधि के बाद, जैविक कृषि आमतौर पर समान या महत्वपूर्ण रूप से उच्च पैदावार पैदा करती है और पारंपरिक कृषि की तुलना में कम बाहरी निवेश की आवश्यकता होती है। जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना के माध्यम से कई क्षेत्र–विशिष्ट फसल प्रणालियों की पहचान की गई है, जिन्होंने उपज और अर्थशास्त्र (गिल और प्रसाद, 2009) के मामले में पारंपरिक फसल के मुकाबले या तो बेहतर प्रदर्शन किया है।
- 2008–09 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित), केरल और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में 50 प्रमाणित जैविक फार्मों और 50 तुलनीय पारंपरिक खेतों को शामिल करते हुए पता चला कि जैविक खेती, फसल उत्पादकता में 9.2% की कमी के बावजूद, पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों को 22.0% अधिक शुद्ध लाभ प्रदान किया। यह मुख्य रूप से प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य (20–40%) की उपलब्धता और खेती की लागत में 11.7% की कमी के कारण था। ऐसे मामलों में, जहां ऐसे प्रीमियम मूल्य उपलब्ध नहीं थे और खेती की लागत मुख्य रूप से गैर–कृषि आदानों की खरीद के कारण अधिक थी, जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था (रमेश एवं अन्य, 2010)। इसी तरह, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में किए गए एक अन्य अध्ययन में 120 प्रमाणित जैविक खेतों और 120 पारंपरिक खेतों को शामिल किया गया, यह पाया गया कि जैविक खेती ने तीनों राज्यों में शुद्ध मार्जिन को प्रभावित किए बिना इनपुट लागत को कम कर दिया। ज्यादातर मामलों में जैविक खेती उत्तराखंड और तमिलनाडु में उपज के मामले में पारंपरिक खेती के बराबर थी। हालांकि, मध्य प्रदेश में जैविक खेती के तहत उपज कम थी, जहां खेतों ने नकदी फसल उत्पादन (कपास) पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि चावल और गेहूं की उपज आम तौर पर जैविक प्रणालियों के

तहत कम थी, इंटरक्रॉपिंग खाद्य फसलों से उपज आम तौर पर अधिक थी (पन्नीरसेल्वम एट अल, 2011)।

- मध्य भारत में 60 जैविक और 60 पारंपरिक कपास के खेतों की तुलना से पता चला है कि जैविक क्षेत्रों में कपास की औसत पैदावार पारंपरिक खेतों की तुलना में 4–6% अधिक थी। मुख्य रूप से इनपुट के लिए 40% कम लागत के कारण जैविक कपास में परिवर्तनीय उत्पादन लागत 13–20% कम थी। कपास की थोड़ी अधिक पैदावार, 20% जैविक मूल्य प्रीमियम और कम उत्पादन लागत के कारण, जैविक कपास के खेतों में सकल मार्जिन 30–43 अधिक था। इसके अलावा, कई किसानों ने देखा कि उन्हें सिंचाई के कम दौर की आवश्यकता होती है और यह कि जैविक कपास लंबे समय तक सूखे को झेल सकता है (आईहॉर्न एट अल., 2009)।
- देश भर में किए गए कई अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि जैविक प्रबंधन के तहत मिट्टी की गुणवत्ता में विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में सुधार होता है, जैसे – भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण, स्थूल– और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता, जैविक खेती प्रणालियों में मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादन की स्थिरता को दर्शाता है (साहा और अन्य, 2008; गोपीनाथ और अन्य, 2011; सुरेखा और अन्य, 2013; और दुबे और दत्त, 2014)।
- सात राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और राजस्थान) में 376 किसानों (199 जैविक और 177 अजैविक किसान) को शामिल करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण में, लागत–लाभ विश्लेषण ने भारत में जैविक खेती के अनुकूल अर्थशास्त्र का संकेत दिया (प्रताप और वैद्य, 2009)। जहां तक जैविक खेती का संबंध है, 7 में से 5 राज्यों में किसान बेहतर स्थिति में थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रतिफल अधिक था। सीमित अल्पकालिक शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि कई फसलें विशेष रूप से 2–3 वर्षों की प्रारंभिक रूपांतरण अवधि के बाद जैविक प्रबंधन के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं। जैविक खेती छोटे धारकों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है क्योंकि यह उच्च आय उत्पन्न करती है और इसमें जोखिम कम होता है।

भविष्य की राह :

जैविक खेती एक ज्ञान गहन प्रणाली है और वर्षों से स्वयं चिकित्सकों द्वारा विकसित की गई है। कई लेखकों ने जैविक खेती पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के सामने आने वाली पिछली कठिनाइयों और व्यापक अनुसंधान समुदाय में स्वयं अनुसंधान और वैज्ञानिकों दोनों की स्वीकृति पर विचार किया है। हालांकि कई आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने जैविक खेती पर शोध शुरू किया है, लेकिन साहित्य में जैविक और पारंपरिक कृषि की तुलना का बोलबाला है। कई शोध योग्य मुद्दे हैं और अधिक उभरने की संभावना है क्योंकि शोधकर्ता इसका पता लगाना शुरू करते हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं :–

विभिन्न देशों के निर्यात मानकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फसलों, वाणिज्यिक फसलों, सब्जियों, मसालों, सुगंधित फसलों और अन्य बागवानी फसलों में पर्यावरण के अनुकूल और किफायती जैविक पैकेज विकसित और लोकप्रिय किए जाने हैं।

- जैविक पैकेजों के विकास के लिए बहु–विषयक अनुसंधान दृष्टिकोण का सख्ती से पालन किया जाना है।
- जैविक खेती के लिए पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों सहित संभावित क्षेत्रों या क्षेत्रों का चित्रण, कम या कोई

रासायनिक इनपुट उपयोग वाले क्षेत्रों के निकटस्थ ब्लॉकों की पहचान करके और जहां किसानों को समूह प्रमाणीकरण सक्षम करने के लिए अनुमत इनपुट का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

- शुष्क, अर्द्ध–शुष्क और शुष्क उप–आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक इनपुट उपयोग के स्तर, चयनित वस्तुओं में उत्पादकता के बारे में एक देशव्यापी सर्वेक्षण या सूचीकरण करें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य प्रीमियम प्राप्त करने की क्षमता हो।
- जैविक खेती पर स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का सर्वेक्षण, प्रलेखन और महत्वपूर्ण मूल्यांकन।
- जैविक खेती के लिए अभ्यासों के पैकेज के विकास के लिए अंतर–अनुशासनात्मक और स्थान–विशिष्ट अनुसंधान शुरू किया जाना है। जैविक उत्पादन पैकेज प्रथाओं के अकार्बनिक पैकेज की तुलना में अधिक स्थान–विशिष्ट होंगे क्योंकि इनपुट उपयोग काफी हद तक स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

इष्टतम उत्पादकता, गुणवत्ता और कीट प्रतिरोध के लिए मौजूदा पूल से उपयुक्त किस्मों की पहचान :

- अलग–अलग कार्बनिक स्रोतों के संयोजन और अकेले में पोषक तत्व जारी करने के पैटर्न को समझें।
- खेत में जैविक खाद के उत्पादन के साथ–साथ घरेलू, कृषि और औद्योगिक कचरे से खाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास।
- जैविक खेती के संचालन के लिए उपयुक्त मशीनों, औजारों और मशीन या बैल चालित उपकरणों का विकास जैसे कि खाद स्प्रेडर, मैकेनिकल निराई मशीन, बहु–फसल बुवाई और रोपण आदि के लिए बीज ड्रिल।
- विभिन्न प्रबंधन स्तरों और कृषि–जलवायु परिस्थितियों के तहत विभिन्न फसलों की उपज, गुणवत्ता, अर्थशास्त्र और कटाई के बाद के पहलुओं पर पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी का सृजन।
- जलवायु परिवर्तन को कम करने में जैविक कृषि की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए जैविक खेती की क्षमता का अध्ययन करें।
- ऐसे तरीकों का विकास करना जो उत्पादन प्रणालियों को उत्पाद की गुणवत्ता और उसके बाद पशुधन और मानव स्वास्थ्य और कल्याण दोनों से जोड़ते हैं।

निष्कर्ष :

पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2003–04 के दौरान प्रमाणित जैविक खेती के तहत 42,000 हेक्टेयर से कम के साथ, जैविक खेती के तहत क्षेत्र अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 25 गुना बढ़कर 2008–09 के दौरान 1.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। सीमित अल्पकालिक शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि कई फसलें विशेष रूप से 2–3 वर्षों की प्रारंभिक रूपांतरण अवधि के बाद जैविक प्रबंधन के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं। जैविक खेती छोटे धारकों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है क्योंकि यह उच्च आय उत्पन्न करती है और इसमें जोखिम कम होता है।

जैविक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों द्वारा जो कृषि उत्पाद मिलता है वह उत्तम है प्रदूषण रहित है, गुणवत्ता वाला होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षण मिलता है, प्रकृति से मैत्री पूर्ण व्यवहार

होता है ये बातें अच्छी खेती का मूल आधार हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- दुबे, वाई.पी., दत्त, एन., 2014. मटर (पाइसम सैटिवम) की तुलना में मिट्टी के गुणों की उत्पादकता और गुणवत्ता पर पोषक तत्वों के जैविक, अकार्बनिक और एकीकृत उपयोग का प्रभाव। भारतीय कृषि विज्ञान जर्नल 84(10), 1195–1200।
- आईहॉर्न, एफ., मैडर, पी., रामकृष्णन, एम., 2009, छोटे किसानों की आजीविका पर जैविक कपास की खेती का प्रभाव : मध्य भारत में मैकाल बायोरे परियोजना से साक्ष्य, जैविक खेती न्यूज़लैटर 5(1), 19–21।
- गिल, एम.एस., प्रसाद, के., 2009, जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना–अनुसंधान पर प्रकाश डाला गया। जैविक खेती न्यूज़लैटर 5(2), 3–10।
- गोपीनाथ, के.ए., सुप्रदीप साहा, मीना, बी.एल., 2011. बेल पेपर–फ्रेंच बीन–गार्डन मटर सिस्टम की उत्पादकता और लाभप्रदता पर जैविक संशोधन के प्रभाव और जैविक उत्पादन के संक्रमण के दौरान मिट्टी के गुणों पर, मृदा विज्ञान और संयंत्र विश्लेषण में संचार 42(21), 2572–2585।
- गोपीनाथ, के.ए., सुप्रदीप साहा, मीना, बी.एल., कुंडू, एस., हरित पांडे, गुप्ता, एच.एस, 2008, जैविक उत्पादन के संक्रमण के दौरान गेहूं की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता और मिट्टी के गुणों पर जैविक संशोधन का प्रभाव। एग्रोइकोसिस्टम्स में न्यूट्रिएंट साइकलिंग 82, 51–60।
- Howard, A., 1943. An Agricultural Testament. The Oxford University Press, Oxford, 243.
- Mahale, P., Soree, H., 1999. Ancient visions and new experiments of rural people. In: Food for Thought. India Books for Change, Bangalore.
- Panneerselvam, P., Hermansen, J.E., Halberg, N., 2011. Food security of small holding farmers: Comparing organic and conventional systems in India. Journal of Sustainable Agriculture 35, 48–68.
- Partap, T., Vaidya, C.S., 2009. Organic farmers speak on economics and beyond. Westville Publishing House, New Delhi, 161.
- Pereira, W., 1993. Tending the Earth. Earthcare Books, Mumbai, 315.
- Ramanjaneyulu, A.V., Sarkar, N.C., Thakur, A.K., Maiti, R.K., 2013. Organic farming - A perspective. International Journal of Bio-resource and Stress Management 4(3), i-ii.
- Ramesh, P., Panwar, N.R., Singh, A.B., Ramana, S., Yadav, S.K., Shrivastava, R., Subba Rao, A., 2010. Status of organic farming in India. Current Science 98(9), 1190–1194.
- Randhawa, M.S., 1986. A History of Agriculture in India 1980- 1986, Vol. I-IV, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
- Saha, S., Mina, B.L., Gopinath, K.A., Kundu, S., Gupta, H.S., 2008. Relative changes in phosphatase activities as influenced by source and application rate of organic composts in field crops. Bioresource Technology 99, 1750–1757.

- Surekha, K., Rao, K.V., Shobha Rani, N., Latha, P.C., Kumar, R.M., 2013. Evaluation of organic and conventional rice production systems for their productivity, profitability, grain quality and soil health. Agrotechnology, S11: 006. doi:10.4172/2168-9881.S11-006.
- Willer, H., Julia, L., 2014. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2014. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, 302.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 131-140

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव, प्राध्यापक
प्रतिभा सिंह, शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय रीवा (म0 प्र0)

सारांश :-

किसी भी उन्नत राष्ट्र की प्रगति के लिये आवश्यक हैं कि उस राष्ट्र के लोग पुरूष एवं स्त्री दोनों ही शिक्षित हों। प्रायः हमारे देश में यह धारणा है कि शिक्षा का अधिकार एवं उपयोग केवल पुरूषों तक ही सीमित हैं स्त्रियों को केवल कामकाजी महिला एवं बच्चों को जन्म देने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं आंका जाता था। परन्तु अब आधुनिक भारत में धारणा बदल गयी हैं। अब प्रत्येक परिवार की महिला को शिक्षा ग्रहण करने के लिये भी विभिन्न शिक्षालयों में भेजा जाने लगा हैं। आधुनिक समय में जहाँ शिक्षा के विकास में नारी ने कदम रखा वहीं अन्य प्रक्रियाऐं जैसे– औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, भौतिकवादी विचारधारा एवं आर्थिक स्वतंत्रता आदि ने नारी को परम्पराबद्ध बंधनों से मुक्त करके व्यावसायिक क्षेत्र में ला दिया है, परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुले हैं तथा महिलायें परम्परागत धारणाओं, मूल्यों एवं मान्यताओं को तोड़ कर श्रम बाजार में अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर अपना स्थान निर्धारित कर रही है।

व्यवसायिक तनाव व चिंता महिलाओं में आज एक विशेष समस्या बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं में पुरूषों कि तुलना में उच्च व्यवसायिक तनाव व चिंता का स्तर पाया गया है। 60 प्रतिशत बिमारियों का कारण नौकरी से संबंधित तनाव व चिंता है। अतः यदि कामकाजी महिलाओं को उनके व्यवसायिक तनाव एवं चिंता का ज्ञान हो तो कुछ हद तक उन्हें इससे उत्पन्न प्रभावों से बचाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव व चिंता को उत्पन्न करने वाले कारकों पर प्रकाश डालना है। जिससे वह अपने तनाव व चिंता को कम कर या दूर कर स्वास्थ्यप्रद वातावरण में अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाकर कार्य कर सकने में सक्षम हो सकती हैं। अतः प्रस्तुत शोध प्रबंध ''रीवा शहर कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव का अध्ययन'' को करने हेतु रीवा शहर के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 100 महिलाओं का चयन उद्देश्य परक विधि द्वारा किया गया। निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव की अपेक्षा तुलनात्मक

रूप से अधिक होता हैं। निजी संस्थनों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य चिंता की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं।

मुख्य शब्द :- कामकाजी महिलाएं, व्यवसायिक तनाव, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति।

प्रस्तावना :-

आज की आर्थिक कठिनाईयों की वजह से विवाहित महिलाओं द्वारा नौकरी करने से सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है अब अधिकांश पति चाहते हैं कि उनकी पत्नियां भी नौकरी करें। वर्तमान की कमरतोड़ मँहगाई और आधुनिकता की दौड़ में कामकाजी महिलाओं की स्थिति दो नांव में एक साथ पैर रखने के समान है जिसका संतुलन बनाए रखने के लिए महिलायें निरंतर प्रयत्नशील हैं। अतः शिक्षिकाओं के लिए परिवार ओर नौकरी का सही संतुलन जोखिम भरी चुनौती है जिसे उसने हसकर स्वीकारा ओर सफलता के साथ निभा रही हैं। ''ऊषा मल्होत्रा के अनुसार ''घर और बाहर का संतुलन आवश्यक है'' इसमें दो राय नहीं हैं कि वर्तमान भौतिकवादी एवं सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया हैं। इस परिवर्तन में संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं ने दोहरी भूमिका स्वीकारी हैं चाहे इस दोहरी भूमिका के कारण महिलाओं को किन्हीं भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हो, किन्तु फिर भी वह कार्यकारी होना ही पसंद करती हैं, क्योंकि आज सामाजिक जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। खान–पान, रहन–सहन, पहनावा जीवन शैली बदली है, ओर मानसिक सोच में भी परिवर्तन आया है, आवश्यकताऐं भी बढ़ी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरूष के साथ महिलाओं का कार्यकारी होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उसकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरूष के सहारे की जरूरत होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहें है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण की कार्य में तेजी आयी है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्म विश्वास में बढ़ोत्तरी हुयी है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी है। एक ओर जहॉ केन्द्र व राज्यों की सरकारें महिला उत्थान की नई–नई योजनायें बनाने लगीं है। वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिये उनकी आवाज बुलन्द करने लगें है। महिला में ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, कि वह अपने अन्दर छिपी की ताकत को सामने लाकर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें।

सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या उसकी पुर्नस्थापना इन सभी कार्यो को आदि शक्ति मॉ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्मपालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदरटेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से हैं जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महिलाएं कई रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए एक सभ्य एवम् सुसंस्कृत समाज की निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह कभी बेटी के रूप में कभी बहन के रूप में तो कभी पत्नी एवम् प्रेमिका के रूप में कभी मॉ के रूप में समाज को विकसित एवं परिमार्जित करने का अथक प्रयास करती रहती है।

शासकीय और अशासकीय संस्थानों में सेवारत विवाहित तथा अविवाहित महिलाएं सम्मिलित हैं। अध्ययन के दौरान इन महिलाओं में शोधार्थी को गहरे कर्तव्य बोध और मातृत्व के दर्शन हुए हैं, अध्ययन में पाया कि कामकाजी महिलाएं अन्य गृहस्थ महिलाओं से कहीं अधिक अपने शिशुओं के पालन पोषण में सफल एवं समर्थ हैं। इसके साथ ही अपने दायित्वों के निर्वाह में सजग एवं जागरूक दिखाई दीं, जैसे कार्यालय में समय पर उपस्थिति, अपने कार्य को जिम्मेदारीपूर्वक उचित ढ़ंग से निपटाना तथा समय पर घर लौटना आदि। महिलाओं का घर से बाहर पुरूषों के समान कार्य करने से उनके पारिवारिक दायित्वों में हुये परिवर्तन एवं शिक्षक तथा गृहिणी की भूमिका के उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वाह में महिलाओं को होने वाली समस्याओं से अवगत होने के लिए वर्तमान सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन महत्वपूर्ण है। महिलाएं घर–परिवार और नौकरी पेशा की दोहरी भूमिका निभाते हुए दोहरी माँगों व तनावों के कारण परस्पर पारिवारिक विसंगतियों का सामना कर रही हैं, जिसका प्रभाव उनकी नौकरी से सम्बद्ध दायित्वों व कर्तव्यों पर भी पड़ता है।

समाज की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने में महिलाएँ पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है। समाज में विकास में सहभागिता का जो सम्मान उन्हें प्राप्त होना चाहिए था वह नही मिल पाया है। क्योंकि इस सभ्य समाज में पुरूषवर्ग का वर्चस्व विद्यमान है। पुरूष वर्ग हर क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते है लेकिन जब सम्मान एवं अधिकार की बात आती है तो महिलाएँ पुरूषों से कहीं पीछे छूट जाती है। महिलाओं को अपने अस्तित्व की बार–बार लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन यह प्रकृति गवाह है कि जब भी समाज में कोई परिवर्तन या क्रांति हुई है महिलाओं ने उस पर अपना सर्वस्व अर्पण किया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा–निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है।

पूर्व में किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा :

नगीना परवीन (2009) ने अपने लेख में लिखा कि हैदराबाद शहर की विवाहित और अविवाहित कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव के शोध अध्ययन में ज्ञात किया कि महिलाओं के उत्तरदायित्वों/कर्तव्यों का स्तर भी तनाव को प्रभावित करता है। इस अध्ययन में नमूने के लिये 180 महिलाओं को लिया जिसमें से 90 विवाहित तथा 90 अविवाहित थी। इस अध्ययन में पाया गया कि विवाहित महिलाओं में अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा व्यवसायिक तनाव अधिक पाया गया। विवाहित महिलाओं में अधिक तनाव पाये जाने का कारण माँ, पत्नी, गृहणी के रूप में अनेक भूमिकाओं का निर्वाह किया जाना था।

बहल, ज्योति (2001) ने – ''कामकाजी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में पारिवारिक तनाव की भूमिका का अध्ययन'' कर निष्कर्ष स्थापित किया कि कामकाजी महिलाओं में पारिवारिक समायोजन में असफलता के कारण तनाव उत्पन्न होना पाया गया। कामकाजी महिलाओं में कार्य स्थल की दूरी तथा कार्यस्थल पर उनका

उत्पीड़न का दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पाया गया।

लिल्हारे डॉ. रेखा एवं बोरकर डॉ. सुनीता (2009), ने लिपिकीय और परिवर्तनशील कार्य अवधि में कार्यरत महिलाओं के कार्य निष्पादन के मध्य तनाव एवं चिंता का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लिपिकीय और परिवर्तनशील कार्य अवधि में कार्यरत महिलाओं के कार्य निष्पादन के मध्य तनाव एवं चिंता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। न्यादर्श के रूप में 200 कार्यरत महिलाओं का चयन किया गया था, जिनमें 100 लिपिकीय वर्ग की महिलाएं व 100 परिवर्तनशील कार्य अवधि में कार्यरत महिलाएं थी। प्रदत्त संकलन हेतु तनाव मापनी व चिंता मापनी का उपयोग किया गया था। षोध का निष्कर्ष था कि लिपिकीय और परिवर्तनीय कार्य अवधि में कार्यरत महिलाओं के कार्य निष्पादन में तनाव एवं चिंता के माध्यों में सार्थक अंतर पाया गया।

एप्टर, एम. एप्टर, एम.जे. (2009) ने "Motivational Styles in Everyday life" पुस्तक में तनाव उत्पति के कारणों को उजागर करने के साथ–साथ तनाव को कम करने के तरीकों की व्याख्या भी की है। प्रतिदिन की जिन्दगी में व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के तरीके यदि आषा से पूरित, भावनाओं के तथा स्वभाव के अनुरूप हो तो वे निश्चय ही अवसाद को कम करता है।

उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध पत्र मेंमहिलाओं के शिक्षा के निम्न उद्देश्य है :–

- विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के व्यवसायिक तनाव का अध्ययन करना।
- अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं के जीवन की स्थितियों तथा समस्याओं के बारे में पता लगाना।
- विवाहित और अविवाहित कामकाजी महिलाओं के व्यवसायिक तनाव का अध्ययन करना।
- विभिन्न संस्थानो में कार्यरत महिलाओं को पारिवारिक कठिनाइयों का अध्ययन करना।
- ज्ञान का प्रसार कर महिलाओं को व्यवसायिक सेवा क्षेत्र में सशक्त बनाना।
- मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास–अंधविश्वास, कुरीतियों को समाप्त कर नई परंपरा विकसित करना।
- कामकाजी महिलाओं के व्यवसायिक तनाव पर आयु के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ :–

परिकल्पना सामाजिक अनुसंधान की प्रथम सीढ़ी है। उपकल्पना से तात्पर्य अनुसन्धानकर्ता द्वारा अध्ययन कार्य के पूर्व बारे में जो काल्पनिक, पूर्वानुमान, विचार किया जाता है, उसे ही उपकल्पना कहते हैं। ये उपकल्पना तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक होती है। अर्थात अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के कारणों समस्याओं के समाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित आवधारणा बना लेते हैं उसे परिकल्पना या उपकल्पना कहते है।

1. कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव पाया जाता है।
2. विवाहित और अविवाहित कामकाजी महिलाओं के व्यवसायिक तनाव पाया जाता है।
3. विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं में व्यवसायिक तनाव पाया जाता है।

4. अधिक आयु समूह और कम आयु समूह की कामकाजी महिलाओं के व्यवसायिक तनाव स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

5. व्यवसायिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

6. आयु वृद्धि के साथ–साथ व्यवसायिक तनाव कम होता है।

शोध प्रविधि :–

मानव एक जिज्ञासु प्राणी है वह अज्ञात तत्वों का पता लगाने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। सामाजिक घटनायें भी अपने आप में काफी जटिल है एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते है उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई सरल कार्य नहीं है। जब सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं के हल खोजने का व्यवस्थित प्रयास किया जाता है उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है।

शोध कार्य में कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव की समस्याओं से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ो को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतो एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े बालश्रम से संबंधित विभिन्न प्रकाशित– अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या –

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोघ कार्य सही अर्थो में तभी प्रभावी होते है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाये। इसके लिये यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरण द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाये।

तथ्य संकलन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का चयन कर समस्त में से 50 उत्तरदातों/इकाइयों का चयन किया गया है। तथा उनसे प्राप्त उत्तरों को सांख्यिकी द्वारा विश्लेशण किया गया है। महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कई क्षेत्र प्रभावित हुए है प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र0 1

निजी एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव

क्र0	प्रभावित क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
01	शासकीय संस्थान	20	40%
02	अशासकीय संस्थान	30	60%
	कुल	50	100%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यावसायिक तनाव की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होता हैं।

तालिका क्र0 2

महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण प्रभावित क्षेत्र

क्र0	प्रभावित क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
01	चिकित्सा का क्षेत्र	20	20
02	शिक्षा का क्षेत्र	10	20
03	व्यापार का क्षेत्र	05	10
04	मनोरंजन का क्षेत्र	10	20
05	बैंकिग का क्षेत्र	15	30
	योग	50	100

तलिका क्र0 2 में स्पष्ट किया गया है कि समाज में महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण का प्रभाव मुख्यतः सभी क्षेत्रों में पड़ा है। चिकित्सा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। प्राचीन समय में स्वास्थ्य केन्द्रों में हस्तलिखित पंजीयन पर्ची मिलती थी, दवाओं तथा डॉ डाक्टरों से सीधा संवाद और बीमारियों का इलाज होता था, लेकिन महिलाओं के के कारण ऑनलाइन पंजीयन पर्ची, तथा एक्सरे–मशीन, सोनोग्राफी द्वारा बीमारियों का पता लगा लिया जाता है। महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में पारदर्शिता आ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 20 प्रतिशत प्रभाव पड़ा है।

तालिका क्र0 3

महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण से समाज में होने वाले परिवर्तन

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण से समाज में कई परिवर्तन हुए हैं जिनका विश्लेषण निम्नानुसार है–

क्र0	परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
01	सामाजिक संरचना में परिवर्तन	05	10
02	सामाजिक संगठन में परिवर्तन	05	10
03	भौतिक परिवर्तन	15	30
04	परिवार में परिवर्तन	15	30
05	संबंधों में परिवर्तन	10	20
	योग	50	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण से समाज में कई परिवर्तन हुए हैं। परम्परागत सामाजिक संरचना में 10 प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं परम्परागत सामाजिक संरचना के स्थान पर नवीन सामाजिक संरचना का निर्माण महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण के कारण ही संभव हुआ है।

महिलाओं का व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश के कारण से सामाजिक संगठन में 10 प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं। भौतिक जगत में महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण से ही परिवर्तन संभव हुआ है। समाज के भौतिक जगत में जो परिवर्तन हुए है, वे महिलाओं का व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश के कारण से हुआ है। महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण से समाज भी नगरीय समाज की तरह ही धीरे–धीरे विकसित हो रहा है।

महिलाओं का व्यवसाय में प्रवेश के कारण से परिवार में भी परिवर्तन हुआ है। समाज में मुखतः संयुक्त परिवार होते है। लेकिन महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण से ग्रामीण परिवार का आकार लघु हो गया है।

समाज में सामाजिक संबंध प्राथमिकता आमने–सामने के होते है। इनमें हम की भावना पायी जाती है, लेकिन महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ गया है। प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक तथा अप्रत्यक्ष संबंध बनते जा रहे है इसके कारण हम के स्थान पर व्यक्तिवादिता की भावना का जन्म हुआ है।

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण परिणाम :

समाज का अध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति निरन्तर है, जिसके कारण महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण क्या परिणाम होते हैं। समाज की किन–किन परिस्थितियां विभिन्न सामाजिक परिणामों को प्रोत्साहित करती है। फिर भी महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कुछ सामान्य परिणाम होते हैं जो सभी समाजो में पाये जाते हैं जिनका अध्ययन सारणीयन और विश्लेषण निम्नानुसार है–

तालिका क्र0 4

सामाजिक परिणाम

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण प्रमुख सामाजिक परिणाम निम्न है–

क्र0	परिणाम	संख्या	प्रतिशत
01	वृहद् प्रभाव	10	20
02	अर्जित पद	15	30
03	द्वितीयक संगठन	15	30
04	वैवाहिक स्वतंत्रता	10	20
	योग	50	100

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण समाज से परम्परागत आधार टूट चुके है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से 20 प्रतिशत वृहद समाजों का जन्म हुआ है।

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण जहां एक ओर परम्परागत प्रदत्त पदो के महत्व में कमी होती है वहीं दूसरी ओर अर्जित पदों की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ी है। आधुनिकीकरण प्राथमिक समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उसके कारण उनका संगठन शिथिल हो जाता है। प्राथमिक सम्बन्ध छूटते जाते है जिसकें फलस्वरूप द्वितीय संगठनों 20 प्रतिशत का निर्माण हुआ है।

तालिका क्र0 5

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण आर्थिक परिणाम

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार आर्थिक परिणाम निम्नलिखित हैं –

क्र0	आर्थिक परिणाम	संख्या	प्रतिशत
01	औद्योगीकरण	20	40
02	नगरीकरण	05	10
03	विशेषीकरण	25	50
	योग	50	100

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण समाज में भी औद्योगिक इकाइयों का महत्व बढ़ता जा रहा है। परम्परागत उद्योगों के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो गया है। गृह–उद्योग समाप्त होते जा रहें है और उनके स्थान पर नवीन औद्योगिक संरचना का विकास हो गया है।

नगरीकरण ही आधुनिकीकरण का दूसरा परिणाम है। शिक्षा, उद्योग आवागमन और सन्देशवाहन के साधनों में वृद्धि के कारण नगरीकरण का विकास होता जा रहा है। विशेषीकरण आधुनिक औद्योगिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। औद्योगिक श्रमिकों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के अनुसार उन्हें कार्य दिये जाते है। जो जिस कार्य का विशेषज्ञ होता था उसे वही कार्य सौपा जाता है ताकि उस कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम दे सकें।

तालिका क्र0 6

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण राजनीतिक परिणाम

समाज में महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है। महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण राजनीतिक परिणामों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है–

क्र0	राजनीतिक परिणाम	संख्या	प्रतिशत
01	प्रजातांत्रिक व्यवस्था	30	60
02	औपचारिक कानून	20	40
	योग	50	100

महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण समाज का परम्परागत राजनीतिक ढाँचा ही बदल गया हो। जमीदारी समाप्त हो गयी है अब समाज में भी पूर्णतः प्रजातांत्रिक/लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित है।

पहले समाज में कानून व्यवस्था गॉव के मुखिया और पंचो के हाथ में थी लेकिन महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अब कानून व्यवस्था पुलिस और न्यायालय के हाथों में आ गई है।

प्राचीन समय में समाज परम्परागत समाज था परम्पराओं का विशेष महत्व है प्रथा थी, लेकिन महिलाओं का व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश के कारण इस स्वरूप व्यवस्था के रूप में बदलाव आ गया है।

सुझाव :–

भारत के संदर्भ में यदि देखें तो महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :–

- सर्वप्रथम महिलाओं के राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने होगे। महिला संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं को इस दिशा में प्रयास करने होगे।
- महिलाओं को इनके कानूनी अधिकारी की जानकारी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन, शोषण, उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों का जल्दी निराकरण, महिला मामलों में पुलिस की पूरी सजगता एवं सक्रियता महिलाओं के लिए पृथक महिला थानों की स्थापना आदि महिलाओं का शोषण रोकने के लिए आवश्यक है।
- वर्तमान समय में लागू महिला सम्बन्धी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना जिससे महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान कानूनी और व्यावहारिक रूप में सभी मानवाधिकार हासिल हों।
- महिलाओं को अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा जिससे उनमें आत्म विश्वास में वृद्धि होगी।

उपसंहार :

महिला समाज की धुरी है अगर धुरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओ को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये, जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुंचने से कोई नही रोक सका। यद्यपि महिलाएँ तेजी से व्यवसाय के क्षेत्र में आ रही है, तथापि उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक सोच का आभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएं है जो व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती है।निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों में व्यवसायिक तनाव की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होता है।

महिलाओं को व्यवसायी/कामकाजी बनाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का दायित्व है। भ्रष्टाचार और शोषण से महिलाओं को मुक्त करके उन्हें व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्षतः महिलाएं समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ व्यवसायिक क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे–जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में व्यवसायिक क्षेत्र में महिलाएँ आगे आ रही है और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही है। इसलिये महिलाओ को सशक्त और सुदृढ़ बनाने पर ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. सक्सेना, एस.सी. (1992), 'श्रम समसयें एवं सामाजिक सुरक्षा', रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ।
2. शर्मा, डॉ. एम.के. (2010), 'भारतीय समाज में नारी', पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
3. आहुजा राम (2000), 'सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4. आर.सी. मजुमदार, द हिस्ट्र एण्ड कल्चर आफ द इण्डियन पीपुल, प्रकाशित Vol X 2nd edition 1981. P-31

5. ओम प्रकाश, हिंदू विवाह, चतुर्थ संस्करण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ 182–2001
6. प्रेम सहाय, हिंदू विवाह संस्कार, प्रभात प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1995
7. राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, स्वामी विवेकानंद, व्यक्ति और विचार, प्रकाशक, दिल्ली 1971.
8. स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद साहित्य।
9. एम.के. गॉधी, मेरे सपनो का भारत।
10. डॉ. रानी, आशु (1999) महिला विकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ सं. 19
11. डॉ. कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी रानी, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर–नवम्बर 1997, पृष्ठ सं. 82
12. के.डी. ग्रोगेड, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन इण्डिया ए क्रिटिक (प्रोस्टीट्यूशन इन इण्डिया), 1995, पृ. सं. 185
13. वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत–2005, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं. 53
14. Agrawal (DS) Leactures of Universe of Knowledge, Delhi, Academic Publication, 1985,P.72
15. Best (JW) Research in Education, Delhi Pritice Hall & Co, 1963, P. 86
16. सिंह (सोनल) ज्ञान जगत स्वरूप संरचना एवं विकास, भोपाल म.प्र. ग्रंथ अकादमी 1998, पृष्ठ 4
17. सक्सेना (एल.एस.) पुस्तकालय एवं समाज, भोपाल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2004, पृष्ठ 4–5

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 141-155

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

SOCIO-POLITICAL STUDY OF WOMEN EMPOWERMENT IN PANCHAYATI RAJ

Dr. Shushil Dubey, Assistant Professor
Bhaskar Kulaste, Research Scholar
Sociology, Rani Durgavati University Jabalpur (M.P.)

Abstract :-

Women equally play an essential role in nation building process and direct it towards development. Economic independency, Proper education, health and nutrition's facilities should be necessary for the bright future of the women. Women leadership is also one of the gateways for their empowerment. Panchayati Raj Institutions are performing vital role in Indian society from ancient time. Participation of people in local self-government is an important means to bringing the changes in socio-economic and political field. In this democratic process each and every individual of country have got to take part in the local self-government. Government of India passed 73rd Amendment Act 1992 came into force from the 24 April 1993 and made the provision for women reservation in local self-government under article 243 (d). Lack of education and tanning skills, economic dependency, non-execution of legal rights, disapproval of her decision by the head of the family, male dominance, cultural and traditional obstacles, inferior status in the society. So, the present study attempted to fill this gap by conducting a survey-based study to investigate the status of women in grass-root politics. The present study will be meaningful to examining the socio- economic and political background of the women leaders and also helpful to identifies the various huddles faced by the women in grass-root political politics. Hence, the study suggested some factors which assisted women to enhance awareness and boost economic, social and decision making capacity.

Key Words : Women Empowerment, Panchayati Raj, Amendment.

Introduction :-

Women empowerment is an important worldwide issue in the present time. Women empowerment means empowering women socially, economically, politically and legally. In short, empowerment of women means full realization of all women right and fundamental freedoms, and

their equal participation in socio-economic and political and cultural life and eradication of all forms of discrimination on the ground of gender.

The concept of empowerment comes from the word power. In the broad sense, the term 'powers' viz the intelligence to do anything positively. Empowerment denotes environment of freedom, quality of life, freedom of choice and individual live a life with dignity. Empowerment is that process by which the person achieve good control over their circumstance.[1]

Objectives of the Study: To investigate the different approaches of women empowerment like; Social, political and economic. Article also examine the different mechanism of women empowerment like constitution, various act and legislature, and judicial and legal mechanism. Secondly to know about the women participation in Panchayati Raj Institutions after 73rd Amendment Act.

Research Methodology: The paper will try to examine the socio-economic conditions of women empowerment in India. The analytical study based on the secondary sources. The article may help to increase the knowledge to understanding regarding the condition of women in Indian society.

Status of the women :

The role of the women in the society is determined by our social structures, cultural norms, value system and social expectations etc. In the journey of the development, various policies programmes transformed the society, besides this transformation Indian women's plight has not been changed in accordance this evident from her economic and social participation in the formal political institutions accept local bodies. Women's share in the decision making positions is limited to less than five percent. India is a typical example of the gap between position and role accorded to them by the Constitution and the restrictions imposed on them by social traditions. What is practicable and possible by women and useful for them, in fact, is not within their reach. They have to exist within the framework of social norms and standards, which in turn cause infinite harm. In Hindu tradition, practices like giving away daughters in marriage and sending them to their father-in-laws' house after marriage and importance attached to sons for maintaining continuity in the line have strengthened male dominated social structure. Women are debarred from joining religious ceremonies during the period of menstruation and child birth makes the women inferior in status than men.[2]

The feminist outlook regarding patriarchal society generally is that it is unjust system in which women are categories of the people who are exposed to the various types of the discrimination and exploitation is universal feature of the feminist thought. Repression against women takes place in the patriarchy that is a hierarchical system of male domination over the female gender.[3] Patriarchy refers to the male domination both in public and private spheres. Feminists mainly use the term 'patriarchy' to describe the power relationship between men and women. Patriarchy portrays superiority of male

over female, upholds women's dependence on, and subordination to man in all spheres of life. Consequently, all the power and authority within the family, the society and the state remains entirely in the hands of men. So, due to patriarchy, women were deprived of their legal rights and opportunities, Patriarchal values restrict women's mobility, infringement of their freedom over themselves as well as their property.[4]

The position of women in India is backward, it is true, if judged from the modern standpoint of the west. The deprivation of the women in getting the similar level of opportunities relating to education, health, decision making as men due to prevalence of patriarchal society and socio-economic backwardness in India put women at a backstage.[5] Women shoulder holds the responsibilities of household work such as looking after siblings, fetching water, collecting firewood, cleaning the house, cooking etc.[6] To clearly know, how the situation of women Indian society is worse, there are the some variables of women empowerment as following:-

(A) APPROACHES OF WOMEN EMPOWERMENT SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC

Social approaches of women empowerment are health and sanitation, Education and training, gender sensitizations programmes. Political approaches of women empowerment include civil rights, political representation, safeguard structure. Whereas, economic approaches of women empowerment are like equality in jobs and empowerment through property rights. Above mentioned variables will be explained separately as follows:

Social Approaches of Women Empowerment :

Three indicators enhances the social empowerment of women are gradually: (i) Education, training and skill development including professional, occupational and business knowledge as well as to establish market links by women beneficiaries. (ii) Women Empowerment through the improvement of health care system. (iii) Freedom of choice, intra-family decision, mobility outside the home.[7]

Education, Training and Skill Development :

Equal access to education for women and girls eliminate discrimination, universalizing educating, eradicate, illiteracy, creating a gender- sensitive education system, increase enrollment and retention rates of girls. Empowerment of women is directly linked with education. Education is considered as a key instrument for the change which is ultimately responsible for national development.[8] Education is a crucial factor in ensuring both economic and political empowerment. Empowerment, in turn, enables women to transform existing power relations, to engage in capacity building and to create solidarities.[9]The Indian Government lays emphasis on primary compulsory education from the age six up to fourteen years. Free education guaranteed by the constitution for the

enhancement of social condition of deprived section of the society.[10]

Freedom of Choice :

One way of thinking about power is in terms of the ability to make choices. To be disempowered means to be denied choice.[11]If we argue the concept of freedom of choice seriously, then we should also have maximum freedom to choose our lifestyles and occupational choice.[12] Chief Justice of Madras High Court S.K. Kaul made a remarks, "nothing that the real empowerment of women can be achieved only when they are provided with the freedom to make their own choice."[13]

Right to Movement :

Mobility includes an individual's physical capacity to move freely beyond the household, as well as the ability to move across social and economic spheres. It helps women and men build and maintain social and professional networks and enables participation in the economy and civic life. Physical mobility influences social and economic mobility, and significantly affects women's and girls' opportunities and choices. Yet, widespread restrictions on women's mobility arise from social norms.[14] Autonomy over their body accounts the women ability to move freely in society. Women are highly involved in family care and most of unpaid care work. Women mobility generates economic gain which is helpful for the advancement of the society. Female mobility is necessary for the perspective of human rights as well as promotes their employment gain and earning potentials. Women mobility confers independence and contributes for national development.

Health Care System and Nutrition :

A holistic approach to women's health which includes both nutrition and health adopted and special attention given to the needs of the women and girls at all stage of the life cycle. The reduction of infant mortality and maternal mortality, which are sensitive indicators of human development, is a priority concern. National Policy for Empowerment of Women (NPEW) reiterated the national demographic goals for infant mortality rate. Government of India launched the programmes which improve the health care of women. In the designed policy for the women is Janani Suraksha Yojna, which is 100 percent funded by government through the health mission. Programme facilitates the monetary help of pregnant women after delivery of child for self-care. As a measure to promote women's hygiene and health care, the union ministry of youth affairs and sports had launched this programme under "swachhagraha". Programe aims to increase awareness of the use of sanitary napkins by girls and women. Women face at all the three critical stages, viz. infancy and childhood, adolescent and reproductive phase, focused attention to provide the nutritional needs of women at all stages of the life cycle.

- **POLITICAL APPROACHES OF WOMEN EMPOWERMENT :**

Women's political participation is essential pre-condition for the gender equality and real democracy. Women's political participation assists to gain equality in political, social and economic scenario. It facilitates women's direct engagement in public decision-making. When women participate in politics, they can realize their full potential as well as contribute their skills to the nation. Under the political mechanisms some components are discussed, which increase the potential of women they can be explained in following manner:

Political rights to all without discrimination :

Democracy consist all citizens of country must be treated equally solely depending on their citizenship status, not on their race, religion and sex. Equal citizenship constitutes the core of political egalitarianism. Political equality means each and every citizen has equal right as well as equal value of each vote irrespective of race, religion caste or sex. Every citizen is free to contest elections and from association, can protest in peaceful manner.

Reservation :

'Reservation' literally means securing 'Place' or providing opportunity for advancement of a particular group or class, which is socially, economically and politically backward and marginal.[15] Reservation helps to eliminate the gap that exists in any society.

Participation :

Political participation is a basic ingredient of every political system. Participation helps the individual to be effective and associates him with the political system. It signifies such proceedings like voting, seeking information, contributing financially and communicating with representatives. Political participation is the hallmark of a democratic setup. Every Citizen's active participation in political affairs in democracy is crucial and necessary because it provides legitimacy to the system and also strengthens the democratic fabric. Democracy will fail in its objectives if women citizens lack equal opportunity to participate in the government decision making process. They are to be equal partners in the nation building and political development.[16]

In 1992 for the improving women participation and activism in the political and decision making process in the local bodies, a provision of reserve 33 percent seats was made and with the implementation of the 73rd Constitutional Amendment enacted in 1992. The 73rd Constitutional Amendment Acts passed in 1992 by Parliament ensure one-third of the total seats for women in all elected offices in local bodies whether in rural areas or urban areas. Women's reservation in local self-government facilitates and empowers and uplifts their status in society.[17] This new amendment (73rd Constitutional Amendment) indicates the government's desire that women should have

proportionate representation in the local decision making bodies. However, with the reservation at the grass roots level today there are one million Panchayat members who have come forward as partners in the development process.[18] There are many elected women representatives at the village council level. The percentage of women in various levels of political activities in India has risen considerably.[19]

- **Economic Approaches of the Women Empowerment :**

Economic empowerment is the capacity of women and men to participate and contribute in growth processes of nation. Economic empowerment increases women's access to economic resources and opportunities including jobs, pecuniary services, property and other productive assets, skills development and market information. Women's economic empowerment includes women's ability to participate equally in existing markets; their access to and control over productive resources, access to decent work, control over their own time, lives and bodies; and increased voice and meaningful participation in economic decision-making at all levels from the household to international institutions.

Equality in jobs, Jobs Security :

The easiest way to achieve the agenda of women empowerment is that women must easily access equal opportunity in jobs. Information and accessibility of jobs description may ensure equitable benefits for women. Use skill-based assessments to reduce the risk of unfair bias. Government sector are not sufficient to reach the goal of women's economic empowerment. Microfinance is an enormous platform that provides capital for individuals who are financially weak and easily accessible to marginalized section of the society.

Equal Pay for equal work :

Equal work connotes the work of equal value. Employees at the same position, doing the similar nature of work irrespective of their sex, colour, caste, or creed are entitled to the same remuneration. The principle has arisen from the basic concept of equality. At the same time, the preamble of the Indian Constitution secures equality of status and opportunity. The state has the duty "to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of national life".

Women's Control Over Finance :

Woman participate in the labor force, control assets, establish and access funding to grow formal businesses and, ultimately, make her own economic decisions. Compared to men, women are more poor, less likely to have a job and more likely to work.[20] Economic inequality between men and

women is a contributory factor to violence against women. It is observed that more women are beaten by their husbands because of their economic dependency than they are hurt in other ways.

Protection of Women at Workplace :

The National Sample Survey Office (NSSO) report from Gender discrimination, glass ceiling, sexual harassment in the workplace, lop-sided gender parity etc.[21] Sexual harassment at work place is a form of violence against women. Most of the working women at some time or the other face this kind of violence from their colleagues, bosses or employers. Though sexual harassment at work place is an age-old problem, women have been left to deal with it on their own or sometimes with the support of women's organizations. Even increasing participation of women in all fields of work, changes in social attitudes towards women have not shown much progress in this field of protection at workplace.[22]

Empowerment through Property Rights :

The Hindu succession (Amendment) Act, 2005 is to remove gender discriminatory provision in the Hindu Succession Act, 1956 and gives the following rights to daughters under Section 6: (a) The daughter of coparcener shall by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son; (b) The daughter has the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been son; (c) The daughters shall be subject to the same liability in the said coparcenary property as that of son; and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener; (d) The daughter is allotted the same share as is allotted to a son; (e) The share of the Pre-deceased son or a pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; (f) The share of the pre-deceased child of pre-deceased son or of a predeceased daughter shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or pre- deceased daughter.[23]

(2) Mechanisms for Women Empowerment :

Mechanisms for women empowerment include constitutional provisions, various policies and programmes, different Acts, legislations, organizational, budgetary provisions and judicial provisions. Above mentioned mechanisms will be described separately as follows:

Constitutional Mechanism for Women Empowerment :

The Indian constitution is a legal, political and moral document. All our basic rights are written in and guaranteed by the constitution. The Indian Constitution being the most important law in India sets certain standards with regard to woman rights. The constitutional rights guaranteed to every citizen equally but most of the benefits have been gained by women and marginalized section of the society, before it women were treated as second class citizen and were oppressed by the society.

Article 14, 15, 16, 21, 23, 39, 42, 51.A(e), 243(d), 243(T) are provide equalities and subsequently elaborated through other laws.

Policies and Programmes :

Numerous policies which were framed after independence for women empowerment, which can be summed up in the following :

- **Working Women's Forum (Founded in 1978 by Jaya Arunachalam in Chennai) :** Scheme provided employment for poor women and street vendors. It worked with the poor women working in the informal sector, such as street vendors, silkworm growers and silk weavers, handicraft producers, washer-women and fisher-women.
- **Development of Women and Children in Rural Areas (DWRCA- 1982-83) :** Goal of the programme is to provide income generating skills and activities to poor women in rural areas, thereby improving their economic status.
- **The National Plan of Action for Girl Child (1991-2000) :** The plan of Action is to ensure survival, protection and development of the girl child with the ultimate objective of building up a better future for the girl child.
- **National Commission for Women In January 1992 :** The Government set-up this statutory body with a specific mandate to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguards provided for women, review the existing legislation to suggest amendments wherever necessary, etc.
- **Reservation for Women in Local Self–Government :** The 73rd Constitutional Amendment Acts passed in 1992 by Parliament ensure one-third of the total seats for women in all elected offices in local bodies whether in rural areas or urban areas.
- **Rastria Mahila Kosh (RMK) (Estb. 1992-1993 under the supervision of women and child care development ministry :** Rashtriya Mahila Kosh (RMK) registered under the Society Registration Act 1860. RMK provides micro-credit to poor section women for income generated activities at low level interest.
- **Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) Scheme, 2015 :** The Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) scheme was launched on 22 January 2015. The objectives of scheme are: Prevention of gender based sex selective abortion or termination of pregnancy, Ensuring survival & protection of the girl child. Ensuring education and participation of the girl child also.

8. Sukanya Samriddhi Yojana, 2015 :

Sukanya Samriddhi Yojana was launched on 22 January 2015. This is a Small Savings Scheme by the Government of India meant exclusively for a girl child. The scheme is meant to meet the

education and marriage expenses help of a girl child. An Account under these rules shall be opened for a maximum of two girl children in one family under normal conditions. Account can be opened by guardian on behalf of minor girl child of age 0 to 10 year. A contribution of up to Rs. 1.5 lakh qualifies for income tax deduction under Section 80C of Income Tax Act.[24]

Other Initiatives Steps by the Government for the Women Empowerment :

Ministries of social justice and empowerment, many of the departments along with numerous NGOs have planned and launched number of programmes and schemes to empower the women. Government included legislature, executive, judicial as well as situational (departmental) institutions from time to time for the empowerment of women socially, economically, politically and legally.

Mahila Samriddhi Yojana, NGO's Credit Schemes. Women Entrepreneur Development programme given top priority. "Support to Training and Employment Programme" (STEP) for women and Integrated Child Protection Scheme (ICPS). National banks for agriculture and rural development schemes *khadi* (????) and village industries commission, Integrated Rural Development Programme (IRDP),

Various Acts and Legislations :

As has been mentioned earlier prior to independence social position of Indian women was far from satisfactory, so after independence, the Government of India undertook a number of legislative measures to safeguard the interest of the women. Some of them may be noted as the The Factories Act-1948, The Mines Act-1952, Special Marriage Act 1954, The Hindu Marriage Act-1955, The Hindu Succession Act-1956, The Immoral Traffic (prevention) Act-1956, Maternity Benefits Act-1961, The Dowry Prohibition Act,-1961, The Medical Termination of Pregnancy Act,-1971, The Equal Remuneration Act,-1976, The Criminal Law Amendment Act-1983, the Family Court Act-1984, Commission of Sati Prevention Act-1987, Women Commission-1992, The 73rd and 74th Constitution Amendment Acts-1993, The Pre conception and Pre-Natal diagnostic techniques (Prohibition of Sex Selection) Act-1994, The protection of Women from Domestic Violence Act-2005, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act-2013. These all are the Acts for the women to equally entitle individual freedom, fundamental rights including social, political, cultural, religious, educational, economic empowerment. The constitution makers and the national leaders realized the equal social status of men and women is important for the better development of the society.[25]

Other laws pertaining to rights of the workers, which are not specially framed for them but indirectly benefited women, include Workmen's Compensation Act 1923, Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946, Minimum Wages Act 1948, Employees State Insurance Act 1948,

Plantation Labour Act 1951, Payment of Wages, The Contract Labour (Prohibition and Regulation) Act 1970 and bonded labour system (Abolition) Act 1976,.[26] MNREGA, Forest Right Act 2006, Right to Education all these Acts directly or indirectly aimed to reduce women vulnerabilities.

Budgetary provisions :

Gender budgeting is a powerful tool that ensure women should take maximum benefits of the development. A budget is not merely a statement of income and expenditure; rather it reflects the socio-economic objectives of the state. Budget also measures the aims to achieve in a financial targeted aims. Gender budgeting focus participatory on achieving equality between women and men by focusing on how public resources are collected and spent. It helps in gender mainstreaming as well as ensuring that benefits of development reach up to every women. In 2005, India started releasing a gender budget along with its union budget.

Role of Non-Governmental Organisations (NGOs) in the Women Empowerment :

NGO's play a prominent role in building up of grassroot level women movements. They create spaces for women by gathering, mobilizing and organizing them. By doing this they try to bring critical social change and formulate their agenda for further action. NGO's not only support movement and its leadership but also negotiates with state authorities for justifiable demands of women. Some of the NGO's working in India are Prerana, Action Aid India, Sayodhya Home for women in need, International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, Gram Vikas Trust (GVT), Gramin Vikas Evam Chetan Sansthan (GVCS), Aarti for Girls, Milaan Foundation, Swadhar and Vipla Foundation are some famous NGO's playing major role in empowering the women.

Judicial Mechanism for the Women Empowerment :

Legal Service Authority Act 1987 plays an important role to provide free justice to empower the women and every marginalized section of the society. Legal empowerment strategies can be successfully used to improve women's access to justice in both formal and informal systems. One of the key problems for the achievement of gender equality lies in the inability of many women to use existing legal standards to realize their rights. Legal empowerment strategies are possible through legal literacy programs, legal aid or alternative dispute resolution mechanisms, provide justice to women and ensure that principles of equality and non-discrimination are not only enshrined in law, but also translated into practice.[27]

Role of Judiciary in the Women Empowerment :

The Supreme Court has given number of following significant judgments on women's rights in relation to criminal law :

- **Priya vs. Suresh (1971) 1 SCC 864 :** Supreme Court held that the second marriage cannot be

taken to be proved by the mere admission of the parties, essential ceremonies and rites must be proved to have taken place.[28]

- **Upendra Baxi vs. State of Uttar Pradesh [(1983) 2 SCC 308] :** The Supreme Court ordered authorities of protective homes to protect the health of women inmates without conflicting with their right to dignity.[29]
- **Sheela Barse vs. State of Maharashtra AIR 1983 SC 378 :** Female suspects must be kept in a separate lock up.
- **Yamuna Bai vs. Anantha Rao (1988) 1 SCC 530 :** Supreme Court held the fact that if the husband has been treating a woman as his wife and did not inform her of his previous marriage is immaterial and the principle of estoppels cannot be invoked to defeat the provisions of law.[30]
- **Vishal Jeet vs. Union of India [(1990)3 SCC 318] :** To prohibit and eradicate child prostitution, devadasi and jogin trade houses, and rehabilitate the victims.[31]
- **Rekha Kholkar vs. State of Goa 1995 (4) BomCR 263 :** The Bombay High Court awarded compensation to woman who was charged with theft and was physically assaulted and tortured by both male and female police, and issued directions for interrogation of women suspects.[32]
- **Vishakha vs. State of Rajasthan (AIR 1997 SC 3011) :** Elimination of sexual misconducts at the work place.[33]
- **State v. Ram Singh and others, (Nirbhaya case) 2013 :** Regarding heinous crimes which were not included explicitly in the IPC.

(C). POLITICAL EMPOWERMENT OF THE WOMEN THROUGH PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS :

Village has been the basic unit of administration since ancient times. In India, initially most indigenous local bodies seem to have had a caste origin. In most of the cases, there were Panchayat meetings to hear cases and arbitrate between fellow members involved in disputes, and punish offenders against rules and customs. Later, Panchayats were also formed to hear disputes of different communities. These carried out the functions related to the social customs, marriage and rituals.[34]

On 22nd December 1992, the Indian Parliament passed the 73rd Constitutional Amendment Bill. As has already been mentioned this legislation has provided a new lever to the concept of the women empowerment in its real sense. It is pertinent to mention here that under the present system, Panchayati Raj system is under operation throughout India. The total of about thirty three lakh Panchayati Raj representatives, thirty three percent (1.1 million) are women. More pertinent to mention is the fact that there is separate provisions for the women of weaker sections including Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other deprived classes.[35] Participation of the women, especially those

belonging to weaker sections, in Gram Panchayats (GPs) has increased after the implementation of 73rd Constitutional Amendment. The participation of women representatives including members from weaker sections appears to have increased substantially over the years mainly on account of affirmative action. [36]

The Panchayati Raj governance has been a path-breaking opportunity for women (through reservation of seats) to occupy positions of decision-making. Some states increased the women reservation upto fifty percent. In the midst of many unsupportive factors and forces, women have looked for supportive opportunities and have moved forward to demonstrate their capacities and ability to hold such positions.[37]

"When women achieve an equal share of political power, many things besides politics will change profoundly. Some further breaking-down of the barriers that constrain the development of individual talents and restrict the range of human resources available to meet society's needs will take place. In this respect, women's increasing political participation is both a source and a signal of social change. As a global trend, rising numbers of women in politics indicates that human beings are making progress towards a more humane world — not because women are necessarily more humane than men, but because any society that categorically excludes half its members from the processes by which it rules itself will be ruled in a way that is less than fully human**.** [38]

Reviews, Discussion and Conclusion :

The Constitution of India has been completed seventy five year of existence but the women's status of equality, freedom, and dignity is still remains blur. For the previous seventy five years, India has been trying to enhance women's capacity in social, political and economic areas through constitutional rights, different schemes, programmes, Acts, legislations and judicial mechanism. The empowerment of women is one of the important aspects not only in India but all around the world, especially in developing countries. Individual freedom, equality, active participation is the first condition of democratizations. Cultural and traditional practices infringe social-political rights of the women. Education, equal political representation, social security, economic independence and justice are essential tools for the women empowerment. However, the path of achievement of this goal is not easy. There is hundreds of barriers which affect the women empowerment like patriarchal structure of the society, financial dependency and poverty, domestic violence and crime, biological and physical limitations, illiteracy, caste restrictions, religious barriers, child marriage and rape, sexual harassment on workplace, lack of opportunity and low interest in leadership due to family responsibilities, victimization in the form of trafficking and forced prostitution. There is a need to run gender sensitive programmes through governmental and non-governmental cooperation for the

public awareness. If women will be deprived from opportunities those are provided through the Constitutional provisions, it is unjust to say women is empowered in India in any real sense. After detailed discussion in the chapter conclusion is that Indian society has complex system. Although in the recent past after the independence descriptive measures in the form of Constitutional provisions, statutory provisions and policy programmes have been taken up by the government. During this time period various empowerment strategies furnished for capacity building of the women. But the gap between theory and practices are reflected in contemporary socio-economic and political position of the women. Further in the next chapters an effort is made to look into the issues of political empowerment through Seventy Third Amendments which can be considered foundation stone of political empowerment and locating women in political arena.

References :

- Kumar, Ramesh. Women Empowerment in India: An Overview, Indian Streams Research Journal, Vol. 6, No. 1, Feb. 2016, p.2.
- Mohapatra, Harapriya. "Status of Women in Indian Society." *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*, Vol.3 No. 6, 2015, pp.33.
- Vukoicic, Jelena. "Radical feminism as a discourse in the theory of conflict." *Sociological discourse*, Vol. 3, No. 5, Jun. 2013, pp. 33-49
- Sultana, Abeda. "Patriarchy and women's subordination: A theoretical analysis." *The Arts Faculty Journal University of Dhaka,* Vol.2, No.1, Jul. 2010-Jun. 2011, pp.6-7.
- Banerjee, Arpita. "Status of women and gender discrimination In India: A State wise analysis." *International Journal of development Research,* Vol. 3, No. 12, Dec.2013, pp.57-64.
- Mohapatra, Harapriya. "Status of Women in Indian Society." *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*. Vol. 3 No. 6, 2015, pp. 33-36.
- Ganesamurthy, V.S. *India: Economic Empowerment of women*. New Century Publications, 2008, pp. 25-26.
- Agrawal, Meenu. *Women empowerment: today's vision for tomorrow's mission*. Mahamaya Publication, 2007, p. 41.
- Ghosh, Ratna. "Women's Empowerment and Education: Panchayats and Women's Self-help Groups in India 2015." *Sage Publication.* Vol.13, No.3, 2015, pp.312-313. Policy Futures in Education, Sage Publication.co.uk/journals Permissions. nav.
- Patel, Jayantibhai I. "Education System in India." *International journal of research and education,* Vol.2 No.2, Feb. 2013, pp. 39-48.

- Kabeer, Naila. "Gender equality and women's empowerment." *Gender and Development*, Vol. 13, No. 1, Mar. 2005, pp.13-24.
- Saxonberg, Steven. "Freedom of choice through the promotion of gender equality." *Social Policy and Administration,* vol. 43, No.6, Dec.2009, pp. 666–679.
- Only freedom of choice can empower women, The Hindu, 29, Jan. 2017 Retrieved from their official website; thehindu.com.
- Kim, Jim Yong. "*Voice Agency and Empowering women and girls for shared prosperity*." World Bank Group Report, 2014, p.5
- Nautiyal, Annupurna and Himanshu Bourai. *Decentralised Governance Regional Development and Women Empowerment*, Gyan Publishing House, 2013, p. 269.
- 16 Kalia, Rinku. "Political awareness and political participation of women in slums: A study of women in slums of Chandigarh (UT*)." International Research Journal of Management Sociology & Humanity*, Vol. 5 No. 5, 2014, pp. 392-402.
- Verma, Sashi B. et al. "*Rural women Empowerment."* Deep and Deep Publications, 2011, p. 128.
- Rasil Basu, *Women and Governance-Re-Amaging the State*. Ekatra, publications, March 2003, p. 4.
- Jane, Ashwini B and Sunitha.V. Ganiger. "Strategies for Strengthening Women's Position and Political Participation in Local Self- government: an exploratory study." *Golden Research Thoughts*, Vol. 2, No. 11, May. 2013, pp.4.
- Klapper, Leora. "Advancing Women's Digital Financial Inclusion." *Global Partnership for Financial Inclusion,* Jul. 2020, pp. 1-60.
- Bhattacharyya, Arundhati. "Indian Women in the Workplace." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6 No. 4 S2, Jul. 2015, pp.-118-125.
- Mohi-ud-din, Shafiqa. "Sexual harassment of women in India at workplaces: Strategies for preventing it*." Journal of the Punjab University Historical Society*, Vol. 32, No. 1, Jan.-Jun. 2019, pp.179-187.
- Pradeep Chauhan, Economic Adviser, (Report) "*Women and Men in Himachal Pradesh*." June 2014, department of economics and statistics government of Himachal Pradesh, Shimla.
- Department of Women and Child Development, Government of India. Retrieved from official website, https://wcd.nic.in
- Vyas, Anju and Sunita Singh. *Women's Studies in India*. Sage Publication, 1993, p.129.
- Singh, Vijoay Kumar. *Legal Empowerment of Women under Indian Laws*. Deep and Deep

Publications, 2008, pp. 730-732

- Agnes, Flavia. "*State, Gender and the Rhetoric of Law Reform.*" Mumbai: Research Centre for Women's Studies, Report on S.N.D.T- 2015.
- https://www.lawctopus.com. Retrieved from feb, 2019.
  https://www. live Law.in:com. Retrieved from feb.2019 and Indian Kanoon.com feb, 2019.
  http://www.manupatra.com/asp/DataBaseDirectory.aspx (23, Feb, 2019)
- Barandbench.com (https://www.legallyindia.com/law-school-journals-events/upcoming-calls-for-papers-events-20141128-5372)
  19 Dec.,2018
- Gonsalves, Colin. "Prisoner's Rights." *Vidyullata Pandit and Human Rights Law Network,* 1996, www.hrln.
- Bhat, Aparna. "Supreme Court on Rape Trials." Combat Law Publications (P) Ltd. 2003.
- Gandotra, Rama. *Panchayati Raj Institutions and Rural Development*. Crescent Publishing House, 2015, p.3.
- Sinha, Ajit Kumar. *New Dimensions of women empowerment*. Deep and Deep Publications, 2008, p.19.
- Billava, Narayan and Nayanatara S. Nayak. "Empowerment of Women Representatives in Panchayat Raj Institutions: A Thematic Review."
- *Journal of Politics & Governance*, Vol. 5 No. 4, Dec. 2016, pp. 5-18.
- Behar, Amitabh and Yogesh Kumar. "*Decentralisation in Madhya Pradesh, India: from Panchayati Raj to Gram Swaraj:1995 to 2001)*,Overseas Development Institute, September 2002, Overseas Development Institute, 111 Westminster Bridge Road, London, SE1 7JD, UK, p.44
- Vidya. K.C. *Political Empowerment of women at the grassroot.* Kanishka Publishers, 2007, p.1

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 156-161

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ट्रांसजेंडर समुदाय और शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार
टीजीटी संविदा शिक्षक, हरियाणा।

सारांश :

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय सदियों से उपस्थित रहा है, किंतु सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा रूढ़िगत मानसिकता के कारण उन्हें मुख्यधारा से लगातार बाहर रखा गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में "तृतीय प्रकृति" को सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी, परंतु आधुनिक समाज में यह समुदाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित दिखाई देता है। प्रस्तुत शोध–पत्र भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, सांस्कृतिक पहचान तथा समाजशास्त्रीय आयामों का अध्ययन करता है।

मुख्य शब्द : ट्रांसजेंडर, तृतीय लिंग, शिक्षा, सामाजिक समावेशन, भारतीय समाज, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण।

प्रस्तावना :

मनुष्य की पहचान केवल जैविक संरचना से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएँ भी उसकी अस्मिता को निर्मित करती हैं। भारतीय समाज में लंबे समय तक लैंगिक पहचान को केवल "स्त्री" और "पुरुष" की द्विआधारी संरचना में सीमित किया गया। इस द्वैत के बाहर स्थित ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक उपहास, बहिष्कार और असमानता का सामना करना पड़ा। विडंबना यह है कि जिस भारतीय सभ्यता ने अर्धनारीश्वर, शिखंडी, बृहन्नला और तृतीय प्रकृति जैसे विचारों को स्वीकार किया था, वही आधुनिक समाज ट्रांसजेंडर समुदाय को सामान्य नागरिक अधिकार देने में भी हिचकिचाता रहा। प्राचीन भारतीय साहित्य और धार्मिक आख्यानों में तृतीय लिंग को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थान प्राप्त था (गुप्ता और गुप्ता, 2023, पृ. 2). किंतु औपनिवेशिक काल और विक्टोरियन नैतिकता ने इस समुदाय को अपराधी तथा "असामान्य" घोषित कर दिया।

वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के विमर्श का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुकी है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए NALSA बनाम भारत संघ निर्णय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को "तृतीय लिंग" के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके पश्चात "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" लागू किया गया। इसके बावजूद शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उनकी वास्तविक स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है (बास्की और अन्य, 2025, पृ. 3307).

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रश्न केवल लैंगिक पहचान तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक

असमानता, सांस्कृतिक वर्चस्व, आर्थिक बहिष्करण और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अक्सर परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन में अस्वीकृति का अनुभव करते हैं। उनके साथ होने वाला भेदभाव सामाजिक संरचना की उन जटिलताओं को उजागर करता है जिनमें "सामान्यता" का निर्माण सत्ता और परंपरा के माध्यम से किया जाता है।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्वयं को लोकतांत्रिक और समावेशी कहती है, किंतु वास्तविकता यह है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का अभाव है। अधिकांश शैक्षिक संस्थानों में लैंगिक विविधता को समझने की संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं।

भारतीय परंपरा में तृतीय लिंग की अवधारणा :

भारतीय सभ्यता में तृतीय लिंग की अवधारणा नई नहीं है। वैदिक साहित्य में "तृतीय प्रकृति" का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि समाज केवल दो लिंगों तक सीमित नहीं था (विल्हेम, 2003, पृ. 30). वैदिक साहित्य में "शंड", "नपुंसक" और "तृतीय प्रकृति" जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो पारंपरिक स्त्री या पुरुष श्रेणी में नहीं आते थे। गुप्ता और गुप्ता के अनुसार वैदिक समाज में तृतीय लिंग को सामाजिक और धार्मिक जीवन से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान की गई थी (गुप्ता और गुप्ता, 2023, पृ. 4). रामायण में भगवान राम द्वारा किन्नरों को आशीर्वाद देने की कथा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में तृतीय लिंग की स्वीकृति का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को लौट जाने के लिए कहा, किंतु किन्नरों को कोई आदेश नहीं दिया। किन्नर चौदह वर्षों तक वहीं प्रतीक्षा करते रहे और राम के लौटने पर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ (नंदा 1990, पृ.11).

इसी प्रकार महाभारत में शिखंडी और बृहन्नला जैसे पात्र लैंगिक विविधता की स्वीकृति को दर्शाते हैं। अर्जुन का बृहन्नला रूप यह संकेत करता है कि प्राचीन भारतीय समाज में लैंगिक पहचान को स्थिर और कठोर रूप में नहीं देखा जाता था। शिखंडी का पात्र यह भी स्पष्ट करता है कि युद्ध और सत्ता जैसे क्षेत्रों में भी तृतीय लिंग की उपस्थिति स्वीकार्य थी। अर्धनारीश्वर की अवधारणा भारतीय दर्शन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। (चक्रवर्ती, 2014, पृ. 102).

हालांकि मध्यकाल और विशेष रूप से औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में गिरावट आने लगी। ब्रिटिश शासन ने विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव में ट्रांसजेंडर समुदाय को "अनैतिक" और "अपराधी" के रूप में चित्रित किया। "क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871" के अंतर्गत हिजड़ा समुदाय को निगरानी और नियंत्रण की श्रेणी में रखा गया। इससे समाज में उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। औपनिवेशिक सत्ता ने केवल राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बल्कि उसने भारतीय समाज की सांस्कृतिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया। परिणामस्वरूप वह समुदाय जो कभी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा था, धीरे–धीरे सामाजिक बहिष्कार का शिकार बन गया।

ट्रांसजेंडर समुदाय और शिक्षा :

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है, किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय तक इससे वंचित रहा। अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि ट्रांसजेंडर बच्चों को विद्यालयों में उपहास, हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ता है (NHRC, 2025, पृ. 18). ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं होता, बल्कि अक्सर वह भय, असुरक्षा और अपमान का अनुभव बन जाता है। साथी विद्यार्थियों द्वारा मजाक उड़ाना, शिक्षकों की असंवेदनशीलता तथा परिवार का अस्वीकारात्मक व्यवहार उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश कर देता है। कई ट्रांसजेंडर बच्चे किशोरावस्था तक पहुँचते–पहुँचते विद्यालय छोड़ देते हैं।

UNDP की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं की (UNDP, 2025). यह स्थिति केवल आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक अस्वीकृति और सांस्कृतिक बहिष्करण का परिणाम भी है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक लैंगिक विविधता के प्रश्न को नजरअंदाज करती रही। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर समुदाय का उल्लेख लगभग अनुपस्थित रहा है। परिणामस्वरूप विद्यार्थी लैंगिक विविधता को समझने के बजाय रूढ़िगत धारणाओं को ही सत्य मान लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था में मौजूद यह अदृश्य भेदभाव ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। लगातार अपमान और असुरक्षा की भावना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। कई विद्यार्थी अवसाद, चिंता और सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं। हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक पहलें हुई हैं। केरल सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित की हैं (चारासंगसंबून 2023). केंद्र सरकार की "SMILE" योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जा रही हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रवेश प्रपत्रों में "थर्ड जेंडर" श्रेणी को सम्मिलित किया है। फिर भी समस्या केवल प्रवेश तक सीमित नहीं है। वास्तविक प्रश्न सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षिक वातावरण का है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ट्रांसजेंडर अस्मिता :

समाजशास्त्र समाज, संस्कृति और शक्ति–संबंधों का अध्ययन करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि समाज किस प्रकार "सामान्यता" और "विचलन" की अवधारणाओं का निर्माण करता है।

संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण :

संरचनात्मक–कार्यात्मक सिद्धांत समाज को एक संगठित तंत्र के रूप में देखता है, जहाँ प्रत्येक संस्था का निश्चित कार्य होता है। परिवार, धर्म, शिक्षा और राज्य जैसी संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती हैं। पारंपरिक समाज में लैंगिक भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित थीं। पुरुष को शक्ति, अधिकार और सार्वजनिक जीवन से जोड़ा गया, जबकि स्त्री को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस द्विआधारी व्यवस्था को चुनौती देते हैं, इसलिए समाज उन्हें "विचलन" के रूप में देखने लगता है। यह दृष्टिकोण यह समझने में सहायता करता है कि क्यों कई समाज ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक अस्थिरता का कारण मानते हैं। वास्तव में समस्या ट्रांसजेंडर पहचान में नहीं, बल्कि उस कठोर सामाजिक संरचना में है जो विविधता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती।

संघर्ष सिद्धांत :

ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर रखकर प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी सामाजिक शक्ति बनाए रखता है। आर्थिक रूप से निर्भर और सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया समुदाय सत्ता संरचना को चुनौती देने में असमर्थ रहता है। संघर्ष सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण, रोजगार और शिक्षा की माँग केवल कल्याणकारी योजनाओं का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और संसाधनों के पुनर्वितरण का प्रश्न है।

प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद :

यह दृष्टिकोण बताता है कि समाज व्यक्ति की पहचान को सामाजिक प्रतीकों और व्यवहारों के माध्यम से निर्मित करता है। "हिजड़ा", "छक्का" जैसे अपमानजनक शब्द केवल भाषा नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कलंक के प्रतीक हैं। लगातार नकारात्मक संबोधन व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

क्वीयर सिद्धांत :

क्वीयर सिद्धांत लैंगिक पहचान की स्थिर धारणाओं को चुनौती देता है। यह सिद्धांत मानता है कि लैंगिकता बहुआयामी और परिवर्तनशील है। ट्रांसजेंडर अस्मिता को समझने के लिए यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह "सामान्य" और "असामान्य" की सामाजिक परिभाषाओं पर प्रश्न उठाता है। क्वीयर सिद्धांत यह बताता है कि लैंगिक पहचान कोई जैविक नियति नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित अनुभव है।

ट्रांसजेंडर समुदाय और सामाजिक बहिष्करण :

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और रोजगार क्षेत्रों में बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परिवार से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वे भीख मांगने, नाच–गाने या यौन कार्यों पर निर्भर हो जाते हैं (बास्की और अन्य, 2025, पृ. 3310). सामाजिक बहिष्करण केवल आर्थिक नहीं होता। यह भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कार्य करता है। समाज ट्रांसजेंडर व्यक्ति को "दूसरा" मानता है। उन्हें मनोरंजन का विषय बना दिया जाता है, जबकि उनकी वास्तविक समस्याएँ अदृश्य कर दी जाती हैं।

परिवार किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण की पहली संस्था होता है। यदि परिवार ही किसी व्यक्ति की पहचान को अस्वीकार कर दे, तो उसका सामाजिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किशोरावस्था में ही घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

सार्वजनिक स्थानों पर भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, किराए के मकानों और सार्वजनिक परिवहन तक में भेदभाव झेलना पड़ता है।

मीडिया में भी लंबे समय तक ट्रांसजेंडर पात्रों को हास्य या भय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं।

सामाजिक बहिष्करण का सबसे गंभीर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार अस्वीकृति और अपमान व्यक्ति में हीनता, अकेलेपन और अवसाद की भावना उत्पन्न करते हैं। समाज अक्सर यह भूल जाता है कि सम्मान और स्वीकृति भोजन और आश्रय जितनी ही मूलभूत मानवीय आवश्यकताएँ हैं।

शिक्षा और सामाजिक स्वीकृति :

शिक्षा सामाजिक चेतना को विकसित करती है। जब विद्यालय और विश्वविद्यालय लैंगिक विविधता को स्वीकार करते हैं, तब समाज में भी संवेदनशीलता बढ़ती है। ट्रांसजेंडर शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति सामाजिक धारणाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (पण्डित, 2023). जब समाज ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जिम्मेदार भूमिकाओं में देखता है, तब उनके प्रति सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ती है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक सम्मान से गहराई से जुड़ी होती है। बेरोजगारी और गरीबी सामाजिक हाशियाकरण को और अधिक बढ़ा देती हैं। शिक्षा समाज में संवाद और सह–अस्तित्व की भावना विकसित करती है। यदि विद्यालयों में बचपन से ही लैंगिक समानता और विविधता के विषय में संवेदनशील शिक्षा दी जाए, तो भविष्य में भेदभाव की प्रवृत्ति कम हो सकती है। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। यदि समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तो शिक्षित ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी भेदभाव का सामना करेंगे। आधुनिक समाज अक्सर "इन्क्लूसिविटी" के पोस्टर छाप देता है, लेकिन व्यवहार में संवेदनशीलता अभी भी अधूरी है।

सरकारी पहल और नीतियाँ :

भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई योजनाएँ आरंभ की हैं। NALSA निर्णय, 2014 ने ट्रांसजेंडर समुदाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा "SMILE" योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार मेले और आरक्षण संबंधी पहलें भी की हैं (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2023). केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील नीतियाँ अपनाई हैं। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित की हैं। हालांकि नीति और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। कानून बनाना अपेक्षाकृत सरल है। सामाजिक चेतना बदलना कहीं अधिक कठिन कार्य है। जब तक प्रशासनिक संस्थाएँ, विद्यालय और समाज मिलकर संवेदनशीलता विकसित नहीं करेंगे, तब तक नीतियों का प्रभाव सीमित ही रहेगा।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है, किंतु ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से उन्हें लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया। प्राचीन भारतीय परंपरा में जहाँ तृतीय लिंग को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, वहीं आधुनिक सामाजिक संरचना ने उन्हें बहिष्कार, उपेक्षा और असमानता का सामना करने के लिए विवश किया (गुप्ता एवं गुप्ता, 2023, पृ. 14)। शिक्षा के अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता और संस्थागत भेदभाव ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को और अधिक जटिल बना दिया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में असुरक्षित वातावरण, परिवार द्वारा अस्वीकृति तथा रोजगार के सीमित अवसर इस समुदाय को मुख्यधारा से दूर कर देते हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में कानूनी मान्यता, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से परिवर्तन की संभावनाएँ उभरती दिखाई देती हैं।

आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाया जाए, ताकि ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को भय और भेदभाव के बिना सीखने का अवसर मिल सके। साथ ही समाज को भी अपनी पारंपरिक और रूढ़िगत मानसिकताओं से बाहर निकलकर लैंगिक विविधता को मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार करना होगा। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक प्रगति केवल तकनीकी विकास से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे उपेक्षित समुदायों को कितनी समानता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है।

संदर्भ सूची :

- बास्की, एम., एस. एस. चौहान, ए. उर्वशी, ए. अवस्थी, और एस. के. सिंह। "एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सक्लूजन : स्ट्रक्चरल बैरियर्स शेपिंग द लाइव्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज इन अर्बन इंडिया।" लेक्स लोकैलिस, खंड 23, विशेषांक 5, 2025, पृ. 3305–3315
- चक्रवर्ती, ज्योति., अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री : द थर्ड डिजाइन (1857 ए.डी.–2014 ए.डी.). रूटलेज स्टडीज इन मॉडर्न हिस्ट्री, 2014
- चारासांगसोम्बून, वी., "केरल, इंडिया सेट्स कोटा फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स।" गवइंसाइडर एशिया, जुलाई 2023
- गुप्ता, आकांक्षा, और अभिषेक गुप्ता., "एक्सप्लोरिंग थर्ड–जेंडर्स इन एंशिएंट इंडिया : इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, सेक्स एंड रिलिजन।" 2023
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग., ट्रांसजेंडर पर्सन्स : इंसाइट्स फ्रॉम गरिमा गृह शेल्टर्स एंड बियॉन्ड. एन. एच.आर.सी., 2025
- नंदा, सेरेना., नीदर मैन नॉर वूमन : द हिजड़ाज ऑफ इंडिया. वाड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी, 1990
- पंडित, ए., "फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला इन दिल्ली अशर्स इन होप।" टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 मार्च 2023
- यूएनडीपी., एवरी आइडेंटिटी काउंट्स : ब्रेकिंग बैरियर्स फॉर ट्रांसजेंडर यूथ इन इंडिया. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2025
- विल्हेम, अमारा दास., तृतीय–प्रकृति : पीपल ऑफ द थर्ड सेक्स. गाल्वा, 2003

मेल आईडी – indalia.pardeep9@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 162-172

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Analysis of Consumer buying behaviour towards online shopping in Vindhya Region

Anjali Shrivastava, Research Scholar

Dr. Swati Singh Chauhan,

Commerce Department, Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Abstract :-

India has the world's 4th largest Internet user base, which crossed the 100 million mark recently. Better connectivity, booming economy and higher spending power helped the Indian e-commerce market revenues to cross $500 million with a CAGR of 103% over last 4 years. This may not be a significant number, averaging to only around $5 per user per year.

In the era of globalization electronic marketing is a great revolution. Over the last decade maximum business organizations are running with technological change. Online shopping or marketing is the use of technology (i.e., computer) for better marketing performance. And retailers are devising strategies to meet the demand of online shoppers; they are busy in studying consumer behavior in the field of online shopping, to see the consumer attitudes towards online shopping. Therefore it has decided to study consumer's attitudes towards online shopping and specifically studying the factors influencing consumers to shop online. With the above background in mind, this research has been conducted to gain an insight into the online buying behaviour of consumers. The objective is to explore the factors which influence online purchase, the psychographic profile of the consumer groups and understanding the buying decision process.

Keywords :- Consumers Buying Behaviour, Internet, Online Shopping.

Introduction :-

Online shopping is basically a process of selling and buying of goods and services on Internet. As (Forsythe and Shi, 2003) explains" Internet shopping has become the fastest-

growing use of the Internet; most online consumers, however, use information gathered online to make purchases off-line".

Online shopping in the Vindhya region is growing rapidly due to improved internet access and convenience, though traditionally dominated by offline retail. Key drivers include convenience, competitive pricing, and variety. The trend is heavily influenced by young consumers and urban adoption, with key challenges including security concerns and a preference for cash on delivery.

Key Findings on Consumer Behaviour in the Region :

- **Growing Adoption:** The region is experiencing a shift in clothing shopping preferences from traditional stores to online platforms.
- **Influencing Factors:** Consumers are attracted by the ease of home delivery, a wider selection of products, and competitive pricing, according to the study of clothing shopping preferences.
- **Demographic Profile:** Online shopping is increasingly popular among the young generation and is driven by urban convenience.
- **Barriers:** Key inhibitors to widespread adoption include safety and privacy concerns, as well as the inability to physically touch or test products.
- **Preferred Payment:** Cash on Delivery (COD) remains a preferred payment method due to mistrust or security concerns regarding online transactions.
- **Product Categories:** Clothing is among the most popular online shopping items, says a study on consumer buying behavior towards online shopping.

The shift towards online shopping is accelerating, but offline retail continues to hold a strong position due to the cultural preference for tangibility in the region.

Types of internet users: Shoppers vs. browsers.

As Forsythe and Shi (2003) mention internet users can be categorized in to two Internet Shoppers and Internet Browsers, Internet shoppers are the people who shop online whereas internet browsers are the people who just browse the internet other than shopping purpose.

Factors influencing consumer to shop online :

Though there are several factors that influence consumers to shop online, but as mentioned above researchers have selected four factors after reading literature in the field on consumer attitudes towards online shopping and these factors are discussed below in the light of previous literature.

A. Convenience :

Convenience factor refers that it is easy to browse or search the information through online is easier than the traditional retail shopping. Through online, consumers can easily search product catalog but if the consumer look generally for the same product or item in a traditional store manually it is difficult to visit physically and time consuming also. Darian (1987) mention that online shoppers carry multiple benefits in terms of convenience, such as

less time consuming, flexibility, very less physical effort and convince in terms of shop at any time as well.

B. Time saving :

Time savings is one of most influencing factors of online shopping. Browse or search an online catalogue can save time and patience. People can save time and can reduce effort by shopping online. According to Rohm and Swaminathan's (2004), one possible explanation that online shopping saves time during the purchasing of goods and it can eliminate the traveling time required to go to the traditional store.

C. Website design/features :

Website design and online shopping activity is one of the vital influencing factors of online shopping. Website design, website reliability/fulfillment, website customer service and website security/privacy are the most attractive features which influence the perception of the consumer of online buying Shergill & Chen (2005).

D. Security :

Security is another dominant factor which affects consumers to shop online. However many internet users avoid online shopping because of credit card fraud, privacy factors, non delivery risk, post purchase service and so on. But transaction security on the online shopping has received attention Bhatnagar and Ghose (2004).

Consumer Behaviour :

Consumer's attitude towards online shopping refers to their psychological state in terms of making purchases over the Internet. Online buying behavior process refers to the products purchased online. Attitudinal issues are also thought to play a significant role in e-commerce adoption; that is to say, through motivation and perception, attitudes are formed which, in turn, directly influence decision making. Therefore, understanding consumer attitude toward online shopping helps marketing managers to predict the online shopping rate and evaluate the future growth of online commerce.

Online Shopping in Small towns in India :

A new report by the Boston Consulting Group says online retail in India could be a $84-billion industry by 2016 more than ten times its worth in 2010 . Internet and online retail sites have emerged as the great leveller. India has become the third-largest Internet market, based on the total number of users, and 60 percent of these come from smaller towns. For many Indians, booking railway tickets online was their introduction to Internet shopping. The government railways ticket booking portal irctc.co.in and travel firm MakeMyTrip Ltd, which is listed on NASDAQ, revolutionised the travel industry at a time when buying train tickets meant waiting for long hours at railway counters.

Reasons :

It is a fact that a great online shopping revolution is expected in India in the coming years. There is a huge purchasing power of a youth population aged 18-40 in the urban area. If we observe the growth of Internet Subscribers we found that, it is getting doubled year by year. The usage of internet in India is only 4% of the total population. This is also getting increased

day by day as the costs of computers are decreasing and net penetration is increasing. The cost of internet usage is also getting lower, with good competition among the providers. Wi-Fi & Wimax system has also started in India along with 2G and 3G services by many Internet Service providers. wireless internet has increased the internet accessibility and usage in India. Besides there are about 200 million of middle- class population having good spending powers. These people have very little time to spend for shopping. Many of them have started to depend on internet to satisfy their shopping desires.

Internet is changing the way consumers shop and buys goods and services, and has rapidly evolved into a global phenomenon. Many companies have started using the Internet with the aim of cutting marketing costs, thereby reducing the price of their products and services in order to stay ahead in highly competitive markets. Companies also use the Internet to convey, communicate and disseminate information, to sell the product, to take feedback and also to conduct satisfaction surveys with customers.

Customers use the Internet not only to buy the product online, but also to compare prices, product features and after sale service facilities they will receive if they purchase the product from a particular store. Many experts are optimistic about the prospect of online business.

Online shopping is definitely a great way to shop with everything available on the websites. From clothes, gift items, food, home needs, medicines, and many more, this mode of shopping allows one to shop conveniently without hassle on spending hours in a supermarket or shopping arcas. Thc Interncl with its widc array of information nooks, allows thc customcr to go through various reviews of the product or service before actually heading for purchases. These online shopping websites also have daily deals for the customer looking for discounts and store offerings.



GAINT PLAYER S IN INDIAN ONLINE SIIOPPING

Flipkart.com is an e-commerce website founded by SachinBansal and BinnyBansal in 2007. Both are from IIT Delhi Alumni a nd also worked in Amazon.com.

Flipkart.com ranks #502 in world according to Alexa traffic rankings. In Google page it ranks #6 It forms advertising revenue of $4.8 million. It receives 2.2 million page vi ews in a day and generates $6,574 in advertising revenue every day. Moreover it has certain losses 0.60% in traffic ranking. Loading time of an average page is 2.1 sec as it is much faster than 29% of sites around the world. The mode o f payments include Credit card, Debit card, Net banking, e-gift vouchers, cash on delivery.

eBay is an online shopping w ebsite a consumer to consumer corporation whic h helps the people and businessman to buy and sell products worldwide. It is operated to a lmost 30 countries.

cBay ranks #544 among Alcx a traffic ranking. In Googlc it has pagcrank #6 . Thc advertising revenue inculcated was about $4.4 Million. Moreover it receives 2 million pageviews per day which generates $6,066 in the advertisement revenue. Recently it has show n 15.13% growth in traffic rank. The pageloading time is upto 2 sec which is likely faster than 24 % sites across the world.

Snapdeal deals with onli ne marketing of products including Mobiles, E lectronics, Fashion accessories, Apparel, Footwe ar, Kids, Home and Kitchen, Sports, Books; a nd services like Restaurants, Spas & Entertainment. It was launched by KunalBahl, a Wharton graduate and RohitBansal, alumnus of IIT Delhi, in February 2010.

It ranks #576 in the world as per Alexa traffic ranking.It ranks # 5 in Goo gle PageRank. The advertising revenue is abou t $4.2 million. It receives 1.9 million page vi ews in a day and generates $5,729 in advertising revenue. It has suffered loss of 4.16 % in traffic ranking. The loading time of an average page is 1.6 sec which is faster than 46% of sites across the world.

It is an online shopping com merce for Home; Lifestyle & Fashion e-retaile r founded in 2009 BigShoeBazaar.com has a user base of about 1.5 million people. Yebhi.com offers lifestyle & Home products and products from a range of some 250 brands to its customers dealing in Shoes, Apparels, Bags, M obiles, Cameras, Sunglasses, Watches, Home furnishing, Home decor, Home ware, Lingerie an d Fragrances.

It ranks #1,782 among Alexa traffic ranking. It ranks #4 in Google page r anking. Advertising revenue is about $1.4 million. It receives 617,284 page views per day gene rating $1,852 in advertising revenue. It has re cently shown 6.70 Growth among traffic ranking. The page loading is about 2 sec which is fastcr than 39% of sitcs around thc world.

The International giant E-Commerce retailer recently stepped into India with a Indian version site www.amazo n.in, since the launch, amazon.in has se cn a nicc growth in thc numbcr of customcrs. Amazon.com too had a huge number of Indian customers even before it launched store in India. The store hosts wide range of products like Electronics, Mobiles, Laptops, Books, Fashion, Jewellery, Kitchen ware and more

A rcputcd onlinc shopping rc tail wcbsitc having hcadquartcr in Gurgaon, Shop clucs. com maintains more than 12,000 merchants who are registered with the company. It is one of the top ecommerce websites in India, which deals in more than 2 million products. They guarantee authenticity of pr oducts, warranty and even ensure lowest price. They even have a record of catering to more than 42 million online visitors. The company has even more than 350 registered employees across the country. T hey offer wide range of branded products to consumers from every corner of the country.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The objective of this research study is to investigate online consumer behavior, which bin turn provides E-marketers with a constructional framework for fine-tuning their E-businesses' strategies. The specific objectives of this research are:

1. To know the consumers awareness and perception about the products and services provided on internet.
2. To know how it provides products and services and satisfies their customers.
3. To know how it reduces the uncertainty in purchase decision process.
4. To know the consumer buying behavior towards online shopping in Vindhya Region
5. To find out the factors which influences the consumers decision making process in purchasing a online shopping
6. To study about the most effective advertising media for promotion of online shopping.

RESEARCH METHODOLOGY

Research design specifies the methods and procedures for conducting a particular study. A research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of the data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. In short Research design helps reader to understand what strategies are used to collect the data.

Research Method : Saunders, Lewis, and Thornhil (2000) suggests that quantitative research can be faster as compare to qualitative as it is possible to forecast the time schedule, whereas qualitative can be relatively long in duration. So my research regarding Analysis of online shopping behaviour of youth customers in Rewa is a descriptive research because an attempt was made to draw a picture of our topic as what are the factors that influence consumers to shop online.

Data Collection : For the purpose of analyzing the situation it is necessary to collect the vital information from two types of data, these are-

- Primary Data & Secondary data

As our respondents are geographically scattered and Kumar (1999) suggests that use of questionnaire may be the only choice of data collection as if respondents are geographically scattered. Therefore primary data collection method has been used that include questionnaire from consumers as what are the factors that influence consumers to purchase online. As our study covers Rewa online shoppers so we feel it would be easy for us to distribute the questionnaire and then analyze the situation.

HYPOTHESIS OF THE STUDY

- There is higher online buying intention among man than women.
- There is higher online buying intention among higher level of education than the lower level of education.

- There is higher online buying intention among upper income group than the lower income group.
- There is higher online buying intention among upper age group than the lower age group.
- There is higher online buying intention those having relation computer related field than not computer related field.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION :-

Gender :

Particular	No. of Respondent	% of Respondent
Male	66	66%
Female	34	34%
Total	**100**	**100%**

Interpretation :-

Above the data shows that the 66% respondent in male and 34% respondent are female.

Education qualification

Particular	No. of Respondent	% of Respondent
H.School/Diploma	18	18%
Bachelor Degree	40	40%
Master Degree	34	34%
Ph.D & Others	8	8%
Total	100	100%

Interpretation :-

Above the data shows that the 40% Respondents are qualified in Bachelor degree 34% respondent are qualified in master degree 8% are Ph.D. degree & 18% Respondents are qualified in High School/Diploma.

Income level

Particular	No. of Respondent	% of Respondent
Less than 20000	11	11%
20000-40000	28	28%
40000-60000	42	42%
60000-80000	13	13%
More than 80000	6	6%
Total	100	100%

Interpretation :-

Above the data shows that the 42% Respondents income level is 40000-60000 28%

Respondents income level 20000-40000, 11% Respondents income level is less than 20000, 13% Respondents income level is 60000-80000, 6% income level is more than 80000.

I think mobile shopping on the internet saves time.

Particular	No. of Respondent	% of Respondent
Strongly Disagree	1	1%
Disagree	2	2%
Indifferent	11	11%
Agree	76	76%
Strongly Agree	10	10%
Total	100	100%

Interpretation :-

Above the data shows that the 76% Respondents agree with mobile shopping on the internet saves time 10% strongly agree 11% indifferent, 2% Respondents disagree & 1% Respondents Strongly Disagree with this favour

Mode of payment.

Particular	**No. of Respondent**	**% of Respondent**
Online banking	6	6%
Credit Card	14	14%
Debit Card	25	25%
Cash on Delivery	55	55%
Total	**100**	**100%**

Interpretation :-

Above the data shows that 6% respondent make payment from online banking, 14% respondent use credit card for payment, 25% respondent use debit card for payment and 55% of respondent use cash on delivery.

Which of the following category of product do you prefer to buy online?(Please tick)

Particular	**No. of Respondent**	**% of Respondent**
Apparels	38	38%
Electronic Products	20	20%
Books	14	14%
Gifts	28	28%
Total	**100**	**100%**

Interpretation :-

Above the data shows that 38% respondent prefer to buy apparels, 20% respondent

prefer to buy electronic products, 14% respondent prefer to buy books and 28% respondent prefer to buy Gifts online.

Which are the websites that you visit frequently for the shopping purpose?

Particular	No. of Respondent	% of Respondent
Flipkart	20	20%
Amazon	28	28%
Snapdeal	22	22%
IRCTC	20	20%
Paytm	10	10%
Total	100	100%

Interpretation :-

Above the data shows that 20% respondent used flipkart website to purchase products, 24% respondent use Amazon website to purchase products, 22% respondent use snapdeal website to purchase products, 20% respondent used IRCTC and 10% respondent use paytm .

What is the average amount that you spend per purchase while shopping online?

Particular	No. of respondent	% of Respondent
< Rs 1000	35	35
Rs 1000-2000	22	22
Rs 2000-Rs 5000	23	23
Rs 5000-Rs 10000	11	11
> Rs 10000	9	9
Total	**100**	**100**

Interpretation :-

Above the data shows that 35% respondent <Rs. 1000, 22% respondent spend Rs. 1000-2000, 23% respondent spend RS. 2000-5000, 11% respondent spend Rs. 5000-10000 and 9% respondent spend Rs. >Rs. 50000 in purchase products online.

CONCLUSION :-

This research shows that online shopping is having very bright future in India. Perception towards online shopping is getting better in India. With the use of internet, consumers can shop anywhere, anything and anytime with easy and safe payment options. Consumers can do comparison shopping between products, as well as, online stores.

This study is mainly focus on the factors from the Internet and examines those factors that affect the consumer's online shopping behaviours. The research focus on the Internet

shopping (include the nature of Internet shopping, E-commerce website, and online security, privacy, trust and trustworthiness) and online consumer behaviours (include background, shopping motivation and decision making process). Those factors were looked at, and examined to reveal the influence at online consumer behaviours. In addition, the previous researches were used to help researchers understanding more comprehensively. Moreover, the customer's purchase decision making process was also examined to identify the potential factors. The information search is the most important factor that helps the customers find the suitable products or services for their needs.

Our findings should help an Internet Marketer to determine the product/service categories to be introduced or to be used for marketing for a specific segment of consumers. This would also allow them to add or remove services/features which are important in the buying decision process. This study however does not aim to identify newer areas to introduce new services, nor should it be used to predict the success or failure of internet ventures.

1. The most preferred product of online buying is travelling tickets and clothing remains the least preferred choice of online shoppers.
2. Among the payment options, Payment on delivery through cash in the safest choice of payment, while credit card are next preferred choice, online bank transfer is least preference choice.
3. Online shoppers seek for clear information about product and service, time saving, convenience, security and delivery on time are all important factor for online shopping. The offers with punch lines "Attractive offers" do not attract online shoppers.
4. Most of the consumers who have experienced online shopping are very satisfied.

SUGGESTIONS :

- We find through this study that the demographical issues like age, education and income were agree for online shopping but the rate is high when the respondent are young, when the education is higher the respondents were agree for the same and the higher income group respondents are strongly agree for the same. It means an awareness programme for online shopping is very necessary. The Government should be planned for awareness towards online shopping through T.V; F.M; internet; leafs; wall writings; through loud speakers.
- Most respondents are aware for the good condition of goods which is booked online. They said that when they got the goods are so different and many times found damaged so it is the biggest problem. We suggest that the products will receive by the recipients after physical verification means in front of hawkers are agents. If the products are the same as description on internet and in good condition it should be

receive otherwise the product will return to the vendors.

- An average respondents are agree for difficulty in returning the products so we suggest that the every vendors has to be a district wise customer service centers where the problems will be resolved at an early date and time.
- After the survey we find that the consumer has been facing psychological risk, such as disappointment and frustration of shopping online, which is mainly caused by the privacy information lost. On the Internet, the privacy information could be tracked and collected, and then it can be used to sharing with third parties, in order to send spam mails or emails. The Federal Trade Commission (FTC) has statutory authority to prohibit the web site to
- ability to comprehensively control every activity among the Internet. But we suggest that at least district wise regulatory commission will be made.
-

REFERENCES :-

1. Zhang, Ping and Gisela M. von Dran. 2000. "Satisfiers and Dis-satisfiers: A Two-Factor Model for Website Design and Evaluation", Journal of the American Society for Information Science, vol. 5, no. 14, pp. 1253–1268.
2. Rao. B. (1999): "The Internet and the revolution in distribution: A cross-industry Examination", Technology in Society, vol. 21, no. 3, pp. 287-306
3. Delone, H.W. and McLean R.E. (2004) : "Measuring e-Commerce Success: Applying Information Systems Success Model ", International Journal of Electronic commerce, vol 9, no 1, pp 31
4. Cuneyt, K. Gautam, B.(2004). The impacts of quickness, price, payment risk, and delivery issues on on-line shopping, *Journal of Socio-Economics*, Vol.33, PP.241–251.
5. Ali S S, Models in Consumer Buying Behaviour, Deep & Deep Publications.
6. Ramaswami & Namakumari, Marketing Commerce-Planning, Implementation and Control, MacMillan India Ltd, New Delhi
7. Bhatnagar, A, Misra, S., and Rao, H. R., 'Online risk, convenience, and Internet shopping behavior,' Communications of the ACM 2000
8. Kothari C R, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2nd edition , New Delhi, New Age International Publishers, 1994.
9. Varshney R L, Gupta S L, *Marketing Commerce*: An Indian Perspective, 2nd edition, New Delhi, Sultan Chand & Sons Educational Publishers, 2004.
10. Darian, J.C.(1987).In-Home Shopping: Are There Consumer Segments? *Journal of Retailing*, Vol.63,PP. 163-186.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 173-177

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नागपुरी लोकसाहित्य में प्रकीर्ण साहित्य का स्थान

डॉ० इन्द्र भूषण भगत
नागपुरी भाषा।

नागपुरी भाषा ग्रामीण परिवेश की भाषा हैं। आर्य भाषा परिवार के होने के बावजूद नागपुरी प्रायः जनजातीय समूह के अन्तर्गत आनेवाली कुँड़ुख़, मुण्डारी, खड़िया, असुर, बिरजिया, कोरवा भाषी समुदाय के बीच अपनी विशेष प्रभाव रखने वाली भाषा है। साथ ही कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया जैसी आर्य भाषा समूह की भाषाओं के साथ इसका अटूट संबंध है। प्रायः इन तीनों भाषाओं को बोलने वाले आस्ट्रिक, द्रविड़ समूह के लोग नागपुरी (सादरी) का इस्तेमाल घरों में, बाजारों में या अन्य सार्वजनिक जगहों में सामान्यतया धड़ल्ले से करते हैं। देखा गया है कि कहीं–कहीं अपनी भाषाओं को छोड़कर या भूलकर ये नागपुरी भाषी हो गए हैं।

दूसरे समाज के कई परिवारों के लोगों ने भी नागपुरी भाषा को अपना लिया है। इस तरह इसकी व्यापकता का श्रेय असीमित है, क्योंकि इन सबके बीच नागपुरी भाषा आर्य समुदाय की अपनी विशेषताओं को बिखेरती हुई सम्पर्क भाषा के रूप में अपना महत्व रखती है। झारखण्ड की सीमावर्ती राज्यों बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक अपनी व्यापकता में यह पसरी है। एक जनजाति का सदस्य दूसरी जनजाति के सदस्य के साथ इसी भाषा में सम्पर्क साध सकता है। यह अपनी सरलता, सुगमता, सुलभता के कारण विचार विनियम के लिए लोगों के बीच स्वाभाविक साधन के रूप में विकसित जान पड़ती है। इसके गीत, मुहावरे, कहावत, लोककथा, पहेली आदि का विस्तार अन्य भाषाओं तक पहुँचा है। जिसका पीढ़ीगत प्रभाव वहाँ तक कायम है। मिश्रित सांस्कृतिक परम्पराओं में इस भाषा के लोक साहित्य अन्य जातियों तक अपनी पैठ रखते हैं।

नागपुरी लोक साहित्य और प्रकीर्ण साहित्य :

यद्यपि यह (नागपुरी) सदानों की भाषा है, परन्तु अन्य समाज के लोगों द्वारा बोलने, गाना गाने के प्रयोग में परिलक्षित है। बालगीत, खेलगीत, लोकगीत आदि के रूप में इसके प्रकीर्ण साहित्य की सर्वव्यापकता ग्रहित स्वरुप में जगह पाती है, जो जनजातीय समाज के अमोद–प्रमोद का सटिक माध्यम भी है। सभ्यता के विकास के पूर्व से ही यह जनजातीय समाज का अंग है। नागपुरी प्रकीर्ण साहत्य समाज के मानसिक विकास, वाक्चातुर्य, वाक्पटुता जैसे गुणों के लिए ज्ञान की सहचर क्रियाएँ प्रतिबिम्बित करती हैं। आधुनिक सभ्यता और जीवन पद्धति के निर्वाह में भले ही इसकी सार्थकता मधिम होती दिखाई पड़ती है, अपितु अभी भी रूढ़िवादी सोच वाली जनता में तंत्र–मंत्र के सहारे निजात पाने के लिए आस्था की केन्द्र बिन्दु है। इस तरह तंत्र–मंत्र नागपुरी भाषा में ही प्रचलित है। दूसरे समाज के भगत, ओझा, गुणी भी मंत्रादि नागपुरी भाषा (सादरी) में ही कार्य सम्पन्न कराते हैं। भले ही सभ्य समाज इसे अंधविश्वास कह ले या कुप्रथा की प्रकृति। डायन, बिसाही विश्वास का कलंक भी

झारखण्ड में अभिशाप है। एक ओर ओझा गुणी किसी के धन कमाने का जरिया है तो किसी के लिए दोशमुक्त होने का जरिया। हालांकि इसके सामाजिक विद्वेष, हत्या, अपराध, जैसे दुर्गुणों को बल मिलता है। भले ही आधुनिक समाज में यह विचारधारा भ्रामक धारणाओं को बढ़ाता है या बढ़ा देता है तथा समाज को कलंकित करता है। इससे कई समस्याएँ उत्पन्न होती है। अभी भी कई अत्याधुनिक चिकित्सा के आविष्कारों के मुकाबले समाज इस परम्परा से जकड़ा हुआ है। इस मनोवैज्ञानिक विकृत से सभ्य समाज तथा शासकीय व्यवस्थापक वर्ग चिंतित है। परन्तु ग्राम्य समाज ही नहीं, नागरीय समाज तक भी यह विकृति फैली हुई है।

मंत्र आदि हम साहित्य में चिर संचित विधाओं के रूप में अध्ययन करने पर यह तो इसके प्रचार के आरोप सिद्ध कर सकता है। प्रकीर्ण साहित्य की अन्य विधाएँ, कहावतें, मुहावरों के महत्व को आदिम ग्राम्य समाज के लोकजीवन का आधार मानना गलत नहीं है। अज्ञानता, अशिक्षा के दौर में तमाम तरह का जीवनानुभव, किस्से–कहानियाँ, खेलगीत, लोकगीत, लोक सुभाषितों, मुहावरों में निहित तथ्यों से उनके रचयिता या लोक साहित्यकारों की सृजन की क्षमता, ज्ञान, विवेक जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। उनके मस्तिष्क में इन विधाओं की रचना का विचार यू ही नहीं कौंधा होगा। शनैः शनैः इसका उद्‌भव विकास होता गया। जीवन के उतार–चढ़ाव, दःख, संताप, हर्ष–विषाद में समाज के हिताहित की चिंतनशीलता इन अलिखित साहित्य का खजाना बढ़ता चला गया। यही खजाने नागपुरी व अन्य समाज के लोगों ने अपनाया, सहेजा और इसको विश्लेषण का जरिया बनाया।

कई साहित्यकारों–विद्वानों ने इस साहित्य को बचाने के लिए अपने–अपने स्तर से योगदान किया है। देशी–विदेशी अनुसंधानकर्ताओं ने वर्षों पूर्व ही इन्हें अपने आकर्षण का केन्द्र माना तथा इसके संकलन, संवर्द्धन में हाथ बंटाया, यही कारण है कि आज के परिवेश ने भिन्न–भिन्न कारणों से मिश्रित समाज के लिए इन्हें साहित्य का मुद्दा बनाया। नीति संग्रह से लेकर जन–जन तक उसकी व्यापकता को सार्थक किया। प्रकीर्ण साहित्य का अध्ययन आज प्रासंगिक बन चुका है, क्योंकि लोक साहित्य हो या प्रकीर्ण साहित्य, यही आज के शिष्ट साहित्य का आधार है।

वास्तव में नागपुरी और अन्य समाजों का सामाजिक सम्पर्क रहा है। इसलिए पूर्वजकाल से ही इनकी जीवनशैली के साथ–साथ साहित्यिक, भाषिक निकटता है। जहाँ प्रायः हर पर्व–त्योहार व सामाजिक सभा, समारोहों में इसका परस्पर एक साथ मिलना–जुलना होता रहता है। तभी तो बहुत से जनजातीय परिवारों ने अपनी भाषा भूलकर नागपुरी अपना लिया है।

''झारखण्ड के हरेक पारम्परिक गांवों के मध्य एक अखरा अर्थात् संस्कृति का केन्द्र होता है। जिसमें सदान–आदिवासी प्रति रात्र एक–दो पहर वक्त मिलकर नाचते–गाते एवं बजाते हैं। ये आदिवासी सदान अपने समाज को सुन्दर, सुखी, सरल, सहज तथा पवित्र बनाए रखते हैं। ऊपर से देखने से इन दोनों का जीवन स्तर या शैली एक से प्रतीत होता है और संस्कृति भी एक जैसी लगती है। परन्तु अंदर से गहराई से निरीक्षण किया जाय तो इनके मध्य समानता रहते हुए भी कतिपय जातीय या क्षेत्रीय सांस्कृतिक भिन्नता परिलक्षित होती है। सामान्यतया उराँव, उराँव के साथ या कुँडुख़ जानने वाले सदानों से ही कुँडुख़ में ही बातचीत करने वाले सदानों से ही कुँडुख़ में ही बातचीत करते हैं। उसी तरह सदान सदानों तथा अन्य आदिवासियों से सदानी मूल की भाषा में ही बात करते हैं।''[1]

''उराँव कुँड़ुख़ भाषा मूल रूप से बोलते हैं और दूसरी भाषा के रूप में नागपुरी (सादरी) आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष के उराँव आदिवासी अपनी भाषा कुँड़ुख़ भूल चुके हैं और नागपुरी आदि भाषा को मातृभाषावत् में लाते हैं।''

''लोकगीतों की बात कही जाए तो 80 प्रतिशत के आसपास तक के गीतों को नागपुरी (सादरी) में पाया या सुना जा सकता है, जो उराँवों के पर्व–त्योहारों में समाविष्ट हो चुके हैं।''[2]

यही बात प्रकीर्ण साहित्य की अन्य वर्गों में भी देखा जा सकता है। नागपुरी भाषा मंत्र, नागपुरी भाषा की पहेलियाँ, नागपुरी भाषा के मुहावर जनजातीयों ने अपना लिया है। गीतों के बारे में कहा जा चुका है कि बहुत से गीत जनजातीयों के परिवेश में गाए जाते हैं, जो नागपुरी भाषा के हैं।

''उराँवों के बहुत सारे गीत कुँड़ुख़ के अतिरिक्त नागपुरी में भी भरे पड़े हैं। डब्ल्यू०जी० आर्चर एवं धर्मदास लकड़ा के उराँव लोकगीतों का संग्रह ''लील खेरआ बेखेल'' में इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।''[3]

जहाँ तक साहित्यिक आदान–प्रदान का प्रश्न है, दोनों ही समाज के लोक साहित्य में मुहावरों, कहावतों, बुझौवल (पहेलियों) का भी आदान–प्रदान हुआ है, देखने से पता नहीं चलता है कि मूल रूप से जनजातीयों के हैं या नागपुरी के। कुछ कहावतों या मुहावरों की मौलिकता का पता चल जाता है, जैसे –

कहावत है – **देत बरदा खरी खाय नहीं**
पछे कोल्हू चाटे जाए। (नागपुरी)

भावार्थ – जब बरद को चारा दिया जाता है तो खाता नहीं है, पर बाद में वह कोल्हू को चाटने जाता है।

इसका लक्षणा में अर्थ स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को किसी आमंत्रण्ण पर आपत्ति होती है, किन्तु बाद में समय बीत जाने के बाद वे इसकी इच्छा जताते हैं।

दूसरी कहावत – **अघाल बोकली पोठी तिता**
(पेट भर जाने के बाद या पेट भर जाने पर बगुले
को पोठी मछली तीता लगता है।)

भावार्थ – लक्षणा में यह अर्थ स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को खाने में बहुत मच्छलियाँ मिली, परन्तु बाद में पेट भर जाने पर वह पोठी को तीता (कड़वा) कहकर छोड़ देता है।

उपरोक्त कहावत नागपुरी मूल की है, जिन्हें अनुवाद करने पर तुक के अनर्थ होने की संभावना होती है। इसी तरह कुँड़ुख़ कहावतों का उदाहरण देखा जा सकता है, जो कुँड़ुख़ मूल के हैं –

कुँड़ुख़ कहावत – **उफड़ारना चोट्टो टकुवानु**
तानिन कुड़रिई
(जादा चालाक बनने से मुसीबत आती है)

प्रत्येक कहावत किसी न किसी कहानी पर रची गई है। इस कहानी को अहलाद तिरकी के कुँड़ुख़ पुरखा खीरि में पृष्ठ पर देखा जा सकता है। (अहलाद तिरकी, कुँड़ुख़ पुरखा खीरि, पृष्ठ–74–76)

इसी तरह मुहावरे का भी नागपुरी व कुँड़ुख़ दोनों पक्षों में आना–जाना हुआ है, तथापि कुछ महावरे ऐसे हैं, जिन्हें मौलिकता खो जाने के डर से आधार पर अनुवाद नहीं करके हुबहू रखा गया है, या वे अनुवाद नहीं

किए जा सकते हैं –

मुहावरा – **अंगरी धरते पहुँचा धरेक**

(थोड़ी जगह मिलने पर पूरा पसरने की चाहत)

इस मुहावरा को कुँड़ुख़ अनुवाद नहीं किया जा सकता है।

मुहावरा – **नुन-गुन राखेक - कृतज्ञ होना।**

(किसी का अहसान मंद होना।)

कुँड़ुख़ मुहावरे - ओत्था एख मन्ना - गर्भवती होना।

इसका नागपुरी में सटिक अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि 'ओत्था' का अर्थ वजनी है। जिसे रंजन बहुरिया बजनदार छांइह होलक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसे 'भारी गतर' कहा जा सकता है।

तात्पर्य यह है कि अनुवाद करने की दशा में शब्दों का भावार्थ बदल सकता है या अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

इसी तरह खेलगीतों का सामंजस्य नागपुरी कुँड़ुख़ दोनों ही भाषाओं से बैठता देखा जा सकता है। अधिकांश कुँड़ुख़ खेलगीत नागपुरी भाषा में ही पाए जाते हैं। जिससे यह समझ पाना कठिन है कि इसकी मूल रचना कहाँ से हुई है। खुद कुँड़ुख़ समाज के रचनाकारों ने इनकी रचनाएँ की है अथवा ये नागपुरी मूल से आयातीत है।

1. **"अदर चटकन लेदेर चटकन**
   खैरा कोटी रसरस टोली
   नाम बतउ बेनी भाई
   तब जाबे गंगा पार।"[4]
2. **"निकस रे निकस रे**
   कौड़ी खेलू बिज बिहाने
   कौड़ी के रान-मान
   कौड़ी खेलू बिज बिहाने।"[5]

इससे पता चल सकता है कि दोनों ही भाषाओं में अपने–अपने वैविध साहित्यिक आयाम प्रकीर्ण साहित्य के संदर्भ में व्यापक है। तथापि नागपुरी साहित्य परम्परा में समृद्धतम स्थिति परिलक्षित होती है।

"किसी भाषा का गौरव उसके साहित्य की समृद्धि से होता है। इस दृष्ट से भी नागपुरी में सर्वमान्य जनक सामर्थ है। नागपुरी का समृद्ध साहित्य अपनी सम्पूर्ण विविधता के साथ सुन्दरता, सरसता एवं कलात्मकता में अदृभुत है। सबसे विस्मयकारी और विशिष्ट बात यह है कि नागपुरी में लोकगीतों के अतिरिक्त शिष्ट गीतों की भी एक सुदृढ़ एवं स्वरुप परम्परा है।"[6]

कहा भी गया है कि लोक साहित्य ही शिष्ट साहित्य की धुरी है। अतः प्रकीर्ण साहित्य का स्थान दोनों ही भाषाओं में व्यापकता से विद्यमान रहकर अपने समाज के अतीत का दर्शन कराते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वज जिन्होंने इनकी रचनाएँ की, कितने दूरदर्शी और दार्शनिकता की सोच रखते थे। अर्थात् अपनी बात बतलाने या बातों में वजन डालने के लए मुहावरों, कहावतों का वाचन तथा मनोरंजन के लिए पहेलियों का सृजन

बच्चों के नखरों से बचने तथा उन्हें खेलगीतों में मग्न रखने के लिए उन्होंने विविध बालगीत, खेलगीत की रचनाएँ की। साथ ही मंत्र आदि से व्याधियों में निजात का हल ढूंढ़ा।

अतः देखा जा सकता है कि नागपुरी तथा कुँड़ुख़ दोनों ही भाषाओं में प्रकीर्ण साहित्य का स्थान व्यापक है, जिनसे भाषा के समृद्धिवत्त मधुरता की पराकाष्ठा अभिव्यंजित होती दिखलाई देती है। भले ही आज ये व्यवहार में सिमटते जा रहे हैं। तथापि साहित्यिक अध्ययन के कारण इनकी महत्ता बढ़ती जा रही है। निःसंदेह आने वाले समय में समाज को इनके मौखिक मिठास और रोचकता को स्वीकार कर बोलचाल में अपनाने पर बाध्य होना होगा। कहा जा सकता है कि प्रकीर्ण साहित्य का स्थान दोनों की भाषाओं के लोक साहित्य में अक्षुण्ण रहेगा।

निष्कर्ष :

व्यवहारिक पक्ष की बात की जाय तो नागपुरी तथा जनजातीयों समाज के लोक साहित्य में इस आधुनिकता की हवा अध्ययन विवेचन तक रह गई है। वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रकीर्ण साहित्य का महत्व घटता जा रहा है। यदा–कदा ही बड़े बुजुर्ग मुहावरे, कहावत, पहेलियों का व्यवहार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ–कुछ बालगीतों, खेलगीतों की परम्परा जीवित नजर आती है। हालांकि इसकी सार्थकता या मनोरंजन के हिसाब से ये प्रकीर्ण साहित्य अपना अलग प्रभाव डालती है। वाक्पटुता या तर्क–वितर्क, सषक्त विचाराभिव्यक्ति के लिए कहावतों, मुहावरा, पहेलियों का अद्भुत प्रभावकारी है, जो व्यक्ति के प्रबुद्धता व वैचारिक स्तर को दर्शाती है। अर्थात् तथागत बातों को मजवाने या ओजपूर्ण वक्तव्य के लिए प्रकीर्ण साहित्य का महत्व या व्यवहारिक ज्ञान प्रासंगिक है। इस तरह साहित्य में इस लेख से इसके अस्तित्व और ज्ञान के लिए अपना स्थान बनाता प्रतीत है।

संदर्भ :

1. डॉ० गिरधारी राम गौंझु, ''उराँव एवं सदान संस्कृति'', झारखण्ड झरोखा, राँची–2020, पृष्ठ–12
2. साक्षात्कार के क्रम में – प्रो० अगस्टीन महेश कुजूर, दिनांक–05.02.2023
3. अहलाद तिर्की, ''कुँड़ुख़ पुरखा ख़ीरी'', जी०ई०एल० चर्च प्रेस–1984, पृष्ठ–74–76
4. डॉ० तेतरू उराँव, ''उराँव लोक साहित्य'', झारखण्ड झरोखा, राँची–2021
5. साक्षात्कार के क्रम में – अजय भगत, ''कुगांव' घाघरा, दिनांक–05.02.2023
6. डॉ० वी०पी० केसरी, ''नागपुरी भाषा और साहित्य'', कमल प्रकाशन, कोतवाली, राँची–1971, पृष्ठ–62

मो० नं० 9334032310

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 178-180

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

اردو افسانوی ادب میں آدی باسی زندگی اور ثقافت کی عکاسی

"ایک تنقیدی اور تہذیبی مطالعہ"

ڈاکٹر پرویز اختر
سابق صدر شعبۂ اردو
گڈا کالج، گڈا (سدھو کانہو یونیورسٹی، دمکا)

جواب:۔ آدی باسی ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ان کی تہذیب، رسم ورواج، لوک روایتی، تہوار، زبان، رہن سہن اور فطرت سے گہرا تعلق ہندوستانی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔لیکن سماجی معاشی اور سیاسی سطح پر یہ طبقہ حاشیے پر رہا ہے۔اسی طرح ادب میں بھی آدی باسی زندگی اور مسائل کو وہ توجہ نہیں مل سکی جس کے وہ مستحق تھے۔

اردو افسانوی ادب نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو افسانہ نگاروں نے مظلوم، محکوم اور پسماندہ طبقات کی زندگی کو حقیقت نگاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔مگر آدی باسی زندگی، ان کی تہذیب، سماجی مسائل، استحصال، نقل مکانی اور شناخت کے بحران کی عکاسی پر منظم تحقیقی کام بہت کم ہوا ہے۔

زیر نظر تحقیق اردو افسانوی ادب میں آدی باسی زندگی ثقافت کی نمائندگی کا تنقیدی اور تہذیبی مطالعہ پیش کرے گی۔

آدم قبائل اور ان کا مطالعہ

(الف) آدی باسی لفظ کا مفہوم اور تصور:۔

ہندوستان کے آئین میں آدی باسیوں کا Defination اس طرح دیا گیا ہے:

"یہ ایسے جن جاتیوں کے حصے یا غول ہیں جنہیں آئین کی دفاع 242 کے تحت انوسچت آدم جاتیوں (قدیم آبائی باشندے) کا نام دیا گیا ہے۔"

(ب) جھارکھنڈ کے نمائندہ آدی باسی قبیلہ:۔

اس علاقے میں آدی باسیوں کے جو اہم قبیلے ہیں ان میں اوراؤں، منڈا، ہو، سنتھال، برہور اور کھڑیا ہیں۔

ان قبیلوں کی سماجی زندگی، زبان، سیاست اور تہذیب وتمدن سے جھارکھنڈ میں بسنے والے اردو عوام کا بھی گہرا رشتہ رہا ہے۔

ان موضوعات پر ویسے تو بہت سارے افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے ہیں۔لیکن کچھ بڑے نام جو خصوصیت کے ساتھ ان موضوعات پر طبع آزمائی کئے ہیں۔یہاں پر چند افسانہ نگاروں کے نام پیش کر رہا ہوں جیسے سہیل عظیم آبادی، ذکی انور، گربچن سنگھ، الیاس احمد گدی، غیاث احمد گدی، ش۔ اختر، رفعت بلخی، ایم اے کلیم، شکیلہ اختر، اختر اورینوی اور کہکشاں پروین کے نام قابل ذکر ہیں۔

سہیل عظیم آبادی کی پیدائش عظیم آباد میں ہوئی۔ 1939ء میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کی ہدایت پر جھارکھنڈ کے رانچی میں اردو زبان کی تبلیغ کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اس طرح جھارکھنڈ میں 1939ء سے 1949ء تک 10 سال رہ کر انہوں نے اردو زبان کی فروغ کے لیے کام کیا۔

افسانہ ''عجائب خاں'' کے علاوہ سہیل عظیم آبادی نے اور بھی بہت سارے افسانے لکھے جو آدی باسی زندگی اور کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور ''الاؤ''، ''چوکیدار''، ''بھوک''، ''دل کا کانٹا''، ''ساوتری'' اور ''بے جڑ کے پودے'' وغیرہ۔

ان کے افسانوں پر ٹالسٹائی، چیخوف، موپاساں اور پریم چند کے اثرات نمایاں ہیں۔

ذکی انور بھی اردو کے معروف افسانہ نگار ہیں۔ ان کی پیدائش بہار شریف کے نالندہ ضلع میں ہوئی۔ لیکن 15 سال کی عمر سے وہ آخری وقت تک جھارکھنڈ میں ہی رہے، پڑھے لکھے اور یہیں سے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ آدی باسی زندگی اور کلچر پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں یہاں ان کی لکھی ہوئی دو کہانیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک کہانی کا عنوان ہے ''پہلا دن'' اس کہانی میں جیا منڈا کی بیٹی کلسی ہے جو ایک کالج میں پڑھتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اس لڑکی سے کافی متاثر ہیں۔ اسی طرح دوسری کہانی کا عنوان 'ایک مہاجر' ہے۔ اس کہانی میں بھی جھارکھنڈ کی آب وہوا یہاں کی مٹی اور کلچر کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

اگلے افسانہ نگار گربچن سنگھ ہیں۔ ان کی پیدائش جمشید پور میں ہوئی۔ پڑھ لکھ کر ٹسکو کمپنی میں آڈیٹر کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ انہوں نے بھی آدی باسیوں پر افسانے لکھے ہیں۔ ان کا مشہور افسانہ ''بھوکا سوچ'' قابل ذکر ہے۔

اسی طرح اردو کا نمائندہ افسانہ نگاروں میں ش۔ اختر، یوسف اختر، الیاس احمد گدی اور رفعت بلخی ہیں۔ یہ تمام افسانہ نگاروں نے آدی باسی زندگی اور کلچر پر ایک سے بڑھ کر ایک افسانہ لکھ کر دادِ تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

میری یہ تحقیق اردو ادب میں آدی باسی زندگی اور ثقافت کے مطالعے کو ایک نئی جہت فراہم کرے گی۔ اس سے نہ صرف اردو افسانے کے سماجی شعور کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ حاشیائی طبقات کے مسائل اور ثقافتی شناخت کے مباحث کو تقویت حاصل ہوگی۔

کتابیات

نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف
1	ادب اور زندگی	مجنوں گورکھپوری
2	اردو افسانے	رضیہ سجاد ظہیر
3	اردو زبان اور فن داستان گوئی	کلیم الدین احمد
4	بے جڑ کے پودے	سہیل عظیم آبادی
5	پریم چند کہانی کار رہنما	ڈاکٹر جعفر رضا
6	تحقیق وتنقید	ڈاکٹر اختر اورینوی
7	ترقی پسند تحریک	خلیل الرحمن اعظمی
8	تنقید اور احتساب	ڈاکٹر وزیر آغا

9	تنقیدی تناظر	ڈاکٹر قمر رئیس
10	زنداں کی ایک رات	ش۔اختر
11	نیا افسانہ	وقار عظیم
12	ہندی بھاشا کا اتیہاس	ڈاکٹر دھیریندر ورما

رسائل وجرائد

13	افسانہ نمبر	نقوش۔لاہور
14	بیسویں صدی اور شاعر	افسانہ نمبر۔دہلی، بمبئی
15	زبان وادب	پٹنہ
16	تحریک	نئی دہلی

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 181-191

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੋਜ ਕਰਤਾ

ਡਾ. ਲਤਾ, ਗਾਇਡ

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਭਾਗ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

Abstract: ਸੰਗੀਤ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਹਜ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਸੁਭਾਅ, ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਦਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਉਹ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

Keywords: ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮਾਨਵ ਧਰਮ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿੱਟਾ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ ਪਾਖੰਡ, ਆਡੰਬਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਡਰ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ - ਪਰਾ (ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ), ਪਸ਼ਯੰਤੀ (ਮੂਲਾਧਾਰ ’ਚੋਂ ਉਠਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ), ਮੱਧਮਾ (ਹਿਰਦੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ), ਤੇ ਵੈਖਰੀ (ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ), ਪਰ ਏਥੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ।’’[1] ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ 'ਗੁਰਬਾਣੀ' ਸੰਗਯਾ ਹੈ।"[2] ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

'ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥'

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ, ਮਹਲਾ 3, ਅੰਗ 67)

'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ॥'

(ਮਾਝ, ਮਹਲਾ 3, ਅੰਗ 119)

'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥'

(ਨਟ, ਮਹਲਾ 4, ਅੰਗ 982)

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਰਬਾਬੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੀ। "The Divine Bani has been classified according to the various Raagas and various singing styles. In each and every composition of shabad, a specific title has been assigned such as Raags, Mohalaa, particular forms of Bani as Padey, Asatpadi, Alahunian, Ghorian, Chhant etc. and other terms related to poetry and music which create an original and specific musicological system."[3] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ - ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੂਜਰੀ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸੁ, ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਗੌਂਡ, ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਉ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ... ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਬਿਖੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਆਡੰਬਰ, ਪਾਖੰਡ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ

ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਭਾਵ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"[4] ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ-ਉਸਤਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧਾਤੂ 'ਧ੍ਰੀ' ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਾਰਨਯੋਗ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਧਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਯੁਕਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"[5] ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਬੇਕ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 'ਤੇਰਾ-ਮੇਰਾ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦਿੱਖ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ -

"ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥੧॥"

(ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਅੰਗ-1349)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਊਚ-ਨੀਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

"ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ॥੧॥
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ॥੧॥"

(ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ, ਅੰਗ-1299)

ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਜੇਕਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੀ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ -

"ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ॥
ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ॥
ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ॥"

(ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਅੰਗ 473)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਸੰਗਿਯਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ-

"ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ॥
ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ॥"

(ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਅੰਗ 472)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੋਚ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਥਵਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਆਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਿਆਗ, ਸੱਚਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਪਰੋਪਕਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ -

“ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ॥

ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ॥”

(ਅੰਗ 1378)

ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ॥ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੂਬੋ ਸੰਸਾਰ॥”

(ਰਾਗੁ ਬਸੰਤ, ਅੰਗ 1192)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤੁ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਯਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ

ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-

"ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ॥"

(ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ, ਅੰਗ 763)

ਦਇਆ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸਦਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਮਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਮੀ, ਤਕਲੀਫ਼, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਦਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ "ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ॥" ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। "ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ॥" ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਔਗੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀ

1. ਸੀਤਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (1978), ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਪੰਨਾ 89.
2. ਨਾਭਾ, ਭਾ.ਸਾ. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ (1992), ਗੁਰੁਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਨਾ 384.
3. Singh, Dr. Gurnam, Sikh Sacred Music Gurmat Sangeet (2008), Patiala : Gurmat Prakashan, pg. 11.
4. ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮੇਸ਼ (1957), ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ : ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਹਿਲ, ਪੰਨਾ 308-309.
5. ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (1995), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ : ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਨਾ 32.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 192-198

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Anti Liquor Movements and Mobilisation in the Hilly regions of Uttarakhand: Past and Present

Rakesh Joshi

Research Scholar, Department of Public Administration

Uttarakhand Open University, Haldwani.

Abstract :

The anti-liquor movements and demonstrations in the hilly regions of Uttarakhand represent one of the most sustained and gendered forms of grassroots mobilisation in the history of the state. From colonial era petitions in the 1920s to contemporary protests and demonstrations to this date, these movements have been overwhelmingly led by women. They have challenged state revenue policies, patriarchal structures, and the political economy of alcohol. This paper examines the historical trajectory, ideological foundations, key actors, strategies of resistance, and contemporary manifestations of anti-liquor movement in Uttarakhand. It argues that the movement evolved from Gandhi style satyagraha into a broader critique of policies, gender inequality, and negligence of state, ultimately serving as preparatory ground for larger social movements like Chipko and the movement for separate statehood. The paper draws on primary sources, academic scholarship, newspaper archives, and government records to present a grounded analysis.

Keywords : *Uttarakhand, anti-liquor movement, Chipko movement, gender inequality, patriarchal structures, satyagraha, social movements*

Introduction :

The Himalayan state of Uttarakhand, carved out of Uttar Pradesh on 9 November 2000, has a rich but under-documented history of mobilisations. Anti liquor movements and mobilisations are among the most significant of these. They emerged as a powerful expression of gendered resistance against alcohol revenue policies. The Anti-liquor movement in Uttarakhand was fundamentally a rural, grassroots phenomenon lead predominantly by women (Pathak, 1985).

The movement's significance extends beyond the question of alcohol prohibition. For the women of the hills, alcohol was not merely a social evil but a structural problem that exacerbated

poverty, domestic violence, and erosion of family resources.

This paper traces the movement from its colonial antecedents through its post-independence consolidation, its connection with the Chipko movement, statehood agitations, and its contemporary manifestations. It demonstrates hoe anti-liquor struggle served as a crucible for women's empowerment in Uttarakhand and continues to be relevant in present times.

Colonial Origins and Early Resistance (Late 19th century to 1947) :

The roots of alcohol related struggle in Uttarakhand can be traced to British colonial policies. Alcohol was introduced into the region primarily as a revenue generating mechanism, particularly after the Revolt of 1857, when the British sought to augment provincial income (Pathak, 1985). Initially, liquor was not part of everyday village life in Himalayan villages of Kumaon and Garhwal, "radically transforming the social and political landscape of Uttarakhand" (Pathak, 1985). The revenue imperative led to the opening of liquor shops, a development that was met with resistance from the people.

The colonial administration's greed for revenue created a structural dependency on liquor sales that would persist well into the post-independence period.

Early women's resistance: The 1925 Petition :

In January 1925, a remarkable petition pleading for prohibition pf alcohol, signed by 30,000 women was sent to the Viceroy (Pathak, 1985). This represented one of the earliest organised expressions of gendered political consciousness in the region. The petition was also raised in the legislative Council, indicating that the anti-liquor question has entered the formal political arena (Pathak, 1985).

The petition is not only significant for its scale, but what it reveals about the political agency of women in a deeply patriarchal society. This early mobilisation laid the seeds for more vibrant protests that would emerge in the decades following independence.

Movement and Mobilisation After Independence (1960-1990) :

The 1960s were marked by a series of protests against liquor shops and contractors across Uttarakhand. In 1969, one elderly woman was given the title "Tincturi Ma" for her active involvement against the sale of tincture, a potent alcoholic concoction (Pathak, 1985). This reflected the recognition of women's leadership in the anti-liquor struggle and anticipated the mass mobilisations of the following decade.

The organisational foundations of the post-independence anti-liquor movement was laid by Sarla Behn, an Englishwoman who became a Gandhian disciple and settled in Kumaon (Mallik, 2022). Under her guidance, the Uttarakhand Sarvodaya Mandal was established in 1961 with the principal

aims of "organising women, fighting alcoholism, establishing forest based small scale industries and fighting for forest rights" (Down To Earth, 2025). Her ashram at Kausani became a training ground for a new generation of Gandhian activists, including Chandi Prasa Bhatt, Radha Bhatt and Sunderlal Bahuguna (Mallik, 2022).

The decisive phase of the anti-liquor movement began in 1965, when Uttar Pradesh government proposed opening a liquor shop near Silkyara village in Tehri Garhwal. Vimla Bahuguna and Sunderlal Bahuguna organised the local people to oppose the opening of the shop (Banerjee & Bandopadhyay, 2025). They formed a prohibition committee and used innovative methods, including staging Ram Lila performances to attract crowds and mobilise people (Banerjee & Bandopadhyay, 2025).

Women of Ghansali were the first to raise their voices in favour of prohibition and by the end of 1965 the movement had spread across Uttarakhand (Banerjee & Bandopadhyay, 2025). Thousands of women participated in demonstrations, picketed liquor shops, stopped vehicles transporting liquor, and walked from village to village explaining the evils of alcoholism. Women spoke in public, led the marches, organised protests and went to jail. Women like Shyama Devi were at the forefront (Bhatt, 2026). The movement brought them out from house to public arena, providing them the opportunity to organise and lead. Their satyagraha against alcohol intensified in late 1960s. Villages banned liquor and movement spread. Chandi Prasad Bhatt, founder of Dasholi Gram Swarajya Sangh (DGSS), was arrested in 1971 for leading the movement against liquor (Bhatt, 2026). Women took their demand directly to president V.V. Giri. The result was that alcohol was banned in seven districts of then Uttar Pradesh (now under Uttarakhand) from April 1, 1972, to March 31, 1991 (Bhatt, 2026). This was a historic victory which prepared the ground for women to participate and lead in the Chipko movement.

The ban however as not complete and in districts like Pithoragarh and Pauri Garhwal had "permit-only" systems (Pathak, 1985). Agitation against liquor policy and selling continued in different parts of Uttarakhand which later culminated in "Nasha Nahi Rozgar Do" movement. The movement broke out on February 1, 1984, in Chaukhutia and later spread rapidly (Pathak, 1985). The participants of the Chipko movement played important role in the movement. Women's participation in Chipko was a direct legacy of their empowerment through anti liquor struggle (Pathak, 1985). Vimla Bahuguna, a known activist, leader and participant of several movements, in her 2023 interview stated that "The way women participated in anti-liquor and other small movements prepared them for Chipko" (Article 14, 2023).

The Movement for Statehood and Anti Liquor Resistance (1994-2000) :

The anti-liquor movement experienced a powerful resurgence during the utta4rakhand statehood agitation of 1994. Triggered by the implementation of the Mandal Commission's recommendations

for 27 per cent reservation for Other Backward Classes (OBCs) by the then Uttar Pradesh government (Nautiyal, 2022), the movement quickly transcended its immediate provocation. Women joined the movement in unprecedented numbers. In Haldwani, on September 23, 1994, women blocked the main highway and demanded the release of anti-alcohol protesters taken into custody (Nautiyal, 2022). Anti liquor demands were part of the larger programme of demand of a separate state. In December 1994, the Uttarakhand Mahila Manch was formed with Kamla Pant as convenor specifying that they would continue to fight the "twin evils of drinking and betting" (Nautiyal, 2022). In January 1995, members of the Uttarakhand Mahila Sangharsh Samiti delivered an ultimatum to suppliers of liquor and lottery tickets to accept other trades by January 15, threatening direct action if they refused (Nautiyal, 2022).

The statehood movement saw Rampur Tiraha incident of October 1994, where police fired on activists and sexually assaulted women protesters. Traumatised women and made families reluctant to allow women to participate in direct action (Nautiyal, 2022). The demand of a separate state saw success later and Uttarakhand was formed in 2000.

Post Statehood Struggles and judicial Interventions (2000-2020) :

After the formation of a separate state, the liquor prohibition was no longer an important political agenda. The state government adopted excise policies that progressively liberalised alcohol sales for revenue. The United Provinces Excise Act pf 1910 continued to govern alcohol regulation with the policy aiming to "promote, enforce and make effective the prohibition of the unprescribed use of intoxicating substances" while simultaneously ensuring "maximum revenue...from the legal sale of intoxicating substances" (Uttarakhand Excise Department, n.d.). This policy has defined Uttarakhand's alcohol policy ever since. A new excise policy implemented in 2001-2002 abolished earlier contracting system and opened the liquor business to new entrepreneurs. The 2024-2025 policy targeted an 11 per cent increase in excise revenue, while the 2025-2026 policy aims the target of Rs. 5,060 crores, with progressive rises to Rs. 5,829 crores by 2027-2028 (Uttarakhand Excise Department, 2025).

The judiciary has periodically intervened in response to public interest litigation. In December 2016, the Uttarakhand High Court ordered a ban on the sale and consumption of alcohol in Rudraprayag, Chamoli and Uttarkashi districts. These were the three districts housing the Char Dham pilgrimage sites (Indian Constitutional Law and Philosophy, 2016). However, the order was put to stay by the Supreme Court in March 2017, citing potential revenue losses of over Rs. 1,600 crores (The Times of India, 2017).

In August 2019, the Uttarakhand High Court directed the state government to frame a policy

within six months for an alcohol ban in the state, responding to a PIL by D.K. Joshi of Bageshwar district (Manupatra Updates, 2019). The court also directed the implementation of rules banning alcohol sales to those under 21 years of age (Manupatra Updates, 2019). In response, the state government banned alcohol sales in eight religious areas including the Char Dham shrines (The New Indian Express, 2019).

Contemporary Manifestations :

The anti-liquor sentiments among the women in the hills is not yet lost. Women in hill villages have taken the lead in fighting alcoholism through village level prohibitions, imposing heavy penalties and social sanctions on violators (The Times of India, 2026). In January 2026, the Mahila Mangal Dal of Himni village in Chamoli district passed a resolution imposing a complete ban on the sale and consumption of alcohol, with fines up to Rs. 1 lakh for sellers, Rs. 50,000 for serving alcohol at public functions and Rs. 25,000 for creating ruckus under influence (The Times of India, 2026). This was followed by several other villages of the region.

In 2021 Devprayag, police station launched the 'Bhuli Kanyadan' scheme, offering a cash reward of Rs. 10,001 to women who refused to serve alcohol at their weddings (The Swaddle, 2021). Women came to streets of Pankhu in Pithoragarh district to protest against illicit liquor and women of Gangolagaon of Chamoli district imposed total prohibition in 2024 (Organiser, 2026). In April 2026, hundreds of women in the Mangoli region of Nainital took to the streets protesting the opening of new liquor outlets (Organiser, 2026).

There are many such examples of women actively coming out against alcohol sale and consumption in recent years.

Discussion :

The anti-liquor movement in Uttarakhand illustrates what scholars have termed the "gendered geography" of resistance (Nautiyal, 2022). Women's anti-liquor protests were not just about alcohol. They were about the entire political economy of Himalayan marginalisation including poverty, underdevelopment, male outmigration, and state apathy. The movement drew women from all backgrounds in the hills against the harmful effects of liquor in society. The movement proved to the women that they can actively participate, organise and lead in public. It opened the doors to their participation in Chipko, statehood and other movements and thus asserting their political agency. The movement's success in achieving prohibition in 1972 demonstrated that organised struggle could change government policy, fundamentally paltering how women saw their own capabilities. The women who had never spoken in public and were confined to domestic spaces now addressed mass gatherings, led protests and went to jail. The anti-liquor protests in recent years saw women coming out to the

streets and highlighting how the evils related to alcoholism still affect the society. These protests and agitations, however, have not been able to form a wider movement as earlier. The concerns remain but mass mobilisations for the issue are not visible.

Conclusion :

Women have been the driving force of anti-liquor movements and mobilisations in the hilly regions of Uttarakhand. It represents a century long struggle that has evolved from colonial era petitions to mass social movements and then to contemporary protests. The significance of this struggle extends beyond the question of alcohol. It served as preparatory ground for Chipko movement and then later for the demand for a separate state. The women who organised against liquor shops in 1960s and 1970s played important role in Chipko movement and opened the ground for women to participate and lead in later movements. This history of participation and mobilisation still inspires women to actively put forward their grievances in public and protest.

References :

- Article 14. (2023, March 1). *50 years on, Vimla Bahuguna on the Chipko movement, her late husband & ties that bind.* https://tribe.article-14.com/post/50-years-on-vimla-bahuguna-on-the-chipko-movement-her-late-husband-ties-that-bind—63feb83abe8fe?sharetype=link
- Banerjee, D., & Bandyopadhyay, J. (2025, February 18). *Vimla Bahuguna (1932-2025): Her weak physical exterior concealed her immense inner strength and her rock-like confidence. Down to Earth.* https://www.downtoearth.org.in/environment/vimla-bahuguna-1932-2025-her-weak-physical-exterior-concealed-her-immense-inner-strength-and-her-rock-like-confidence
- Bhatt, C. P. (2026, March 10). *Chipko movement and power of nonviolent resistance* [Interview]. Frontline, The Hindu. https://frontline.thehindu.com/interviews/chipko-nonviolent-resistance-india/article70674834.ece
- Down to Earth. (2025, March 8). *Women of the mountains*. https://www.downtoearth.org.in/environment/women-of-the-mountains
- Hindustan Times. (2026, April 27). *Women bar wedding guests from bringing liquor inside*. PressReader. https://www.pressreader.com/india/hindustan-times-east-up/20260427/281891599873581
- Indian Constitutional Law and Philosophy. (2016, December 9). *Uttarakhand High Court 'bans' alcohol consumption*. https://indconlawphil.wordpress.com/2016/12/09/uttarakhand-high-court-bans-alcohol-consumption/
- Mallik, B. (2022). *Legends in Gandhian social activism: Mira Behn and Sarala Behn.* Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-95431-4

- Manupatra Updates. (2019, August 30). *Uttarakhand High Court gives state govt six months to take policy decision on liquor ban*. https://updates.manupatra.com/roundup/contentsummary.aspx?iid=23351
- Nautiyal, N. P. (2022). *Uttarakhand separate state movement from the eye of activists, scholars, and press*. International Journal for Multidisciplinary Research, 4 (6). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2022.v04i06.1802
- Organiser. (2026, April 11). *Matrashakti rising: How rural women are leading Bharat's war against drugs and liquor addiction.* https://organiser.org/2026/04/11/347806/bharat/matrashakti-rising-how-rural-women-are-leading-bharats-war-against-drugs-and-liquor-addiction/
- Pathak, S. (1985). *Intoxication as a social evil: Anti-alcohol movement in Uttarakhand*. Economic and Political Weekly, 20 (32), 1360–1365. https://www.jstor.org/stable/4374694
- Pathak, S. (2021). *The Chipko movement: A people's history*. Permanent Black. https://www.researchgate.net/publication/359012658_The_Chipko_movement_a_people's_history_by_Shekhar_Pathak_Ranikhet_Permanent_Black_2021_371_pp_Rupees_89500_hardcover_ISBN_978-81-7824-555-3
- The New Indian Express. (2019, November 28). *Uttarakhand bans alcohol sale at eight places including Char Dham*. https://www.newindianexpress.com/nation/2019/Nov/28/uttarakhand-bans-alcohol-sale-at-eight-places-including-char-dham-2068583.html
- The New Indian Express. (2025, March 4). *Liquor shops near religious places in Uttarakhand to be shut down under new policy.* https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Mar/04/liquor-shops-near-religious-places-in-uttarakhand-to-be-shut-down-under-new-policy
- The Swaddle. (2021, March 1). *Uttarakhand women who don't serve alcohol at their weddings will receive cash reward from police*. https://www.theswaddle.com/uttarakhand-women-who-dont-serve-alcohol-at-their-weddings-will-receive-cash-reward-from-police
- The Times of India. (2017, April 2). *Supreme Court stays high court's order banning alcohol sale in 3 Uttarakhand districts*. https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-stays-high-courts-order-banning-alcohol-sale-in-3-uttarakhand-districts/articleshow/57968519.cms
- The Times of India. (2026, January 9). *No liquor, no leniency: Women enforce booze ban in Uttarakhand villages; impose Rs 1L fine, social boycott*. No liquor, no leniency: Women enforce booze ban in Uttarakhand villages; impose Rs 1L fine, social boycott | Dehradun News - The Times of India
- Uttarakhand Excise Department. (n.d.). *Introduction*. Government of Uttarakhand. https://excise.uk.gov.in/about-department/introduction/

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 199-204

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Economic References in Temple Inscriptions of Early Medieval India

Shripriya Pandey, Research Scholar,
Dr. Sidharth S. Rai, Assistant Professor,
Department of History, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow.

Abstract :

This paper examines the economic references in temple inscriptions of early medieval India (approximately between the 6th and 13th centuries CE). The study analyses epigraphic sources in depth to see how temples functioned as not only religious centres but also as important economic entities in their communities. The inscriptions shed light on numerous areas of economic life, like land grants, donations, taxation, trade, management of resources, and organization of labour. By these references the study stresses the significance of temples in the transfer of wealth, the extension of agriculture, and the integration of local and regional economies. The results offer additional insights into the interaction of religion and economy in forming early medieval Indian society and emphasize the importance of temple institutions in the larger historical and economic context of the period.

Keywords : Epigraphy, Donations, Temple Economy, Religious institutions, Trade and commerce.

Introduction :

The early medieval period in India (c. 6th-13th centuries CE) was marked by the rise and spread of temples as major institutions in the religious, cultural and economic life of the community. Temples were not just places of worship but also had a role in creating local and regional economies with their large land holdings, resource management, and involvement in commercial operations. The epigraphic evidence of this period gives us a rich and nuanced picture of the many economic concerns temples fulfilled. The inscriptions, unearthed in different locations, are records of land grants, contributions, the levying and collection of taxes, trade and the organization of labour and show the complex relationship between piety and economic pragmatism. The present study examines the role of the temples as storehouses and distributors of wealth in the context of agricultural development and integration of local and regional economies on the basis of a detailed study of selected temple

inscriptions including Peheva inscription of Haryana, Siyadoni stone inscription of Uttar Pradesh, Bayana inscription of Rajasthan and Harsha stone inscription of Chahamana Vigraharaja. Through the examination of these economic references, the study seeks to contribute to our understanding of the larger historical processes that shaped the interaction between religion and economy in early medieval India and highlights the continued centrality of temple institutions in the socio-economic life of the time.

Some of the important inscriptions of early medieval north central India which are important from the economic perspective are :

1. The Peheva or Pehoa Inscription of the Temple of Garibnath in Haryana :

This inscription is carved on a stone slab and is located at Karnal district, Haryana. This inscription, in the main, states that some of the horse-dealers who gathered at the horse fair at Peheva or Pehoa / Prithudaka consented to the imposition of certain taxes on themselves and their customers, the earnings of which were to be distributed amongst the temples. The names of the donors are inscribed on the inscription. They were thirty-three or thirty-four in number and belonged to the cities or villages of Chutavarshika, Utpalika, Chikkariselavanapura, Valadevapura, Sarankadika, Stharudukkaka or Siharuddhakkaka, Traighataka, Ghamghaka and Asvalauovaka. Says that the consumer paid a modest amount, a dharma, perhaps a few annas, and the dealer out of his profits paid double that amount. This inscription is dated 882-883 A.D. In Prithudaka kings and thakuras buy items. In Traighataka and other sacred places only kings buy things. To achieve spiritual merit, they provide two dharmas for each animal as a permanent gift which is then divided into twenty-four shares for other chores such as for temples and temple priests.[1] The Peheva inscription gives us the link between trade and religion, the way taxes obtained from horse trading were used to pay priests and temples. It is the well- known example of exhibiting the function of merchants in supporting various holy places and demonstrates the deeper connection between economy and religion in this age.

2. The Siyadoni Stone Inscription in Uttar Pradesh :

It is at Gwalior, mentions about the King Mahendrapala of 960 A.D., King Bhoja and then again King Mahendrapala this time of 964 A.D. It also mentions Khistipala and ultimately Devapala who probably lived circa 1005 A.D.[2] The inscription is broken into two sections, first part describes various donations given at different time period and practically all of them by traders and artisans for providing the materials of worship of Vishnu and other deities, at the town of Siyadoni.[3] This chapter also says about the merchants Chanduka, Savasa and Mahapa, they donated an avasanika (home) composed of four houses to Sri Visnu bhattaraka, setup by Chanduka, son of Sangata.[4] Endowment of Nagaka, son of Chanduka, merchant, concerning potters and wine producers. From each cask of liquor a part,

called perhaps 'tirthapaladramma', was given to God Vishnu. The merchant named Nagaka received some funds for the religious endowment from sugar boilers. In the month of Phalguna in the year 967, the merchant Vasudeva gave a house to Sri Vishnu Bhattaraka. The merchant Chanduka offered a shop in the market/prasannahatta and his four hereditary residences to the God. Kesava, a seller of betel, gave his family estate at a place called Caturhatta to the same deity. This shows the fact that minor businesses contributed their properties to the religious places. The merchant Nagaka presented two vittis, possibly plots or dwellings in the dosihatta, to God. Silaka, son of Mahapa, also gave one vitti to the same God. In year 969 merchant Nagaka placed his 1350 silver coins/ Srimadadivarahadramma with wine distillers. These liquors paid to Sri Vishnu Bhattaraka half a vigraha-tungiyadramma every cask of liquor per month. Govinda's son, Merchant Bhaila, presented his ancestral estate consisting of one third of a coin/vigrahapaliyadramma to the God Sri Vamanasvamideva.[5] Nagaka gave two mansions to God Tribhuvanasvamideva. The betel vendor Dhamaka bought a business and donated it to God Sri UmaMahesvara. Chanduka established the sanctuary of God Visnu. The betel vendors Savara and Madhava endowed in the year 994 to God Visnu, to be paid on every basket of betel leaves. Savasa gifted a house to Tribhuvanasvamideva. Nagaka created a rule for giving a part of oil of every oil mill to a temple. In the year 1005, the mahajans/ large merchants of the dosihatta region resolved to donate a monthly tax of one third of a play to the temple of Sri Bhallasvami founded by Vikrama, a merchant. Stonecutters, Satrahara, Jelapa, Visiaka and Bhaluaka contributed a share of income every stone to Visnu bhattaraka. In the year 1008 A.D. several oil makers by name Kesava, Durgaditya and others offered a palia/container of oil from each oil mill to Sri Chakrasvami.

Merchants Madhava and Nohala gave their house of three dwellings to the same deity Sri Chakrasvami. Chandu's son Nagaka gave away his house complex and businesses to the God Vishnu, as did Dedaika, Vali, Ruadaka and Chilitraka. They also gave market space / vithi in Chatushastihatta or a big market area established by Chandu to Sri Vishnu Bhattaraka. Sriddhara, a merchant and son of Mahaditya paid one fourth of a tax (srimadaadivarahadramma) of his property as temple tax to Sri Visnu bhattarka, a god placed by Mahaditya in a temple Vishnu.[6] The Siyadoni Stone Inscription mentions the various donations and endowments made by merchants, artisans and other guilds. The collection of ordinary taxes and the delivery of goods to religious institutions indicates the intimate relationship between economic and spiritual life. This inscription presents important evidences which shows the importance of commerce, artisan production, and community organization in the maintenance of temples and their role in religious activities in early medieval North Central India.

3. The Chittralekha Bayana Inscription in Rajasthan :

One of Alexander Cunningham's assistants found this inscription in Bayana, Rajasthan. This

inscription chronicles the genealogy of the Surasena Kings. This inscription mentions a ruler named Phakka (inscription dated approximately 8th century A.D. A temple dedicated to God Vishnu was established by a person named Chitralekha with two villages Gograpura ana Nagapalli. Some fields were offered to Deity Chakrin/Vishnu with discus. She gifted three dramas to manadapika/ market tax revenue in the two villages Sripathi and Vusavata.[7] One dramma which was collected from horse sale was donated to God." Village named Sripatha is presumably Bayana (in current Bharatpur district), identified by J.S. Fleet.[8] Vusavata is identified as Bhoosawar in Bharatpur state and Nagapallii as modern Nawali.[9] Other sites are also identified. Date of Bayana inscription: V.S. 1012 (955 A.D.) This inscription was composed by a Brahman called Sajjana, and was penned by Srisakti and engraved by Sripala the goldsmith.[10] The Bayana inscription suggests that religious endowments in the early medieval period were not simply acts of piety but also substantial economic transactions. The Bayana inscription suggests that religious endowments in early medieval Rajasthan were closely related to local economic structures. The donor dedicated villages and agricultural land, and profits from market taxes and commerce, to a temple, thus connecting temple support with continuing economic and agrarian activity. The record indicates that temple sponsorship was not simply an expression of devotion but also a method of directing economic resources to support religious organizations and enhance their position in community life.

4. Harsha Stone Inscription of Chahamana Vigraharaja in Rajasthan :

The stone was unearthed amid the ruins of an ancient temple on the top of the hill named Harsha or Unchapahar, near the village of Harshanath, in the Shaikhawati province of the Jaipur state.[11] It chronicles the construction of the temple of Siva who was worshipped here as Harsha by the Saiva ascetic Allata who built the great temple of Harshadeva to which the inscription was subsequently attached. Several villages were granted by King Simharaja. Various pious folks offered further gifts of fields at various places such as Madrapurika, Nimbadika, Marupallika, Harsha and Kalavanapadra.

Various taxes were collected through salt and horse sale were donated to the temple maintenance by traders of Shakambhari and horse dealers from the north. Harsha stone inscription throws information on the economic sphere of Rajasthan in early medieval period. It suggests the employment of the revenues of religious entities, agrarian and commercial. It mentions donations such as villages and agricultural lands by the monarchs, nobles and local elites for the upkeep and preservation of the temples. The text indicates that taxes received from sale of salt, horse and military supplies were paid to temples by traders. It gives hint of active role and deeper link between trade and religious offerings. The Harsha stone inscription is the best example of mirroring the reciprocal relationship between religion, society and trade.

5. The Bali stone Inscription in Rajasthan :

This writing was discovered in Bali on one of the lintels at pillars of the sabha mandapa at the temple of Bahuguna Mata. Asvaka was the feudal lord of Maharajadhiraja Sri Jayasihadeva of the Chalukya family during his rule. This document shows that four drammas were given for the Bahuguna celebration.[12] During the horse fair, some gifts were recorded, including one dramma for the goddess, two drammas for sangha patis (leaders of religious assemblies), one dramma for Gajaspaladitya, son of Chohabdi from village Thambhila, and one dramma for each of some machine wells (for watering plants).[13] There is a lot of useful information in this inscription about the Chalukyas' political history, their economic history (horse trade, coin gifts, irrigation), and their religious life (donations to temples). Many different parts of early medieval society were linked through the Bali Stone Inscription of Asvaka. These included religious festivals, political power, trade events like horse fairs, and public welfare projects like irrigation. As this inscription shows, religious donations to temples, infrastructure, and trade groups were closely connected to economic, religious, and civic life. It shows that trading communities and religious support were developed in a complete way.

Inscriptions found in temples in India in the early Middle Ages tell us a lot about how faith and the economy changed during this important time. Indian states like Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan have a lot of proof that shows temples were not only places of worship but also important economic hubs. Authorities gave them land, helped with trade and taxes, ran farms and businesses, and kept both material and financial wealth safe. It's clear how important religious institutions are to the community's daily life and economic structure when merchants, craftsmen, rulers, and other wealthy people get involved in temple economies.

The writings on these rocks show that offerings made to God were closely linked to plans to share wealth, take care of resources, and bring people together. It was easier for local and regional economies to work together when temples were around to handle extra production and support local businesses. Because they did this, they played a key role in shaping Indian culture in the early Middle Ages. Reading about these economic topics in temple writings not only helps us learn more about the social and economic systems of the time, but it also shows how important temples were to Indian history as a whole.

Reference :

1. Burgess, J. (Ed.). (1892). Epigraphia Indica: A collection of inscriptions supplementary to the Corpus Inscriptionum Indicarum of the Archaeological Survey, translated by several Oriental scholars (Vol. 1). Superintendent of Government Printing., pp. 184-190.

2. Ibid. pp., 162.
3. Ibid. pp., 163.
4. Ibid. pp., 167.
5. Ibid. pp., 168.
6. Ibid.
7. Chakravarti, N.P. (Ed.). (1938). Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India (Vol. 22, 1933-1934). New Delhi: Office of the Superintendent of Government of Printing, India., p. 121.
8. Ibid
9. Ibid., p. 122.
10. Ibid.
11. Burgess, J. (Ed.). (1894) Epigraphia Indica and the Archaeological Survey of India (Vol. 02) New Delhi: Office of the Superintendent of Government of Printing, India., p. 116.
12. Hultzsch, E. (Ed.). (1981). Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India (Vol. 11, 1911-1912). New Delhi: Office of the Superintendent of Government Printing, India., p. 32.
13. Ibid.

Email: shripriyapandey1@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 205-212

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Role of Media and Literature in Electoral Literacy

Rakesh Kumar Sharma
PhD Research Scholar
University Department of Political Science, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar

Abstract :

Electoral literacy is the foundation of a strong, responsive, and participatory democracy, as it provides citizens with the knowledge, skills, and critical thinking necessary to cast informed, conscientious, and independent votes. Media and literature play a central role in developing this literacy. Traditional media-such as newspaper, radio, and television-as well as digital media-such as social media, online news portals, and mobile platforms-serve as key sources of electoral information. These media widely disseminate information related to voter registration, the voting process, candidate backgrounds, and political party manifestos, influencing public opinion and political discourse. On the other hand, literature-including political essays, academic texts, novels, stories, and civic education materials-develops a deeper understanding of democratic values, political ideologies and electoral processes. It fosters critical thinking, ethics, and analytical skills in citizens, enabling them to rationally evaluate political information. This combination of media and literature offers a comprehensive and balanced framework for electoral literacy, encompassing both immediate information and in-depth analysis. However, challenges such as fake news, media bias, the digital divide, and a lack of quality resources hinder its effective dissemination.

Keywords: electoral literacy; media; literature; democracy; political awareness; voter education; digital media; citizen participation; public opinion building; democratic values

Introduction

In a democratic system, elections are the primary means through which citizens exercise their political rights and determine the direction of governance. However, merely having the right to vote is not enough; the true success of democracy depends on how aware, informed, and judiciously citizens exercise their franchise. In this context, electoral literacy is of particular importance, providing citizens with adequate knowledge about the electoral process, candidates, political parties, and policy issues,

as well as developing analytical skills and responsible citizenship. Electoral literacy is not limited to information; it also influences citizens' attitudes, values, and decision-making. A literate voter is not only aware of their rights but is also able to actively participate in democratic processes, ensuring accountability of the government. Conversely, a lack of awareness can lead voters to fall prey to misinformation, emotional appeals, or misleading propaganda, weakening the democratic process.

In this context, the role of media and literature becomes extremely important. Media, whether traditional or digital, provides citizens with quick and comprehensive access to election-related information. It not only disseminates information but also shapes public opinion, political debate, and social dialogue. Literature, meanwhile, provides citizens with a deeper understanding of democratic values, political ideologies, and historical experiences, enabling them to view electoral processes from a more holistic and critical perspective. Thus, media and literature together help strengthen electoral literacy, enabling citizens to not only make informed decisions but also actively contribute to the strengthening and stability of democracy.

Understanding Electoral Literacy :

Electoral literacy is a broad concept that provides citizens with the knowledge, skills, and attitudes necessary for effective, informed, and responsible participation in the electoral process. It is not limited to the technicalities of voting, but encompasses an understanding of the entire election-related process. This includes voter registration, voter verification, the voting process, the role of the Election Commission, and knowledge of electoral rules and codes of conduct. When citizens are well-versed in these processes, they are not only able to exercise their right to vote effectively, but also increase trust and participation in the electoral system. Furthermore, electoral literacy empowers citizens to gather and analyze information about political parties, candidates, and their policies, enabling them to make decisions based on facts and logic, rather than solely on emotional or immediate impressions.

Furthermore, an important dimension of electoral literacy is developing citizens' ability for critical thinking and rational evaluation. In the age of modern information is rapidly and widely disseminated through social media and digital platforms, it has become increasingly important to distinguish between truth, half-truths, and misinformation. Electorally literate citizens can verify the authenticity of information from various sources and avoid being influenced by political propaganda**,** misinformation, and rumors. Furthermore, this literacy strengthens their understanding of democratic values-such as equality, freedom, tolerance, transparency, and accountability-making citizens aware of their right as well as their duties. As a result, a literate voter not only casts their vote but also plays an active role in ensuring accountability of democratic institutions, promoting fair elections, and

strengthening a democratic culture in society. Thus, electoral literacy not only increases awareness at the individual level but also strengthens the quality, transparency, and sustainability of democracy as a whole.

Role of Media in Electoral Literacy :

1. Traditional Media :

Traditional media has historically been the most reliable and organized source of electoral information, significantly assisting citizens in understanding democratic processes. Newspaper not only report election events but also provide in-depth analysis of political party manifestos, policy issues, governance debates, and candidate backgrounds. Editorial articles and opinion columns expose citizens to diverse perspectives, fostering critical thinking. Television, with its audiovisual capabilities, presents complex political topics in a simple and effective manner through election debates, expert discussions, opinion polls, and interviews. Radio, especially community radio, remains a highly effective medium of information in rural and remote areas where digital access is limited. It connects diverse social groups to the electoral process by disseminating information in local languages and contexts. Thus, traditional media not only disseminates information but also plays a crucial role in expanding electoral literacy by promoting social inclusion, especially for those technologically disadvantaged.

2. Digital and Social Media :

In the digital age, media has become more dynamic, instant, and participatory. Social media platforms do not limit citizens to merely receiving information, but also provide them with the opportunity to actively participate in political dialogue, debate, and discussion. The use of digital media in electoral campaigns-such as online rallies, live streaming, digital advertising, and targeted messaging-helps reach voters directly. Additionally, fact-checking platforms and independent digital journalism institutions play a crucial role in providing voters with accurate information by refuting misinformation. Young people, who use digital technology the most, feel more connected to politics and electoral processes through these mediums. This has led to increased political participation. However, this power of digital media also comes with its risks. Fake news, trolling, disinformation, the 'echo chamber' effect, and algorithm-based content distribution can limit citizens to a limited and biased perspective. Therefore, developing media literacy and critical thinking is essential for the effective use of digital media, enabling citizens to evaluate the source, purpose, and credibility of information.

3. Media as a Watchdog :

This media is called the "fourth pillar" of democracy because it continuously monitors

governance and electoral processes and exposes abuse of power. During elections, the media monitors adherence to the code of conduct, transparency of election expenditure, the fairness of the voting process, and administrative functioning. Through investigative journalism, the media exposes corruption, irregularities such as vote buying, and other electoral malpractices, thereby ensuring accountability of relevant institutions and political parties. Additionally, the media acts as a bridge between citizens and power, providing a broad platform for public concerns, expectations, and feedback. It fosters democratic dialogue by strengthening public debate. When the media operates in an independent, impartial, and accountable manner, it not only ensures the transparency and fairness of elections but also strengthens citizens' confidence. As a result, electoral literacy levels increase, making the democratic system more robust and accountable.

Role of Literature in Electoral Literacy :

1. Political Literature and Essays :

Political literature-such as books, research papers, essays, and thought-provoking works-provides citizens with a deep and multifaceted understanding of the democratic system, electoral behavior, and governance system. This literature not only describes contemporary political events but also analyzes their historical development, ideological underpinnings, institutional structures, and socio-economic impacts. Through this, readers understand that elections are not merely a process of voting, but a complex system involving democratic legitimacy, representation, and policymaking. Political essays and analytical articles explain various ideologies-such as liberalism, socialism, nationalism, and pluralism-and introduce citizens to alternative perspectives. This develops voters' ability to form independent opinions and understand political literature provides intellectual depth and conceptual clarity to electoral literacy.

2. Fiction and Narratives :

Fictions-such as novels, short stories, plays, and other creative genres-presents the political realities of societies in a vivid and experiential way. These works portray electoral processes, power struggles, corruption, social inequalities, and the experiences of ordinary citizens from a human perspective. Thus, readers are not limited to theoretical information but are able to experience the real impact of political processes. Fiction presents complex political issues in a simple, interesting, and emotional way, making it easily accessible to the wider society. It develops empathy, morality, and social consciousness in citizens, encouraging them to consider collective interests and social justice, not just personal gain, when making electoral decisions. Thus, literature enhances electoral literacy by giving political issues a human and emotional dimension.

3. Educational Texts and Civic Education Literature :

Educational literature-especially textbooks, civics-related materials, and other teaching resources-plays a crucial role in the institutional development of electoral literacy. Civic education, taught in schools and higher educational institutions, systematically introduces students to the principles of democracy, constitutional values, electoral processes, rights, and duties. If students are made aware of the importance of voting, political participation, and civic responsibilities at an early stage, they become more responsible and active citizens in the future. Additionally, adult education programs, training modules, and awareness booklets disseminate electoral information to sections of society that have been deprived or formal education. Thus, educational literature provides the foundation for developing electoral literacy in a long-term and sustainable manner.

4. Literature as a Tool for Critical thinking :

A very important contribution of literature is that it develops critical thinking, analytical ability, and a questioning attitude in citizens. When readers are exposed to different perspectives, arguments, and ideological debates, they do not simply accept information superficially but analyze its veracity, context, and purpose. This ability is particularly crucial in an electoral context, where voters must evaluate political speeches, election promises, campaign messages, and media messages. Literature inspires citizens to think independently, make reasoned judgments, and make wise choices, allowing them to resist the influence of misinformation, propaganda, and emotional appeals. Thus, literature does not limit electoral literacy to a mere information-based process, but rather makes it thought-based, ethical, and critical. It not only makes citizens aware voters but also develops them into committed, responsive, and active participants in democratic values, which is essential for any robust democracy.

Synergy between Media and Literature :

Media and literature play complementary roles in developing electoral literacy. Through its immediacy, wide reach, and rapid information dissemination, media quickly provides citizens with the latest election-related information-such as the voting process, candidate activities, electoral issues, and political developments. In contrast, literature provides depth, context, and ideological understanding to this information. Through literature, citizens understand democratic values, political principles, and historical background, enabling them to analyze the information presented by the media more comprehensively and balanced. Thus, while media is a quick source of information, literature serves as a medium for interpreting and interpreting that information.

When this coordination between media and literature works effectively, citizens are not limited to simply receiving information but are also able to understand, evaluate, and make rational decisions

based on it. By understanding contemporary issues presented by the media from historical, social, and ethical perspectives through literature, citizens become more informed and responsible voters. This combined effect not only increases electoral literacy levels but also strengthens the transparency, accountability, and sustainability of the democratic process.

Challenges in Promoting Electoral Literacy :

Numerous structural, social, and technological challenges hinder the effective dissemination of electoral literacy, limiting the role of media and literature. The most significant problem is the rapid spread of misinformation and fake news, especially through digital and social media. During election time, rumors, misleading propaganda, and incomplete information can confuse voters, preventing them from making informed decisions. Furthermore, media bias and increasing political polarization pose a serious challenge. Media outlets often favor a particular political ideology or party, which hinders the fair and balanced presentation of information. As a result, citizens receive one-side information, which can limit their understanding.

Furthermore, limited access to quality literature and reliable information sources in rural and remote areas also hinders electoral literacy. Education levels remain low in many regions, making it difficult for citizens to understand complex political and electoral information. The digital divide is also a significant problem, with a large segment of society deprived of access to the internet and digital technologies, while other are exposed to excessive digital information. Furthermore, the commercialization of media also impacts electoral literacy, as news and information are often presented based on TRP and profit rather than public interest. Due to these challenges, the potential role of media and literature in promoting electoral literacy is not fully realized. Therefore, it is essential to address these problems through policy interventions, the promotion of media literacy, the expansion of education, and accountable journalism, so that citizens can become more aware, informed, and responsible voters.

Way Forward :

Strengthening electoral literacy requires multifaceted and coordinated efforts, with the government, educational institutions, the media, civil societies, and technology platforms all playing an active role. First, media literacy programs must be promoted widely to help citizens distinguish between true and false information and avoid fake news and propaganda. Training programs should be developed at the school, college, and community levels to empower people to verify facts, and adopt a critical perspective. Furthermore, it is crucial to promote ethical journalism and independent media so that electoral information reaches citizens in an unbiased, balanced, and factual manner. Media organizations must adhere to the principles of transparency, accountability, and public interest.

Second, concrete steps must be taken to increase access to quality civic and political literature. Such literature should be made accessible through libraries, digital platforms, and educational resources, deepening understanding of democratic values and electoral processes. It is also important to include electoral education as a compulsory component in the school curriculum, so that students develop democratic consciousness and responsibility from the early stages. Furthermore, it is crucial to provide electoral information and educational materials in regional languages to effectively reach diverse sections of societies. When citizens receive information in their mother tongue, both their understanding and participation are enhanced.

Thus, policies that address media literacy, ethical journalism, accessible literature, inclusive education, and linguistic diversity will strengthen electoral literacy. This will not only make citizens more informed and competent voters, but will also strengthen the transparency, accountability, and stability of the democratic system.

Conclusion :

In conclusion, media and literature play a crucial and indispensable role in building an informed, responsive, and discerning electorate. Through its rapid information dissemination, media provides citizens with timely information about electoral processes, candidates, policies, and current issues, enabling them to obtain essential election-related information. Literature, meanwhile, provides depth, context, and ideological foundation to this information, enabling citizens to critically analyze it rather than merely absorb information and better understand democratic values. The combined effect of these two not only increases citizens' awareness but also fosters a sense of responsibility, ethics, and active participation. As a result, they participate more effectively in democratic processes and contribute the strengthening the transparency and accountability of governance. Therefore, it is essential to further strengthen, impartially, and accessibly the role of both media and literature to broadly increase electoral literacy and ensure the success, stability, and credibility of democracy.

Reference :

- Buckingham, D. (2013). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Election Commission of India. (2023). *Systematic Voters' Education and Electoral Participation* (SVEEP). New Delhi: Election Commission of India.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.
- International Institution for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2016). *Voter education and electoral assistance*. Stockholm: IDEA Publications.

- Kumar, S. (2020). Electoral literacy and voter awareness in India. *Journal of Political Studies, 12(2)*, 45-60.
- McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6th ed.). London, England: Sage Publications.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: why democracy needs the humanities*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ramaiah, C. K., & Rao, M. S. (2021). Media and information literacy: A bibliography. *DESIDOC Journal & Information Technology, 41(4)*, 316-336. https://doi.org/10.14429/djlit.41.4.17358
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Street, J. (2011). *Mass media, politics and democracy* (2nd ed.). London, England: Palgrave Macmillan.
- UNESCO. (2018). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. Paris, France : UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! Media & information literacy curriculum for educators & learners*. Paris, France: UNESCO.
- UNESCO. (2022). *Elections in digital times: A guide for electoral Practitioners*. Paris, France: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Five laws of media and information literacy*. Paris, France: UNESCO.
- UNESCO. (2024). *Media and elections*. Paris, France: UNESCO.
- UNESCO Institute for Information Technologies in Education. (2025). *Media and information literacy*. Moscow, Russia: UNESCO IITE.

Email: rockrakeshsharma96@gmail.com

Contact & WhatsApp Number: 8709625817

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 213-220

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Patentability of Artificial Intelligence-Generated Inventions : Legal Challenges and Policy Responses

Dr. Nidhi Sharma

Assistant Professor, Gwalior Law College,

Dr. Siddharth Tiwari

Assistant Professor, Sonali College, Guna.

Abstract :

As a result of the advancements made in AI, their ability to generate technological solutions independently can pose difficult challenges for patent law since patents have always rested on the premise of human invention. AI technologies such as machine learning, neural networks, and generative models are becoming increasingly involved in the process of creating inventions, leading to inventions whose creation involved minimal or no human interference whatsoever. The case of DABUS highlights the legal dilemma that has arisen as a result of the developments made, with the patent applications made with the AI system listed as inventor being denied by the United States Patent and Trademark Office, European Patent Office, and UK Intellectual Property Office based on the claim that there must be a natural person who is the inventor. This paper will adopt a doctrinal and analytical approach in evaluating the strain placed on the traditional concept of novelty, inventive step, and industrial applicability of patents due to AI technologies. An analysis of different legal positions from different jurisdictions, such as India and Singapore, will be undertaken alongside the identification of policy issues such as monopolization, ethical rights attribution, and patent flooding.

Keywords **:** AI-generated inventions, Patentability, Inventorship, DABUS case, Sui generis protection

1. Introduction :

Through AI, machines have been able to undertake functions that were previously accomplished by intelligent human beings in areas like learning, reasoning, and problem

solving. Highly advanced AI models using algorithms, neural networks, and generative modeling techniques are currently capable of developing inventions and designs without the need for much human intervention. [1]As such, new types of inventions that result from the use of AI seem to lack human involvement, with inventive steps being carried out by the system itself. The conventional patent system, however, assumes that the concept of an inventor entails a natural person applying his intellectual abilities to make something new. Requirements for patentability include novelty, inventive step, and industrial applicability, among others, and all require human inventiveness. AI-generated inventions pose a problem due to the fact that they challenge the basic assumptions of the patent system. The core issue that arises is related to the lack of a human inventor in the case of inventions that arise from AI processes. There is thus a great deal of uncertainty regarding the legal treatment of these innovations as regards their inventorship and inventorship. This study adopts a doctrinal and analytical methodology grounded in case law.[2]

2. Concept of Patentability and Traditional Inventorship :

Patent law only covers innovations that fall under the category of "inventions" according to law. Under traditional doctrine, an invention is seen as something novel and practical, which provides a technological fix for a problem, and at the same time, the invention can be industrially applied. These definitions can be found in other major patent laws like those in the United States Patent and Trademark Office, the European Patent Office, and the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks. [3] There are three main criteria for an innovation to be patented: novelty, inventive step, and industrial applicability. The criterion for novelty states that the invention must not be within the prior art. The inventive step criterion states that the invention must not be obvious to a person skilled in the art, which ensures that there is some degree of ingenuity involved. The criterion of industrial applicability states that the invention must be able to be used in industry. For a long time now, the term "inventor" could never be considered independent from human thought processes. The entire patent system works on the basis of inventions coming into existence through human intelligence, judgement, and creative abilities. It is for this human inventor that the laws of patents are made

[1] He, R., Cao, J., & Tan, T. (2025). Generative artificial intelligence: a historical perspective. *National Science Review*, *12*(5), nwaf050.
[2] Selvadurai, N. (2025). Inventions without inventors: The need to recognize AI systems as inventors. *Case W. Res. JL Tech. & Internet*, *16*, 37.
[3] Arthur, W. B. (2007). The structure of invention. *Research policy*, *36*(2), 274-287.

where the inventor can transfer the ownership of the patent. Hence, it can be said that human intellect plays a pivotal role in patents.[4]

3. Emergence of AI-Generated Inventions :

The swift progress in the development of artificial intelligence has revolutionized the process of innovation and enabled machines to undertake duties that would require human intelligence in the past. One such example in this regard is the emergence of inventions created by artificial intelligence. In simple words, these are inventions made autonomously by intelligent systems and do not necessarily require any direct intervention from humans in the process. AI inventions can be described as those inventions made using systems that involve the use of algorithms to detect patterns in big data sets and generate new technical results. As opposed to tools used by humans for problem-solving, an AI system can come up with its own ways of solving problems and making innovations. It becomes important to note that inventorship was associated strongly with creativity and human intelligence in the past.Such technologies include machine learning, neural networks, and generative AI. Using machine learning, AI can learn from data and make improvements on its own without being programmed explicitly. With neural networks, based on the human brain structure, the AI can process information layer-by-layer and understand intricate connections to act independently.[5] The ability of AI to create something new was greatly amplified with the emergence of generative AI which can invent entirely new objects ranging from designs and chemical compositions to engineering projects and artworks. There are numerous examples of how such invention abilities of AI are used in real life. AI algorithms helped invent some medicines and novel mechanisms, and even create materials which could not have been invented by any human expert.However, the best example of this phenomenon would be the DABUS controversy. Designed by Stephen Thaler, DABUS came up with an invention of two objects – a device for food containers and an emergency flashlight. After that, patents applications listing DABUS as the inventor were sent out to patent offices across the world, but the application was rejected by almost all of them since, according to those institutions, an inventor had to be a person.[6]

---

[4] Seymore, S. B. (2010). Rethinking novelty in patent law. *Duke LJ*, *60*, 919.
[5] Shabbir, J., & Anwer, T. (2018). Artificial intelligence and its role in near future. *arXiv preprint arXiv:1804.01396*.
[6] Bilal, U. (2024). Understanding Neural Networks: A Comprehensive Overview of AI Techniques. *Frontiers in Artificial Intelligence Research*, *1*(2), 172-208.

4. Legal Challenges in Granting Patents to AI-Generated Inventions :

The second biggest challenge in modern patent law concerns inventorship of inventions created using AI technologies. Patent law has always assumed that only humans, or legal entities acting as humans, may be inventors. Patent office in the US, for example, has recently rejected a patent application designating an AI as an inventor. The same problem arises with the question of ownership and inventorship: since AI is not a legal person, it cannot own patents or transfer them to third parties. Consequently, patent offices will struggle deciding on who should be the owner of invention – the AI itself, its programmer, or the person using AI. The other difficulty pertains to the fulfillment of the "inventive step" requirement. It is quite challenging to determine whether or not the solution proposed by AI is an innovation. In addition, one more important aspect of a patentable invention is its full disclosure to ensure proper information and protection against unfair competition. Unfortunately, most AI algorithms used in patent development work as black boxes, which means that the creators themselves do not know how their technology produced this or that output. Finally, AI can generate an extremely large number of inventions, leading to the patent flood.[7]

5. Comparative Legal Position Across Jurisdictions

- **United States Patent and Trademark Office (USA) :**

The US follows the philosophy of human inventors in their patent scheme. The USPTO's interpretation of "inventor" in the Patent Act defines an inventor as a human rather than artificial intelligence. Recently, the USPTO has issued guidance and rulings where inventions made by AI have been rejected for not meeting certain statutory criteria. Nonetheless, the USPTO acknowledges that artificial intelligence can be a great instrument in the hands of human inventors. Patent eligibility is determined through human involvement, especially in the conception and reduction of an invention to practice.[8]

- **European Patent Office (Europe) :**

The European Patent Office complies with the European Patent Convention that implicitly mandates that the inventor should be a human. In its rulings on patent applications

[7] Fok, E. (2021). Challenging the international trend: The case for artificial intelligence inventorship in the United States. *Santa Clara J. Int'l L.*, *19*, 51.
[8] Hao, Y. (2024). The Rise of" Centaur" Inventors: How Patent Law Should Adapt to the Challenge to Inventorship Doctrine by Human-AI Inventing Synergies. *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, *104*, 71.

claiming AI as the inventor, the EPO emphasized the necessity of legal personality for an inventor. According to the EPO, inventors have certain obligations and rights that cannot be assigned to machines. However, AI-invented products are eligible for patents as long as there is an evident intellectual contribution of a human to the invention.This position is a show of consideration for the importance of human imagination and accountability along with technological advancements.[9]

- **UK Intellectual Property Office (United Kingdom) :**

According to the Intellectual Property Office of the United Kingdom, considering the clauses of the Patent Act of 1977, the inventor must always be a human. From many decisions made by the UKIPO, it is evident that it does not approve any patent application wherein AI is mentioned as the inventor because legally speaking, machines do not possess the legal status to be considered people with any rights to get patents. At the same time, UKIPO accepts that AI can be utilized by humans to discover some things through the process of R&D, and the person who controls the research gets the protection under the patent law.[10]

- **Intellectual Property Office of Singapore (Singapore) :**

Singapore takes a pragmatic approach to AI innovation, with the proviso that the inventor must be human. Singapore's Intellectual Property Office views AI as an essential aid in scientific research, but does not allow AI to be listed as an inventor. In the Singapore patent system, determining who was responsible for coming up with the invention is key, even if the invention process depended on heavy use of AI. Singaporean policymakers stress preparation for the future and flexibility of IP laws in the face of technological advances. While there have been no changes made to Singapore's laws, Singapore is conducting ongoing research on the effects of AI on patent law.[11]

- **Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (India) :**

The patent law regime of India, under the jurisdiction of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, complies with the Patents Act, 1970. The act assumes that an invention is made by a person, rather than a machine. Under Indian law, it is mandatory to

[9] Stanková, E. (2021). Human inventorship in European patent law. *The Cambridge Law Journal*, *80*(2), 338-365.
[10] Abbott, R. (2016). I think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law. *BCL Rev.*, *57*, 1079.
[11] Marditia, P. P. R., & Candini, T. A. (2023, January). Regulation Model for Intellectual Property Financing Scheme (IPFS) Optimizing MSME Capital for the Tourism Sector Comparative Study: Singapore and Malaysia. In *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (pp. 710-728). Atlantis Press.

disclose the real and first inventor, implicitly prohibiting artificial intelligence from being the inventor. Although there is no significant precedent of litigation over AI inventorship in India, it is understood that only individuals can claim inventorship. However, inventions aided by AI can also be granted patents if there is proof of intellectual contribution and ownership by humans.[12]

6. The DABUS Case and Its Global Impact :

The DABUS patent application case was the first significant litigation regarding the recognition of a machine as an inventor in patent applications. DABUS refers to the invention device called Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience designed by Stephen Thaler. The machine invented two inventions on its own – namely, a container that had a unique fractal configuration for packaging and storing food, and a flash-light emergency device for attracting attention in dangerous conditions. Patent applications were filed for the inventions stating that the inventor of these patents is the machine named DABUS to contest the established concept that an inventor must always be a human being. These applications have been reviewed and subsequently rejected by various patent offices, including USPTO, EPO, and UKIPO, based on the fact that patents laws required the inventor of a patent to be a human. The reasons for rejecting the applications rested on the statute alone without taking into consideration the capabilities of the technology.[13]

7. Policy Concerns and Ethical Implications :

One of the significant problems associated with the application of artificial intelligence technologies to innovation is the problem of their patenting. Firstly, there is a problem of the impact of the issue on the innovation system as a whole. The principle of patenting is based on the reward for creativity and research by granting exclusive rights for a certain period. However, in the case where inventions are created independently by artificial intelligence algorithms, the idea of rewarding creativity seems irrelevant. It may disrupt the balance between the interests of the public and private monopoly. Secondly, the issue of monopolization without any human intellectual contribution arises If AI systems are capable of producing multiple inventions at a very fast pace, then companies employing such AI systems

[12] Sundaram, J. (2014). India's trade-related aspects of Intellectual Property Rights compliant pharmaceutical patent laws: what lessons for India and other developing countries?. *Information & Communications Technology Law*, *23*(1), 1-30.
[13] Goodman, J. (2021). Homography of inventorship: DABUS and valuing inventors. *Duke L. & Tech. Rev.*, *20*, 1.

can obtain large patent portfolios, which in turn would result in monopoly.Thirdly, ethical issues arise concerning the rights to the results of work performed not by humans but by machines. In addition, the issue of assigning rights to the programmers who created the algorithm, users who used it, and companies whose property this invention belongs may be of ethical importance.[14]

8. Proposed Legal and Policy Responses :

The fast development of artificial intelligence technologies in the realm of innovation necessitates a rethinking of the conventional scheme of patent law. First, it is reasonable to recognize AI technologies as tools for creation, not inventors. The current legislation has been constructed based on the idea that inventions are developed by humans because of their intellectual capabilities. As such, treating AI technologies as sophisticated tools for human use maintains the core ideology of the patent law doctrine while adjusting it to technological reality. The second option is to consider the human who uses AI technology as the inventor. It will help clarify liability and ensure clarity in terms of ownership of the invention and adherence to legal requirements to designate a natural person as the inventor. Alternatively, some authors propose creating a sui generis form of protection for creations made by machines, which will be outside the boundaries of conventional patent law. Moreover, it might be necessary to change the definition of inventor and invention to reflect the new technological reality. Lastly, international harmonization of legislation concerning artificial intelligence inventions should be achieved, for instance, by the World Intellectual Property Organization.[15]

9. Future of Patent Law in the Age of Artificial Intelligence :

The fast-paced development of AI technology in innovation raises a number of problems connected with current patent legislation, which was developed under the assumption of inventors being humans. With artificial intelligence becoming more and more involved in creating innovations and being able to produce inventions on its own, there are no regulations regarding issues of inventorship, ownership, and attribution, thus, necessitating reform of the existing framework. Uncertainty can affect further investments in development of AI and inconsistency can emerge in the process of patent examination without proper

[14] Datzov, N. L. (2023). The Role of Patent (In) Eligibility in Promoting Artificial Intelligence Innovation. *UMKC L. Rev.*, *92*, 1.

[15] Merritt, C. G. (2023). A compulsory solution to the machine problem: Recognizing artificial intelligence as inventors in patent law. *Vand. J. Ent. & Tech. L.*, *25*, 211.

changes. International coordination plays a key role in overcoming some of the issues emerging because of the increasing involvement of AI technology in invention processes. International organizations, like WIPO, can provide countries with platforms and opportunities for discussion and establishing unified criteria for dealing with AI-generated inventions The problem can be addressed collectively so that any jurisdiction-related problems may be averted. Nonetheless, it is crucial to take into account the matter of public interests during the implementation of the required change. There must be efforts made in order to promote innovations without letting monopoly take control and limit the dissemination of information on the invention.[16]

10. Conclusion and Suggestions for Future Research :

The evolution of AI technology has raised doubts about the basic tenets of patent law, particularly the principle that a human must be the inventor. The problem with AI inventions arises in terms of inventorship, ownership, liability, and compliance with the criteria for patentability such as non-obviousness and disclosure. An analysis of the responses made by the international community in reaction to the creation of AI inventions reveals that there has been no inclination within the legal community to regard machines as inventors within existing laws. However, denying patent protection to AI inventions could result in hindering their innovation process. Therefore, there is an immediate requirement for proper legal and policy measures. Future research should focus on building a realistic framework for attributing inventorship in light of AI technology's role in the invention.

[16] Feijóo, C., Kwon, Y., Bauer, J. M., Bohlin, E., Howell, B., Jain, R., ... & Xia, J. (2020). Harnessing artificial intelligence (AI) to increase wellbeing for all: The case for a new technology diplomacy. *Telecommunications Policy*, *44*(6), 101988.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 221-226

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Traditional Pichwai Paintings of Rajasthan : Survey and Analysis of a Living Devotional Art Form

Ramandeep Kaur, PhD Research Scholar
Navneet Kaur, Assistant Professor
Department of Fashion Designing, Guru Kashi University.

Abstract :

This qualitative paper examines the sophisticated tradition of Pichwai painting—a temple town art originating in Nathdwara, Rajasthan, primarily utilized for the ritual worship of Lord Shrinathji (an incarnation of Lord Krishna). The research explores its historical development, religious connotations, material culture, and contemporary transformations. Employing an interdisciplinary qualitative framework that combines art-historical analysis with ethnographic fieldwork, this study documents the delicate balance between devotional authenticity and market-driven commercialization. Field investigations reveal that while Pichwai remains deeply embedded in the liturgical calendar of the Pushtimarg sect, the contemporary practices face challenges including a decline in traditional apprentice structures, the rise of synthetic alternatives, and the encroachment of digital and printed reproductions. Ultimately, this paper highlights the dual nature of Pichwai as both a sacred visual scripture and a cultural commodity, emphasizing the critical need for structured institutional patronage and ethical revitalization frameworks.

Keywords : *Pichwai Painting, Nathdwara, Shrinathji, Pushtimarg, Ethnography, Material Culture, Commercialization.*

1. Introduction :

Traditional Indian visual art forms are rarely designed for purely aesthetic pleasure; instead, they serve as vehicles of communal identity, myth, and spiritual interaction. Within this classical paradigm, Pichwai painting holds a highly distinctive place. Originating as a form of sacred textile art within the temple walls of Nathdwara, Rajasthan, Pichwais (literally meaning 'pichh' or back, and 'wai' or hanging) serve as detailed visual backdrops positioned behind the central idol of Lord Shrinathji.

The emergence of this art tradition is historically inextricably linked with a period of political and socio-religious ferment in the late 17th century. In 1669, to protect the sacred deity of Shrinathji from the iconoclastic campaigns during the Mughal expansions under Emperor Aurangzeb, the priests of Mount Govardhan relocated the idol. Under the courageous invitation of Rana Raj Singh of Mewar, the idol found refuge in Singad village on February 10, 1672, a settlement subsequently renamed Nathdwara ('the door to God'). The town evolved organically around the temple center, attracting clusters of specialized weavers, builders, and painters who dedicated their artisanal skills to the liturgical services (seva) of the deity. Over the centuries, these large textile hangings transformed from static temple walls into variable, elaborate backdrops aligned with the cyclical seasons and daily ritual schedules of the temple.

2. Qualitative Research Methodology

2.1 Statement of the Problem :

Despite its foundational significance within South Asian visual culture, the living heritage of Pichwai painting faces structural erosion. Driven by contemporary tourist demand, mass manufacturing, and a detachment from the traditional contexts of theological training, the art form is undergoing rapid transition. Romanticized narratives frequently overshadow the economic vulnerabilities, gender inequities, and intergenerational gaps that threaten the transmission of authentic techniques from master craftsmen to younger generations.

2.2 Objectives of the Study :

- To trace the historical, socio-political, and theological origins of the Pichwai tradition.
- To document the traditional materials, tools, iconographic systems, and production techniques.
- To critically analyze the contemporary socio-economic challenges, commercial trends, and digital transformations affecting the artisan community.

2.3 Field Research Design :

This study utilizes a qualitative, ethnographic approach executed over extended fieldwork periods in the primary artisan hub of Nathdwara, with supplementary reference points across Rajasthan (Udaipur and Jaipur). Data collection methods included extensive workshop participant-observations, qualitative narrative interviews, and visual analysis of active compositions. A purposive sample comprising over 25 active artists and 10 distinct workshop setups was selected, stratified across age brackets and gender roles to gain a comprehensive understanding of the socio-economic framework. Secondary sources involved specialized texts on Vaishnava iconography, regional Rajasthani miniature lineages, and structural preservation declarations.

3. Material Culture, Techniques, and Iconographic Symbolism

3.1 Traditional Raw Materials and Pigments :

The material preparation of a traditional Pichwai is a slow, sacred craft that serves an essential ritual purpose. Historically, master painters avoided ready-made formulations, choosing instead to meticulously grind natural minerals, local earths, and vegetable extracts. Apprentices are introduced to the art primarily through the labor-intensive preparation of these paints. The traditional palette contains distinct, highly resilient shades:

- **Lapis Lazuli (Aasmani) :** Sourced to produce a rich celestial blue representing the divine aura of Krishna.
- **Red Ochre (Geru) :** Earthy reds utilized for structural outlines and background warmth.
- **Saffron/Turmeric (Kesari/Haldi) :** Vibrant yellows used for garments and sacred halos.
- **Lamp Black (Sayahi) :** Gathered carefully from soot to create hair details and fine border lines.
- **Dried Cow Urine (Gangoli) :** Highly prized for delivering a deep, luminous golden-yellow hue.

The base cloth consists of handwoven cotton cloth (khadi), treated with starch, dried, and burnished smoothly with a polished agate stone to seal the fibers and create an even surface. Brushes are assembled by hand by securing fine, malleable squirrel-hair or goat-tail tips onto neem or bamboo shafts to permit smooth, delicate strokes.

3.2 Iconography and Narrative Themes :

Pichwai compositions are highly structured visual scriptures governed directly by the seasonal shifts and devotional moods (bhavas) of the Pushtimarg liturgical calendar. The center is consistently dominated by a large, stylized representation of Shrinathji, characterized by distinctive features: a prominent nose, large elongated eyes, and a soft, divine countenance.

Primary Ritual Theme	Liturgical/Seasonal Context	Key Iconographic Motifs Depicted
Sharad Purnima	Autumn Full Moon	The circular Raas Leela dance, moonlit starry skies, stylized Gopis
Annakut	Post-Diwali Harvest Festival	Mounds of sacred food offerings, community feasts, adorned priests
Gopashtami	Winter Cattle Festival	Highly ornamented cows with handprints, pastoral meadows
Kamal Vana / Jal Vihar	Peak Summer Months	Dense groves of lotuses emerging from fresh Yamuna waters to cool the deity

4. Analysis of Modern Practices and Contemporary Realities

4.1 Structural Reorganization of Workshops :

Field observations at Nathdwara show that approximately 150 to 200 active painters continue to work across 30 to 40 organized family studios. However, the organizational dynamics have shifted from collective devotional service to highly commercial, hierarchical labor divisions. Senior male artisans direct the conceptual drafting and paint the highly critical central elements, specifically the face, jewelry, and expression of Shrinathji. Conversely, junior apprentices handle repetitive border outlines and background fills.

A significant finding is the clear gender division in production. While women perform foundational work, including treating fabrics, cooking natural starches, and hand-grinding minerals, they remain underrepresented as independent artists and are rarely recognized as primary authors of major signed works.

4.2 Market Pressures and the 'Secularization' of Art :

The transition from secluded temple shrines to international urban showrooms has exposed the artisan community to intense market competition. To keep up with high-volume demand and lower production costs, a major shift toward synthetic acrylics and poster colors has occurred. This shift drastically shortens production timelines but decreases the structural longevity and spiritual depth of the artwork.

Furthermore, as noted by contemporary art historians, Pichwai is facing 'cultural secularization'. Modern corporate clients, interior decorators, and fashion labels frequently request simplified, resized, or color-altered variations to fit contemporary aesthetics. This commodification often leads to significant iconographic distortions: Renderings of Shrinathji or Radha-Krishna might be visually accurate but fail to be liturgically aligned—featuring wrong seasonal placements, absent symbolic flowers, or miscaptioned temple garb.

4.3 The Digital Divide and Intellectual Property Issues :

The market is further complicated by the mass production of screen-printed and digitally printed Pichwai motifs on commercial textiles. These low-cost alternatives undercut the livelihood of traditional artisans by duplicating years of manual skill in seconds. While some forward-looking workshops use social media platforms like Instagram to secure direct international commissions and bypass exploitative middlemen, older, less tech-literate craftsmen find themselves marginalized by this widening digital divide.

5. SWOC Analysis of the Pichwai Tradition

Strengths :

- Rich cultural and religious history that has survived over three centuries.
- Highly distinct, instantly recognizable visual language featuring luxurious colors and deep symbolic meanings.
- "Each painting is darshan in visual form." (Extract from artisan narrative).

Weaknesses :

- Low financial compensation for lower-tier craftsmen, with severe reliance on seasonal tourist periods.
- Minimal integration into institutional academic curricula or standardized craft preservation directories.

Opportunities:

- High international demand for premium, authenticated heritage art and traditional hand-made creations.
- Collaborative design partnerships with elite fashion institutes, interior decor brands, and textile houses.
- Growth of structured craft tourism and live masterclass experiences in Nathdwara.

Challenges :

- Loss of traditional knowledge systems, as the younger generation faces financial instability and transitions to alternative professions.
- Severe market dilution due to cheap digital prints and the unchecked use of non-ecological synthetic pigments.

6. Conclusion and Strategic Recommendations :

Pichwai painting survives today as a vibrant yet vulnerable living tradition caught between holy devotion and commercial reality. This study shows that sustaining this historic art form requires moving beyond purely aesthetic appreciation toward structured, systemic interventions. To ensure its long-term viability, the following integrated approaches are recommended :

- **Ethical Revival Matrices :** Establishing formal community guilds to audit iconographic accuracy and award geographical authentication certificates, preventing cultural amnesia.
- **Academic and Institutional Integration :** Introducing practical training modules and specialized conservation labs within top fine arts faculties across India (e.g., JNU, MSU Baroda).
- **Economic Empowerment :** Creating direct-to-consumer digital marketing collectives that highlight the contributions of women artisans, ensuring equitable wages and long-term financial security.

References

1. Jain, J. (2013). Folk Art and Culture of India. New Delhi : National Book Trust.
2. Neumayer, E. (1994). The Tribal Art of India. London : Thames & Hudson.
3. Ambalal, A. (1987). Krishna as Shrinathji: Rajasthani Paintings from Nathdwara. Ahmedabad : Mapin Publishing.
4. Entwistle, A. (1987). Vaishnava Iconography in the Pichhwais of Nathdwara. New Delhi.
5. Kumar, R. (2018). Decline of Traditional Craft Techniques in Modern India. New Delhi.
6. Jain-Neubauer, J. (2006). Pichhwai Painting: Tradition and Transition. Ahmedabad.
7. UNESCO. (2003). Intangible Cultural Heritage: South Asia Report. New Delhi.
8. Singh, K. (2001). Temples of Nathdwara: Aesthetics and the Bhakti Tradition. Mumbai: Marg Publications.
9. Krishna, K., & Shah, A. (1996). Pichhwais of Shrinathji. Ahmedabad: Mapin Publishing.
10. Roy, A. (2022). The Politics of Preservation: Cultural Heritage and the Pichwai Artisan. IIC Quarterly, 49(2), 76-88.
11. Sharma, M. (2021). From Shrine to Showroom: Pichwai in the Art Market. Economic and Political Weekly (EPW), 56(12), 42-49.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2026 Page No. : 227-231

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

सांख्य दर्शन में पुरूष–प्रकृति सिद्धांत

राजेन्द्र प्रसाद, सहायक प्रोफेसर,
डॉ. मनि शर्मा, सहायक प्रोफेसर,
डॉ. संगीता देव, सहायक प्रोफेसर,
संहिता एवं संस्कृत विभाग, डी बी यू, पंजाब।

1) प्रस्तावना (भूमिका)

भारतीय दर्शन की परंपरा में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन, तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला दर्शन है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह दर्शन मुख्यतः द्वैतवाद (Dualism) पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्र एवं अनादि तत्त्व 'पुरुष और प्रकृति' को स्वीकार किया गया है।

सांख्य दर्शन का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि मानव–जीवन के मूल प्रश्न 'दुःख और उससे मुक्ति' का समाधान प्रस्तुत करना है।

वास्तव में जीव (पुरुष) अज्ञानवश प्रकृति के साथ अपने को अभिन्न मान लेता है, जिससे वह जन्म–मरण और दुःख के चक्र में फँस जाता है।

पुरुष चेतन तत्त्व है तथा प्रकृति जड़ तत्त्व है।

2) सांख्य दर्शन का स्वरूप :

सांख्य दर्शन में 25 तत्त्वों का वर्णन है–

1 प्रकृति तथा 24 प्रकृति से उत्पन्न विकार।

पुरुष चेतन, स्वतंत्र तत्त्व है– शुद्ध, निराकार, अकर्ता, अभोक्ता तथा साक्षी (द्रष्टा) स्वरूप में स्थित रहता है।

यह दर्शन ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता, बल्कि पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि की व्याख्या करता है।

3) सांख्य का मुख्य उद्देश्य :

"दुःखत्रयनिवृत्तिः"

तीन प्रकार के दुःख (दुःखत्रय) :

(क) आध्यात्मिक – शरीर और मन से उत्पन्न दुःख।

(ख) आधिभौतिक – बाहरी पदार्थों/जीवों से उत्पन्न दुःख।

(ग) आधिदैविक – प्राकृतिक या दैवी आपदाओं से उत्पन्न दुःख।

शास्त्रीय प्रमाण (सांख्यकारिका 1) :

"दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ"

अर्थात् तीन प्रकार के दुःखों के आघात से उनके निवारण के उपाय की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन ज्ञान (तत्त्व–विवेक) के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है।

4) प्रकृति का स्वरूप :

सांख्य दर्शन में सृष्टि के मूल कारण को प्रकृति कहा गया है।

यह समस्त दृश्य जगत (जड़ पदार्थ) की मूल सत्ता है।

शास्त्रीय प्रमाण (सांख्यकारिका 3) :

"मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त"।

अर्थात् प्रकृति मूल कारण है, वह स्वयं अविकृत है, परन्तु उससे महत आदि तत्त्व उत्पन्न होते हैं।

5) प्रकृति के मुख्य लक्षण :

(क) त्रिगुणात्मकता –

"सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः"।

प्रकृति में सत्त्व (प्रकाश, ज्ञान), रजस् (क्रिया, गति) तथा तमस् (अज्ञान, जड़ता) तीनों गुण होते हैं।

उदाहरण– जैसे दूध में मिठास, शीतलता और द्रवता एक साथ रहती है, वैसे ही प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं।

(ख) जड़ (अचेतन) स्वरूप –

प्रकृति स्वयं चेतन नहीं है।

उदाहरण – जैसे मिट्टी स्वयं कुछ नहीं करती, पर कुम्हार के सहयोग से घड़ा बनता है, वैसे ही प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि करती है।

(ग) अनादित्व –

प्रकृति का कोई आरम्भ नहीं है।

उदाहरण – बीज और वृक्ष का चक्र निरंतर चलता रहता है।

(घ) सर्वकार्यकारणत्व –

"कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरूच्यते"।

प्रकृति सम्पूर्ण जगत का कारण है।

(ङ) अव्यक्तता –

प्रकृति प्रत्यक्ष नहीं होती, वह अव्यक्त है।

जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है।

6) पुरूष का स्वरूप –

सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष शुद्ध, चेतन, निर्गुण एवं साक्षी स्वरूप है।

वह न कर्ता है और न ही भोक्ता, बल्कि केवल देखने वाला (द्रष्टा) है।

संसार की सभी क्रियाएँ प्रकृति द्वारा संपन्न होती हैं, जबकि पुरुष केवल उनका साक्षी रहता है।

शास्त्रीय प्रमाण –

"द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः"।

7) **पुरूष के मुख्य लक्षण –**

(क) शुद्धता – पुरुष पूर्णतः निर्मल है, उसमें दुःख–सुख, राग–द्वेष नहीं होते।

(ख) साक्षित्व (द्रष्टाभाव) – वह केवल साक्षी है, जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है।

(ग) अकर्ता एवं अभोक्ता – पुरुष न कर्म करता है और न फल भोगता हैय यह कार्य बुद्धि (प्रकृति) का है।

(घ) चेतन स्वरूप – पुरुष ही चेतना का मूल स्रोत है, प्रकृति जड़ है, अतः बिना पुरुष के उसमें क्रिया संभव नहीं।

8) **पुरूष की विशेषताएँ –**

अकर्ता (कुछ नहीं करता)

अभोक्ता (स्वयं भोग नहीं करता, केवल साक्षी)

नित्य, शुद्ध, बुद्ध

अनेक (बहुत से पुरुष)

शास्त्र प्रमाण –

"पुरूषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य"। (सांख्यकारिका)

9) **पुरूष और बुद्धि का संबंध –**

यद्यपि पुरुष स्वयं निष्क्रिय है, फिर भी बुद्धि के संयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार्य कर रहा है और अनुभव कर रहा है। ↓

यह केवल अविद्या (अज्ञान) के कारण होता है, वास्तव में पुरुष अलग और स्वतंत्र है।

उदाहरण : जैसे चलचित्र (फिल्म) में–

स्क्रीन पर घटनाएँ बदलती रहती हैं (प्रकृति)

देखने वाला व्यक्ति केवल देखता है (पुरुष)

वह स्वयं उन घटनाओं में सम्मिलित नहीं होता।

10) **पुरूष–प्रकृति का संबंध –**

सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल संयोग मात्र (Association) है, वास्तविक एकता नहीं।

"संयोगो हेतुरविद्या"

प्रकृति अकेले सृष्टि नहीं करती, उसे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है।

उदाहरण –

(1) अंधा और लंगड़ा

(2) नर्तकी और दर्शक

11) **प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति (तत्त्व–विकास क्रम) –**

सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से 24 तत्त्वों की उत्पत्ति होती है –

प्रकृति ↓ महत् (बुद्धि) ↓ अहंकार ↓ मन ↓

5 ज्ञानेन्द्रियाँ ↓ 5 कर्मेन्द्रियाँ ↓

5 तन्मात्राएँ ↓ 5 महाभूत

"तस्माद् महत् ततः अहंकारः"।

12) **सांख्य दर्शन में बन्धन का कारण :**

सांख्य दर्शन में बन्धन का मुख्य कारण अविवेक (अज्ञान) है– अर्थात् पुरुष और प्रकृति के वास्तविक भेद का ज्ञान न होना।

"पुरूष–प्रकृत्योः अविवेकः बन्धः"

"तस्य हेतुरविद्या"

जब पुरुष प्रकृति के गुणों को अपना मान लेता है 'सुख–दुःख, जन्म–मरण' यही बन्धन है।

उदाहरण :

दर्पण में प्रतिबिंब को वास्तविक मान लेना।

13) **पुरूष का उद्देश्य (भोग एवं अपवर्ग)**

पुरुष का उद्देश्य है–

भोग (प्रकृति के गुणों का अनुभव)

अपवर्ग (मोक्ष)

अंततः पुरुष साक्षी रूप में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करता है।

"विवेकज्ञानात् कैवल्यम्"।

14) **मोक्ष का सिद्धांत –**

सांख्य में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है।

जब विवेक ज्ञान (पुरुष–प्रकृति भेदज्ञान) होता है, तब पुरुष स्वयं को प्रकृति से भिन्न जान लेता है और बन्धन से मुक्त हो जाता है।

15) **प्रकृति का दार्शनिक महत्व –**

प्रकृति समस्त भौतिक जगत की आधारशिला है।

आयुर्वेद में शरीर, दोष, धातु आदि की उत्पत्ति भी प्रकृति से मानी जाती है।

मोक्ष के लिए प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान आवश्यक है।

16) **आयुर्वेद में उपयोग –**

आयुर्वेद में प्रकृति (वात, पित्त, कफ) का सिद्धांत सांख्य से लिया गया है।

शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्वास्थ्य माना जाता है।

त्रिगुण (सत्त्व, रजस्, तमस्) मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार आहार–विहार निर्धारित किया जाता है।

17) **अन्य दर्शनों से तुलना –**

योग दर्शन – ईश्वर को स्वीकार करता है।

वेदान्त – ब्रह्म को ही परम सत्य मानता है।

न्याय – तर्क एवं प्रमाण पर बल देता है।

वैशेषिक – परमाणु सिद्धांत को मानता है।

बौद्ध – अनात्मवाद एवं क्षणिकवाद।

जैन – अनेकांतवाद।

18) **निष्कर्ष** –

सांख्य दर्शन का पुरुष–प्रकृति सिद्धांत अत्यंत तर्कसंगत है।

पुरुष चेतन और प्रकृति जड़ है।

संसार की उत्पत्ति दोनों के संयोग से होती है।

प्रकृति से महत, अहंकार आदि तत्त्वों की उत्पत्ति होती है।

जीव का बन्धन अज्ञान (अविद्या) के कारण होता है।

पुरुष साक्षी और निष्क्रिय स्वरूप है, जबकि प्रकृति सभी क्रियाओं का संचालन करती है।

ज्ञान प्राप्त होने पर बन्धन समाप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

अतः यह दर्शन जीवन का सही मार्गदर्शन करता है।

M. 9780253659

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website : www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी-127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

रूकमीनी यादव

शोधार्थी, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय,
जमशेदपुर।

for the paper titled

21वीं सदी की शिक्षा समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 10-12

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

हेमलता, पी.एच.डी. शोद्यार्थी

डॉ. अनुराधा सिंह, सहायक आचार्या

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

for the paper titled

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों, पारिवारिक संस्कारों और शैक्षिक निष्पति के संदर्भ में अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 13-19

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

भंवर लाल शर्मा, पी.एच.डी. शोद्यार्थी

डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

for the paper titled

उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों की अध्ययन आदत एवं समस्या समाधान योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 20-26

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. रेखा कुमारी त्रिपाठी

अतिथि प्राध्यापिका, हिंदी एवं अनुवाद विभाग,
हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा।

for the paper titled

प्रोफेसर नंदिनी साहू की 'हिंदू अध्ययन : आधारभूत संरचना एवं ढांचा' (2025) की एक आलोचनात्मक समीक्षा

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 27-37

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Reetika, Research Scholar,

Dr. Dinesh Bansal, Assistant Professor,

Department of Commerce and Management,
Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan.

for the paper titled

The Role of Digitalization in the Development of the Tourism Industry in Rajasthan : A Comparative Study Before and After Demonetization

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 38-48

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

निशा मौर्या

शोध छात्रा, प्रो राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

for the paper titled

न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन : भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य 1990–2000

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 49-55

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. अनुभा श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर।

for the paper titled

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 : महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 56-62

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

अविनाश कुमार पासवान

शोधार्थी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

for the paper titled

मुगलकालीन इतिहास के स्रोत : एक अवलोकन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 63-66

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

तनिषा गोयल, पी.एच.डी. शोद्यार्थी

डॉ. श्रुति खारीवाल, सह आचार्य

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

for the paper titled

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 67-72

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

प्रेम कुमारी, पी.एच.डी. शोद्यार्थी

डॉ. राजेश शर्मा, आचार्य

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

for the paper titled

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृति एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 73-78

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

वस्फी फातिमा

शोधार्थी, बाबा साहेब भीमराव
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।

for the paper titled

प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्र के रूप में नालन्दा

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 79-86

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. कलावती कुमारी

सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग,
ऋषि बंकिम चंद्र सांध्य महाविद्यालय, नैहाटी।

for the paper titled

दलित कविता में स्त्री

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 87-91

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Sanjay Kumar

Research Scholar, Department of History,
University of Delhi.

for the paper titled

Vernacular Voices : Exploring Sexuality in Folk Narratives

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 92-100

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Sachin Kumar Singh

Guest Lecturer (Commerce)

Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur Korea (C.G.)

for the paper titled

Impact of Price Rise on Real Consumption and Savings Behaviour of Middle-Class Families

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 101-108

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Manish Kumar Shukla, Professor

Pankaj Shukla, Research Scholar

Commerce, Govt. T.R.S. College Rewa (M.P.)

for the paper titled

Financial Soundness of Union Bank of India : An EAGLE Model Analysis of Rewa District (M.P.)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 109-120

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. रामसहोदर साकेत

अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र विभाग)

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)

for the paper titled

भारत में जैविक खेती अनुसंधान : वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 121-130

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव, प्राध्यापक

प्रतिभा सिंह, शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय रीवा (म0 प्र0)

for the paper titled

कामकाजी महिलाओं में व्यवसायिक तनाव का अध्ययन (रीवा शहर के विशेष संदर्भ में)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 131-140

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Shushil Dubey, Assistant Professor

Bhaskar Kulaste, Research Scholar

Sociology, Rani Durgavati University Jabalpur (M.P.)

for the paper titled

SOCIO-POLITICAL STUDY OF WOMEN EMPOWERMENT IN PANCHAYATI RAJ

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 141-155

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. प्रदीप कुमार

टीजीटी संविदा शिक्षक, हरियाणा।

for the paper titled

ट्रांसजेंडर समुदाय और शिक्षा :
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 156-161

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Anjali Shrivastava, Research Scholar

Dr. Swati Singh Chauhan,

Commerce Department, Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

for the paper titled

Analysis of Consumer buying behaviour towards online shopping in Vindhya Region

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 162-172

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ० इन्द्र भूषण भगत

नागपुरी भाषा।

for the paper titled

नागपुरी लोकसाहित्य में प्रकीर्ण साहित्य का स्थान

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 173-177

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

ڈاکٹر پرویز اختر

سابق صدر شعبۂ اردو

گڈا کالج، گڈا (سدھو کانہو یونیورسٹی، دمکا)

for the paper titled

اردو افسانوی ادب میں آدی باسی زندگی اور ثقافت کی عکاسی

"ایک تنقیدی اور تہذیبی مطالعہ"

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 178-180

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੋਜ ਕਰਤਾ

ਡਾ. ਲਤਾ, ਗਾਇਡ

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਭਾਗ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

for the paper titled

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 181-191

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Rakesh Joshi

Research Scholar, Department of Public Administration
Uttarakhand Open University, Haldwani.

for the paper titled

Anti Liquor Movements and Mobilisation in the Hilly regions of Uttarakhand: Past and Present

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 192-198

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Shripriya Pandey, Research Scholar,

Dr. Sidharth S. Rai, Assistant Professor,

Department of History, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow.

for the paper titled

Economic References in Temple Inscriptions of Early Medieval India

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 199-204

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Rakesh Kumar Sharma

PhD Research Scholar

University Department of Political Science, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar

for the paper titled

Role of Media and Literature in Electoral Literacy

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 205-212

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Dr. Nidhi Sharma

Assistant Professor, Gwalior Law College,

Dr. Siddharth Tiwari

Assistant Professor, Sonali College, Guna.

for the paper titled

Patentability of Artificial Intelligence-Generated Inventions : Legal Challenges and Policy Responses

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 213-220

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Ramandeep Kaur, PhD Research Scholar

Navneet Kaur, Assistant Professor

Department of Fashion Designing, Guru Kashi University.

for the paper titled

Traditional Pichwai Paintings of Rajasthan : Survey and Analysis of a Living Devotional Art Form

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 221-226

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

राजेन्द्र प्रसाद, सहायक प्रोफेसर,
डॉ. मनि शर्मा, सहायक प्रोफेसर,
डॉ. संगीता देव, सहायक प्रोफेसर,
संहिता एवं संस्कृत विभाग, डी बी यू, पंजाब।

for the paper titled

सांख्य दर्शन में पुरूष-प्रकृति सिद्धांत

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

May 2026, Vol. 23, Issue -5, Part-3, Page No. 227-231

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152